पंचम माला, खंड 37, अंक 28, शुक्रवार, 29 मार्च, 1974/8 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 28, Friday, March 29, 1974/Chaitra 8, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है ।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28—शुक्रवार, 29 मार्च, 1974/8 चैत्र, 1896 (शक)
No. 28—Friday, March 29, 1974/Chaitra 8, 1896 (Shaka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
507	मूल्य निर्धारण नीति का पुनर्विलोकन	Review of Pricing Policy	1–5
508	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विमान सेवा आरंभ किये जाने वाले स्थान	Places proposed to be put on Air Map during Fifth Plan	5–6
509	राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाब के निर्यात का निलंबन	Suspension of Rose Exports by STC	6–8
510	रफ ब्लैंक्स का आयात	Import of Rough Blanks .	8–9
512	रद्द किए गये नोटों की बरामदगी के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा की गई जांच	Enquiry conducted by RBI regarding recovery of cancelled notes . .	9–12
513	घटिया हथकरघाकपडों का निर्यात	Export of sub standard Handloom Fabrics .	12
514	युगोस्लाविया को सप्लाई किए जाने वाले वैगनों के मूल्य के बारे में बातचीत	Negotiation about the price of wagons to be supplied to Yugoslavia . . .	13
515	जीवन बीमा निगम द्वारा आयोजित कारोबार प्रतियोगिताएं	Business competition organised by L.I.C. . . .	13–14
516	एक आयात-निर्यात बैंक की स्थापना	Setting up of an Import-Export Bank . . .	14–15
518	प्लास्टिक एवं लिनोलियम का निर्यात व्यापार	Export Trades in Plastics and Linoleum . . .	15–17
523	उन हवाई अड्डों के नाम जहां कुलियों [illegible] पर काम करने की अ[illegible] गई है	Names of Airports where porters have been allowed on contract basis . .	17–19

*किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign +marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—9 L.S.S.(N.D.)/74

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
506	पांचवीं योजनावधि में केरल में सांस्कृतिक स्थलों के चयन की कसौटी	Criteria for selection of Cultural spots in Kerala during Fifth Plan . .	19
517	कमाये हुये चमड़े का निर्यात	Export of Processed Leather	19–20
519	भारतीय मुद्रा की घटती हुई कीमत	Depreciation in the value of Indian Currency . .	20
520	चाय की नीलामी में प्रतिचयन पद्धति (सैम्पलिंग-सिस्टम)	Sampling System in Tea Auction . . .	20
521	अर्द्ध निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर अधिकतम सीमा लगाना	Ceiling on Export of Semi-Processed Items . .	20–21
522	अगरतला हवाई अड्डे का विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Agartala Airport . . .	21
524	भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य का निलम्बन	Suspension of work in Reserve Bank of India . .	21
525	सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे विदेशी विशेषज्ञों को अदायगी	Payment to Foreign Experts working in Public Sector .	21–22
अता० प्र० सं० U.Q. Nos.			
5087	राष्ट्रीयकृत बैंकों में वसूल न हो सकने वाले और संदिग्ध ऋणों में वृद्धि	Increase in bad and doubtful Debts in Nationalised Banks .	22–23
5088	पेथीरिया चाय बागान को राज सहायता देना	Grant of Subsidy to Pethiria Tea Etate . . .	23
5089	आस्ट्रेलिया से 'राक फासफेट' का आयात	Import of Rock Phosphate from Australia . . .	24
5090	केरल के लिये बाढ़ राहत कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Flood Relief Programme in Kerala	24
5091	जीवन बीमा निगम में तालाबंदी के दौरान बंद हुए डिवीज़नल कार्यालय	Divisional Offices closed during Lockout in L.I.C. .	24
5092	भारत और सूरिनाम के बीच व्यापार में वृद्धि	Increase in Trade between India and Surinam . .	25
5093	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से श्वेत धातु के निर्यात के बारे में निर्णय	Decision on Export of White Metal through STC	25
5094	चमड़ा उत्पादन करने वाले देशों द्वारा साझा बाजार नीति	Common Market Strategy by Leather Producing Countries . . .	25

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5095	सिलेसिलाये वस्त्रों के निर्यातकों को बैंकों द्वारा नौपरिवहन ऋण	Grant of Shipping Loans by Banks to Exporters of Ready made Garment	25–26
5096	जापान तथा मध्य पूर्व देशों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता	Popularity of Textile in Japan and Middle East Countries	26
5097	पर्यटक होस्टल	Tourist Hospitals	26–27
5098	81 से अधिक काउंटों वाले सूत से नियंत्रण हटाना	Decontrolling of Yarn above 81 counts . . .	27
5099	हिमाचल प्रदेश में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Himachal Pradesh . .	27–28
5100	आस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी	Payment of Interest on Loans received from Australia	28
5101	रुस से आयात की गई वस्तुएं	Items Imported from USSR	28–29
5102	औद्योगिक विकास के लिये पश्चिम जर्मनी से प्राप्त हुआ ऋण और सहायता	Loans and Assistance received from West Germany for Industrial Development	29
5103	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विकास कार्य	Development Works at Trivandrum Airport	30
5104	मध्य प्रदेश को सूखा राहत अनुदान में कटौती	Cut in Drought Relief Assistance to Madhya Pradesh .	30
5105	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये मध्य अवधि तथा अल्प अवधि के ऋणों की राशि	Amount of Medium and Short Term Loans given to Farmers by Nationalised Banks	30–31
5106	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Rural Areas of Madhya Pradesh	31
5107	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कर्मचारियों की मांगें	Demand by Employees of All India Handicraft Board .	32
5108	मुद्रा नोटों को एकबार स्टिच करने की व्यवस्था	System of Single Stitching of Currency Notes. . .	32
5109	इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1973 के दौरान हुआ घाटा	Loss suffered by Indian Airlines during 1973 .	32–33
5110	मंगलौर हवाई अड्डा	Mangalore Airport . .	33
5111	होटलों द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन	Foreign Exchange earnings of Hotels . . .	33–34

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5112	देश में सस्ते होटलों की स्थापन का प्रस्ताव	Proposals to set up Cheap Hotels in the country	35
5113	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नए हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of New Aerodromes during Fourth Plan	35
5114	नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन	Production of controlled varieties of cloth	35-36
5115	मध्य प्रदेश में संस्थाओं/व्यक्तियों को राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Amount of Loans given by Nationalised Banks to Institutions/individuals in Madhya Pradesh	36
5116	ईरान द्वारा भारत से सूती कपड़ा खरीदने के वचन को पूरा न किया जाना	Backing out by Iran from Commitment of purchase of cotton cloth . .	36-37
5117	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग	Utilisation of Loan sanctioned by World Bank . .	37
5119	सोवियत संघ को केले का निर्यात	Export of Bananas to USSR.	37
5120	1973-74 में पालम हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटनाएं	Air Crashes at Palam Airport during 1973-74 .	38-40
5121	नए स्वर्ण व्यापारियों को लाइसेंस देना	Issue of New Gold Dealers Licences . . .	40-41
5122	उत्तर प्रदेश में दौरा करने के लिये प्रयोग में लाये गये हेलीकाप्टर	Helicopters used in U. P. for Touring Purposes .	41-42
5123	बिहार राज्य लघु उद्योग विकास एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of Memorandum by Bihar State Small Industries Development Association. . . .	42-43
5124	सिल्वर बुलियन, सिल्वर साल्ट और रसायनों के निर्यात संबंधी नीति का पुनरीक्षण	Revision of Policy regarding Export of silver Bullions, Silver Salts and Chemicals	43
5125	पासा चांदी, चांदी के पत्रों और प्लेटों का निर्यात	Export of Silver Bullion Sheets and Plate . .	43
5126	ई०ई०सी० देशों को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron ore of EEC Countries . .	44
5127	पी०एल०-480 निधि का भारत के संसाधनों पर प्रभाव	Impact of PL 480 Funds on Indias Resources. .	44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5128	भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्सोनल मैनेजर की डेपुटेशन की अवधि	Deputation period of Personnel Manager of I.T.D.C. . . .	44-45
5129	एशियन कोकोनट कम्युनिटी का प्रतिवेदन	Report of Asian Coconut Community	45
5130	दोषपूर्ण तोल के प्रयोग के कारण कालाधन बढ़ जाना	Growth of Black Money due to use of Faulty Weights	45
5131	अन्तर्राष्ट्रीय रूई प्रतिष्ठान की स्थापना	Setting up of an Interna-tionnal Cotton Foundation. .	46
5132	अकबर होटल के हरिजन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यवाही	Steps to redress grievences of Harijan Employees in Akbar Hote	46-47
5133	चीन की अपमिश्रित मरिजुआना का नेपाल से चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Adulterated Chinese Marjuana from Nepal.	47
5134	भारत में घड़ियों का चोरो छिपे लाया जाना	Smuggling of watches into India.	47-48
5135	भारतीय पटसन निगम द्वारा वर्ष 1973-74 के दौरान उड़ीसा में पटसन की खरीद	Purchase of Jute by JCI in Orissa during 1973-74. .	48-49
5136	राजकीय व्यापार निगम द्वारा रूस को चमड़े के जूतों की सप्लाई	Supply of Leather Shoes to Soviet Union by STC .	49
5137	सान्ताक्रूझ, बम्बई में निर्यात संवर्धन क्षेत्र की स्थापना	Establish ment of Export Production Zone at Santa-Cruz, Bombay . . .	49-50
5138	हीरों के आयात पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हुई हानि	Loss incurred by MMTC on the Import of Diamonds. .	50
5139	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कोयले पर आधारित उद्योगों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश	Financial Assistance offered by IDBI for execution of Coal based Industries.	50
5140	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में किसानों को दी गई ऋण राशि	Money advanced by Nationalised Banks to Agriculturists in Kerala .	50-51
5141	जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1974-75 के दौरान केरल के पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक राशि का नियोजन	Investment of more money by L.I.C. in Backward areas of Kerala during 1974-75	51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5142	केरल में खोली जाने वाली राष्ट्रीय-कृत बैंकों की नई शाखाएं	New branches of Nationalised Banks proposed to be opened in Kerala	51–52
5143	राष्ट्रीय-कृत बैंकों द्वारा केरल में ग्रामीण उद्योगों को दिया गया ऋण	Credit advanced by Nationalised Banks to Rural Industries in Kerala.	52
5144	जस्तीकृत पारेषण लाइन टावरों का निर्यात करने के लिए दी जाने वाली नकदी सहायता को वापिस लेना	Withdrawal of cash Assistance for Export of Galvanised Transmission	52
5145	अमरीका की भारत में रुपयों में जमा राशि	U. S. Ruppee holding in India.	52–53
5146	नीदरलैंड से सहायता में वृद्धि	Increase aid from Neitherlands.	53
5147	विभिन्न झीलों पर पर्यटकों के लिए मोटर लांच की व्यवस्था करने की योजना	Schemes for providing Motor launches at various Lakes for Tourists.	53–54
5148	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्तर तथा पश्चिम के राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए प्रस्ताव	Proposals for Development of Tourist Spots in North Western States by ITDC	54
5149	आयकर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of arrears of income tax. . . .	54
5150	जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को दिया गया ऋण	Loans advanced by LIC to States	55
5151	परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Traditional Goods . .	55–56
5152	आयात/निर्यात अधिनियम में संशोधन	Amendment of Import/Export Act	56
5153	भारत और सोमालिया के बीच व्यापार समझौता	Trade agreement between India and Somalia . .	56–57
5154	सूती कपड़ों की विदेशों में लोकप्रियता	Popularity of Cotton Textiles abroad	57
5155	जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में डेवलेपमेंट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सवारी भत्ते में वृद्धि	Increase in conveyance allowance of Development officers and other staff of LIC in Delhi Division of LIC	57–58

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5156	जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली में एजेंटों पर विकास अधिकारियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of houses by LIC for Agents and Development Officers in Delhi	58
5157	एवरो विमान के बारे में धवन समिति का प्रतिवेदन	Dhawan Committee Report on Avro Aircraft . .	58
5158	आस्ट्रेलिया द्वारा लागू की गई तरजीह शुल्क की नई योजना	New Preferential Tariff Scheme introduced by Australia . . .	58-59
5159	डीज़ल इंजनों के लिये प्राप्त ऋण का तेल संकट के कारण अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग	Diversion due to oil Crisis of loans received for Deisel Locomotives . . .	59-60
5160	निर्यात बढ़ाने के उपाय	Steps to promote Export .	60
5161	मानव केशों का निर्यात	Export of Human Hair .	60-61
5162	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी और टाटा इंजिनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी में राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्त-पोषी संस्थाओं की शेयर धारिता	Share holding of Nationalised Banks and Financial Institutions in TISCO and TELCO	61-62
5163	मार्च 1974 में लिपजिग व्यापार मेले में सम्मिलित होने वाली भारतीय फर्मों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के नाम	Names of Indian firms and public sector undertaking participating in Leipzig Trade Fair in March, 1974	62
5164	टैक्सटाइल मिलों के उत्पादन ढांचे पर नियंत्रण	Control on production pattern of Textile Mills	62
5165	गुजरात में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of Aerodrome in Gujarat during Fifth Plan	63
5166	गुजरात में पांचवीं योजना में स्टैट बैंक आफ इंडिया की नई शाखाओं का खोला जाना	Opening of new branches of SBI in Gujarat during Fifth Plan . .	63-64
5167	टैक्सटाइल मशीनरी का आयात	Import of Textile Machinery	64-65
5168	वित्त-पोषी व्यवस्थाओं को बम्बई में स्थापित करना	Location of Financial Institutions in Bombay . .	65-66
5169	टाटा समिति की सिफारिशें	Recommendations of Tata Committee . . .	66-67
5170	हस्तचालित कपड़ा एककों में बेनामी सौदे	Benami deals among Textile Hand Processing Units	67
5171	निषिद्धि कपड़ों का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Fabrics	68

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5172	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1973 के दौरान विभिन्न उद्योगों को दी गई सहायता	Amount of Assistance given by IDBI during 1973 to various Industries . .	68-69
5173	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्यकरण	Functioning of Industrial Development Bank of India	69
5174	पश्चिम बंगाल द्वारा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	Export of Engineering Goods by West Bengal . .	69-70
5175	रूस को निर्यात की गई वस्तुयें	Items exported to USSR .	70
5176	ताजे फलों एवं सब्जियों का ब्रिटेन को निर्यात	Export of Fresh Fruits and Vegetables to U.K. .	71
5177	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम आय वाले पर्यटकों के लिये दिल्ली में और अधिक होटलों के निर्माण की योजना	Scheme for construction more Hotels in Delhi for low Income Tourists during Fifth Plan.	71
5178	जुलाई, दिसम्बर, 1973 में बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	OTA given by Banks to their Employees during July-December, 1973 . .	72
5179	कोयला उद्योग में कम्पनियों द्वारा बढ़ाई गई पूंजी	Capital raised by Companies in Coal Industry	72-73
5180	कम्पनियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्त पोषी संस्थाओं की शेयर धारिता	Share holding of Nationalised Banks and Financial Institutions in Companies	73-74
5181	प्रत्यक्ष करों से राजस्व की वसूली	Collection of Revenue from Direct Taxes . . .	74
5182	तस्करी की वस्तुओं का जब्त किया जाना	Seizure of Smuggled Goods	75
5183	आय कर की एक लाख रुपये से अधिक बकाया राशि वाली फर्में तथा व्यक्ति	Arrears of Income Tax against Firms/Individuals above Rs. One Lakh . . .	75-76
5184	श्रिम्पों, लोबस्टरों तथा फ्राग लैग्स का निर्यात	Export of Shrimps, Lobsters and Frog Legs . .	76
5185	लन्दन से अपरिष्कृत हीरों का आयात	Import of Roughs from London	76-77
5186	रेशमी कपड़े का निर्यात	Export of Silk Fabrics	77
5187	सूती धागे का समकारी भाड़ा (फ्रेट इक्विलाइझेशन)	Freight equalisation of cotton yarn	77

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5188	वस्त्रों का निर्माण	Production of Cloth	77-79
5189	गया गंगा चाय बागान में उत्पादित चाय पर वसूल किया गया उत्पादन शुल्क	Excise Duty Collection from Tea Produced in Gaya Ganga Tea Estate . .	79-80
5190	असली रेशम तथा टसर का निर्यात	Export of Mulberry Silk and Tassar	80
5191	तीर्थस्थानों पर भिखारियों का घूमना	Roaming of Beggars at Places of Pilgrimage .	80-81
5192	मात्रा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import Licences on Quantity Basis . . .	81
5193	देश में खपत पर रोक	Curbs on Internal Consumption	81
5194	दुर्लभता राहत कार्यों के लिये महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Maharashtra for Scarcity Relief Works . . .	81-82
5195	तेल सम्पन्न देशों से विकासशील देशों को सहायता	Assistance from Oil Rich Countries to Developing Countries	82
5196	चमड़े और खालोंका निर्यात	Export of Hides and Skins .	82
5197	सूती कपड़ा व्यापार को अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Trade in Cotton Textiles	82-83
5198	औद्योगिक तथा इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिये लाइसेंस	Licences for Export of Industrial and Engineering Goods . . .	83
5199	रूस को निर्यात में वृद्धि	Increase in Exoprts to USSR	83
5200	भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन	Re-Structuring of ITDC	83-84
5201	सरकारी बैंको का पूनर्गठन	Reorganisation of Public Sector Banks . . .	84
5202	वर्तमान निर्बाध पत्तनों का कार्य-निष्पादन	Performance of Existing Free Ports	84-85
5203	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को ऊन सप्लाई करने के लिये नियुक्त व्यापारी	Dealers appointed to supply knitting wool to Government Employees in Delhi	85
5204	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से ऊन सप्लाई करने का प्रस्ताव	Proposal to Supply Knitting Wool Government Employees through Consumer Cooperative Societies	85
5205	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Third Pay Commission . . .	85-86

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5206	इंडियन एयरलाइंस में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in Indian Airlines	86
5207	महालेखाकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि में धनराशि जमा करना	Depositing of Provident Fund Amounts of Government Employees by Accountant Generals	86–87
5208	समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधायें	Credit facilities by Nationalised Banks to weaker Sections of the Society	87
5209	रायगढ़, उड़ीसा में कताई मिल की स्थापना	Setting up of a Spinning Mill at Rayagada, Orissa	88
5210	भुवनेश्वर से दिल्ली तक सीधी विमानन सेवा	Direct Air Service from Bhubaneswar to Delhi	88
5211	अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	88–89
5212	रबड़ के निम्नतम मूल्य में वृद्धि	Increase in Minimum Price of Rubber	89
5213	आधे कमाये हुये चमड़े का निर्यात	Export of Semi-tanned Leather	89
5215	हथकरघा और हस्तकला निर्यात निगम की स्थापना	Setting up of Handlooms and Handicrafts Export Corporation	89–90
5216	निर्यात संवर्धन संस्थायें	Institutions for Export Promotion	90
5217	जोधपुर हवाई अड्डे का पूरा होना	Completion of Jodhpur Aerodrome	90
5218	राजस्थान में लघु उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	Financial assistance given by Nationalised banks to persons engaged in Small Industries in Rajasthan	90–91
5219	पांचवीं योजना में नये हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of New Aerodromes during Fifth Plan	91
5220	विदेशों में भारतीय जूतों की मांग	Demand for Indian shoes in Foreign countries	91–92
5221	गांजे का निर्यात	Export of Ganja	92
5222	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्राप्त पश्चिम बंगाल के लिए परियोजना प्रतिवेदन	Project reports received by Industiral Development Bank of India for West Bengal	92–93
5223	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1973 में पश्चिम बंगाल के लिये मंजूर की गई धनराशि का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of amount sanctioned by Industrial Development Bank of India for West Bengal during 1973	93

अता. प्र. सं. U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5224	सैमी-टन्ट चमड़े तथा चमड़ा और खालों का निर्यात	Export of Semi tanned Leather and Hidesand Skins	94
5225	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Central Ministers	95
5226	विस्फोटक पदार्थों के निर्यात के लिये नकद सहायता	Cash Assistance for export of explosives	95
5227	सेंचुरी मिल्स द्वारा आग न पकड़ने वाली साड़ी का बनाया जाना	Introduction of a Fire retradant Saree by Century Mills.	95
5228	मलयेशिया के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint ventures with Malaysia.	96
5229	भारत और नेपाल द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये बनाई गई योजना	Scheme for Attracting Foreign Tourists by India and Nepal.	96
5230	ऊन तथा ऊनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि	Increase in export of Wool and Woollen Goods	96–97
5232	मूंगफली की एच० पी० एस० किस्म का निर्यात	Export of H.P.S. variety of Groundnuts	97
5233	भारत में कनाडियन बैंक का कार्य	Operating of Canadian Bank in India	97
5234	भारतीय उपभोक्ता परिषद् से ज्ञापन	Memorandum from Consumers Council of India	98
5235	अकबर तथा अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये कल्याण योजनायें	Welfare schemes for Employees of Akbar and Ashoka Hotels.	98–99
5236	समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Marine Products	99
5237	राज्यों द्वारा अपने जमा खातों से अधिक राशि निकालना	Over Drafts by States.	100
5238	कच्चे पटसन के निर्यात पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Export on Raw Jute.	100
5239	बम्बई तथा बंगलोर से बेलगाम तक विमान सेवा	Air Service to Belgaum from Bombay and Bangalore	100
5240	कच्चे काजू का निर्यात	Import of Raw Cashew.	100–101
5241	राज्यों पर ऋण की बकाया राशि	Outstanding Amount of Loan Against States.	101
5242	जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कमी	Reduction in Premiun Rates of LIC	102

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5243	सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात में कमी होना	Decline in Export of Ready made Gar- ments, . .	102
5244	दिल्ली-इन्दौर विमान सेवा	Delhi-Indore Air Service .	102–103
5245	गुजारत में निर्धारितियों द्वारा धनकर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन	Violation of Provisions of Wealth Tax Act by Assessees in Gujarat.	103–104
5246	गुजरात से निर्यात	Exports from Gujarat.	104
5247	ब्रिटिश राष्ट्रिकों द्वारा भारत से विदेशी मुद्रा में पेंशन लिया जाना	Receiving of Pension by British Nationals from India in Foreign Exchange.	104
5248	मलयेशिया को हाथियों का निर्यात	Export of Elephants to Malaysia. . . .	105
5249	मलयेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैंड के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करना	Setting of Joint Ventures with Malaysia, Singapore and Thailand. . . .	105
5250	लघु उद्योगों के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Small Scale Industries. .	105–106
5251	नये रूपों में चाय की मांग उत्पन्न करना	Creation of tea Demand on Newer Forms. . . .	106
5252	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Jute Industry.	106
5253	काले धन का पता लगाने के लिये छापे	Raids to Unearth Black Money.	107
5254	तस्करी में सीमा शुल्क अधिकारियों का कथित हाथ	Alleged involvements of Customs Officials in Sumggling. . . .	108
5255	कालीन निर्यातकर्ताओं के लिये ऊनी धागा	Woollen Yarn for Carpet Exporters . . .	108
5256	मध्य प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे	Raids by Income Tax Autho- rities in Madhya Pradesh.	108–109
5257	जम्बो विमानों की उड़ानों से आय को बढ़ाने के लिये कार्यवाही	Steps to improve income from Jumbo flights . . .	109
5258	श्री बीजू पटनायक और उनके कम्पनियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Shri Biju Patnaik and his companies . .	109
5259	बम्बई में वायदा बाजार कमीशन की भूमिका में परिवर्तन	Change in the Role of For- ward Markets Commission in Bombay. . . .	109
5260	आयकर विभाग में कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी (क्वासी परमानेंट) घोषित करने के आदेश	Orders for Declaring Emp- loyees as quasi Permanent in Income Tax Department.	110

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5261	अपरिकृत पटसन के आयात के लिये बंगला देश के साथ समझौता	Aggeement with Bangladesh for Import of Raw Jute .	110
5263	बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना	Replacement of Sales Tax by Excise Duty . .	110–111
5264	इंडियन एयरलाइंस तथा एयरइंडिया को युक्तिकरण योजनायें	Rationalisation Schemes of Indian Airlines and Air India	111
5265	त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण	Operation of Nationalised Banks in Tripura . .	111–112
5266	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की त्रिपुरा की अगरतला शाखा में कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Employees in Agartala Branch of United bank of India, Tripura	112
5267	उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना	Setting up of a Jute Mills in Orissa	113
5268	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से राक फास्फेट का आयात	Import of Rock Phosphate through MMTC .	113
5269	पश्चिम एशियायी देशों में भारत हंगरी संयुक्त उद्यम	Indo-Hungarian Joint Ventures in West Asian Countries	114
5270	आय-विभाग में कर-निर्धारण के लिये संक्षिप्त कार्यवाही की योजना	Scheme of Summary Assessment in Income Tax Department	114
5271	अहमदाबाद तथा गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधी विमान सेवा	Direct Air Link between Ahmedabad and Important Cities in Gujarat . .	114–115
5272	केरल राज्य में वितरण हेतु कपड़ा	Cloth for Distribution in Kerala State . . .	115–116
5273	साइकल निर्यातकों को नकद प्रोत्साहन देना बंद करना	Withdrawal of Cash Incentives to Exporters of Bicycles	116
5274	गैर-परम्परागत कृषि उत्पादों का निर्यात	Export of Non Traditional Agricultural Products .	117
5275	पासा चांदी तथा चांदी के पत्रों और प्लेटों का निर्यात	Export of Silver Bullion, Silver Sheets and Plates .	117
5276	चांदी का निर्यात	Export of Silver . .	117–118
5277	कच्चे चमड़े और खालों का निर्यात	Export of Raw Hides and Skins	118
5278	भारत में आर्थिक संकट	Economic Crisis in India .	118
5279	पांचवीं योजना के दौरान त्रिपुरा में पटसन मिल की स्थापना	Setting up of a Jute Mills in Tripura during Fifth Plan	118–119

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5280	कलकत्ता–अगरतला–खोवाई–कमालपुर कैलाश शहर क्षेत्र के लिये इंडियन एयरलाइंस की जनता सेवा पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव	Proposal to resume Janata Service of Indian Airlines for Calcutta Agrtala Khowai Kamalpur Kailashahar sector	119
5281	चमड़ा उद्योग का विकास तथा विस्तार	Development and expansion of leather Industry . .	119–120
5282	चाय का उत्पादन और निर्यात	Production and Export of Tea	120
5283	पर्यटक होटलों की स्थापना	Setting up of Tourist Hotels	120–122
5284	आगामी छः महीनों में दिल्ली में खोली जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Bank proposed to be opened in Delhi during the next six months	122
5285	केन्द्रीय सतर्कता आयोग को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण संबंधी हिदायतें	Issuing of Instructions to Central Vigilance Commission regarding functioning of Nationalised Banks .	123
5286	पांचवी योजना में विश्व बैंक और उसकी ऐजेंसियों द्वारा विदेशी सहायता का वचन	Foreign Aid committed by World Bank and its Agencies in Fifth Plan . .	123
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	नारियल जटा उद्योग के यंत्रीकरण के कारण केरल में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी	Mechanisation in Coir Industry resulting in large scale unemployment in Kerala	
	श्री ए० के० गोपालन	Shri A..K. Gopalan	123व124–125
	श्री जियाउर्रहमान अंसारी	Shri Zaaur Rahman Ansari	124,125–126,127,व 128
	स्थगन प्रस्ताव के बारें म	Re. Motion for Adjournment	128–131
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	131–133
	विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	Assent to Bills . .	133
	21 मार्च 1974 को बिहार की स्थिति पर हुई चर्चा के बारे में सदस्य का वक्तव्य—	Statement by Member Re. Discussion on Bihar Situation on 21 st March, 1974—	
	श्री ज्योतीर्मय बसु	Shri Joytirmoy Bosu	134
	श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	134–135

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
नियम 377 के अन्तर्गत मामले—	Matters under Rule 377— .	
(एक) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक हरिजन गांव को आग लगाये जाने का समाचार	Reported Setting on Fire of a Harijan Village in Gonda District, U.P. . .	135–136
(दो) उड़ीसा में भूख से मृत्यु होने के समाचार	Reported Starvation Deaths in Orissa . . .	136–137
(तीन) 1 अप्रैल, 1974 के बाद पांडिचेरी में दिये जाने वाले व्यय के लिए संवैधानिक स्वीकृति	Constitutional Sanction for Expenditure to be incurred in Pondicherry after 1st April, 1974 . . .	137–138
अनुदानों की मांगें, 1974-75—	Demands for Grants, 1974-75—	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय—	Ministry of Information and Brodcasting—	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	138–139
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango .	140
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	140
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	141
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	141
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal .	142
श्री एन० पी० यादव	Shri N.P. Yadav . .	142–143
श्री आई० के० गुजराल	Shri I.K. Gujaral . .	143–147
मखीसराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा रेल सम्पत्ति की कथित जलाये जाने और उनके द्वारा किये जाने अन्य अत्याचारों के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Alleged burning Railway property and other atrocities at Lakhisarai Railway Station by RPF Personnel—	
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	147–148
कंट्रोल के कपड़े के सम्बन्ध में संशोधित नीति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Revised Controlled Cloth Policy—	149
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George . .	149–150
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	
38 वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Thirty-eighth Report—adopted	
कृषि उत्पादन और मुल्यों सम्बन्धी नीति के बारे में संकल्प—	Resolution Re. Policy in respect of Prices and Agricultural Production—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	150–152
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	153
श्री ज्योतीर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	153–155

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	156
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	156–158
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	158–159
श्री राम रतन शर्मा	Shri R.R. Sharma . .	159
प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयो के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Government Decisions on the Recommendations of the Third Pay Commission in respect of Class I officers –	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	160–161
विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वतन मानों में संशोधन के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Revision of Pay Scales of University and College Teachers.	
श्री नुरुल हसन	Shri Nural Hasan	162
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
40 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया—	Fortieth Report—presented.	163

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 29 मार्च, 1974/8 चैत्र, 1896 (शक)
Friday, March 29 1974/Chaitra 8, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मूल्य निर्धारण नीति का पुर्नविलोकन

+

*507. **श्री निहार लास्कर :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्य-निर्धारण नीति का पुर्नविलोकन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक घोषित कर दिया जायेगा;

(ग) क्या अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि सफल मूल्य निर्धारण नीति के लिये आधारभूत पहली आवश्यकता यह है कि वितरण की कुशल प्रणाली हो; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मूल्य सम्बन्धी नीति एक पेचीदा मसला है, क्योंकि इसका सम्बन्ध कई वस्तुओं और कई प्रकार के राजस्व विषयक तथा वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रणों से है जो उत्पादन बढ़ाने तथा अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरण करने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर लागू किये जाते है। इन सभी मामलों पर बराबर नजर रखी जाती है और जब जरूरत होती है तब उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जाता है।

(ग) और (घ) वस्तुओं का सुव्यवस्थित ढंग से वितरण करने का तरीका उन कई उपायों में से एक है जो मूल्यों को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से किये जाते हैं। मूल्यों को बढ़ने से रोकने के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर अर्थशास्त्रियों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों आदि से सुझाव मिलते रहते हैं और देश की आर्थिक नितियां तैयार करते समय इन सुझावों पर यथोचित विचार किया जाता है।

2—9 L.S.S. (ND)/74

श्री निहार लास्कर : हम सब इस बात को जानते हैं कि मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति का मूल कारण देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन की कमी है। देश में अन्यावश्यक कृषि तथा औद्योगिक कमी को ध्यान में रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कम से कम अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सिद्धान्त रूप में यह बात ठीक है कि प्रमुख वस्तुएं, जिनका प्रभाव मूल्य ढांचे पर पड़ता है वे खाद्य वस्तुएं ही हैं, जसाकि आपको पता है इन वस्तुओं पर हमारा कुछ नियंत्रण अवश्य है क्योंकि हमें यह देखना है कि हमारी वितरण व्यवस्था सुचारू रुप से चल सके ।

श्री निहार लास्कर : कुछ लोगों के विचार में मूल्य वद्धि की समस्या का एक हल यह है कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाये और गैर-विकास सम्बन्धी कार्यों पर कम से कम खर्च हो। इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आपने देखा होगा कि सारा बजट इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है जब हमने बजट सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की थी तब हमने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे। हमारे विकास सम्बन्धी सभी प्रयत्न, विशषकर कृषि तथा अथव्यवस्था के सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में, उत्पादन बढ़ाने के लिये ही किये जा रहे हैं। जहां तक गर-विकास कार्यों पर व्यय कम करने की बात का सम्बन्ध है जो वास्तव में घाटे की अर्थव्यवस्था रोकने के लिये है, हम निश्चित ही इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है कि बजट पेश किये जाने के बाद खुले बाज़ार में अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि मूल्यों के लिये वर्ष 1960 को मूल वर्ष माना जाए तो आवश्यक वस्तुओं और विशेषकर खाद्य वस्तुओं के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस बारे में नवीनतम जानकारी क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह जानकारी विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कई बार दी जा चुकी है। यह एक तथ्य है कि वर्ष 1974 में वर्ष 1960 की तुलना में मूल्य बहुत अधिक है। यह स्वीकृत बात है। थोक मूल्य सूचकांक में कई अन्य चीज़ें भी होती है जिनमें खाद्य वस्तुएं प्रमुख होती है और खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि बजट के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वह 30 प्रतिशत कहे तो मैं इससे इन्कार करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : फिर वह बतायें कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वह बजट के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में सही-सही जानकारी चाहते हैं तो उन्हें इस आशय के बारे में अलग प्रश्न पूछना होगा . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास इस समय आंकड़े नहीं है।

श्री समर गुह : क्या काले धन का अत्यधिक परिचलन मूल्यों की घट-बढ़ के प्रमुख कारणों में से एक है और यदि हां, तो क्या सरकार बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के बारे में वांचू समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर पुनःविचार करेगी ? वांचू समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या अन्य ठोस उपाय किये हैं और मूल्य वृद्धि रोकने के लिये उनमें से किये गये उपायों का क्या परिणाम निकला है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने बजट पर सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देते हुए इस विषय के बारे में विशेष रूप से बताया था। यदि मैं उसी उत्तर को दोहराउंगा तो अधिक समय लग जायेगा ।

वांचू समिति और सरकार के मूल्यांकन के अनुसार काले धन की समस्या के साथ निपटने के लिये तीन या चार प्रमुख तरीके हैं। उनमें से एक यह है कि हम कर अपवंचको के मन में भय पैदा करें और ऐसा करने के लिए हमें आय-कर तथा अन्य कर सम्बन्धी विधियों में संशोधन करना होगा ताकि दंड को अधिक कठोर बनाया जा सके। इस सिफारिश के आधार पर हमने एक व्यापक कानून का मसौदा बनाया है जो इस सभा के विचाराधीन है। प्रवर समिति इस से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार कर रही है। दूसरी बात यह है कि सब प्रकार के काले धन और लेखा-बाह्य धन का मूल कर-अपवंचन है। कर-अपवंचन को बढ़ावा देने वाले कुछ तरीके समाप्त करने के लिये हमने वित्त विधेयक में कुछ उपाय किए हैं जिनकी देश को और सभा को पूरी जानकारी है।

तीसरी सिफारिश यह थी कि लेखा-बाह्य धन का उपयोग मुख्यत: सम्पत्ति खरीदने में किया जाता है और विशेषरूप से इस बात का पता लगाया गया था कि इस के प्रयोग का तरीका यह था कि सम्पत्तियों का हस्तांतरण करते समय कम मूल्य दिखाया जाता है। इस प्रणाली को रोकने के लिये इस सभा ने एक कानून पास किया है और उस अधिनियम पर चर्चा के समय मैंने कुछ जानकारी दी थी कि कितने मामलों में नोटिस जारी किये गये हैं और कितने मामलों में निर्णय किये गये हैं।

विमुद्रीकरण का भी सुझाव दिया गया था परन्तु सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री जगन्नाथराव : वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बजट सम्बन्धी प्रस्तावों का प्रभाव कुछ समय बाद ही पता चलेगा। अब हम हर वस्तु का अभाव देख रहे हैं। सरकारी वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ताकि उपलब्ध खाद्य पदार्थों या औद्योगिक उत्पादों का समान रूप से वितरण हो सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मख्य मद खाद्य पदार्थ है और विशेषकर अनाज और माननीय सदस्य को पता है कि अनाज के वितरण के लिये क्या उपाय किये गये हैं और अनाज की वितरण व्यवस्था से मल्य वृद्धि का मुकाबला करने मे सहायता मिली है **(व्यवधान)** वह अभाव के कारण है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मल्यों में अत्यधिक वृद्धि और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के रुख को देखते हुए अनाज के वितरण के लिये, विशेषकर देहातों में, क्या तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि वहां पर राशन की कोई व्यवस्था नहीं है और जो कुछ परिवर्तित व्यवस्था थी, वह भी लगभग समाप्त हो गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कल खाद्य मंत्री ने पूरी खाद्य नीति के बारे में एक वक्तव्य दिया था। मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर भी उसमें मिल जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नीति को बदलने की बात है। सरकार अनाज के वितरण की प्रभावशाली व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : अर्थशास्त्र के अनुसार जब अभाव की स्थिति होती है तब मूल्य वृद्धि होती है। परन्तु इस देश में जब उत्पादन में वृद्धि भी हुई है तब भी मूल्यों में वृद्धि हुई है? क्या सरकार ने इस देश में इस विचित्र स्थिति का कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो कम से कम इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि जब उत्पादन में वृद्धि हो तब मूल्य कम हो, बढ़ नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सुझाव बहुत अच्छा है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम इस पहलू का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Deputy Speaker Sir I would like to know the aim of the price policy of the Government ? May I know whether it is aimed at decreasing the prices to some reasonable level or it is aimed at stabilising the prices at present level and whether Government has examined the views of the economists that the increase in money supply should not be more than 5 per cent ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में मूल्य कम होने की आशा करना कल्पना की बात है। मैंने अपने व्यक्तिगत विचार बता दिये हैं। इस समय हमारे प्रयत्न मूल्य वद्धि रोकने के हैं और यदि वह यह पूछना चाह कि सरकार की इस बारे में सही नीति क्या है तो हम कहेंगे कि जहां कहीं सम्भव हो सकता हो, कुछ हद तक मूल्य कम करने का भी प्रयत्न किया जाता है।

जहां तक मुद्रा उपलब्धि में 5 प्रतिशत तक वृद्धि की बात है, यह सुझाव अच्छा है परन्तु इसे लागू करना बहुत कठिन हो । अन्ततोगत्वा इस का सम्बन्ध उत्पादक तथा विकास कार्यों के साथ होना चाहिए। यह बात बहुत मश्किल है कि मुद्रा उपलब्धि केवल 5 प्रतिशत तक ही रहे। जिन अथशास्त्रियों ने हमें परामर्श दिया है उनका कहना है कि मुद्रीकरण बढ़ रहा है और देहात में अधिक से अधिक धन उपलब्ध हो रहा है और यह कहना कठिन है कि मुद्रा उपलब्धि केवल 5 प्रतिशत तक ही सीमित रहनी चाहिये।

श्री राम सहाय पांडे : जहां तक वितरण व्यवस्थां का सम्बन्ध है, मूल समस्या यह है कि वस्तुएं उपलब्ध है फिरभी उनका अभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही दो बातें हैं। यदि मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, वस्तु पर नियंत्रण हो जाता है और वह उपलब्ध नहीं होती। यदि उसके लिये अधिक मूल्य दिया जाये तो वह उपलब्ध हो जाती है। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। मैं उनकी विवशता समझता हूं, यह बहुत नाज़ुक मामला है। परन्तु कहीं कुछ अन्तर तो बनाना ही होगा। समस्त वितरण व्यवस्था पर ध्यान देने के लिये कोई एजेंसी बनाई जानी चाहिये। सरकार एक मूल्य निर्धारित करती है परन्तु वह वस्तु उस मल्य पर उपलब्ध नहीं होती। अधिक मूल्य देने पर वस्तुएं मिल जाती हैं। यह मुद्रास्फिति का कारण है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह उनका विश्लेषण है। वह अपना मूल्यांकन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र ह।

Shri Madhu Limaye : The hon'ble Minister had given an assurance to the Parliament that concrete steps would be taken to reduce the unprecedent increase in prices of cloth. At present the ratio of production of controlled cloth is 10 percent. I would like to know whether any proposal is under consideration of the Government to increase the ratio to 50 percent so that common man may get some relief?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मोटे कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ताकि वह ज्यादा लोगों को उपलब्ध किया जा सके। वे प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में विमान सेवा आरम्भ किये जाने वाले स्थान

*508. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जहां पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विमान सेवा आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई वार्षिक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने ऐसे स्टेशनों की एक सूची तैयार की थी जिन्हें पांचवीं योजनावधि के दौरान संभवतया उनकी मार्गावली (नेट-वर्क) में सम्मिलित किया जा सकता था। परन्तु, विमानन ईंधन के मूल्य में हाल की अत्यधिक वृद्धि तथा अपने विमान-बेड़े में से वाइकाउंट तथा डकोटा विमानों को क्रमशः निकाल देने के कारण, इंडियन एयरलाइंस समस्त स्थिति का पुनरालोकन कर रही है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : चूंकि मंत्री महोदय ने हमें सूची नहीं दी है और चूंकि उन्होंने सूची में संशोधन किये जाने को उल्लेख किया है, इसलिये क्या मैं राज्यों की राजधानी को प्राथमिकता देने के लिये उन्हें कह सकता हूं या उनसे प्रार्थना कर सकता हूं जिन्हें विमान द्वारा देश की राजधानी के साथ जोड़ा जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने अच्छा सुझाव है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वह इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने योग्य सुझाव है। आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : शिमला स्थित इस हवाई अड्डे के लिये सर्वेक्षण को, जिस का आदेश दिया गया है, देखते हुए क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि क्या इस हवाई अड्डे की स्थापना करने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है ?

श्री राज बहादुर : जाबटहारी स्थान का, जिस का सुझाव दिया गया था, सर्वेक्षण किया जा रहा है। हमें आशा है कि यह काम शीघ्र पूरा हो जायेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के लिये विमान सेवा के संबंध में यह अनेक कारणों पर निर्भर करता है जो अभी तक अनिश्चित है ।

श्री रणबहादुर सिंह : इंडियन एयरलाइंस के द्वारा देश के भीतर कुछ सेवाओं को रद्द किया जाता रहा है ; उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या और केन्द्रों को खोलने के बारे में विचार करते समय इंडियन एयरलाइंस उन स्थानों को प्राथमिकता देगा जहां मूलतः विमान सेवा थी किन्तु जिसे तेल संकट के कारण बन्द कर दिया गया था ?

श्री राज बहादुर : यह सिद्धांत की बात है, हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे और इस बारे में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायेंगे ।

श्री ए० पी० शर्मा : बोकारो एक महत्वपूर्ण स्थान है जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तौर से प्रसिद्ध है और इसके लिए विमान सेवा आरम्भ की जानी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे सूचना प्राप्त है, हमने बोकारो के बारे में अभी तक विचार नहीं किया है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : राजमुन्द्री में एक अच्छी हवाई पट्टी है जहां पर प्रधान-मंत्री के विमान को उतारा गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ उद्योग-पतियों ने वचन दिया था कि वे कुछ टिकटों को खरीद लेंगे। राजमुन्द्री की स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में विचार कर सकते हैं ।

श्री राज बहादुर : यदि उस तरह की कोई पेशकश मिलती है, तो मैं निश्चय से वित्त मंत्री से इस पर विचार करने के लिए कहूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस में अधिक कुछ भी नहीं है। आप उनसे अपने सुझाव भेज सकते हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाब के निर्यात का निलम्बन

*509. **श्री धामनकर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाब के निर्यात के निलम्बन से व्यापार तथा देश के गुलाब उत्पादकों को इस मौसम में भारी धक्का लगा है जब कि वे विदेशों को बड़ी मात्रा में गुलाब का निर्यात करने वाले थे ; और

(ख) यदि हां, तो गुलाब के निर्यात के निलम्बन के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राज्य व्यापार निगम ने गुलाबों का निर्यात प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया था और चूंकि यह लाभप्रद नहीं था, इस लिये इसे अब बन्द कर दिया गया है।

(ख) गुलाब के निर्यात बन्द करने के कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) अपेक्षित समय पर गुलाबों की निर्यात क्वालीटी की अपर्याप्त उपलब्धता ।

(2) किस्मों के बारे में आयातक देशों के खरीदारों की तीव्र गति से बदलती हुई पसन्द ।

(3) स्वदेशी मांग के निर्यात बाजारों की मांग से विभिन्न होने के कारण निर्यात के लिये गुलाब की खेती के लिये क्षेत्र का विस्तार सीमित होना ।

(4) इसराइल तथा मिस्र जैसे अन्य निर्यातक देशों से कठोर प्रतियोगिता जो आयात करने वाले देशों से अपेक्षाकृत निकट है और जिनके साथ उनके क्रेता-विक्रेता सम्बन्ध जम चुके हैं।

(5) खुले क्षेत्र के गुलाबों के डंठल अधिक मोटे मुड़े हुए होते हैं और अधिक कांटे तथा उनकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं अतः उनकी अपेक्षा खरीदार जांच कक्ष में उगाये गये गुलाबों को ज्यादा पसन्द करते हैं।

श्री धामनकर : गुलाब का फूल हमारे लिये पहले से ही प्यार का आदर्श रहा है तथा उसे हमारे महान और आदरणीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वोच्च स्थान दिया था। गुलाबों के निर्यात से हम विदेशों को मीठी सुगंध का संदेश भेजते हैं। हमारे पास सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिन्हें गुलाब की खेती आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहित किया गया था। गुलाब पैदा करने वाले क्षेत्रों को सुगंधित बाग कहा जाता था, किन्तु अब वे वीरान स्थान हो गय हैं।

इन परिस्थितियों में जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि परीक्षण किया जा रहा है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में राज्य व्यापार निगम का परीक्षण कैसा रहा है? शीतागार, पैक करने और अवशीलन संयंत्रों आदि पर कितना व्यय हुआ है और किसानों द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया है, क्योंकि गुलाबों को रोपने के लिये उन्हें राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।

श्री ए० सी० जार्ज : गुलाब के निर्यात के मामले में, राज्य व्यापार निगम ने इन्हें पश्चिमी देशों को निर्यात करने का प्रयास किया, क्योंकि वे गुलाब को पसंद करते हैं। हम लगभग तीन वर्ष ऐसा करने का प्रयास करते रहे। किन्तु हमें लम्बी दूरी, पक करने की लागत, विमान भाड़ा, चढ़ाने-उतारने तथा परिवहन के खर्चों के कारण भारी हानि उठानी पड़ी। हमने अच्छी तरह से देखा है तीन वर्ष के दौरान राज्य व्यापार ने इस बारे में जो प्रयोग किए हैं उनसे पता लगा है कि इससे लाभ ही हुआ है। उनसे मैं यही बताना चाहता हूं कि गुलाब ऐसी वस्तु नहीं है जिसका निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता हो। किसान उनका निर्यात करने के लिये आजाद हैं। किन्तु हमारी समस्या यह है कि जो देश खरीदना चाहते हैं उनके निकट के देश हमारे साथ प्रतिद्वन्द्विता कर रहे हैं। इस से गुलाबों के निर्यात का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

श्री धामनकर : किन्तु वितरण में कहा गया है कि इसराइल और मिस्र जैसे अन्य निर्यात करने वाले देशों से हमारी कठोर प्रतियोगिता है। अब इन परिस्थितियों में मिस्र और इसराइल के बीच युद्ध के परिणामस्वरूप गुलाब बागान कम हो गये हैं जबकि छतरपुर, हरियाणा तथा महाराष्ट्र (लोनावला) के अन्य भागों में गुलाब बागानों की वृद्धि हो गयी है। राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर इन किसानों को गुलाब बागानों पर पूंजी-निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया गया था। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम स्थिति पर पुनर्विचार करेगा और गुलाबों के निर्यात को पुनः आरम्भ करेगा, ताकि उन किसानों को सहायता दी जाये जो तबाह हो गये हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : श्रीमान्जी, हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि मध्यपूर्व में संकट के कारण मिस्र या इसराइल में गुलाबों के उत्पादन और खेती में कमी हुई है। श्रीमान् जी, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि समस्या यह है कि राज्य व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों में इस बारे में प्रयोग करने का भरसक प्रयास किया है। इसका शुद्ध

परिणाम यह है कि मैं इन आंकड़ों को पढ़ने के लिये तैयार हूं। 1970-71 में, हमने 10 दर्जन गुलाबों का निर्यात किया जिसके लिए हमें 2,583 रुपये की हानि हुई। 1971-72 में हमने 205 दर्जन गुलाबों का निर्यात किया जिसके लिये हमें 6,826 रुपये की हानि उठानी पड़ी। 1972-73 में हमने 612 दर्जन गुलाबों का निर्यात करने का प्रयास किया जिसके लिये हानि 11,000 रुपये की हुई। अतः हमने तीन वर्षों की अवधि के दौरान देखा कि हमारे द्वारा भरसक प्रयास किये जाने के बावजूद, खरीदने तथा बेचने वाले देशों की आन्तरिक स्थिति के कारण तथा लम्बी दूरी तथा पैक आदि करने के व्ययों के कारण हम निर्यात को जारी नहीं रख सके।

श्री के० गोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, विवरण में (ख) के अन्तर्गत गुलाब के निर्यात को बन्द करने का एक कारण किस्मों के बारे में आयातकर्ता देशों के खरीदारों की बदलती हुई पसन्द है।

जहां तक मैं जानता हूं कि इस प्रकार की गुलाबों की एक पसंद रंगों की है। गुलाब हम से कईयों से की तरह रंगो को नहीं बदलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गुलाब के निर्यात को बन्द करने का एक कारण यह कैसे हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप के बदलने का समय है।

श्री के० गोपाल : उनके अनुसार इस का अन्य कारण देश की भीतरी मांग का निर्यात बाजार की मांग से भिन्न होता है जिससे निर्यात के हेतु गुलाब की खेती के क्षेत्र के विस्तार को सीमित करना है। इस संबंध में मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्यों कार्यवाही की गयी है कि हम गुलाब की खेती को बड़े पैमाने पर करना शुरु कर दें, ताकि भविष्य में, मंत्रालय गुलाब के निर्यात के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता है।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि प्रयोग के तौर पर राज्य व्यापार निगम ने प्रयास किया था, किन्तु उस ने पाया कि यह लाभकारी नहीं है। यह राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होने वाला निर्यात नहीं है और किसान और उत्पादक इसका निर्यात करने के लिये स्वतंत्र है, यदि वे होने वाले ऊंचे व्ययों को पूरा कर सकें।

कच्चे ब्लैंक्स का आयात

*510. **श्री एस० एन० मिश्र**† :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर आप्टिकल लैंस बनाने हेतु कच्चे ब्लैंक्स के आयात के लिये आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (सी० एल० ए०), नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये रिलीज आर्डरों को निपटाने में बहुत अधिक समय लगता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रिलीज आर्डरों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ऐसे मामलों में रिलीज़ आदेशों के निपटाने में देर नहीं होती जिनमें कि पार्टियों से प्राप्त इन्डेंट सम्पूर्ण होते हैं ।

(ग) एक प्रोफार्मा तैयार किया गया जिसमें रिलीज़ आदेश धारकों को अपनी आवश्यकताओं के तकनीकी ब्यौरे दिखाने होते हैं जिनसे कि मार्गीकरण अभिकरण द्वारा रिलीज़ आदेशों को शीघ्र निबटाने में सहायता मिलती है । प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

रद्द किए गए नोटों की बरामदगी के बारे में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा की गई जांच

***512. श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन परिस्थितियों के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा की गई विभागीय जांच का प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है जिनके फलस्वरूप रद्द किए गए नोटों के बरामद होने की खबर मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जांच अभी की जा रही है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Deputy Speaker, Sir, what is the number of cancelled notes which have been recovered and since when investigations are being made and what are the reasons for the delay and state the names of the persons who are investigating into it ?

श्री के० आर० गणेश : वे रद्द किये गये नोटों का केवल एक पैकेट था जिसमें एक रुपये के 94 नोट थे। यह निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे कुड़े के ढ़ेर में एक व्यक्तिको मिला था । उसने रिजर्व बैंक कार्यालय में इसे बलदने के लिये इसे पेश किया था। पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट कर दी गयी थी और रिजर्व बैंक भी जांच करता रहा है । इन नोटों को 3 दिसम्बर, 1973 को रिज़र्व बैंक की खिड़की में पेश किया गया था और तुरन्त ही दिल्ली पुलिस को इसकी रिपोर्ट कर दी गयी थी और दिल्ली पुलिस इसकी जांच करती रही है। जांच अभी तक की जा रही है और रिज़र्व बैंक ने भी कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये हैं और अन्य प्रक्रिया संबधी काम किये जा रहे हैं ।

Shri Ramavatar Shastri : Please state the reasons for the delay.

Shri K. R. Ganesh : Inquiry is going on, there is no delay. You know that the Reserve Bank has got its own procedure, according to which Reserve Bank has to work and disciplinary procedure has to be followed.

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Deputy Speaker Sir, such kind of irregularity should not be committed again and the wrong doers should be righty apprehended. Please let me know whether you get the cooperation from Reserve Bank Employees Association in this matter ? If not, the reasons therefor ?

श्री के० आर० गणेश : मेरे विचार में यही उचित होगा कि मैं माननीय सदस्य को केवल उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में ही उत्तर न दूं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि कौन-कौन सी सावधानियां बरती जा रही हैं।

Shri Ramavatar Shastri : Please let me know whether you get cooperation from Reserve Bank Employees Associations so that this kind of incident may not recccur in future and the real culprit may be caught and if not, the reasons therefor ?

श्री के० आर० गणेश : सिचाई यह है कि एक रुपये के 94 नोटों के इस बण्डल का स्टेंडार्ड प्रोसिजर के अन्तर्गत निपटान किया गया था। उसको उचित रूप से सील किया गया था, पंच किया गया था। माननीय सदस्यों को पंच शब्द का वास्तविक आशय नहीं ज्ञात होगा। जब सभा में पहले यह मामला उठाया गया था तब मैं रिज़र्व बैंक के कार्यालय में गया था तथा पूरी प्रक्रिया देखी थी। पंच किये जाने पर लगभग एक चौथाई नोट नष्ट हो जाते हैं। नोट पंच होने पर एक रुपये के आकार का छेद हो जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य को विशेषरूप से ज्ञात है एक-एक नोट का छांटा जाता है। इस बण्डल पर स्टेंडार्ड प्रोसिजर के अन्तर्गत जिसमें एक-एक नोट छांटा गया था, कार्यवाही की गई थी। छांटे जाने पर इसकी एक निश्चित प्रतिशतता को दो अधिकारियों ने सत्यापित किया था। तब इसे—अर्थात् उन्हें जिनको नष्ट किये जाने की घोषणा की गयी थी—जलाने के लिये भट्टी में रखा गया था। नोटों को नष्ट किये जाने तथा इनकी राख को के निपटान के लिये निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं का भी अनुसरण किया गया था। यह मामला उनमें से एक है कि जब दुर्घटना हो गई। नोटों का यह बण्डल भी आंशिक रूप से जल गया था।

जहां तक पूरी प्रक्रिया का सम्बन्ध है इस बारे में जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने पर पता लगेगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्य त्रुटि हैं जिसको दूर कर दिया जाएगा।

माननीय सदस्य ने दोषी व्यक्तियो के नाम पूछे हैं। इस बात का पता रिजर्व बैंक ने ही लगाना है। किसी बाहर वाले का इस में कोई हाथ नहीं है।

अत: कोई बाहरवाला तो इसके लिये उत्तरदायी हो नहीं सकता। इस प्रक्रिया में अवश्य कहीं न कहीं असावधानी बरती गई होगी और उन्हें इस का पता लगाना होगा क्यों कि यह मामला पूरी प्रक्रिया से गुजरा था। इस मामले का सम्बन्ध में नोटों को जलाने तथा उनकी राख का उचित ढंग से निपटान करने से हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है आप रात भली भांति सो नहीं सके। आपने सब कुछ बता दिया किन्तु आप अपने विचारों को सुनियोजित नहीं कर सके।

श्री के० आर० गणेश : मेरे विचार से यह व्याख्या करना आवश्यक था क्यों कि यह राष्ट्र की मुद्रा का प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसे किसी ने ले लिया हो। इस बारे में प्रक्रिया निर्धारित है। असावधानी के कारण ही ऐसा हुआ है जिसकी पुलिस द्वारा तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

श्री बी० वी० नायक : चूंकि एक रुपये के नोट बहुत लोगों के हाथों में जाते हैं तथा स्वाभाविक है कि इससे वे फट जाते हैं तथा उनको पूरा करने की प्रक्रिया बहुत खर्चीली है तथा यह समाचार भी प्राप्त हुए हैं कि एक रुपये के नोट के स्थान पर उपयुक्त सिक्का चलाया जा रहा है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भिन्न है।

श्री बी० वी० नायक : यदि यह सच है तो एक रुपये के नोट के स्थान पर कब तक सिक्का चलाये जाने की सम्भावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी यहां कोई संगति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पहले प्रश्न की व्यापकता के बारे में प्रश्न करूंगा तथा उसके बाद अनुपूरक प्रश्न करुंगा। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नोटों के जलाये जाने और उन्हें नष्ट किये जाने की प्रक्रिया का हवाला दिया है। क्या इस प्रक्रिया के बारे में आप एक विशिष्ट प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न बहुत व्यापक प्रश्न है। उन्होंने प्रक्रिया बता दी है। जब नोटों को प्रयोग में न लाये जाने योग्य समझा जाता है तब उन्हें पंच कर दिया जाता है, तथा यह कार्य किस प्रकार किया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस पर एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संगत प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय द्वारा नोटों को रद्द करने तथा उनके नष्ट करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बताई गई रूपरेखा के संदर्भ में मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हू। जहां नोटों को नष्ट किये जाने की विशेष अथवा आपत्तकालीन प्रक्रिया का सम्बन्ध है उसमें ऐसी अनेक सम्भावनाएं हैं कि नष्ट किये जाने वाले नोटों का दुरुपयोग किया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फटे पुराने नोटों को नष्ट किये जाने की विशेष प्रक्रिया पर पुनः विचार किया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने यह मामला कुछ समय पहले भी उठाया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि इस सुझाव पर कोई कार्यवाही की जाए।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : बैंको, रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक, से वैध अथवा अवैध रूप से नोट ले जाने की घटना नागरवाला काण्ड से आरम्भ हुई . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यहां वैध अथवा अवैध क्या है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : नोट बाहर ले जाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नोट ले जाने से सम्बन्धित नहीं है। यह मामला रिजर्व बैंक द्वारा उन नोटों के निपटान के लिये कार्यवाही से सम्बन्धित है जिन्हें और प्रयोग में लाये जाने के उपयुक्त नहीं समझा जाता।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मेरा प्रश्न है कि हमारे देश में इस प्रकार की घटना अथवा दुर्घटना हुई है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रकार की यह एक ही घटना घटी है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : यह नागरवाला काण्ड से आरम्भ हुई। इस में क्या त्रुटियां हैं तथा क्या सरकार अकार्यकुशल तथा असमर्थ प्रशासन के कारण उत्पन्न दोषों को दूर करने में लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है। दोषों को दूर करो। अगला प्रश्न।

घटिया हथकरघा-कपड़ों का निर्यात

*513. **श्री राम सहाय पांडे**† :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घटिया हथकरघा-कपड़ों के निर्यात के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) निर्यात किए गए हथकरघा उत्पादों की क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। अच्छी क्वालिटी के हथकरघा माल के निर्यात सुनिश्चित करने के लिए चुने हुए हथकरघा उत्पादों के सम्बन्ध में वस्त्र समिति द्वारा पहले ही लदान-पूर्व निरीक्षण शुरू किया जा चुका है।

श्री राम सहाय पांडे : प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु उत्तर बहुत संक्षिप्त है। मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ शिकायतें मिली हैं। इसका क्या अर्थ हुआ ? हमारे हथकरघा कपड़े अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों, विशेषकर पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय हैं। मैं जानना चाहता हूं कि घटिया माल कब भेजा गया तथा जहाज पर लादने से पूर्व उसका निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् समिति कब नियुक्त की गई ? समिति की नियुक्ति पहले क्यों नहीं की गई जिससे कोई शिकायत न मिलने का अवसर न आता ? अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों से ऐसी शिकायतें मिलना दुर्भाग्य की बात है। हमारे हथकरघे कपड़े दिन प्रतिदिन बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हथकरघा उत्पाद हमारे निर्यात की मुख्य वस्तुओं में से एक है। अब तक हथकरघा उत्पादों की किस्म के बारे में केवल पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से दो शिकायतों का खरीदार को संतुष्ट करते हुए समाधान कर दिया गया है। अन्य तीन शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर फैसला किया जा रहा है। चूंकि हथकरघा निर्मित बहुत किस्म के कपड़ों का निर्यात किया जाता है अतः इस बात की सम्भावनाएं रहती हैं कि कभी-कभी इस प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हों। दिनांक 1 जनवरी 1973 को बिछौनों और चादरों की जहाज लदान से पूर्व निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गई तथा 1 अप्रैल, 1974 से यह व्यवस्था हथकरघे की नेपकिन तथा तौलियों पर भी लागू कर दी गई। अन्य किस्म के बहुत से कपड़ों पर भी उत्तरोत्तर किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण प्रक्रिया लागू की जा रही है। निर्माण की मात्रा तथा किस्मों की तुलना में शिकायते नगण्य हैं।

श्री राम सहाय पांडे : क्या सप्लाई के बारे में बंगला देश से कोई शिकायत मिली है क्योंकि बंगला देश बनने के पश्चात् उन्होंने हमारे देश से हथकरघा कपड़े आयात किये हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : यूनाइटिड किंगडम, स्विटजरलैंड, मलेशिया, अमरीका तथा स्वीडन से कुल पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बंगला देश से मुझे कोई शिकायत नहीं मिली।

यूगोस्लाविया को सप्लाई किए जाने वाले वैगनों के बारे में बातचीत मूल्य

*514. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन निर्माण उद्योग सरकार से यह अनुरोध करता रहा है कि वह उत्पादन लागत में भारी वृद्धि होने के कारण भारत-युगोस्लाविया के बीच हुए करार के अन्तर्गत भारत द्वारा युगोस्लाविया को सप्लाई किए जाने वाले वैगनों के मूल्य के बारे में पुनः बातचीत करे ;

(ख) क्या बातचीत के अनिर्णीत रहने के कारण उद्योग करार के अनुरूप निर्धारित सप्लाई नहीं कर पा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने युगोस्लाविया सरकार के साथ मूल्य पुनरीक्षण तथा माल पहुंचाने की निर्धारित अवधि के प्रश्न पर बातचीत की है ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग) युगोस्लाविया को वेगन की सप्लाई के लिए संविदा की शर्तों को बातचीत के द्वारा पुनः तय करने का वैगन उद्योग का अनुरोध सरकार के विचारधीन है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : 3600 माल डिब्बों का क्रयादेश 1970 में दिया गया था तथा पता नहीं सरकार किस बात पर विचार कर रही है । माल डिब्बा उद्योग पुराने मूल्य पर ये माल डिब्बे सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उस करार में सप्लाई बन्द करने सम्बन्धी कोई खण्ड है अथवा मूल्य वृद्धि सम्बन्धी कोई खण्ड है ? सरकार किस बात की प्रतीक्षा कर रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : वर्तमान करार के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि सम्बन्धी कोई खण्ड नहीं है । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान घटनाओं के कारण सप्लाई कर्ताओं के लिये क्रयादेशों को पूरा करना असम्भव हो गया है क्योंकि नौवहन भाड़े में वृद्धि हुई है तथा प्रत्येक वस्तु के मूल्य बढ़े हैं । अतः हम यूगोस्लाविया सरकार से बातचीत कर रहे हैं । उद्योग ने श्रेष्ठ अधिकार के अन्तर्गत दावा किया है तथा हम मूल्य वृद्धि तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर यूगोस्लाव अधिकारियों के साथ बात-चीत करने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल भेज रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : रेल विभाग प्रतिवर्ष लगभग 15,000 माल डिब्बों का क्रयादेश देता है । हमारे देश में अधिक से अधिक 10,000 माल डिब्बों का उत्पादन होता है । इस स्थिति में सरकार यूगोस्लाविया को 3,600 माल डिब्बों का किस प्रकार निर्यात करेगी ? क्या रेल विभाग से मद अनुरोध किया गया है कि वह निर्यात के लिये कुछ माल डिब्बे उपलब्ध कराये ?

श्री ए० सी जार्ज : रेल विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही यह करार किया गया था । वास्तव में हम मालडिब्बा-उत्पादन की क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं तथा इस निर्यात से रेल विभाग की आवश्यकता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

जीवन बीमा निगम द्वारा आयोजित कारोबार प्रतियोगिताएं

*515. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री जीवन बीमा निगम द्वारा आयोजित कारोबार प्रतियोगिताओं के बारे में 1 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन तीन प्रतियोगिताओं के परिणाम कथित रूप में घोषित किए गए हैं, वे वास्तव में कब घोषित किये गये थे और इनमें सफल एजेन्टों को किस किस तिथि को सूचित किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पहली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों को 9 नवम्बर, 1973 तथा 13 फरवरी, 1974 को, दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों को 26 नवम्बर, 1973 तथा 15 फरवरी 1974 को और तीसरे प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों को 7 नवम्बर, 1973 को घोषित किया गया था। इन परिणामों को सूचना-पटों पर लगाने के लिए उन्हीं तारीखों को शाखा-कार्यालयों को भेज दिया गया था। एजेन्टों को इसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजी गयी थी।

Shri Shashi Bhushan : According to the complaints made by the employee results of the competitions held by L.I.C. were not displayed on the notice boards. They were not communicated to the candidates in time. May I know whether the Hon. Minister will evolve a method with which results are communicated to the candidates well in time through news papers or a circular?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य का कहना सही है। ऐसा होना चाहिये। जीवन बीमा निगम को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

Shri Shashi Bhushan : Is it not unfair that the results are being sent to candidates from Gujarat even without appearing in the examination while abnormal delay in communicating results to these candidates, who actually appeared in the competition, is being done?

उपाध्यक्ष महोदय : उसका यहाँ क्या सम्बन्ध है? अगला प्रश्न।

एक आयात-निर्यात बैंक की स्थापना

***516. श्री डी० डी० देसाई** :

श्री सी० के० जाफरशरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार के लिये वित्त उपलब्ध कराने हेतु कि आयात-निर्यात बैंक की स्थापना की संभाव्यता की जांच करने के लिये एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समिति विकासशील देशों के साथ आर्थिक संबंधो का विकास करने के लिए भारत की समुद्र-पार अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी अध्ययन करेगी; और

(ग) इस समिति को और क्या काम सौंपे गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार ने निर्यात वित्तपूर्ति के लिए विद्यमान अभिकरण एजेंसी की पर्याप्तता पर विचार करने और इस विषय की परीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की है कि क्या देश के लिए आयात-निर्यात बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है।

श्री डी० डी० देसाई : आयात-निर्यात व्यापार के लिये वित देना एक बात है और आयात-निर्यात परियोजना के लिये वित्त देना दूसरी बात है। अमरीका को निर्यात-आयात बैंक तथा अन्य देशों के संस्थान जो विशिष्ट सुविधायें में रहे हैं वे भारत में उपलब्ध नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय परियोजनाओं के निर्यात-वित्तपोषण में आने वाले जोखिम के बारे में विचार करेंगे तथा इसको सुदृढ़ बनाने हेतु निर्यात तथा आयात की परियोजनाओं को वित्त देने के लिये कोई समुचित प्रणाली या समुचित संगठन और संस्थान स्थापित करेंगे। सरकार इस संदर्भ में किसी दिशा में कार्यवाही करना चाहती है? क्या वह पद्धति ऐसी ही होगी जैसी कि अन्य देशों में है अथवा कि इस कार्य के लिये बस एक विभाग या वाणिज्य बैंक होगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसी बात पर तो नियुक्त की गई समिति विचार कर रही है । इस बारे में दो दृष्टिकोण हैं । प्रश्न यह है कि भारत में निर्यात और आयात संबंधी गतिविधियों को देखते हुए क्या यह आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन किया जाये । बैंकिंग आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया है और निष्कर्ष निकाला है कि देश में उपलब्ध वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं । परन्तु एक अन्य दृष्टिकोण भी है कि हमें इसे बदल देना चाहिये और आयात-निर्यात बैंक जैसी कोई विशेष संस्थान इस विशेष प्रकार के काम को करने के लिये बनाई जानी चाहिये । इस प्रकार दो दृष्टिकोण हैं और दोनों पक्षों ने अपने अपने दृष्टिकोण का जोरदार समर्थन किया है । अब इस प्रश्न पर विचार करना बहुत जरूरी है । दोहरे प्रयास करने से तो कोई लाभ होगा नहीं । इस समय वाणिज्यिक बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा रिजर्व बैंक इस मामले को देख रहे हैं और उनके अनुसार तथा मेरे विचार से भी, ये सुविधायें काफी हैं, परन्तु क्योंकि एक दूसरा दृष्टिकोण भी है इसलिये बहेतर होगा कि हम उस पर भी विचार कर लें । वाणिज्य मंत्रालय ने इस मामले को आरंभ कर के इस की जांच करना आरंभ किया है ।

श्री डी० डी० देसाई : हमारा देश विद्युत संयंत्रों आदि सहित बड़े बड़े उपकरण बड़े पैमाने पर सप्लाई करने वाले देश के रूप में उतर रहा है । देश ने संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की भी योजनायें बनाई हैं इनके लिये लम्बी अवधि की अदायगी तथा वित्त-पोषण के प्रबंध करने होंगे । इसलिए वित्त मंत्री की दृष्टी में, क्या वर्तमान वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त सुविधायें देकर काम चलाया जा सकेगा ? क्या पांचवी योजना के लक्ष्यों में परिवर्तनों को देखते हुए वे त्रुटिपूर्ण नहीं रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी पर तो समिति विचार कर रही है ।

श्री डी० डी० देसाई : वह तो एक पहलू देख रहे हैं । हम तो अब बड़ी-बड़ी परियोजनाओं तथा लम्बी अवधि की पूंजी-निवेश जिसमें ये कारखाने भी अन्तर्ग्रस्त हैं, की बात कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति इस पर विचार कर रही है ।

श्री बी० वी० नायक : क्या मैं इस समिति के निदेश पदों के बारे में जान सकता हूं । हमारे आयात-निर्यात व्यापार के साथ सब से बड़ी बुराई मूल्य से कम तथा अफिम के बीजक बनाया जाना है । क्या समिति इस विषय में भी विचार करेगी ? क्या समिति आयात-निर्यात व्यापार की इस अनैतिक गतिविधि की भी जाँच करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दुर्भाग्य से मेरे पास इस समिति के निदेश पदों का सही-सही ब्यौरा नहीं है । मुझे इसका पता लगाना होगा ।

प्लास्टिक एवं लिनोलियम का निर्यात व्यापार

*518. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक एवं लिनोलियम के निर्यात व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन मुख्य वस्तुओं के व्यापार में काफी वृद्धि हुई है और 1973-74 वर्ष की पहली छमाही में इससे कुल कितनी आय हुई और 1972-73 वर्ष की इसी अवधि में कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्लास्टिक, प्लास्टिक के बने माल तथा लिनोलियम का निर्यात

क्रमांक	वस्तुए	1971-72	1972-73	अप्रैल-सितम्बर 1972	अप्रैल-सितम्बर 1973
1	प्लास्टिक सामग्री रोजैनेरेटेड सैल्यूलोस तथा कृत्रिम रालें .	109.9	102.4	28.8	23.7
2	कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की चीजें	191.5	192.2	87.4	135.3
3	चश्मों के लिए प्लास्टिक के फ्रेम .	28.6	77.9	16.8	4.4
4	प्लास्टिक के खिलौने . .	4.0	4.0	1.1	2.2
5	छतरियां, प्लास्टिक के हत्थे सहित अथवा बिना डण्डी की .	0.7	0.1	0.1	नगण्य
6	प्लास्टिक के बटन तथा स्टड .	2.6	3.8	1.9	2.1
7	लिनोलियम तथा उसी प्रकार फर्स कवरिंग (जैसे फैल्ट आधारित)	2.8	1.8	..	..
8	लिनोलियम आदि सूत पर आधारित . . .	1.4	0.1	0.1	0.6
9	लिनोलियम आदि पटसन पर आधारित . . .	56.6	89.8	49.9	41.3
	उपरोक्त का योग . .	398.1	472.1	186.1	209.6

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता ।

श्री एस० ए० मुरुगन्तम : क्या पी० वी० सी० की सीटों, जूट तथा चूड़ियों का अधिक निर्यात होने की आशा थी परन्तु कच्चा माल उपलब्ध नहीं हुआ ? यदि हां, तो कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : देश में पेट्रोरसायनों की कमी के कारण इस पर आश्रित प्लास्टिक उद्योग को बहुत हानि पहुंचती है । स्पष्टतया कच्चा माल उपलब्ध होने में कठिनाईयां हैं और हमारा निर्यात आशानुकूल नहीं बढ़ रहा है ।

श्री एस० ए० मुरुगन्तम : वर्ष 1972 तथा 1973 में प्लास्टिक की विश्व-व्यापार में भारत का कितना भाग रहा ? क्या वर्ष 1974-75 के लिये भी कोई लक्ष्य रखे गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वर्ष 1974-75 के क्या लक्ष्य हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे पास इस समय तो आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने इस के लिये क्या कार्यवाही की है कि प्लास्टिक के निर्माण के लिये अत्यन्त आवश्यक नैपथा तथा बैनेजीन के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आन्तरिक मूल्य घटाकर कम से कम किये जायें और उन्हें किसी निश्चित सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाये ताकि निर्यात व्यापार बनाये रखा जा सके ? इस समय 300 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि की स्वीकृति दी गई है । क्या उनको इससे कम मूल्य पर नहीं दिया जा सकता ताकि हमारा निर्यात व्यापार चलता रहे और आन्तरिक मूल्य कम से कम रहें ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इस से पूरी तरह सहमत हूं कि इस श्रमिक प्रधान उद्योग के लिये यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है जहां से गत तीन-चार वर्षों में निर्यात में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है । दुर्भाग्य से पेट्रोरसायनों के मूल्यों में वृद्धि की इस स्थिति में हमारी देशीय उत्पादन क्षमता बहुत अधिक नहीं है । हम इसे बढ़ाने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

उन हवाई अड्डों के नाम जहां कुलियों को ठेके पर काम करने की अनुमति दी गई है

***523. श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां ठेके के आधार पर कुलियों को काम करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) इस संबंध में ठेका पद्धति लागू करने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार इस बात को जानती है कि इससे यात्रियों को अधिक कठिनाई हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास ।

(क) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स का वास्तविक कार्य मुख्यत: अन्तर्देशीय क्षेत्र में सुरक्षित दक्ष और पर्याप्त विमान-सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करना है । अत: विश्व की लगभग सभी अन्तर्देशीय विमान कम्पनियों द्वारा अपनायी गई कार्यप्रणाली का अनुकरण करते हुये चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर आगमन-स्थल से जांच-पटल (चकिंग काउंटर) तक तथा सामान-वितरण-स्थल से टर्मिनल भवन के बाहर प्रस्थान-स्थल तक सामान लाने ले जाने की व्यवस्था विमानक्षेत्र अधिकारियों को सौंप दी गई है जो इस काम के लिये ठेकेदारों को नियुक्त करते हैं । तथापि, जांच-पटल से विमान तक, तथा विमान से सामान-वितरण-स्थल तक सामान के लाने ले जाने के लिये कोई प्रभार नहीं लिया जाता है ।

श्री वयालार रवि : तालाबन्दी के बाद, दुर्भाग्य से इण्डियन एयर लाइन्स के अध्यक्ष इस बात से चिढ़ते हैं कि कुलियों को एक हज़ार रुपया तथा एक अच्छा मकान मिल रहा है । आखिर इसमें बुराई क्या है ? अब उनके वेतन में कमी करने, उनकी छटनी करने तथा हवाई अड्डों पर ठेका श्रमिक प्रणाली लागू करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है और मुझे इस पर बहुत आपत्ति है । अब यदि आप एक रुपया भी दें तो मेरा अपना अनुभव है कि वह कहेंगे "कुछ और दीजिये ।" अब उनको और अधिक देने के विरुद्ध ही नहीं हूं परन्तु पुरानी प्रणाली में क्या बुराई थी और नई ठेका-प्रणाली का क्या उद्देश्य है जिस के कारण लोगों को अधिक असुविधायें हो रही हैं ? वह कहते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया से अनुरूप है । परन्तु क्या ऐसा होना आवश्यक है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पुरानी प्रणाली को ही पुन: लागू करेगी ?

श्री राज बहादुर : मैं पहले तो उनका सन्देह दूर करना चाहूंगा । 15,977 कर्मचारियों में से किसी की भी छटनी नहीं की गई है ।

श्री वयालार रवि : मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है और उन्हें वापस नहीं लिया गया है ताकि बेकार का खर्च बचे ।

श्री राज बहादुर : कोई भी कर्मचारी छंटनी नहीं किया गया है । उनको वेतन तथा भत्ते भी अपने वेतन-मानों के हिसाब से मिलेंगे । उस में भी कोई कमी नहीं की गई है । हम अब भी काउंटर से विमान तक तथा विमान से सामान डिलीवरी स्थल तक का भार अपने ऊपर लिये हुए हैं । बात केवल काऊंटर से बाहर तक की रही है । अन्य स्थानों पर भी यही प्रक्रिया है भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में भी यही प्रणाली है ।

श्री वयालार रवि : पुरानी प्रक्रिया क्यों बदलते हैं ?

श्री राज बहादुर : क्योंकि हम एयरलाइन्स के मूल कार्यकरण अर्थात् विमान सेवाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं । हमारा काम भूमि पर परिवहन क्या कुली सेवा उपलब्ध कराना तो नहीं है ।

श्री वयालार रवि : हम तो इस तर्क को स्वीकार नहीं करते ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना दूसरा प्रश्न पूछिये ।

श्री वयालार रवि : कल को वे सामान को बाहर फेंक देंगे और कहेंगे कि हमारा काम तो केवल यात्रियों को ले जाना है सामान को नहीं । क्या तालाबन्दी से पूर्व इण्डियन एयरलाइन्स में यह प्रक्रिया नहीं थी । यद्यपि कुछ कुलियों की छटनी भी की गई है । क्या उनको नैमित्तिक मजदूर की संज्ञा दे दी गई है ? उनमें से कुछ को ले लिया गया है और बहुत से अभी भी बाकी है ? यदि आप पुरानी प्रक्रिया को जारी रहने देते हैं तो प्रत्येक कुली को प्रतिदिन 10 से 15 रुपये मिलते हैं । इसलिये क्या आप यह ईर्ष्या-द्वेष करना छोड़ देंगे कि उनको 1,000 रुपये मिल रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से इस का तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मेरे विचार से मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य के मुख्य प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया है । मंत्री महोदय चाहते हैं कि अन्य एयरलाइनों की भांति ही ठेका प्रणाली लागू की गई है । दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर जाम एयर एयर वेज को ठेका देने से पूर्व क्या ठेका प्रणाली के बारे में कलकत्ता, बम्बई, तथा मद्रास में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ? दूसरे, इण्डियन एयर लाइन्स के इस सिद्धान्त के बावजूद कि वे चेकिंग स्थल तक सामान नहीं उठायेंगे और केवल उसके बाद के लिये ही जिम्मेदार हैं ; क्या वे नियत दरों पर कोई मान्यता प्राप्त कुली रखेंगे जो कि इण्डियन एयर लाइन्स अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जायें ताकि ठेकेदार लोग ग़रीब कुलियों का शोषण न कर सकें ?

श्री राज बहादुर : मैंने जैसा प्रश्न पूछा गया था वैसे ही उत्तर दे दिया है । जहां तक इस उद्देश्य के लिये टेंडर आमंत्रित करने का संबंध है उसके बारे में मैं जानकारी एकत्रित कर के दे सकता हूं । यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने किया है क्योंकि यह कार्य उन्हें ही सौंपा गया था । शोषण का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है । परन्तु मैं उन्हें यहां पर यह याद दिलाऊंगा कि अनेक मित्रों ने लदाहू के बारे में कुलियों के विरुद्ध अपनी मजूरी के अतिरिक्त टिप आदि मांगों सहित अनेक कदाचारों की शिकायतें की हैं । हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यात्रियों को निर्धारित दरों से अधिक कुछ न देना पड़े और ये दरें निर्धारित कर दी गई हैं ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि एक ठेकेदार के अधीन एक कुली को 5 रुपए मिलते हैं जबकि ठेकेदार प्रति कुली औसतन 40 रुपये कमाता है । यदि हां, तो क्या उन्होंने ठेकेदार के

मुनाफे का हिसाब लगाया है ? दूसरे, उन्होंने सरकारी तंत्र के जलपान संगठन 'चिफेयर' पर बहुत धन लगाया है। अब आईड्रसी ने यात्रियों को भोजन देना बन्द कर दिया है। इससे अब कितनी निर्मित क्षमता अनुपयुक्त रह जायेगी और उससे मुद्रा कोष को कितनी हानि होगी ?

श्री राज बहादुर : पहले प्रश्न का जहां तक संबंध है सो दरें तो निर्धारित हैं। यह दर प्रतिभार (नग) एक रुपया है। ठकेदार जानता है कि कितना श्रम करना पड़ता है और उसके पास कितने व्यक्ति काम पर लगाने के लिये हैं। फिर उन्होंने एक और जानकारी दी है। मैं उस का पता नही लगा सका हूं। ...**व्यवधान**...यह स्वीकार्य नहीं है। ...**व्यवधान**...माननीय सदस्य मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवीं योजनावधि में केरल में सांस्कृतिक स्थलों के चयन की कसौटी

*506. **श्रीमती भार्गवी तनकाप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य के पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास के लिए चुने गये सांस्कृतिक स्थलों के नाम क्या है ; और

(ख) उनके चयन की क्या कसौटी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) केरल में केन्द्रीय सरकार कोवालम् समुद्र तट का विकास कर रही है तथा त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल बना रही है जिसका निर्माण कार्य चालू है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए स्थानों का चयन साधनों की उपलब्धता तथा उन स्थानों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है जिसका कि निर्धारण उनके पयटकों के लिय वास्तविक अथवा संभावित आर्कषण, उन तक पहुंचने की सुविधा, उनके ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व, वहां पर्यटन के आधारभूत उपादानों की उपलब्धता तथा पर्यटक यातायात के वर्तमान प्रवाह द्वारा किया जाता है।

कमाये हुये चमड़े का निर्यात

*517. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री एम० कलामुतु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म निर्यात संवर्धन परिषद् ने कमाये हुए चमड़े के निर्यात में वृद्धि करने संबंधी एक द्रुत कार्यक्रम का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् ने छोटे चमड़ा कमाने वालों को तैयार चमड़े का उत्पादन करने में लगाने के लिए उनके सहायतार्थ सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना का सुझाव दिया है। ऐसे कुछ केन्द्र पहले से ही काम कर रहे हैं तथा ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने की ओर भी सरकार का ध्यान लगा हुआ है।

Depreciation in the Value of Indian Currency

*519. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take any concrete steps to undo the depreciation in the value of Indian currency and to restore its prestige in the face of foreign currencies and

(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (b) : The exchange rate of the Indian Rupee is designated in terms of Pound Sterling. Variation in the exchange rate of Pound Sterling with other currencies lead to similar variation in the exchange rate of the Rupee vis-a-vis other currencies. The Government is constantly endeavouring to strengther the balance of payments through augmentation of export earnings and restraining imports. India has also been pressing in international forum in the context of international monetary reform the need for a stable exchange rate system and orderly movement in exchange rates.

चाय की नीलामी में प्रतिचयन पद्धति

(सैम्पलिंग-सिस्टम)

*520. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग में एक बड़ा वर्ग चाय की नीलामी में प्रतिचयन पद्धति के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इससे उद्योग को कैसे सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत तथा विदेशों में चाय का नीलाम करने वाली व्यापारिक समितियों के नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत खरीदारों को चाय के ट्रेड सैम्पल मुफ्त बांटे जाते हैं। वितरण का आकार प्रत्येक नीलामी केन्द्र में अलग-अलग होता है।

अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर अधिकतम सीमा लगाना

*521. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर कोटा व्यवस्था द्वारा अधिकतम सीमा लगाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) घरेलू प्राप्यता स्थिति, प्रोसेस करने की हमारी क्षमता और विश्व बाजार में मूल्य पर निर्भर रहते हुए, सरकार समय समय पर अर्धसाधित तथा अपरिष्कृत उत्पादों के संबंध में कोटे निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार करती

है ताकि निर्यातों की प्रति इकाई के लिए विदेशी मुद्रा की अपेक्षाकृत अधिक राशि का अर्जन किया जा सके। कोटा संबंधी प्रतिबंध कुछ चुनी हुई मदों पर लागू किए गए हैं जैसे कि अर्ध-साधित खालें तथा चमड़ियां, सूत मुंगफली निस्सारण, मैंगनीज अयस्क आदि ।

अगरतला हवाई अड्डे का विकास करने का प्रस्ताव

***522. श्री दशरथ देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला हवाई अड्डे का बोइंग विमानों के उतरने के लिये विकास करने का कहीं कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई धन-राशि नियत की गई है ; और

(ग) कितनी धन-राशि खर्च की गई है और हवाई अड्डे पर काम की क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अगरतला विमानक्षेत्र को बोइंग -737 परिचालनों के लिये उपयुक्त बनाने के प्रयोजन से पांचवीं पंच वर्षीय योजना में विमानक्षेत्र के उत्तर/दक्षिण (18/36) धावनपथ का विकास हाथ में लेने का प्रस्ताव है । इस कार्य के लिये नागर विमानन विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में 67.84 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य का निलम्बन

***524. श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री बी० मायावन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम मार्च, 1974 को भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य विलम्बित रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि नयी दिल्ली स्थित उसके कार्यालय में 28 फरवरी, 1974 को सौ-सौ रुपये के सौ नोटों की एक गड्डी में बारह नोट कम पाये गये । इस कमी का पता लगते ही नयी दिल्ली स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के रोकड विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने यह मांग की कि उन्होंने नोटों में होने वाली इस तरह की कमी की रोकथाम और अपने हितों की रक्षा के लिए दिसम्बर, 1973 में जो सुझाव दिये थे उन्हें शीघ्र ही लागू किया जाय । पहली मार्च, 1974 को नयी दिल्ली-स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरे श्रेणी के समस्त कर्मचारियों ने उनके साथ मिलकर हड़ताल कर दी । फिर से जारी किये जाने योग्य सौ-सौ रुपये के नोटों की गड्डी को दोहरी सिलाई करने के तरीके को तदर्थ आधार पर लागू किये जाने के बाद पहली मार्च, 1974 की शाम को हड़ताल समाप्त हो गयी थी ।

सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे विदेशी विशेषज्ञों को अदायगी

***525. श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे विदेशी विशेषज्ञों की अदायगी रुपयों में की जाती है अथवा विदेशी मुद्रा में की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में ऐसे कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं; और वे किन किन देशों के हैं;

(ग) उनको प्रत्येक वर्ष रुपये में तथा विदेशी मुद्रा में अदा की गई राशि का देशवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उनको ये अदायगियां उन देशों के दूतावासों के माध्यम से की जाती हैं अथवा सीधे ही विशेषज्ञों को दे दी जाती हैं; और

(ङ) विदेशी विशेषज्ञों को की गई इन अदायगियों के भारत में ही उपयोग तथा विदेशों में प्रत्यावर्तित करने संबंधी शर्त क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ङ) विदेशी राष्ट्रिकों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रस्तावों पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। प्रत्येक मामले की जांच करते समय अपेक्षित सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है और यह देखा जाता है कि क्या ये सेवाएं देश में उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय और तकनीकी विकास महानिदेशालय आदि जैसे तकनीकी प्राधिकरणों से परामर्श किया जाता है। तकनीकी अधिकारी नियुक्ति की आवश्यकता और प्रस्तावित शर्तों के युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय करते हैं।

2. जब विदेशी राष्ट्रकों की नियुक्ति की जाती है तो मोटे तौर से वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विशेषज्ञों को भारत में रुपयों में अदायगियां की जाती। कभी कभी उन विदेशी कम्पनियों को अदायगी करना आवश्यक हो जाता है जो तकनीशनों की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। की गयी व्यवस्था के अनुसार यह अदायगी भारत में रुपयों में अथवा विदेशी मुद्रा में की जाती है। जब तकनीकी सेवाओं के लिए एकमुश्त अदायगियां की जाती हैं तो स्थानीय व्यय विदेशी कम्पनियों द्वारा पूरे किये जाते हैं। ये वाणिज्यिक व्यवस्था है और अदायगियां दूतावासों की मार्फत नहीं की जाती। परन्तु उन देशों के सम्बन्ध में जिनके साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार/अदायगी व्यवस्था है, वहां अदायगियां भारत में विशेष रुपया लेखों में की जाती है और इन्हें देश से निकाले गये व्यक्तियों के खर्च के लिए निकाला जाता है। ऐसा पूर्व यूरोपीय देशों से आने वाले व्यक्तियों के मामलों में होता है।

3. कई क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियां हैं। इस समय केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते। किन्तु नियुक्त किये गये बहुत से व्यक्तियों तथा उनके सम्बन्धित देशों के बारे में और उन स्थूल शर्तों के बारे में जिन पर इन्हें नियुक्त किया गया है, आंकड़े इकट्ठे करने के लिए प्रयास किया जायेगा। जब सूचना इकट्ठी हो जायेगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

4. भारत में कार्यरत विदेशी राष्ट्रिकों को बार बार घर की रकमें भेजने की अनुमति दी जाती है। जब वे देश को छोड़ कर जाते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति की सुविधायें भी दी जाती हैं। घर भेजी जाने वाली रकम उनकी परिलब्धियों में से करों की राशि घटाने के बाद 50 प्रतिशत तक सीमित होती है। सेवानिवृत्ति के समय उन्हें अपनी सभी सम्पत्तियों को देश से बाहर ले जाने का अनुमति दी जाती है। पुंजीगत प्रेषणाओं पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। सेवानिवृत्ति के समय पुंजीगत खाते से एक लाख रुपये की राशि और शेष राशि को वार्षिक किस्तों में, जो 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, देश से बाहर ले जाया जा सकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में वसूल न हो सकने वाले और संदिग्ध ऋणों में वृद्धि

5087. श्री रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण से तीन वर्ष पूर्व और उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंकवार वसूल न हो सकने वाले और संदिग्ध ऋणों में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा और व्यक्तिगत बैंक अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ;

(ग) क्या सिद्ध हुए मामलों में कोई दण्ड दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चूंकि बैंकों का काम ऋणों के सम्बन्ध में ही होता है, अतः प्रत्येक बैंक को ऋण सम्बन्धी कुछ खतरे उठाने ही पड़ते हैं यदि जनता की ठीक तरह से सेवा करनी है विशेषकर जबकि राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत से नए क्षेत्रों में ऋण देना आरम्भ किया है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राष्ट्रीयकरण से तीन वर्ष पूर्व अथवा राष्ट्रीयकरण के बाद वसूल न हो सकने वाले या संदिग्ध ऋण किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों का बहुत बड़ा भाग है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत लाभ और हानि खाते का फार्म और तुलन पत्र में वसूल न हो सकने वाले और संदिग्ध ऋणों के बताने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और इस लिये वे बताए नहीं जाते।

(ख), (ग) और (घ) वसूल न हो सकने वाले और संदिग्ध ऋणों के सभी मामले, जिनको अन्तत: बट्टे खाते डाल दिया जाता है, सम्बन्धित बैंक के निदेशक मण्डल के सामने पेश किये जाते हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उत्तरदायित्व निश्चित करने की उचित जांच पड़ताल कर ली गयी है। बहुत से मामलों की, जहां कोई कर्मचारी वसूल न हो सकने वाले ऋण के लिए युक्तिसंगत रूप से जिम्मेदार ठहराया, जाए जांच संबंधित बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है और केवल कुछ गम्भीर प्रकार के मामले ही केन्द्रीय जांच कार्यालय को भेजे जाते हैं।

केन्द्रीय जांच कार्यालय और बैंक प्राधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किये गये मामलों की संख्या और प्रत्येक मामले में दी गयी सजा जिसमें बैंकों को अशोध्य राशि के रूप में ऋणों को बट्टे खाते डालना पड़ा, के आंकड़ों की सूचना बैंक अलग से नहीं रखते।

पेथीरिया चाय बागान को राज सहायता

5088. **श्री रानेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोयंका बन्धुओं के पेथीरिया चाय बागान में सुधार के लिये सरकार से कुछ समय पूर्व 40 लाख रुपये की राजसहायता की मांग की थी ;

(ख) क्या चाय बोर्ड ने मांगी गई राज-सहायता देने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) पेथीरिया नाम का कोई चाय बागान नहीं है। तथापि आसाम में कछार जिले के सिलचर सब-डिवीजन में एक पाथेमारा चाय बागान है जिसकी मालिक पाथेमारा टी कम्पनी लि० है तथा जिसका नियंत्रण व प्रबन्ध आर्कटेबियस स्टील एण्ड कं० लि० करती है। 1969-70 तथा 1970-71 के लिये इस कम्पनी से चाय बोर्ड को पुनरौपण उपदान के लिये दो आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। 1969-70 के आवेदनपत्र के सम्बन्ध में 7.24 हैक्टार के पुनर्रोपण के लिये 10,860 रु० की उपदान राशि की पहली किश्त 11-2-72 को चाय बोर्ड द्वारा दी गई थी। 7.69 हैक्टार के पुनर्रोपण के लिये दूसरा आवेदनपत्र, जिसमें 26,915 रु० की उपदान राशि अन्तग्रस्त है, 20-6-1973 को चाय बोर्ड ने मंजूर किया था लेकिन अभी तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

आस्ट्रेलिया से राक फासफेट का आयात

5089. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया से एक लाख टन राक फ़ासफेट आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुल्य और भाड़ा व्यय कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के लिये बाढ़ राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता

5090. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री केरल के लिये बाढ़ राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के बारे में 22 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अध्ययन दल को यह निदेश दिया है कि केरल राज्य को बाढ़ राहत के लिये केन्द्रीय सहायता दिये जाने वाले खर्च की समीक्षा की जाए ; और

(ख) क्या अध्ययन दल ने समीक्षा के आधार पर अपनी सिफारिश दे दी हैं ; और यदि हां, तो उसका सार क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

जीवन बीमा निगम में तालाबन्दी के दौरान बन्द हुए डिवीजनल कार्यालय

5091. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में हाल ही में हुई आंशिक तालाबंदी के दौरान कितने डिवीजनल कार्यालय बन्द हुए ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और कार्यालयों को पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जीवन बीमा निगम ने पटना, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, धारवाड़ तथा उसकी शाखाओं और मेरठ स्थित अपने प्रभागीय कार्यालयों में आंशिक ताला बन्दी घोषित की थी ।

(ख) तालाबन्दी के कारण ये थे : कर्मचारियों ने धीरे धीरे काम करने, नियमानुसार काम करने, घेराव करने, सामुहिक प्रतिनिधि मण्डल लाने आदि जैसी हरकतों का आश्रय लिया था और वैध कार्यालय-आदेशों/हिदायतों का जानबुझकर तथा आयोजित रूप से उल्लंघन किया था । जीवन बीमा निगम तथा कर्मचारियों के संघ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के परिणाम स्वरूप 25 जनवरी, 1974 को तालाबन्दी समाप्त कर दी गयी थी ।

भारत और सूरिनाम के बीच व्यापार में वृद्धि

5092. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरिनाम के उप-प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की तथा भारत और सूरिनाम के बीच व्यापार में वृद्धि किये जाने की सम्भावनाओं पर बातचीत की ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सुरीनाम के उप-प्रधान-मंत्री के साथ, जिन्होंने सितम्बर, 1973 में भारत का दौरा किया था, हुए विचार-विमर्श सामान्य रूप के थे तथा उनमें मोटे तौर से, दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की गुंजाइश तथा सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से श्वेत धातु के निर्यात के बारे में निर्णय

5093. श्री एम० एस० पुरती : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चांदी के निर्यात पर लगी वर्तमान रोक को हटाने और इसके निर्यात का काम व्यापार पर छोड़ने की बजाय राज्य व्यापार निगम को श्वेत धातु का निर्यात आरम्भ करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कुछ ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं कि तस्कर व्यापारी चांदी बाहर ले जा रहे हैं और भारी लाभ कमा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की पुनर्विलोकित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) उन चांदी बुलियन, चांदी की शीटों तथा प्लेटों के निर्यात की 19 फरवरी, 1974 से अनुमति है जिनपर रोलिंग के बाद किसी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया नहीं की गई है ।

चमड़ा उत्पादन करने वाले देशों द्वारा साझा बाजार नीति

5094. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उत्पादन करने वाले देशों ने साझा बाजार नीति के समर्थन में तर्क दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिलेसिलाये वस्त्रों के निर्यातकों को बैंकों द्वारा नौपरिवहन ऋण

5095. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा हाल ही में जारी किये निर्देशों के परिणामस्वरूप सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यातक नौपरिवहन ऋण प्राप्त करने की सुविधा से वंचित कर दिये गये हैं जो पहले उन्हे पोत लदान का प्रमाण देने पर बैंकों से आसानी से मंजूर हो जाते थे ;

(ख) क्या इन निर्देशों के क्रियान्वयन से निर्यातकों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है और अब उन्हें अपने वर्तमान निर्यात क्रयादेशों को पूरा करने हेतु और माल तैयार करने के लिये कच्चा माल खरीदना असंभव हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस उद्देश्य से कि इस समय ऋण पर जो प्रतिबन्ध लगाए गए हैं उनका निर्यात क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, रिजर्व बैंक ने खाद्य वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात कर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों पर लागू की गयी अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को जहाज लदान से पहले और जहाज लदान के बाद दिये जाने वाले ऋणों पर लागू की गयी अधिकतम सीमा भी उस समय समाप्त कर दी गयी थी जिस समय सूती वस्त्र तैयार करने वाली मिलों या धागा तैयार करने वाली तथा नकली रेशों से कपड़े तैयार करने वाली मिलों और व्यापारियों, दुकानदारों और एजेण्टों को धागे, कपड़े तथा नकली रेशों के धागे की जमानत पर दिये जाने वाले ऋणों के मार्जिन तथा व्याज के सम्बन्ध में नवम्बर, 1973 में चयनात्मक आधार पर नियंत्रण लगाए गए थे। उपर्युक्त ये नियन्त्रण, सिले-सिलाए कपड़े तैयार करने वाले उद्योगों समेत उपर्युक्त वस्तुओं का उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों पर भी लागू नहीं होते। इस तरह इस समय लगाए गए ऋण प्रतिबन्धों के कारण सिले सिलाए कपड़े निर्यात करने वालों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अशंका नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते।

जापान तथा मध्य पूर्व देशों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता

5096. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान तथा मध्य पूर्व देशों में भारतीय कपड़ों की मांग में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जापान में भारतीय वस्त्रों के लिये मांग में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु, मध्य पूर्वी देशों में हमारे सूती वस्त्रों की मांग काफी बढ़ गई है।

(ग) विश्व बाजार में सूती वस्त्रों के लिये मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के दौरान इस उद्योग को कुछ विस्तार करने की इजाजत दी गई है। पांचवी योजना की अवधि में सूती वस्त्र उद्योग का और विस्तार करने का विचार है जिसमें कपड़े की निर्यात योग्य किस्मों के उत्पादन पर जोर दिया जायेगा।

पर्यटक होस्टल

5097. **श्री अम्बेश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा बनाये गये पर्यटक होस्टलों में गत एक वर्ष में होस्टलवार कितने व्यक्ति ठहरे ; और

(ख) उक्त अवधि में कितना लाभ हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे यात्री लाजों के सम्बंध में सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । कुछ युवा होस्टल अभी निर्माणाधीन हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे यात्री लाजो में वर्ष 1972-73 के दौरान ठहरने वाले अतिथियों की संख्या एवं लाभ-हानि दर्शाने वाला विवरण ।

यात्री लाज का नाम	अतिथियों की संख्या	लाभ(+)/हानि (—)
		(हजार रुपयों में)
भुवनेश्वर . . .	1931	(–) 0.03
बौध गया . . .	1728	(–) 31.27
कोणार्क	299	(–) 30.14
कुल्लू .	643	(–) 53.16
कुशानगर . .	780	(–) 28.10
मांडू	517	(–) 37.10
मनाली	466	(–) 68.57
सांची	690	(–) 40.97
तिरुची	450	(–) 20.48
तंजवूर	621	(–) 26.76
बीजापुर .	859	(–) 14.58
मदुराई . .	128	(–) 23.78
कांचीपुरम	425	(–) 36.19

81 से अधिक काउंटों वाले सूत से नियंत्रण हटाना

5098. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने सरकार से 81 से अधिक काउंट्स वाले सूत की सप्लाई से प्रतिबन्ध हटाये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां, 80 एस० से ऊपर के काउन्टों के सूत पर से कीमत तथा वितरण सम्बन्धी नियंत्रण अब उठा लिया गया है ।

Arrears of Income tax in Himachal Pradesh

5099. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of arrears of Income-tax yet to be realized by Government in Himachal Pradesh;

(b) the amount of Income-tax realized during the last two years; and

(c) the steps being taken by Government to recover Income-tax arrears?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The amount of gross and net arrears of Income-tax including Corporation-tax outstanding as on 28.2.1974 in Himachal Pradesh is as under:—

(Rupees in crores)

Gross arrears	Net arrears
2.86	2.58

(b) The total amount of income-tax (including corporation-tax) realised in Himachal Pradesh during the last two years is as follows:

Financial Year	Net collections of Income-tax (In crores of Rs.)
1971-72	1.94
1972-73	2.43

(c) All steps provided in law, including the following, have been taken and are being taken depending upon the facts and circumstances of each case:—

(1) Levy of penalty u/s 221 of the Income-tax Act, 1961 for non-payment of tax.

(2) Attachment of money due to the asessee u/s 226(3).

(3) Attachment of money in courts u/s 226(4).

(4) Distraint and sale of movable property u/s 226(5).

(5) Issue of Recovery Certificates u/s 222.

(6) Attachment/sale of movable/immovable property.

(7) Detention of assessee in Civil Prison.

Payment of Interest on Loans received from Australia

5100. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Australian loans outstanding against the Government of India at present;

(b) the amount of interest paid by Government on Australian loans during 1973-74; and

(c) the estimated total amount of interest to be paid on the loans during 1974-75?

The Minister of Finance (Shri Yashwant rao Chavan) : (a) Government of India have not taken any loans from Government of Australia.

(b) & (c) Do not arise.

Items Imported from U.S.S.R.

5101. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the principal commodities imported from the Soviet Russia during the financial year 1972-73.

(b) the value thereof in terms of Indian currency; and

(c) the estimated value of imports to be made during the financial year 1974-75 in terms of Indian currency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The principal commodities imported from the Soviet Union during 1972-73 were Petroleum products, Fertilizers, Newsprint, Rolled steel products, Zinc, Palladium, Nickel, Copper, Chemicals, Asbestos, Machinery and equipment, Ball & roller bearings, Components and spares for Soviet Assisted projects, etc.

(b) The value of imports from USSR during 1972-73 was Rs. 105.72 crores.

(c) The estimated value of imports to be made during 1974-75 is around Rs. 320 crores.

Loans and assistance received from West Germany for Industrial Development

5102. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of grant and loan received by the Government of India from West Germany during the financial years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 for industrial development; and

(b) the rate of interest to be paid on the loans so received and also the general terms and conditions in this regards.

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) and (b)

Grants : During the period 1971-72 to 1973-74 (as of date) no specific grant for industrial development has been received from the Federal Republic of Germany.

Loans : In terms of the loan agreements concluded during this period the amount of loans extended by the Federal Republic of Germany specifically for industrial development during the period 1971-72 to 1973-74 (as of date) aggregates to DM 232.06 million (equivalent to Rs. 70.55 crores). These loans are for financing import of goods and services for mutually agreed industrial projects, for import of miscellaneous capital goods and related services and for grant of foreign exchange sub-laons by the Industrial finance Corporation of India, the Industrial Credit and Investment Corporation of India and the National Small Industries Corporation to medium and small-scale enterprises in India for import of capital goods and related services.

The above amounts are exclusive of the Commodity Aid and Debt Relief loans extended by West Germany during this period as the Commodity Aid loans are meant for better utilisation of the existing production capacities while the Debt Relief loans are not directly linked to any imports of goods and services.

Of the total loan amount of DM 232.06 million (equivalent to Rs. 70.55 crores) the terms of lending have been as given below:

For loans for an aggregate value of DM 142.06 million (equivalent to Rs. 43.19 crores) the repayment is over a period of 30 years inclusive of a grace period of 8 years and interest payment at the rate of 2.5% per annum; for loans for an aggregate value of DM 20 million (equivalent to Rs. 6.08 crores) the repayment is over a period of 30 years inclusive of a grace period of 7 years and interest payment at the average rate of about 2.75% per annum and for the remaining loans for an aggregate value of DM 70 million (equivalent to Rs. 21.28 crores) the repayment if over a period of 30 years inclusive of a grace period of 10 years and interest payment at 2.0% per annum.

(*N.B.*—The rupee equivalents of DM amounts in the above reply have been arrived at the current exchange rate of 1 DM-Rs. 3.04.)

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विकास कार्य

5103. **श्री वयालार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर आरम्भ किये गये विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस हवाई अड्डे पर विकास कार्यों की रूपरेखा क्या है तथा उस कार्य के लिये 1974-75 में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्तमान टर्मिनल भवन के विस्तार एवं नये सीमाशुल्क ब्लाक के निर्माण के कार्य की काफी प्रगति हो चुकी है और इस कार्य के अगस्त, 1974 में पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ख) मुख्य धावन पथ के और आगे विकास तथा एप्रन व टैक्सी पथ को मजबूत करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

वर्ष 1974-75 के बजट प्राक्कलनों में त्रिवेन्द्रम में विकास कार्यों के लिये 6.18 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

Cut in Drought relief Assistance to Madhya Pradesh

5104. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh has made it clear to the Centre that it would not be proper to affect any sort of cut in the drought relief grant without making payment of the expenditure incurred during the last financial year; and

(b) whether the funds sanctioned by the Centre during the last year for relief works in Madhya Pradesh have been provided to the State in full?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) No Sir.

(b) Central assistance to be provided for relief measures in 1972-73 and 1973-74 following the 1972 drought will depend upon the Central team's recommendations regarding the expenditure qualifying for Central assistance. The team's recommendations are awaited. In the meantime, Rs. 4 crores have been released on an 'on account' basis to the State Government towards drought relief expenditure in 1972-73 and 1973-74.

Amount of medium and short term loans given to farmers by Nationalised banks

5105. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of medium term and short term loans given to farmers by the nationalised banks in Madhya Pradesh during the last three years;

(b) the total amount of loans recovered so far and the amount of arrears to be recovered; and

(c) the procedure to be followed by the nationalised banks to recover this amount ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The medium term and short-term loans given by the nationalised banks in Madhya Pradesh and outstanding as at the end of June, 1972, June, 1973 and September, 1973 were as under:

(in lakhs of rupees)

As at the end of	Short-term Balance outstanding	Medium/long-term Balance outstanding	Total
June, 1972	161.02	355.84	516.86
*June, 1973	209.18	483.01	692.19
*September, 1973	193.49	580.12	773.61

*Provisional.

(b) The amount recovered by the nationalised banks in respect of direct advances to agriculture during the 12 month period ended June, 1973 was Rs. 149.91 lakhs. The amount over due as at the end of June, 1973 stood at Rs. 226.39 lakhs. (Figures are provisional)

(c) Banks normally try to recover overdues by contacting the borrowers & persuading them to repay the loan. Notices and reminders, if necessary, are served both on the borrowers and their sureties, if any. When these measures fail, legal action is taken to realise the loan from out of the tangible assets mortgaged/pledged with the bank through Civil suits. The Madhya Pradesh Government have recently enacted a Bill on the lines of the Model Bill recommended by the Talwar Committee. The Act, *inter alia*, peovides that a a bank may distrain and sell through an official of the State Government the crop or other produce or other movables charged to a bank and similar action may be taken for the immovable properties after serving a notice on the borrower. Thus it will now be possible for the banks in his State to adopt a simplified procedure for recovery of over dues.

Opening of Branches of Nationalised Banks in Rural Areas of Madhya Pradesh

5106. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some of the nationalised banks have given sanction for opening their new branches in rural areas in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the rural areas in East Nimar district where new branches are being opened?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) and (b) In pursuance of the directive of the Reserve Bank of India, commercial banks now formulate three years rolling plans for branch expansion. The plans for the three year period 1974-76 have, yet to be finalised by some banks.

The Reserve Bank of India has reported that as at the end of December 1973, one of the nationalised banks *viz.*, Bank of India had on hand licences for pening two offices at rural centres in East Nimar District. Both these offices are likely to be opened in the near future.

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कर्मचारियों की मांगे

5107. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कर्मचारियों को कम दरों पर वेतन दिये जाने के बारे में 30 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2909 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने नियमित पद बनाये गये हैं;

(ख) दैनिक मजूरी पर आठ वर्षों से अधिक की सेवावधि पूरी करने के वाले उन कर्मचारियों के पदों को नियमित करने में सरकार को कितना समय लगेगा; और

(ग) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कर्मचारियों को मांगों का पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 30-11-73 को लोक-सभा में पूछे गये आतारांकित प्रश्न संख्या 2909 के उत्तर का संबंध केवल अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के क्षेत्रीय डिजाइन तथा विकासात्मक केन्द्र, नई दिल्ली से था। उस केन्द्र के कर्मचारियों की मांगों को केवल कुछ नियमित पदों का निर्माण करके पूरा किया जा सकता है तथा सरकार के कार्य अध्ययन एकक द्वारा इस पहलू की जांच की जा रही है। कुछ नियमित पदों के निर्माण के लिये कार्यवाही करने हेतु इस जांच के पूरा होने की प्रतीक्षा की जा रही है तथा अभी तक किसी ऐसे पद का निर्माण नहीं किया गया है।

मुद्रा नोटों को एक बार स्टिज करने की व्यवस्था

5108. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राशियों के मुद्रा-नोटों को दो बार स्टीच करने की बजाय एक बार स्टीच करने की व्यवस्था आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह नई व्यवस्था कहां तक सफल सिद्ध हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) करेंसी नोटों के पैकेटों में आम तौर से एक तार का टांका लगाया जाता है। इसलिये सामान्य प्रवन्ध को बदल कर इस प्रबन्ध को शुरू करने का सवाल पैदा नहीं होता। उक्त प्रबन्ध संतोषजनक साबित हुआ है।

इण्डियन एयरलाइंस को वर्ष 1973 के दौरान हुआ घाटा

5109. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1973 के दौरान कितना घाटा हुआ; और

(ख) घाटे के क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) और (ख) इंडियन एयर लाइंस को वित्त वर्ष 1972-73 के दौरान 0.75 लाख रुपए का लाभ हुआ । वर्ष 1973-74 के दौरान कारपोरेशन को 4.91 करोड़ रुपए की हानि होने की आशंका है । कारण इस प्रकार हैं :—

(i) सितम्बर/अक्तूबर, 1973 के दौरान समस्त एच० एस०-748 विमान बेड़ा कतिपय तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये भुमिस्थ करना पडा था ।

(ii) 24-11-1973 से तालाबंदी ।

(iii) जून तथा नवम्बर, 1973 व मार्च, 1974 में ईंधन मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि ।

इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी परिचालनात्मक दक्षता के सुधार एवं उत्पादकता में यथासंभव वृद्धि के लिये अनेक उपाय किये हैं । इन उपायों के फलस्वरूप आगामी वर्षों में कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है । तथापि कुछ ऐसे हालात भी हैं जिन पर कारपोरेशन का लगभग कोई नियंत्रण नहीं है ।

मंगलौर हवाई अड्डा

5110. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान उतरते समय मंगलौर हवाई अड्डे पर भीड़ हो जाती है; और

(ख) प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये हवाई अड्डे पर अधिक स्थान उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) बढ़ती हुई यातायात विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मंगलौर के वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है ।

होटलों द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

5111. श्री सतपाल कपूर :

श्री के० मालन्ना :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश के गैर-सरकारी तथा सरकारी होटलों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का विवरण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान होटलों द्वारा प्रतिवर्ष जमा करायी गयी विदेशी मुद्रा की राशि को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

होटलों द्वारा वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करायी गई राशि विदेशी मुद्रा की कुल अजित आय (हजार रुपयों में)

अवधि	1971			1972			1973		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
जनवरी से सितम्बर	उ०न०	उ०न०	14506.2	उ०न०	उ०न०	15212.1	8606.0	41642.0	50248.0
अक्तूबर	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
नवम्बर और दिसम्बर	उ०न०	उ०न०	3251.1	उ०न०	उ०न०	10333.5	उ०न०	उ०न०	उ०न०

उ० न० = उपलब्ध नही है

देश में सस्ते होटलों की स्थापना का प्रस्ताव

5112. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सस्ते होटलों की स्थापना करने अथवा देश में सस्ते होटल स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) प्रस्तावों पर कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में सम्मिलित होटलों का विशेष रुप से विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्तता की दृष्टि से अनुमोदन किया जाता है । अतः इसे ध्यान में रखते हुए विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता पूर्ति के लिये सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों मे आयोजित होटल परियोजनाओं के लिये पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के होटलों के लिये कतिपय न्यूनतम स्तरों का निर्धारण किया गया है । इन होटलों की दरें सेवाओं के स्तर एवं होटल में उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करती हैं । साथ ही पर्यटन विभाग मध्य एवं निम्न आय वर्गों के पर्यटकों के लिये देश में कई स्थानों पर युवा होस्टलों, पर्यटक बंगलों, वन-लाजों, मोटल-व-स्वागत केन्द्रों तथा शिविर-स्थलों के रूप में अनुपूरक आवास संबंधी कई परियोजनायें प्रारम्भ कर रहा है । सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम की भी कुछ वर्तमान यात्री लाजों के विस्तार के अतिरिक्त पर्यटन आकर्षण के कई स्थानों पर होटलों के निर्माण की योजना हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नए हवाई अड्डों का निर्माण

5113. **श्री वेकारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने हवाई अड्डे कहां कहां बनाए गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में तिरुपति (आंन्ध्र प्रदेश) तथा बारापानी (असम) में दो विमानक्षेत्रों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था। तिरुपति विमानक्षेत्र बन कर तैयार हो चुका है और चालू कर दिया गया है और बारापानी के विमानक्षेत्र के 1974 में बन कर तैयार हो जाने की आशा है ।

नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन

5114. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलों ने नियंत्रित किस्म के कपड़े के उत्पादन के बारे में सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया तथा वे नियंत्रित किस्म के कपड़े के उत्पादन की बजाये जुर्माना देने को तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के नाम क्या हैं तथा नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सूती वस्त्र उद्योग के संगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन उद्योग एवं सरकार के बीच एक स्वैच्छिक समझोते के अधीन किया जाता है जिसमें यह अनुबन्ध है कि उद्योग नियंत्रित किस्मों का 40 करोड़

वर्ग मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष तैयार करेगा । भारतीय सूती मिल संघ ने, जिसपर मिलों के उत्पादन को समन्वित करने का उत्तरदायित्व है, मिलवार दायित्व सौंपा है जिसके अनुसार अपने पैक किये गये उत्पादन का 12 प्रतिशत माल नियंत्रित कपड़े के रूप में देना पड़ता है । मिलों को अपनी ओर से दूसरी मिलों से नियंत्रित कपड़ा तैयार कराने की अनुमति दी गई है । भारतीय सूती मिल संघ ने तय किया है कि वह मिल जो अपने दायित्व को स्वयं अथवा किसी अन्य मिल के माध्यम से पूरा नहीं करती, उसे संघ को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर का जुर्माना देना पड़ेगा ।

वर्ष 1972 के उत्तरार्ध में नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में 3.6 करोड़ वर्ग मीटर की गिरावट आई थी । इसी प्रकार 1973 की प्रथम तिमाही में 3.6 करोड़ वर्ग मीटर की और गिरावट आई । तथापि, उद्योग ने अप्रैल-जून, 1973 तिमाही के दौरान 10 करोड़ वर्ग मीटर के सामान्य लक्ष्य की तुलना में 14.6 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन किया और इस प्रकार अपनी पिछली गिरावट में 4.6 करोड़ वर्ग मीटर की कमी को पूरा किया । जुलाई-सितम्बर, 1973 के दौरान उद्योग ने 10.004 करोड़ वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन किया । 1973 की अन्तिम तिमाही के दौरान उत्पादन में पुन: लगभग 3.3 करोड़ वर्ग मीटर की कमी आई है । भारतीय सूती मिल संघ से अनुरोध किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि 31-12-73 को जो गिरावटें थी उनको पूरा कर लिया जाना चाहिये ।

(ख) चुंकि नियंत्रित कपड़ा तैयार करने का दायित्व सम्पूर्ण उद्योग की ओर से भारतीय सुती मिल संघ ने किया था अत: सरकार को उन पृथक पृथक मिलों के नामों की कोई जानकारी नहीं है जो नियंत्रित कपड़ा बनाने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रही । तथापि, भारतीय सूती मिल संघ ने अपनी सदस्य-मिलों को तदनुसार अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिये कहा है ।

Amount of loans given by nationalised banks to institutions/individuals in Madhya Pradesh

5115. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans given so far by the nationalised banks to institutions or individuals in Madhya Pradesh during the last three years;

(b) the particulars of the first ten cases involving maximum amount of loans; and

(c) the mode of repayment of loans and whether its recovery is being made properly or not?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The available data which relate to the last Fridays of December, 1971 and December, 1972 show that the fourteen nationalised banks had outstanding advances in Madhya Pradesh to the tune of Rs. 53.04 crores and Rs. 63.30 crores respectively on these dates.

(b) & (c) According to Section 13(1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and according to the practices and usages customary among bankers, information relating to individual constituents cannot be divulged.

ईरान द्वारा भारत से सूती कपड़ा खरीदने के वचन को पूरा न किया जाना

5116. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान भारत से इस वर्ष 5 करोड़ मीटर सूती कपड़ा खरीदने का अपना वचन पूरा नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सौदे में कितना घाटा हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसी कोई वचनबद्धता दही थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग

5117. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा दिये गये 2.5 करोड़ डालर के ऋण में से बड़ी राशि का उपयोग अभी किया जाना है जबकि निर्माताओं को कच्चे माल आदि तथा मशीनरी के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लिये गए लगभग 18.75 करोड़ रुपए (2.5 करोड़ अमरीकी डालर) के ऋण का उद्देश्य उन छोटे तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक क्षेत्रों की परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता करना है, जिन्हें विदेशों से मशीनें मंगवाने की आवश्यकता है । इस ऋण के समाप्त होने की तारीख 30 जून, 1977 है । परन्तु अब तक इस ऋण के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिये लगभग 7 करोड़ रुपए के मूल्य की आयात सम्बन्धी मंजूरी दी जा चुकी है ; इन परियोजनाओं के लिये लगभग 5.15 करोड़ रुपए के ऋणों की मंजूरी राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा तथा इन ऋणों के पुनर्वित्त की लगभग 2.35 करोड़ रुपए की मंजूरी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गयी है । विभिन्न परियोजनाओं के लिये उन अन्य ऋण आवेदन पत्रों पर, जिनमें मशीनों के आयात किये जाने की मंजूरी दी गयी हैं, राज्यों के वित्तीय निगमों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीकारियों द्वारा विभिन्न चरणों पर कार्रवाई की जा रही है । उद्यमकर्ताओं ने विदेशी सम्भरकों को उपकरणों के लिये आर्डर दे दिये हैं और इनकी सप्लाई जल्दी ही शुरू हो जाने की संभावना है । ऋण की रकम का उपयोग, जो वास्तविक व्यय से संबंधित है, अगले कुछ ही महीनों में शुरू हो जायगा ।

सोवियत संघ को केले का निर्यात

5119. **श्री लम्बोदर बलियार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से भारतीय केले सोवियत संघ को भेजे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष किये जाने वाले निर्यात की मात्रा कितनी है और इनसे विदेशी मुद्रा की कितनी आय होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1965-66 तथा 1966-67 के दौरान भारत ने सोवियत संघ को क्रमशः 6.95 लाख रुपए एवं 43.57 लाख रु० मूल्य के केले निर्यात किये । चूंकि यह खराब होने वाली वस्तु है अतः स्वेज नहर के बंद होने के बाद इसका निर्यात बन्द कर देना पड़ा ।

1973-74 में पालम हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटनाएं

5120. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 में पालम हवाई अड्डे और उसके आसपास कितनी विमान दुर्घटना, हुई;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ग) इनके कारण क्या थे; और

(घ) बार-बार होने वाली इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) इसकी रोकथाम के लिये किये गये उपायों में से कतिपय ये हैं :—

(i) इंडियन एयरलाइंस के सभी कमांडरों की विशेष एवं कठोर जांचपरीक्षाए ली गयीं हैं और जो उचित योग्यता स्तर तक नहीं पहुंच सकें उन्हें कमांडर के रूप में उड़ान करने नहीं दिया जा रहा है ।

(ii) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि मदिरापान के बारे में वायुयान नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चारों प्रमुख विमानक्षेत्रों पर उड़ान पूर्व डाक्टरी परीक्षा की प्रणाली लागू की गयी ।

(iii) एक प्रणाली चालू की गयी जिसके द्वारा विमान-चालकों को प्रत्येक उड़ान से पहले 'मूवमेंट कंट्रोल' पर स्वयं उड़ान पूर्व विवरण (ब्रीफिंग) प्राप्त करना होता है।

(iv) उड़ान कार्मिकों द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों एवं नियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिये इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ान के दौरान क्षेत्रीय परिचालन प्रबंध द्वार आकस्मिक जांचों की एक प्रणाली जारी की गयी ।

(v) विमान चालकों को चेतावनी दे दी गयी है कि वे विनिर्दिष्ट न्यूनतम 'धावन-पथ दृश्यता-क्षेत्र' (रनवे-विजुअल रेंज) परिस्थितियों से कम की हाल में कभी भी 'एप्रोच न करें।

अतिरिक्त लैंडिंग एवं मानिटरिंग उपकरणों (प्रीसीशन एप्रोच रडार कैटेगरी II लाइटिंग इत्यादी) को प्राप्त एवं स्थापित करने के लिये आवश्यक उपाय प्रारम्भ कर दिये गये हैं । इनसे विमान अपेक्षाकृत खराब मौसम में भी अवतरण कर सकेंगे ।

विवरण

1973-74 के दौरान पालम विमान क्षेत्र तथा उसके आसपास केवल दो दुर्घटनाएं हुई थीं अर्थात्, एक इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 की 31 मई, 1973 को तथा दूसरी लुफ्तांज्रा बोइंग 707 विमान की 20 दिसम्बर, 1973 को। उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्रम सं०	तिथि, स्वामी, विमान का प्रकार	जीवन हानि		क्षति की सीमा	दुर्घटना के कारण
		यात्री	कर्मीदल		
1	31 मई, 1973 इंडियन एयरलाइन्स	43	5	विमान पूर्णतया नष्ट हो गया था। विमान का 350 लाख रुपए का बीमा था जिसमें से 300 लाख रुपए जीवन बीमा निगम से वसूल किये जा चुके हैं तथा शेष रकम को वसूल करने के लिये कार्रवाई की जा रही है। बिजली की शीर्ष तारों की क्षति के लिए इंडियन एयरलाइंस ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को 18,405/- रुपये का भुगतान किया है जिस की प्रतिपूर्ति बीमाकर्ताओं ने इंण्डियन एयरलाइंस को कर दी है।	(i) अवतरण के लिए उपस्कर एप्रोच की प्रयोग करने के लिए कैप्टन नायर द्वारा गलत निर्णय जबकि सूचित की गयी दृश्यता निर्धारित न्यूनतम से काफी नीचे थी और धावन पथ से चाक्षुष सम्पर्क स्थापित किये बिना निर्धारित एम० डी० ए० (न्यूनतम निर्णय ऊंचाई) उल्लंघन किये था। (ii) उंचाई संबंधी जानकारी के पूर्ण अभाव के कारण निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए कैप्टन नायर द्वारा इतनी कम उंचाई तक नीचे उतर आना जो कि खतरनाक रूप से अवरोध निर्बाधता सीम (ओ० सी० एल०) के नीचे था। (iii) कैप्टन नायर द्वारा बिना धावनपथ देखे एन० डी० बी० (अधिकाधिक वीकन) पर पल्लों को 40 तक नीचे लाकर अनुमोदित उड़ान प्रक्रिय/ाग्रिल का उल्लंघन।

क्रम सं०	तिथि, स्वामी, विमान का प्रकार	जीवन हानि यात्री	जीवन हानि कर्मदिल	क्षति की सीमा	दुर्घटना के कारण
2	20 दिसम्बर, 1973 लुफ्तांजा बोइंग 707			मिडल मार्कर हट तथा उसमें रखे उपस्कर को 41,000/- रु० की अनुमानित क्षति।	दुर्घटना की जांच दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अदालत द्वारा की जा रही है।

नए स्वर्ण व्यापारियों को लाइसेंस देना

5121. **श्री नागेश्वर द्विवेदी :**

श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न नगरों में प्रमाणपत्र-प्राप्त सुनारों से भिन्न व्यक्तियों को अनेक स्वर्ण व्यापार लाइसेंस किस कसौटी पर दिए गए ;

(ख) दिल्ली में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, प्रमाण-पत्र-प्राप्त सुनारों से भिन्न व्यक्तियों के कितने आवेदन अस्वीकृत या स्वीकृत किए गए और कितने पुराने लाइसेंस रद्द किए गए;

(ग) दिल्ली में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष रजिस्टर स्वर्ण व्यापारियों द्वारा कितना व्यापार किया गया; और

(घ) यदि व्यापार में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो स्वर्ण-व्यापार के नए लाइसेंस तदनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त स्वर्णकारों से भिन्न व्यक्तियों को क्यों नही दिए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) स्वर्ण व्यापारी लाइसेंस जारी करने से पहले जिन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है वे, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968 की धारा 27(6) के अन्तर्गत बनाये गये स्वर्ण नियंत्रण (व्यापारी लाइसेंस जारी करना) नियमावली 1969 में दिये गये हैं।

(ख) जिन मामलों में प्रमाण-पत्र प्राप्त स्वर्णकारों से भिन्न व्यक्तियों को स्वर्ण व्यापारी लाइसेंस मंजूर करने की दरख्वास्तें रद्द की गई उनकी संख्या वर्ष 1971 में 8, 1972 में 19 और 1973 में 13 थीं और जिन मामलों में इस प्रकार की दरख्वास्तें मंजूर की गयीं उनकी संख्या वर्ष 1971 में 19, 1972 में 5 और 1973 में 6 थीं। इन तीन वर्षों में क्रमशः 2, 4 और 3 लाइसेंस स्वेच्छा से समर्पित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, 61 मामलों में वर्ष 1973 के लिये लाइसेंसों का नवीकरण इस आधार पर नहीं किया गया कि दरख्वास्त देने की तारीख से पूर्व वर्ती 12 महीनों में लेन-देन अत्यन्त अल्प था। इनमें से, 18 मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने नवीकरण की अनुमति दे दी है और अतिरिक्त 12 अपीलें निर्णयाधीन हैं।

(ग) लाइसेंसशुदा स्वर्ण व्यापारियों ने दिल्ली में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में निम्नानुसार लेन-देन किया :—

1971	1972	1973
5,605 कि०ग्रा०	5,946 कि०ग्रा०	5,277 कि०ग्रा०

(घ) प्रत्येक वर्ष लेन-देन बढ़ नहीं रहा है। किसी लाइसेंशुदा स्वर्ण व्यापारी के कारोबार का, उत्तराधिकार से अथवा अन्यथा अन्तरण हो जाने पर नया स्वर्णव्यापारी लाइसेंस मंजूर किया जा सकता है। लेन-देन के आधार पर लाइसेंस मंजूर करने के लिये जिस वर्ष में दरख्वास्त दी जाती है उससे पूर्ववर्ती तीन वर्षों में सभी व्यापारियों का लेन-देन हिसाब में लिया जाता है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि जिस वर्ष में लाइसेंस मंजूर किया जाता है उस वर्ष का लेन-देन भी हिसाब मे लिया जाय।

Helicopters used in U.P. for Touring Purposes

5122. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of States having helicopters at present;

(b) the places in Uttar Pradesh where these helicopters of the State Government were used for touring purposes; and

(c) the party which bore the expenditure incurred thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) So far, the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have purchased one Alouette III helicopter each from Hindustan Aeronautics Limited.

(b) and (c) It has been reported by the Government of Uttar Pradesh that the helicopter is being used primarily for the State Government work and the places touched by it on such work are indicated in the enclosed statement. The State Government has further stated that for certain days during January and February, 1974 the Uttar Pradesh Congress Committee had hired the helicopter for which they deposited an advance of Rs. 2 lakhs towards its hire charges.

STATEMENT

Azamgarh
Bahraich
Ballia
Bamrauli
Banda
Bareilly
Basti
Bijnor
Chilla (Fatehpur)
Delhi
Deoria
Gaghraghat

Gonda
Gorakhpur
Hamirpur
Jaunpur
Kanpur
Lucknow
Naini (Allahabad)
Obra
Orai
Unnao
Varanasi

बिहार राज्य लघु उद्योग विकास एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन का प्रस्तुत किया जाना

5123. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत फरवरी, में, जब रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर ने पटना का दौरा किया था, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास असोसियेशन की ओर से उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) उस ज्ञापन में उठाए गए मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्यिक बैंक, और विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र के बैंक, बैंक संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करने के मामले में प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे अब कम बैंक वाले राज्यों।प्रदेशों में और ग्रामीण।अर्धशहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने पर अधिक जोर दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बिहार में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या राष्ट्रीयकरण किए जाने के पूर्व 214 से बढ़कर दिसम्बर 1973 के अन्त में 656 हो गयी है । बिहार राज्य में शाखाओं की कुल संख्या से ग्रामीण शाखाओं से अनुपात में भी वृद्धि हुई है अर्थात् इस अवधि में यह अनुपात 17 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है ।

किसी प्रदेश में ऋण का उपयोग उस प्रदेश के आर्थिक क्रियाकलाप के सामान्य स्तर और बिजली, परिवहन, संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से जुड़ा होता है । लेकिन बैंक अपनी ओर से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं को , जिनमें लघु उद्योग भी शामिल हैं, अधिक बैंक ऋण देने का प्रयत्न कर रहे हैं । छोटे ऋणकर्ताओं को अधिक बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिये बैंकों ने अपने ऋण संबंधी आवेदनपत्र के फार्मों को सरल बना दिया है, ऋण देने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बना दिया है, प्रतिभूति की आवश्यकताओं को उदार बना दिया है या उनमें छूट दे दी गयी है, और निचले स्तर पर अधिक शक्तियां प्रदत्त कर दी हैं ।

बिहार में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋणों की बकाया रकम, जून, 1969 में 4.7 करोड़ रुपए से बढ़कर जून, 1973 में 40.45 करोड़ रुपए हो गयी थी । राज्य में लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों की बकाया रकम 3.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.2 करोड़ रुपए हो गयी है ।

संघ द्वारा दिए गए सुझावों में से एक यह है कि विभिन्न बैंकों द्वारा ब्याज की समान दर पर ऋण दिया जाना चाहिये । ब्याज की दर, जमा के लिये रकमें जुटाने और उन्हें फैलाने पर आने वाली लागत, ऋण का प्रयोजन, वापसी अदायगी का कार्यक्रम आदि जैसी कई बातों के आधार पर निर्धारित की जाती है । चूंकि यह बातें एक बैंक से दूसरे बैंक और एक खाते से दूसरे खाते में अलग अलग होती है इसलिये सभी ऋणों के लिये, सभी बैंकों के द्वारा और सभी प्रयोजननों के लिए ब्याज की पूर्ण रूप से समान दर निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है ।

सिल्वर बुलियन, सिल्वर साल्ट और रसायनों के निर्यात सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

5124. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिलवर बुलियन, सिलवर साल्ट और रसायनों के निर्यात सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नीति का ब्यौरा क्या है और ऐसे पुनरीक्षण के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी की गयी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी गयी है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-6581/74]** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी का मूल्य काफी बढ़ गया है और इस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिये, विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से चांदी का निर्यात करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है ।

पासा चांदी, चांदी के पत्रों और प्लेटों का निर्यात

5125. श्री वेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासा चांदी, चांदी की ऐसी चादरों और प्लेटों का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है जो वेलन के पश्चात् निर्माण की किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजरी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जारी की गयी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभा सभा-पटल पर रख दी गयी है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 6582/74]** चांदी का निर्यात करने की इजाजत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की ऊंची कीमतों को देखते हुए विदेशी मुद्रा के अर्जन के सुअवसर का लाभ उठाने के लिये दी गयी है ।

ई० ई० सी० देशों को लौह अयस्क की सप्लाई

5126. **श्री एम० सुदर्शनम :**
श्री फतहसिंह राव गायकवाड :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० ई० सी० देशों से बड़ी मात्रा में अयस्क की सप्लाई के लिये क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अदायगी का तरीका क्या होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने सितम्बर, 1973 से मई, 1975 की अवधि के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के 16 लाख टन लौह अयस्क की सप्लाई के लिये संविदाएं की हैं । इन सप्लाईयों के भुगतान ब्रिटेन को की जाने वाली बिक्रियों के संबंधों में पाउण्ड स्टर्लिंग में और अन्य यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को की जाने वाली बिक्रियों के संबंध में जर्मन ड्यूश मार्क में किये जायेंगे ।

पी० एल० 480 निधी का भारत के संसाधनों पर प्रभाव

5127. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और अमरीका के बीच पी० एल० 480 तथा अन्य निधियों के बारे में हुए समझौते का आगामी पांच वर्षों में देश की संसाधन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारत में अमरीका के जमा रुपयों के निपटारे की योजना में भारत सरकार को दिया गया 1664 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है और यह अनुदान पांचवीं पंच वर्षीय योजना में पहले से ही शामिल विकास परियोजनाओं के लिए पांच वर्षों की अवधि में दिया जायगा। इस प्रकार लगभग 333 करोड़ रुपया पांचवीं पंच वर्षीय आयोजना के प्रत्येक वर्ष में दिया जायगा और इससे कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। अतः उसका कोई एकीतिकारी प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अमरीकी दूतावास के पास बची शेष राशियों (8624 करोड़ रुपये) में से, दूतावास द्वारा प्रचलित प्रथा के अनुसार प्रत्येक वर्ष व्यय किया जायगा और इस बात पर भी सहमति दी गयी है कि इस प्रकार का व्यय जून 1972 से पहले के तीन वर्षों के दौरान किये गये व्यय के औसत से अधिक नहीं होगा। केवल कीमतों में वृद्धि के लिए कुछ छूट दी जायेगी। बजट में की गयी व्यवस्था के अनुसार 1974-75 में अमकीरी व्यय के लिए 45.92 करोड़ रुपये निकाले जाने का अनुमान है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्सोनल मैनेजर की डेपुटेशन की अवधि

5128. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा

(क) क्या भारतीय पर्यटक विकास निगम के पर्सोनेल मैनेजर की डेपुटेशन की अवधि 30 जनवरी, 1973 को समाप्त हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी डेपुटेशन की अवधि को किस आधार पर एक वर्ष और बढ़ाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के भूतपूर्व कार्मिक प्रबंधक (पर्सोनेल मैनेजर) को, जोकि भारतीय रेलवज़ के एक स्थायी कर्मचारी हैं, 30-1-1971 से नियुक्त किया गया था। उनके मूल विभाग ने प्रारंभ में उनका धारणाधिकार (लीअन) दो वर्ष के लिए रखा था जो 29-1-1973 को समाप्त हो गया। बाद में उनके धारणाधिकार को मौजूदा आदेशों के अनसार एक वर्ष के लिए अर्थात 29-1-1974 तक बढ़ा दिया गया था। बढ़ायी गयी धारणाधिकार की अवधि की समाप्ति पर, कार्मिक प्रबंधक ने अपने मूल विभाग को वापस जाने तक चार महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया। उनकी छुट्टी रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। उनकी निगम में कार्यकालय की अवधि को आगे बढाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एशियन कोकोनट कम्युनिटी का प्रतिवेदन

5129. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशियन कोकोनट कम्युनिटी के प्रतिवेदन की जानकारी है जिस में लिखा है कि विकसित देशों के साथ बातचित करने के सम्बन्ध में नारियल उद्योग के प्राथमिकता-क्रम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में बताया गया है कि नारियल उद्योग के लिये यह अधिक महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों के साथ हमारी व्यापार वार्ताओं में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि उनके बाजारों मे हमारे हिस्से की सुरक्षा तथा गारंटी का आश्वासन मिलना चाहिये।

दोष पूर्ण तोल के प्रयोग के कारण काला धन बढ़ जाना

5130. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दोषपूर्ण तोल के प्रयोग के कारण 9000 करोड़ रुपये का कालाधन बढ़ गया है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) माप-तोल (विधि समीक्षा) समिति का अनुमान है कि गलत माप-तोलों के कारण पांच वर्ष की अवधि में जनता तथा सरकार को 9,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

(ख) उक्त समिति ने केन्द्रीय तथा राज्य विधान के अपने संशोधित मसौदे में अपराधियों के लिए प्रतिरोधक दण्ड का सुझाव रखा है जिसके अन्तर्गत दूसरे अथवा परवर्ती अपराधों के लिए सजा भी शामिल है। प्रस्तावित केन्द्रीय विधान के मसौदा पर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय रूई प्रतिष्ठान की स्थापना

5131. **श्री वेकारिया :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अन्तर्राष्ट्रीय रूई प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए भारत को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम में भारत सरकार को कपास अनुसंधान और विकास के लिये समन्वित कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम प्रशासक के तथ्यों का पता लगाने वाले मिशन की रिपोर्ट की एक प्रति भेजी है और यह अनुरोध किया है कि उसपर भारत सरकार के विचारों से उन्हें अवगत कराया जाए ताकि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कितनी और किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है इस पर विचार किया जा सके । यह रिपोर्ट लंदन में अगले महीने होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कपास परामर्शदात्री समिति की पूर्ण बैठक की कार्यसूची में शामिल है।

मिशन ने मनुष्य निर्मित धागों की प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये सम्मिलित कार्यवाही करने की आवश्यकता का संकेत दिया है और सुझाव दिया है कि कपास अनुसन्धान और विकास के लिये एकीकृत कार्यक्रम बनाया जाय और उसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाय ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिशन ने एक अन्तर्राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की है । इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय कपास फाऊण्डेशन की स्थापना का सुझाव भी दिया है । जिसमें अन्तर्राष्ट्रीथ समुदाय और कपास उगाने वाले मुख्य देश भाग ले सकेंगे । प्रस्तावित फाउण्डेशन, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, विकासशील देशों और ऐसे विकसित देशों, जो इस उद्यम से सम्बन्ध रखना चाहते हैं, के द्वारा इसे सौंपी गयी निधियों का प्रबन्ध करेगा ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों के परामर्श से वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

अकबर होटल के हरिजन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यवाही :

5132. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकबर होटल के हरिजन कर्मचारियों ने नवम्बर, 1972 में जनरल मैनेजर को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) अकबर होटल के गृह-व्यवस्था विभागों के कुछ हरिजन कर्मचारियों ने एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें उन्होंने कार्यभार में वृद्धि की शिकायत की थी तथा गृह-व्यवस्था विभाग के इंचार्ज अधिकारी के विरुद्ध कुछ अस्पष्ट आरोप लगाये थे ।

(ग) होस्टल के महाप्रबंधक ने हस्ताक्षरकर्तायों से एक मिटिंग की जिसमें कुछ कर्मचारियों ने उन्हें लिखित रूप में सूचित किया कि प्रतिवेदन में लिखी गयी वास्तविक विषय वस्तु की उन्हें जानकारी नहीं थी तथापि, उन्होंने बताया कि उनके पास अंग्रेजी में टाईप किया हुआ एक पत्र हस्ताक्षर के लिए लाया गया था और उन्हें बताया गया था कि वह पत्र उन की पदोन्नति एवं वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में था । उस में लगाये गये आरोप बिना किसी तथ्य के पाये गये ।

चीन की अपमिश्रित मरिजुआना का नेपाल से चोरी छिपे लाया जाना

5133. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से भारी मात्रा में चीन की अपमिश्रित मरिजुआना चोरी छिपे नई दिल्ली मे लायी गयी है और दिल्ली विश्वविद्यालय के निकट युवकों में बांटी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यद्यपि ऐसे मामले हुए हैं जिनमें नेपाल से लाया जा रहा मरिजुआना (गांजा) पकड़ा गया है, परन्तु सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नही है कि चीन का अपमिश्रित मरिजूआना नेपाल से चोरी छिपे नयी दिल्ली में लाया गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के ओर पास युवकों में बांटा जा रहा है ।

(ख) राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की सभा प्रवर्तन एजेन्सियां अर्थात् पुलिस, आबकारी, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, सीमाशुल्क विभाग, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय, केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्युरो, सीमासुरक्षा दल, केन्द्रीय जांच ब्यूरों, रेलवे सुरक्षा दल, जिन्हें अवैध व्यापार को रोकने का दायित्व सौपा गया है, सतर्क रहती है । भारत-नेपाल सीमा पर गश्त लगाने के अतिरिक्त, देश के भीतर तस्करी के ज्ञात केन्द्रों पर भी निगरानी रखी जाती है ।

भारत में घड़ियों का चोरी छिपे लाया जाना

5134. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख घड़ियां चोरी छिपे लाई जाती हैं जिसके परिणाम स्वरुप प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है; और

(ख) इस तरह विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत में जितनी घड़ियों का वार्षिक तस्कर-आयात किया जाता है उनकी संख्या का अथवा इस प्रकार के तस्कर-आयात के परिणामस्वरूप होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाने के कोई विश्वसनीय साधन नहीं हैं । फिर भी,

विगत चार वर्षों के दौरान पकड़ी गई घड़ियों के निम्नलिखित आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि भारत में घड़ियों का तस्कर आयात भारी पैमाने पर किया जा रहा है :

वर्ष	संख्या	मुल्य (लाख रुपयों में)
1970	2,48,492	241
1971	3,21,313	318
1972	3,35,130	356
1973	2,45,312	200

(ख) माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए, जिसमें घड़ियां भी शामिल हैं, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं ।

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, तथा समुद्रतट और भू-सीमाओं के सुगमता से पार किया जा सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना । कारगर तरीके से मार्ग में रोकने, रोक-थाम आदि के लिए-समय-समय पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है । तस्कर-व्यापार-विरोधी कार्य की अनन्य रूप से देखभाल करने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सुगमता से पार किय जा सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है । कतिपय वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने और उनका पता लगाये जाने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन के निमित्त विशेष उपाय करने के लिए 1969 में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है । तस्कर-व्यापार संबंधी अपराधों के लिए और अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करने तथा खामियों को दूर करने के निमत्त सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में हाल ही में और संशोधन किया गया है ।

तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य पर लगे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा समुद्र में तेज रफ्तार से जाने वाली लांच-नौकाओं को प्राप्त करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है । स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा वर्ष 1973-74 के दौरान उड़ीसा में पटसन की खरीद

5135. **श्री शाम सून्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम वर्ष 1973-74 के दौरान उड़ीसा में उत्पादित पटसन की पर्याप्त मात्ता खरीद सका है;

(ख) क्या उड़ीसा में केन्द्र पाड़ा क्षेत्र में बड़ी मात्ता में पटसन अभी भी आनविका पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निगम की ओर से उड़ीसा में कच्चे पटसन की प्राप्ति का कार्य, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, दानपुर पटसन सहकारी विपणन समिति को सौंपा गया था जिसके द्वारा 6 मार्च, 1974 तक 16,540 गांठें खरीदी जाने की सूचना मिली है।

(ख) यह समाचार मिला है कि पटसन की थोड़ी सी मात्रा बड़े उपजकर्ताओं के पास अभी भी उपलब्ध है परन्तु उसकी सही सही मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता।

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद कार्य जारी रखने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा रूस को चमड़े के जूतों की सप्लाई

5136. श्री रणबहादुर सिंह :
श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में चमड़े के जूतों की सप्लाई के लिये रूस के साथ करार किया है; और

(ख) क्या रूसी सरकार ने भारत द्वारा पहले सप्लाई किये गये जूतों के बारे में अपना सन्तोष प्रकट किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ के खरीदारों के साथ 6 लाख जोड़े चमड़े के जूतों के निर्यात के लिये दो संविदायें की हैं। संविदा का कुल मूल्य 2.29 करोड़ रु० है और जूतों की डिलीवरी जून, 1974 तक पूरी की जानी है।

(ख) जी हां।

सान्ताक्रुज, बम्बई में निर्यात संवर्धन क्षेत्र की स्थापना

5137. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट सान्ताक्रुज में निर्यात संवर्धन क्षेत्र की स्थापना की गई है;

(ख) इस क्षेत्र में कारखाने खोलने के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) इस क्षेत्र में अब तक कौन से कारखाने खोले गये हैं तथा निर्यात आय की उनकी क्षमता कितनी है; और

(घ) कितने कारखाने और स्थापित करने की अनुमति दी गई है तथा इस क्षेत्र में कितने और कारखानों की स्थापना हो सकती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में स्थापित एककों को अपने समस्त उत्पादन का निर्यात करना पड़ेगा। क्षेत्र में एकक स्थापित करने के लिये आवेदनपत्रों पर सम्भावित प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और ऐसा करते समय सम्भावित विदेशी मुद्रा आय, उत्पादन के मूल्यवर्धक तत्व, विदेशों में की गई विपणन व्यवस्था आदि को ध्यान में रखा जाता है।

5—9L.S.S.(ND)/74

(ग) तथा (घ) : क्षेत्र में विनिर्माण तथा प्रोसेस करने वाले लगभग 100 एककों के लिये स्थान है। अभी तक क्षेत्र में एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में ऐसे 29 आवेदनपत्र मंजूर किये गये हैं जो यदि अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करें तो उनकी वार्षिक निर्यात सम्भाव्यता लगभग 42 करोड़ रु० बैठेगी। इन एककों का अभी उत्पादन शुरू करना है।

हीरों के आयात पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम की हुई हानि

5138. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हीरों के आयात पर हाल ही में भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कोयले पर आधारित उद्योगों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश

5139. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश में कोयले पर आधारित अनेक उद्योगों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) कुल कितनी वित्तीय सहायता देने की पेशकश की गई है; और

(ग) इस सहायता के अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग आयेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश में कोयले पर निर्भर उद्योगों को चलाने के लिये वित्तीय सहायता देने की कोई विशेष घोषणा नहीं की है। फिर भी, यह बैंक उस औद्योगिक परियोजना को, जो सक्षमता, प्रबन्धकीय योग्यता, तकनीकी सम्भाव्यता, आर्थिक सुदृढ़ता आदि के बुनियादी मापदण्ड पर पूरी उतरती है, सहायता प्रदान करने में बहुत ही उदार नीति का पालन करता है। इसने कोयले को मुख्य ईंधन के रुप में इस्तेमाल करने वाले बहुत से उद्योगों को सहायता प्रदान की है। परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने में इसका दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण रहा है और उस परियोजना पर जिसमें नई तकनीकी या प्रणालियों को अपनाया गया है, बैंक पूरी तरह ध्यान देता है।

राष्ट्रीयकृत बकों द्वारा केरल में किसानों को दी गई ऋण राशि

5140. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1973-74 के दौरान किसानों को अब तक कितनी ऋण-राशि दी है तथा वर्ष 1974-75 में इस कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उस राज्य में अब तक गैर सरकारी तथा सरकरी क्षेत्रों के उद्योगों में कितना धन नियोजित किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जून, 1973 के अंत में केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए कुल कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) की रकम 14.95 करोड़ रुपये थी। चूंकि कृषि के लिये ऋण देना अधिकतर स्थानीय क्षमता, आधारभूत ढांचे की प्राप्ति मौसम सम्बन्धी हालात और बैंक कार्यालयों के संगठनात्मक ढांचे पर निर्भर करता है, इसलिए बैंक प्रत्येक राज्य के लिए पहले से पूर्व निश्चित रकम निर्धारित नहीं करते और न ही कर सकते हैं।

(ख) केरल राज्य में दिसम्बर 1972 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम और बकाया रकम 62.30 करोड़ रुपये थी। गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गए अग्रिमों की राशि के सम्बन्ध में अलग से विवरण उपलब्ध नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1974-75 के दौरान केरल के पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक राशि का नियोजन

5141. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान केरल के पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक राशि नियोजित करने का कोई नया प्रस्ताव जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये केरल राज्य में जीवन बीमा निगम का निवेश बजट उस वित्तीय वर्ष के आरंभ में तैयार किया जायेगा। जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों में किये जाने वाले निवेश का बड़ा भाग, राज्य स्तर के विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से दिया जाता है और वे ही इस बात का निर्णय कर सकते है कि जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध निधियों में से कितनी रकम पिछडे हुए क्षेत्रों में खर्च की जानी चाहिये।

केरल में खोली जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं

5142. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने नई शाखाओं को खोलने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, वाणिज्यिक बैंक शाखा विस्तार के लिये अब तीन वर्षीय रोलिंग योजनाएं बनाते है। 1974-75 की तीन वर्षीय अवधि के लिये शाखा विस्तार की योजना तैयार करन का काम हाथ में ले लिया गया है और कुछ बैंकों द्वारा अभी पूरा किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि भारतीय ओवरसीज बैंक, इण्डियन बैंक और कनारा बैंक की अस्थायी योजनाओं से पता चलता है कि चालू वर्ष में केरल में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 16 और कार्यालय खोले जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि

सात राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अर्थात् सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, कनारा बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, सिण्डिकेट बैंक, देना बैंक और इंडियन बैंक के पास दिसम्बर 1973 के अन्त में केरल में 20 कार्यालय खोलने के लाइसेंस/आबंटन थे। निकट भविष्य में इन कार्यालयों के खोले जाने की संभावना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में ग्रामीण उद्योगों को दिया गया ऋण

5143. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जनवरी, 1974 तक केरल ग्रामीण उद्योगों को कितना ऋण दिया है; और

(ख) यदि उन्हें कोई ऋण नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सितम्बर 1973 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केरल के ग्रामीण उद्योगों के लिए दिए गए ऋणों की बकाया रकम 39.34 करोड़ रुपया (अनन्तिम) थी।

जस्तीकृत पारेषण लाइन टावरों का निर्यात करने के लिये दी जाने वाली नक़दी सहायता को वापिस लेना

5144. **श्री निहाल लास्कर :**
श्री पी० ए० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नरम इस्पात से निर्मित तथा जस्तीकृत पारेषण लाइन टावरों का निर्यात करने के लिये दी गई नकदी सहायता को वापिस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) लागत अध्ययन के आधार पर किये गये पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप संचारण लाइन टावरों जस्तीकृत (नरम इस्पात) पर नकद प्रतिपूर्ति समर्थन को 23 फरवरी, 1974 से हटा लिया गया है।

अमरीका की भारत में रुपयों में जमा राशि

5145. **श्री निहार लास्कर :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 फरवरी, 1974 को समझौता सम्पन्न हो जाने के बाद अमरीका ने भारत सरकार को अपनी इस ईच्छा से अवगत कराया है कि वह भारत में रुपयों में जमा अपनी राशि में से कुछ और राशि को बट्टे खातें में डालना चाहता है;

(ख) अमरीका कितनी राशि बट्टे खाते में डालने के लिये तैयार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

नीदरलैण्ड से सहायता में वृद्धि

5146. श्री निहार लास्कर :

श्री पी० ए० सामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डच सरकार ने इस वर्ष भारत को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी की गयी है तथा डच सरकार वर्ष 1974 के दौरान कुल कितनी सहायता देगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) नीदरलैंड सरकार ने 1974–75 के लिए 820 लाख डी० एफ० एल० (18.39 करोड़ रुपये)* की सहायता का प्रस्ताव किया है। यह 1973–74 के लिए दी गयी 680 लाख डी० एफ० एल० (15.25 करोड़)* रुपये की सहायता के मुकाबले 20 प्रतिशत से थोड़ा सा अधिक है।

विभिन्न झीलों पर पर्यटकों के लिए मोटर लांचों की व्यवस्था करने की योजना

5147. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न झीलों पर पर्यटकों के लिए मोटर लांचों की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक झील पर कितने मोटर लांचों की व्यवस्था की जायेगी और वे झीलें किन किन राज्यों में स्थित हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक झील के सम्बन्ध में योजना कब से तैयार की गई; और

(घ) अन्य झीलों पर मोटर लांचों की व्यवस्था कब से होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में गोंबिंदसागर तथा आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर, प्रत्येक में दो दो लांचो की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इन के अतिरिक्त कन्याकुमारी तट तथा विवेकानंद राक के बीच यात्रियों को लाने ले जाने के लिए एक लांच परिचालित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) नागार्जुनसागर तथा गोविन्दसागर झीलों में लांचों की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजनाएं जून 1969 में प्रारम्भ की गयी थीं और कन्याकुमारी वाली अगस्त 1971 में

*केंद्रीय विनिमय दर के हिसाब से।

(घ) किसी अन्य झील पर लांचों की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्तर तथा पश्चिम के राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए प्रस्ताव

5148. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर तथा पश्चिम के राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा में पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रस्ताव का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) संबंधित राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार का सहयोग किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम पांचवी योजना के दौरान कुल्लू और मनाली में यात्री लाजों के विस्तार का, गुलमर्ग में एक होटल के निर्माण का, तथा पहलगांव व अमृतसर में होटल बनाने का कार्य हाथ में लेगा बशर्ते कि इन कार्यों की आर्थिक दृष्टि से जीवन-समर्थता स्थापित हो जाये ।

(ख) राज्य सरकारों से भूमि तथा बिजली, पानी, आदि जैसी अन्य आवश्यक सुविधाओं को रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जायेगा ?

आयकर की बकाया राशि की वसूली

5149. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अप्रैल से अक्तूबर 1973 तक आयकर की बकाया राशि में से कितनी राशि वसूल की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अप्रैल से अक्टूबर 1973 के बीच वसूल की गई आयकर की बकाया के आंकडे उपलब्ध नहीं है क्योंकि सचना तिमाही आधार पर, अर्थात 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संकलित की जाती है ।

तथापि, 1-4-1973 से 31-12-1973 के दौरान आयकर की बकाया में से नकद वसूली द्वारा वसूल की गई रकम 57.14 करोड रु० थी। इस अवधि के दौरान आयकर की बकाया में समायोजनों, अपील प्रभावों, मूल सुधारों आदि द्वारा 145.31 करोड रुपये की अतिरिक्त कमी हुई ।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को दिया गया ऋण

5150. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम देश में अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र और तमिलनाडु को सबसे अधिक ऋण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हरियाणा सहित अन्य राज्यों को ऐसे ऋण न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गये ऋणों का उल्लेख किया गया है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6583/74।**]

(ख) तथा (ग) जीवन बीमा निगम बीमा अधिनियम के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए समस्त देश में एक सम आधार पर अपने पूंजी निवेश का विस्तार करने का प्रयत्न करता है। किसी राज्य में लगाई गयी पूंजी की रकम उस सीमा तक निर्भर करती है जहां तक उस राज्य में विभिन्न एजेंसियों जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी ऋण संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाने में समर्थ होती है।

महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों में पूंजी निवेश पर्याप्त मात्रा में किया गया है, क्यों कि इन राज्यों में आधार भूत व्यवस्था उपलब्ध है जिसके कारण वे राज्य जीवन बीमा निगम से अन्य राज्यों की बजाय अधिक ऋण ले सके है।

जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जीवन बीमा निगम, हमेशा उस हद तक ऋण मंजूर करने को तैयार रहा है जहां तक कि जीवन बीमा निगम की निधियों का उपयोग करने के लिए उपयुक्त एजेंसियां उपलब्ध रहती है।

परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

5151. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 की तुलना में वर्ष 1973–74 में निर्यात व्यापार की स्थिति कैसी रही है ;

(ख) परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) नई विदेशी मंडियों में भारतीय वस्तुओं के लिये मांग कैसी है और इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(घ) उन देशों के नाम क्या है जिनके साथ गत तीन वर्षों में हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है और तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वित्त वर्ष 1973–74 के पहले दस महीनों के दौरान 1920.6 करोड रु० के निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) हुए जो कि 1972–73 की उसी अवधि की तुलना में 368.8 करोड रु० अथवा 23.8 प्रतिशत अधिक है ।

(ख) सरकार इस बात के लिये सतत प्रयास करती है कि अनेक प्रकार के उपाय करके परम्परागत माल सहित सभी मदों का निर्यात बढाया जाय । इन उपायों में ये शामिल हैं— उत्पादन आधार का विस्तार, वस्तु करार निष्पन्न करना, निर्यात शुल्कों में समंजन, गवेषणा तथा विकास के माध्यम से नई उपभोक्ता मांगों के अनुरूप उत्पादों का अनुकूलन।

(ग) यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के नये बाजारों में परम्परागत तथा गैर परम्परागत दोनों प्रकार के भारतीय माल की मांग अधिकाधिक दृढ़ रही है, इस मांग को पूरा करने के वास्ते जो उपाय किये जा रहे है, उनमें ये शामिल हैं—उत्पादों का अभि-ज्ञान, उत्पादन आधार का विस्तार, प्रचार, विशेषीकृत मेलों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से विक्री वृद्धि सम्बन्धी उपाय सुदृढ करना तथा सुधारना, विक्री सह अध्ययन दलों के दौरे, विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना, व्यापार करार और अधिक मूल्य के टेंडरों तथा टर्नकी परियोजनाओं में भाग लेना ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख देशों को निर्यातों में वृद्धि हुई है, उनमें ये शामिल हैं, अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड स्वीडन, जापान, बंगलादेश, दुबाई, इराक, यमन, अरब गणराज्य, टर्की तथा लीबिया । जिन मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है, उनमें ये शामिल हैं – चाय, काफी, सूती वस्त्र, पटसन, निर्मित वस्तुएं, कपडे, चमडा, तथा चमडा निर्मित वस्तुएं, मछली, मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्न, फर्श बिछावन तथा लोहे व इस्पात के ढांचे तथा ढांचों के हिस्से ।

आयात/निर्यात अधिनियम में संशोधन

5152. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम में सशोधन करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम में विद्यमान दण्ड व्यवस्थाओं में सशोधन करने की एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है । प्रस्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग साबित हो जाते हैं वहां मुकदमा चलाने के अतिरिक्त आयात नियंत्रण प्राधिकारियों को न्याय निर्णयन करने तथा जुर्माना करने की भी शक्तियां दी जांये ।

भारत और सोमालिया के बीच व्यापार समझौता

5153. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमालिया के साथ कोई व्यापार समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सूती कपड़ों की विदेशों में लोकप्रियता

5154. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में सूती कपडों की मांग में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1974 और 1975 के लिये मांग में संभावित वृद्धि के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या निर्यात की मांग के पूर्ति के लिये सरकार का विचार क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का है और यदि हां, तो उद्योग को स्थिति के अनुरूप मांग पूर्ति के लिये सक्षम होने योग्य बनाने हेतु तैयार की गयी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्रों में समग्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गत कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है । तथापि, सूती वस्त्रों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का भारत का अश गत दो वर्षों में महत्वपूर्ण रूप में बढा है।

(ग) इस प्रयोजन से कि उद्योग निर्यात बाजार की आवश्यकता को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सके, सरकार मिलों को विशेष किस्म के करघे लगाने की अनुमति दे दी है ताकि विदेशों में भारी मांग रखने वाले फैब्रिक्स का उत्पादन किया जा सके। जहां तक विद्यमान क्षमता की उपयोगिता का संबंध है, सरकार अधिमान्य आधार पर निर्यातकर्ता एककों को कच्ची सामग्री, बिजली की सप्लाई आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है ।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में डेवलेपमेंट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सवारी भत्ते में वृद्धि

5155. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के पश्चात् निगम के दिल्ली डिवीजन में डेंवलेपमेंट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले सवारी भत्ते में वृद्धि कर दी है,

(ख) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और उसमें कब वृद्धि की जायेगी ;

(ग) क्या पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि तथा दिल्ली में टैक्सी तथा स्कूटरों के किरायों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जीवन बीमा निगम के एजेंटों के सवारी व्यय में भी वृद्धि हो गई ;

(घ) क्या किसी प्रकार से उनकी प्रतिपूर्ति करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ङ) एजेंटों को परिश्रमिक उनको एजेंसियों द्वारा प्राप्त कारोबार पर वसूल हुए प्रीमियम पर कमीशन के आधार पर दिया जाता है और कारोबार की उपलब्धि में हुआ खर्च, जिसमें सवारी पर किया गया व्यय भी शामिल है, उस कमीशन में से पूरा किया जाता है ।

विकास अधिकारियों को देय सवारी भत्ते के दो भाग होते है (i) नियत सवारी भत्ता और (ii) अतिरिक्त सवारी भत्ता जो किये गये कार्य पर निर्भर रहता है।

शाखा प्रबंधकों का सवारी भत्ता उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के दौरान की गई यात्रा के आधार पर होता है ।

पैट्रोल की खपत में मितव्ययता लाने की आवश्यकता को देखते हुए अभी तक किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली में एजेंटों और विकास अधिकारियों के लिये मकानों का निर्माण

5156. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिल्ली में अपने फील्ड स्टाफ जैसे एजेंटों और विकास अधिकारियों के लिये मकान बनाने हेतु कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम केवल अपने कर्मचारियों के लिये ही रिहायशी मकान बनाता है । इस वर्ग में विकास अधिकारी तो आते है परंतु एजेंट नहीं आते । कर्मचारियों के अनन्यत: किसी खास वर्ग के लिये मकान बनाना जीवन बीमा निगम की नीति नहीं है । जब कभी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की योजना बनाई जाती है तो उसमें मकानों की संख्या और वर्ग कई तथ्यों पर निर्भर करते है, जैसे कर्मचारियों की संख्या, उपयुक्त भूमि खंडों की आवश्यकता तथा उपलब्धता आदि ।

एवरो विमान के बारे में धवन समिति का प्रतिवेदन

5157. **श्री शशि भूषण :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो (एच० एस०–748) विमान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त की गई धवन समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक पेश कर देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) धवन समिति ने अपने रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) डा० धवन अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

आस्ट्रेलिया द्वारा लागू की गई तरजीह शुल्क की नई योजना

5158. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को आस्ट्रेलिया द्वारा लागू की गई तरजीह शुल्क की नई योजना का पता है,

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को इस नई टैरिफ योजना से लाभ होगा;

(ग) क्या कुछ वस्तुओं का भारत से बिना शुल्क आस्ट्रेलिया में आयात किया जा सकेगा;

(घ) क्या इस नई योजना से भारत को अनेक गैर-परम्परागत निर्मित वस्तुओं का निर्यात करन में सहायता मिलेगी, और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) जी हां।

(ङ) आस्ट्रेलिया सरकार ने विकासशील देशों के लिए टैरिफ अधिमानों की एक नयी तथा काफी व्यापक प्रणाली 1 जनवरी 1974 से लागू की है। यह 1968 में लागू की गई पुरानी प्रणाली का पूर्णत: स्थान लेगी।

नयी योजना के अन्तर्गत अनेक विनिर्मित, अर्थ-निर्मित तथा पर्याप्त रुप से साधित मूल उत्पाद, बिना शुल्क अथवा कम कीमतों पर विकासशील देशों से आस्ट्रेलिया में आयात किये जा सकते हैं । उत्पादों की एक चुनी हुई सूची को छोड कर योजना में शामिल सभी मदें बिना कोटा सीमा के विकसनशील देशों से आयात की जा सकती है । प्रणाली में से निकाली गई प्रमुखत: वे मदें है जिन पर राजस्व शुल्क लगता है, जैसा कि तम्बाकू उत्पाद, बीयर तथा स्पिरिटें और अन्य उत्पाद जैसे कि वस्त्रों, चप्पल, जूतों तथा इंजीनियरी की अनेक मदें, जिनके विषय में आस्ट्रेलिया सरकार के विचार से विकासशील देश पहले ही प्रतियोगी है अथवा आस्ट्रेलिया के बाजार में शुल्क की सामान्य दरों पर शीघ्र ही उनके प्रतियोगी बन जाने की संभावना है ।

डीजल इंजनों के लिए प्राप्त ऋण का तेल संकट के कारण अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग

5159. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के आयात बिल में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारत के सामने भुगतान शेष समस्या उत्पन्न होने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो क्या तेल संकट का भारत को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता पर भी प्रभाव पडेगा;

(ग) क्या तेल संकट को देखते हुए भारत डीजल इंजनों की खरीद के लिए प्राप्त हुए ऋण का उपयोग अन्य खरीदों पर व्यय करने का सोच रहा है, और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण भारत के भुगतान शेष पर भार पडा है।

(ख) तेल के आयात पर होने वाले खर्च में भारी वृद्धी होने से विकसित देशों के सामने भी भुगतान-शेष की समस्या आयेगी और इसका परिणामे यह हो सकता है कि विकसित देशों से मिलने वाली विकास सहायता की गति धीमी हो जाये। कुछ मित्र देशों ने, अगले वर्ष, भारत को दिये जाने वाले सहायता सम्बन्धी वचनों में वृद्धि होने की सम्भावना का संकेत दिया है।

(ग) और (घ) भारत ने देश में डीजल और बिजली से चलने वाले रेल इंजनों के निर्माण के लिए कच्चे माल और उपकरणों की खरीद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त की है; इन इंजनों का उत्पादन पंचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रमों के अनुसार किया जायेगा।

निर्यात बढ़ाने के उपाय

5160. श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये उपलब्ध अतिरिक्त सामान, उत्पादक को दय मूल्य तथा निर्यात प्रोत्साहनों के बारे में सरकार तथा उद्योग के विचारों में विभिन्नता तथा परस्पर विरोध है;

(ख) क्या इन मदों को जल्दी से सडक तथा समुद्र मार्ग से भेजनें में कुछ रुकावटें है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात की गति तेज करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) जहाजों में जगह की कमी विश्वव्यापी है और कई बार निर्यातकों को अपने माल के निर्यातों के बारे में ऐसी कमी का सामना करना पडता है। भाडा जांच ब्यूरों और चार प्रमुख पत्तनों पर मौजूद हमारे अधिकारी निर्यात की जाने वाली खेपों के लिए जहाज में जगह दिलाने के मामले में निर्यातकों को मोके पर सहायता देते है। निर्यात किये जाने वाले माल को सडक से लाने-ले-जाने के बारे में किसी शिकायत की सूचना इस मंत्रालय को नहीं मिली है।

(ग) निर्यात बढाने के लिए किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है :–

(1) निर्यात किये गये उत्पाद बनाने के लिए वास्तव में अपेक्षित सामग्री की आयात द्वारा प्रतिपूर्ति करने के लिए रजिस्टर्ड निर्यातकों हेतु आयात नीति;

(2) विपणन सक्षमता का विकास करने और हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान अवस्था में मौजूद हानियों का निराकरण करने के लिए चुने हुए गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यातों पर मुआवजा सहायता;

(3) बहुत से निर्यात उत्पादों पर रेल भाडे की रियायती दरें;

(4) इंजीनियरी तथा प्लास्टिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण स्वदेशी कच्चे माल की पूर्ति में तरजीह;

(5) निर्यातको को ब्याज की रिआयती दरों पर बैंकों से पेशगिया; और

(6) विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले सीमा शुल्कों तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की वापसी।

Export of Human Hair

5161. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the value of the human hair exported by India in 1973 as also the names of the countries to which exported; and

(b) the parts of India where human hair are preserved for export purposes.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Estimated value of exports during 1973 is Rs. 19.05 lakhs. The main countries are West Germany, Hong Kong and South Korea.

(b) The main centres for the collection of human hair are Devasthanams in the South. Combed hair is also collected in the North.

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी में राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्त-पोषी संस्थाओं की शेयर धारिता

5162. श्री रानेन सेन :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी में राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्त-पोषी संस्थाओं की शेयर धारिता क्या है;

(ख) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और टाटा इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव कम्पनी के निदेशक मंडल में राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक वित्त-पोषी संस्थाओं क निदेशकों के नाम क्या है; और

(ग) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और टाटा इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव कम्पनी के सभी निदेशकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6584/74]**

(ग) इन संस्थाओं के पास उपलब्ध बिल्कुल हाल के रिकार्ड के अनुसार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव के निदेशक बोर्ड का गठन इस प्रकार था :—

टाटा आयरन स्टील कम्पनी का निदेशक बोर्ड (31 मार्च, 1973 को)

1. श्री जे० आर० डी० टाटा, अध्यक्ष
2. श्री एस० मूलगांवकर, उपाध्यक्ष
3. श्री एन० ए० पालकीवाला, उपाध्यक्ष
4. श्री धरमसेय मूलराज खटाऊ
5. श्री नेविल्ले एन० वाडिया
6. श्री फजल इब्राहिम रहिमतूला
7. श्री अरविन्द एन० मफतलाल
8. श्री एचं० वी० आर० आयंगर
9. श्री एस० के० नानावती
10. श्री सी० एच० भाभा
11. श्री केशव महिन्द्रा
12. श्री एम० ए० बदूद खां, सरकारी निदेशक
13. श्री आर० एस० पांडे, प्रबन्ध निदेशक
14. श्री आर० एच० मोदी, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

टाटा इंजीनिरिंग ऐण्ड लोकोमोटिव का निदेशक बोर्ड 27-6-73 की स्थिति के अनुसार

1. श्री एस० मूलगांवकर, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एन० के० पालकीवाला, उपाध्यक्ष
3. श्री जे० आर० डी० टाटा
4. श्री जे० जान
5. श्री एन० के० सन्तुक
6. श्री एन० एन० वाडिया
7. श्री एन० एच० टाटा
8. श्री एन० पी० गोदरेज
9. श्री आर० एच० बढ़ौचा, कार्यकारी निदेशक
10. श्री बी० एस० डी० बालिगा
11. श्री एस० वाई० जक्तदार, कार्यकारी निदेशक
12. श्री जे० ई० तालुलिकर, कार्यकारी निदेशक

मार्च 1974 में लिपजिग व्यापार मेले में सम्मिलित होने वाली भारतीय फर्मों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

5163. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी भारतीय फर्में एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जर्मन जनवादी गणतंत्र में मार्च, 1974 में हो रहे लिपजिग व्यापार मेले में सम्मिलित हो रहे है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी हां, उन पार्टियों के नामों की सूची संलग्न है जिन्होंनें लिपजिग व्यापार मेले में भाग लेने का प्रस्ताव रखा है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6585/74**]

टैक्सटाइल मिलों के उत्पादन ढ़ांचे पर नियंत्रण

5164. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टैक्सटाईल मिलों के उत्पादन ढांचे के अधिकतम नियन्त्रण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उसके क्या कारण है

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) संशोधित नीति विचाराधीन है।

गुजरात में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हवाई अड्डों का निर्माण

5165. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में नये हवाई अड्डों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कोन कोन से स्थान चुने गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नये हवाई अड्डे बनाने के कोई प्रस्ताव नहीं है, । फिलहाल गुजरात में नागर विमानन विभाग के नियंत्रण में 9 हवाई अड्डे है, अर्थात् अहमदाबाद, बडौदा, भावनगर), भुज, दीस, (पालनपुर), केशोद, काण्डला, पोरबंदर तथा राजकोट । इन में से 6 हवाई अड्डों का उनके वर्तमान टर्मिनल भवनों में परिवर्द्धन एवं परिवर्तन करके तथा धावनपथों आदि को मजबूत करके विकास करने का प्रस्ताव है जिस के ब्योरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6586/74]**

गुजरात में पांचवीं योजना में स्टेट बैंक आफ इंडिया की नई शाखाओं का खोला जाना

5166. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कितनी नई शाखाएं खोली जानी है; और

(ख) ये शाखाएं किन किन स्थानों पर खोली जानी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसरण में वाणिज्यिक बैंक शाखाओं का विस्तार करने के लिए तीन वर्ष तक जारी रहने वाली योजनाएं (रालिंग प्लान्स) तैयार करते है । पहले वर्ष की योजना विस्तृत होती है जब कि उसके बाद के दो वर्षों के लिए योजनाएं आम तौर पर सामूहिक रूप में होती है । स्टेट बैंक आफ इंडिया इस समय, 1974-75 की तीन वर्ष की अवधि के लिए अपनी शाखा विस्तार योजनाएं तैयार कर रहा है ।

दिसम्बर, 1973 के अन्त तक स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास गुजरात राज्य में 28 केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लाइसेंस/आबंटन थे। इन 28 केन्द्रों में, जिन की सूची अनुबन्ध में दी गयी है, जल्दी ही कार्यालय खोले जाने की संभावना है ।

विवरण

जिला	केन्द्र का नाम
अहमदाबाद	1. नवरंगपुरा
	2. सेन्ट जेवियर हाई स्कूल रोड
	3. गुजरात कालेज
	4. प्रभात सोसाइटी क्षेत्र

जिला	केन्द्र का नाम
	5. नरोदा रोड
	6. मधुपुरा (दिल्ली गेट)
	7. प्रेम दरवाजा
	8. सुखराम नगर
	9. शाह आलम गेट
	10. वेजलपुर (जीवराज पार्क)
	11. छावनी (कैम्प सदर बाजार)
बडोदा . . .	12. बडौदा – डांडिया बाजार
	13. हरनी
	14. सनखडा
	15. बडोदा – ओ० एन० जी० सी० (अहाता मकरपुरा)
	16. मनेजा
बडोच . . .	17. सरोद
जामनगर . . .	18. मिठापुर
जुनागढ . . .	19. जूनागढ – आजाद चौक
	20. वेरावल
	21. मंगरोल
कालरा . . .	22. नडियाड – सन्तराम मंदिर
	23. गोलाना
पंच महल . . .	24. फ्री लैण्ड गंज रेलवे कालोनी दोहाद
	25. डिवाडा कालोनी
साबर कंथा . . .	26. दोमादा
सूरत . . .	27. सूरत – वस्ता देवदी रोड
	28. सूरत – पाण्डेसराय – औद्योगिक बस्ती

टैक्सटाइल मशीनरी का आयात

5167. श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश से कुल कितने मूल्य की टैक्सटाइल मशीनरी का निर्यात किया गया और उस के वर्ष-वार अकडे क्या है;

(ख) देश में उक्त मशीनरी का कुल उत्पादन कितना है और कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत मशीनरी का निर्यात किया गया; और

(ग) टैक्सटाईल मशीनरी के निर्यात के संवर्धन के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख)

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	कुल निर्यात (फालतू पुर्जे तथा उपसाधनों सहित टैक्सटाइल मशीनरी)	कुल उत्पादन (फालतू पुर्जे तथा उपसाधनों सहित टैक्सटाइल मशीनरी)	कुल उत्पादन में निर्यातों का प्रतिशत
1970–71 .	7.12	57.31	12.42
1971–72 .	4.82	67.23	7.17
1972–73 .	3.72	70.65	5.27

(ग) टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग द्वारा भारत तथा विदेश दोनों में प्रदर्शनियों में भाग लेना और उद्योग को कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक निवेशों की उचित सप्लाई का प्रबन्ध करके उत्पादन आधार को मजबूत बनाना।

वित्त-पोषी व्यवस्थाओं को बम्बई में स्थापित करना

5168. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की अधिकतर वित्त-पोषी संस्थाएं बम्बई में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही के वर्षों में उनकी संख्या वही रही है अथवा उसमें कोई वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या वित्त-पोषी संस्थाओं को वहां पर स्थापित करने से देश के विभिन्न भागों के आवेदकों को वित्तीय लाभ का समान वितरण करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है, और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में वित्त-पोषी संस्थाओं के पुन: वितरण करने के मामले पर पुन: विचार करने का है जिससे कि वित्त-पोषी लाभ के वितरण की सुविधाएं देश के सभी भागों में समान रूप से प्राप्त हो सकें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। इन वित्तीय संस्थानों में से अधिकतर के अपने विधान है और इन संस्थानों के मुख्य कार्यालय सम्बन्धित विधानों में निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित है। कुछ मामलों में प्रशासनिक सुविधा मार्ग दर्शन के रूप में रही है। ऐसे संस्थानों के नाम बम्बई में स्थित उनके कार्यालयों सहित इस प्रकार है :–

1. भारतीय रिजर्व बैंक
2. स्टेट बैंक आफ इंडिया
3. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
4. बैंक आफ इंडिया

6—9 L.S.S.(ND)/74

5. बैंक आफ बडोदा
6. देना बैंक
7. यूनियन बैंक आफ इंडिया
8. जमा बीमा निगम
9. कृषि पुर्नविद्ध पुर्नवित्त निगम
10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
11. युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया
12. भारतीय जीवन बीमा निगम
13. भारतीय सामान्य बीमा निगम

(ख) ऐसे वित्तीय संस्थानों के बम्बई में स्थित मुख्य कार्यालयों की संख्या में हाल के वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ये संस्थान जहां आवश्यकता होती है अपने प्रादेशिक/शाखा कार्यालय खोलते है ।

टाटा समिति की सिफारिशें

5169. श्री समर गुहू :

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयरलाइनों के पायलटों की जांच और उन्हें लाइसेंस देने के संबंध में गठित टाटा समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है और उन पर सरकार का निर्णय क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय एयरलाईंस में भी इन्हीं प्रयोजनों के लिये पायलटों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त है; और

(घ) टाटा समिति की सिफारिशों के संबंध में पायलट एसोसिएशनों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यों का पुनरालोकन करने के लिए स्थापित की गयी टाटा समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी सिफारिशों पर निर्णय करने में सरकार को कुछ समय लगेगा। एयरलाइन के विमानचालकों की जांच करने एवं उन्हें लाइसेंस देने के संबंध में समिति द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के सार को देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि अपने विमानचालकों की कार्य क्षमता की जांच करने के लिए सब एयरलाइनों की एक प्रणाली है । इसके अतिरिक्त यू० एस० ए०, यू० के० तथा फ्रांस सहित बहुत से देशों ने विमानचालकों की कार्य क्षमता को स्वतंत्र रूप से स्थानीय नगर विमानन प्राधिकारियों के साथ जोड दिया है ।

(घ) यद्यपि भारतीय विमान चालक गिल्ड ने कोई ज्ञापन नहीं दिया है, तथापि, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने टाटा समिति को दिए गए अपने ज्ञापन में यह मत प्रकट किया है, कि उडान प्रशिक्षण तथा उडान क्षमता की जांच का कार्य इंडियन एयरलाईस के अधीन आना चाहिए तथा नागर विमानन के महानिदेशक को ऐसे मामलों में एयरलाईस को उत्तरदायी ठहराना चाहिए ।

विवरण

भारत में हुई कुछ हाल की दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा एयरलाइनों के उडान कर्मिकों की कार्य क्षमता की स्वतंत्र जांच की प्रणाली चालू की जानी चाहीए । संबधित जांच विमान चालकों को केवल अनुमोदित प्रशिक्षकों निरीक्षकों के रूप में पूरी तरह प्रशिक्षण देने की ही आवश्यकता नहीं है, अपितु सतत अभ्यास करने तथा "मार्गस्थ" अनुभव रखने की भी आवश्यकता है। सरकार द्वारा उडान परीक्षण की व्यवस्था करने के विभिन्न वैकल्पिक प्रणालियों के पक्ष विपक्ष पर विचार करने के पश्चात समिति कोई ऐसा प्रणाली अपनाने की सिफारिश करती है जिसके अंतर्गत एयरलाइनों के वरिष्ठ विमानचालक सरकार द्वारा आशंकालिक आधार पर जांच विमानचालकों के रूप में नियुक्त किए जाने चाहिएं तथा उनके उडान घंटों का लगभग आधा समय एयरलाइंस कर्मचारियों के रूप में सामान्य एयरलाईस ड्युटियों पर व्यतीत किया जाना चाहिए तथा शेष समय सरकारी जांच विमानचालकों के रूप में व्यतीत किया जाना चाहिए नागर विमानन विभाग के निरीक्षण निदेशालय के प्रमुख तथा उसके डिप्टी, यदि कोई हो को सरकार द्वारा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि उन्हें एयरलाइंस से लिया गया हो तो उन्हें एयरलाईस से अपने संबंध विच्छेद करने होंगे, और यदि उन्हे वायु सेना से प्रतिनियुक्ति पर अथवा वायु सेना से रिटायर होने पर लिया गया हो तो उन्हें एयरलाईस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी परिष्कृत (सोफिस्टीकेटेड) प्रकार के विचार विमान पर, जो कि प्रथमत: इंडियन एयरलाईस का बोईंग 737 विमान होना चाहिए प्रशिक्षक/निरीक्षक के रूप में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करके प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए ।

हस्तचालित कपड़ा एककों में बेनामी सौदे

5170. श्री ज्योतीर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि हस्तचालित कपडा एककों में संशोधित-उत्पादन शुल्क ढांचे से बचने के लिये बेनामी सौदे किये जा रहे है,

(ख) यदि हां, तो बेनामी व्यापारियोंका कार्य का ढंग क्या है, और

(ग) सरकार के ध्यान में किस प्रकार के मामले लाये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से **(ग)** सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

निषिद्ध कपड़ों का पकड़ा जाना

5171. श्री ज्योतीर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने सूरत के निकट हजीरा पतन के पास 27 जनवरी 1974 को लगभग 11.5 लाख रुपये को निषिद्ध कपड़े तथा रसायन ला रहे एक विदेशी जहाज को पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) स (ग) सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने 27 जनवरी, 1974 को बलसाड में एक एम० एस० बी० जेलानी जलयान हजीरा (सूरत) तट के समीप रोका जो दुबाई से आ रहा था और जिसमे निषिद्ध माल के 95 पकेज थे। जांच करने पर 80 पैकेजों में जापानी मूल का लगभग 30 हजार गज संश्लिष्ट वस्त्र पाया गया जिनका मूल्य लगभग 9.8 लाख रु० है और 15 पैकेजों में अमरीकी मूल का 750 किलोग्राम नियासिनामाइड चूर्ण पाया गया जिसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रु० है । सब मिलाकर 11.3 लाख रु० मूल्य का माल पकडा गया तथा साथ ही लगभग 2 लाख रु० मूल्य का जलयान भी पकडा गया। जलयान पर सवार कर्मीदल के दस सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये थे। आगे जांच पडताल अभी जारी है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1973 के दौरान विभिन्न उद्योगों को दी गई सहायता

5172. श्री ए० के० एम० इसहाक :

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1973 के दौरान विभिन्न उद्योगों को उद्योगवार, एकक-वार तथा राज्यवार कितनी सहायता दी और यह सहायता किन आधारों पर दीं गई;

(ख) इस अवधि में राज्य वार कितनी धनराशी स्वीकृत की गई और कितनी राशि वास्तविक रूप से दी गई, और

(ग) क्या कोई राज्य स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने में असफल रहा है और यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) 1973 के वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न उद्योगों को कुल 172.4 करोड रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। 1973 क वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायता का उद्योगवार संवितरण और स्वीकृत सहायता का राज्य-वार संवितरण क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है ।

प्रत्यक्ष सहायता (औद्योगिक कम्पनियों उपक्रमों को प्रत्यक्ष ऋण और निर्यात के लिये प्रत्यक्ष ऋण) का एकक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सख्या एल० टी० 6587/74]**

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास करता है कि किसी भी उपयुक्त परियोजना को संस्थागत वित्त के अभाव के कारण कोई कठिनाई

न हो। परन्तु, उद्योगवार और राज्य वार सहायता का वितरण जहां भी आवश्यक हो, विभिन्न उद्योगों के लिय जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों और इस प्रकार के उद्योग के स्थान पर निर्भर करता है, जहां आवश्यक होता है वहां औद्योगिक लाइसेंस में स्थान का उल्लेख किया जाता है परन्तु अन्य मामलों में इसका निर्णय उद्यमकर्ताओं द्वारा किया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सभी मामलों में स्थान की उपयुक्तता की जांच करता है और परियोजना को तकनोकी आर्थिक सक्षमता के सम्बन्ध में तसल्ली हो जाने पर ही सहायता की मंजूरी देता है ।

उपयोग में न लाई गई सहायता में मुख्यतः ऋण की अधिक रकम और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और असम में 1973 के दौरान कुछ मुख्य परियोजनाओं के लिये मंजूर की गयी हामीदारी सम्बन्धी सहायता शामिल है। इनमें से कुछ कम्पनियों ने अभी सम्बध करार करने है और सहायता की राशि निकासी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुसार की जायगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहायता के उपयोग पर नजर रखता है और सहायता की स्वीकृती और वितरण के बीच लगने वाले परिहार्य समय में कमी करने के उद्देश्य से परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न करता है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्यकरण

5173. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सुचारू कार्यकरण के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : कुछ पहलुओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का फिर से पुनर्गठन करने का विचार है ताकि इसकी भूमिका का और विस्तार किया जा सके और उद्योगों के वित्त पोषण के लिए इसे प्रमुख वित्तीय संस्था बनाया जा सके तथा वित्त पोषण और उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के कार्य में संलग्न अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैंकों क कार्यों का अधिक कारगार ढंग से समन्वय किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, सरकारी वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 नामक एक विधेयक 22-12-1973 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल द्वारा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

5174. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की गई इंजीनियरिंग वस्तुओं में से 60 प्रतिशत वस्तुएं पश्चिम बंगाल में बनी थीं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में निर्यात की गई इंजीनियरिंग वस्तुओं में से अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल राज्य से कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ; और

(ग) राज्य में गत तीन वर्षों में निर्यात प्रधान इंजीनियरिंग एककों की संख्या कितनी थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) **से (ग)** राज्यवार निर्यात आंकडे नहीं रखे जाते है । गत नीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से किए गए इंजीनियरी

माल के निर्यातकों का मूल्य एवं कुल निर्यात में उनके हिस्से का प्रतिशत दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :–

(मूल्य करोड़ रुपयें में)

वर्ष	कुल निर्यात	प्रदेशों से निर्यात			
		प० क्षेत्र	पू० क्षेत्र	द० क्षेत्र	उ० क्षेत्र
1970-71	116.59	60.00	23.82	14.75	17.72
कुल निर्यात में प्रतिशत हिस्सा		51 प्र०श०	22 प्र० श०	12 प्र०श०	15 प्र०श०
1971-72	126.04	57.55	25.68	16.80	26.01
कुल निर्यात में प्रतिशत हिस्सा		46 प्र०श०	20 प्र०श०	13 प्र०श०	21 प्र०श०
1972-73	142.00	60.51	25.23	17.31	38.95
कुल निर्यात में प्रतिशत हिस्सा		46 प्र०श०	18 प्र०श०	12 प्र० श०	24 प्र०श०

लगभग 600—बड़े मध्यम तथा लघु उत्पादकों में से जो पूर्वी क्षेत्र में इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य है, करीब 150 नियमित रूप से निर्यात कर रहे है।

रूस को निर्यात की गई वस्तुयें

5175. श्री ए० के० एम० इसहाक :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हम ने गत तीन वर्ष के दौरान रूस को किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया है;

(ख) क्या हम रूस को दुर्गापुर औपथालमिक ग्लास फैक्टरी में बनी वस्तुओं का निर्यात करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उस का मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के लागत मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन वस्तुओं के लागत मूल्य तथा निर्यात मूल्य में क्या अनुपात है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6588/74**]

(ख) जी हां ।

(ग) सोवियत संघ को अब तक निर्यात किए गए ओपथालमिक लैंसों की कुल संख्या 9 लाख है जिनका मूल्य 9,50,000 रु० है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) उत्पादन लागत तथा निर्यात कीमत का अनुपात 3 : 1 है ।

ताजे फलों एवं सब्जियों का ब्रिटन को निर्यात

5176. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1973 से एयर इंडिया तथा अन्य एयरलाइनों द्वारा भाड़े की दर को 4.90 रु० प्रति किलो से बढ़ाकर 7 रु० प्रति किलो कर देने के कारण भारत से ताजे फलों एवं सब्जियों के ब्रिटेन को निर्यात में गतिरोध आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की पुनर्विलोकित नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1 फरवरी, 1974 से फलों तथा सब्जियों की भाड़ा दरों में 4.90 रु० से 7.00 रु० प्रति किलो ग्राम की वृद्धि के फलस्वरुप निर्यातकों के विरोध के कारण ब्रिटेन को फलों तथा सब्जियों के निर्यात में अस्थाई रुकावट आई थी। इसके बाद एयर इण्डिया ने बम्बई में सब्जी निर्यातक संघ से विचार विमर्श किया और संघ की सहमति से दर को कम करके 5.50 रु० प्रति किलो ग्राम कर दिया और इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के पास दर्ज करा दिया गया। यह दर 1 मार्च, 1974 से लागू है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम आय वाले पर्यटकों के लिये दिल्ली में और अधिक होटलों के निर्माण की योजना

5177. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम आय वाले पर्यटकों के लिए दिल्ली में और अधिक होटलों का निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली में 25 अनुमोदित होटल हैं जिन में 2635 कमरे हैं। इन में से 15 होटल, जिनमें 1059 कमरे हैं, तीन स्टार वर्ग तथा उनसे निम्न वर्ग के हैं। मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की होटल आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, 600 कमरों वाले एक तीन स्टार होटल के निर्माण के लिए 700 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। निजी क्षेत्र में, तीन स्टार वर्ग तथा उससे निम्न वर्ग के लिए आयोजित 4 होटल प्रायोजनाओं का पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिए उनकी उपयुक्तता की दृष्टि से अनुमोदन किया गया है तथा पूरा होने पर इनसे लगभग 600 कमरों की व्यवस्था होने की आशा है। निम्न आय वर्ग के पर्यटकों के लिए 2—3 स्टार वर्गों के होटलों के निर्माण के लिए दिल्ली में अधिक स्टाल उपलब्ध कराये जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन की पांचवीं योजनावधि के दौरान 20 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 100 शय्याओं वाले एक यात्री लाज के निर्माण की भी योजना है।

इनके अतिरिक्त, दिल्ली में दो शिविर स्थल, एक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर तथा दूसरा अन्तर-राज्य बस टर्मिनल के निकट हैं, तथा दो अन्य शिविरों की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है। चौथी योजनावधि में, पर्यटन विभाग ने दिल्ली में किफायती आवास की अभिवृद्धि के लिए विश्व युवक केन्द्र को 6 लाख रुपये का तथा वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को 3.75 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया।

जुलाई-दिसम्बर, 1973 में बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

5178. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई-दिसम्बर, 1973 के दौरान विभिन्न बैंकों ने अपने कर्मचारियों को कितना समयोपरि भत्ता दिया था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उपलब्ध सूचना, जैसाकि स्टेट बैंक आफ इण्डिया और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई है, इस प्रकार है :—

दिये गये समयोपरि भत्ते की रकम	(लाख रुपयों में) अनन्तिम जुलाई-दिसम्बर, 1973
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	233.02
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	52.72
3. बैंक आफ इण्डिया	38.49*
4. पंजाब नेशनल बैंक	71.17
5. बैंक आफ बड़ौदा	52.00
6. युनाईटिड कमर्शियल बैंक	39.80
7. कनारा बैंक	27.58
8. युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया	22.00
9. देना बैंक	28.32†
10. सिंडीकेट बैंक	8.72†
11. युनियन बैंक आफ इण्डिया	20.85
12. इलाहाबाद बैंक	19.50
13. इण्डियन बैंक	12.77
14. बैंक आफ महाराष्ट्र	12.76
15. इण्डियन ओवर सीज़ बैंक	16.26

कोयला उद्योग में कम्पनियों द्वारा बढ़ाई गई पूंजी

5179. श्री सोमचंद सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री 21 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5735 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोयला उद्योग में सार्वजनिक, इक्विटी या अधियान शेयर जारी करके किन-किन कम्पनियों ने अपनी पुंजी बढ़ाई है;

*यह सूचना जुलाई-अक्टूबर, 1973 की अवधि के लिए है ।

†यह सूचना जनवरी-जून, 1973 की अवधि के लिए है ।

(ख) उक्त शेयर किन-किन तारीखों को जारी किए गए और इन तारीखों में तथा 31 जनवरी, 1973 को कुल अभिदत्त पुंजी कितनी-कितनी थी; और

(ग) सभी स्टाक एक्सचेंजों में 31 जनवरी, 1973 तथा 31 दिसम्बर, 1973 को इक्विटी तथा अधिमान शेयरों के क्या क्या भाव थे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले तीन वर्षों में कोयला उद्योग में किसी कम्पनी ने सार्वजनिक शेयर जारी करके अपनी पुंजी नहीं बढ़ाई है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

कम्पनियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्त पोषी संस्थाओं की शेयर धारिता

5180. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री डी० के० पण्डा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा चलाई जा रही एवं नियंत्रित कम्पनियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्त पोषी संस्थाओं की शेयरधारिता क्या है; और

(ख) बड़े औद्योगिक घरानों की इन कम्पनियों के निदेशक मंडल में इन दोनों निकायों के निदेशकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चहाण) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के सम्बन्ध में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित कम्पनियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं की शेयर धारिता की सूचना अनुबन्ध I में दी गयी है । जीवन बीमा निगम के संबंध में इसी प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित कम्पनियों के सांझे निदेशकों के नाम नीचे दिये गये हैं: —

(1) श्री के० के० बिड़ला

(2) श्री डी० पी० गोयनका

(3) श्री एन० ए० पालखीवाला

(4) श्री एम० एम० वागले

(5) श्री भास्कर मित्र

(6) श्री ए० डब्ल्यू० बी० हेवार्ड

(7) श्री एच० टी० पारिख

(8) श्री एम० वी० सोहनी

अन्य उपर्युक्त संस्थाओं के संबंध में इसी प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

विवरण

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित कम्पनियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तपोषक संस्थाओं की शेयरधारिता

(लाख रुपयों में)

नाम	निम्न तारिखों की स्थिति	शेयरों का मूल्य सामान्य शेयर	तरजीही शेयर
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	31-12-73	519.39	303.61
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम . .	31-12-73	230.56	106.96
3. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया	22-3-74	3,452.54	1,268.54
4. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम .	31-12-73	194.00	298.00
5. राष्ट्रीयकृत बैंक . . .	31-12-69*	136.90	197.40

प्रत्यक्ष करों से राजस्व की वसूली

5181. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71, 1971–72 के दौरान आय कर (अधि-शुल्क सहित); सम्पत्ति कर; और सम्पदा शुल्क के वर्ष 1970–71, 1971–72 के राज्य-वार आंकड़े क्या है; और

(ख) वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के तीन वर्षों के दौरान इन करों की बकाया राशि के राज्य-वार आंकड़े क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष-करों के संबंध में राज्य-वार सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, ऐसी सूचना आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध है।

आयकर (अति-कर सहित) की कार्यक्षेत्र-वार वसूली के वर्ष 1970–71 और 1971–72 के आंकड़े अनुबंध "क" में दिये गये हैं। सम्पदा शुल्क और धन-कर के संबंध में इसी प्रकार की सूचना अनुबंध "ख" में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6589/74]**

1970–71, 1971–72 और 1972–73 के अन्त में आयकर की सकल और शुद्ध बकाया का कार्यक्षेत्र-वार अलग-अलग ब्यौरा अनुबन्ध "ग" में दिया गया है। धन-कर और सम्पदा शुल्क के बारे में इसी प्रकार की सूचना क्रमशः अनुबन्ध "घ" और "ङ" में दी गई है।

*इन आंकड़ों का सम्बन्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 20 बड़े औद्योगिक गृहों के शेयरों में किये गये निवेश से है।

तस्करी की वस्तुओं का जब्त किया जाना

5182. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी तस्करी की वस्तुओं के मूल्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वर्षों में सीमाशुल्क विभाग द्वारा तस्करों से राज्यवार कितना-कितना जुर्माना वसूल किया गया;

(ग) इन वर्षों में न्यायालयों द्वारा किये गये जुर्मानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीमाशुल्क विभाग तथा न्यायालयों द्वारा किये गये जुर्माना में से इन वर्षों में प्रत्येक राज्य से कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) से (घ) तस्करी के मामलों में माल को जब्त करके तथा न्यायालयों द्वारा सजा दिलाकर अर्थ दण्ड दिया जाता है। सीमाशुल्क विभाग तथा न्यायालयों द्वारा लगाये गये जुर्माने का और इस प्रकार के जुर्माने की वसूली का राज्यवार ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि किसी वर्ष विशेष में माल पकड़े जाने के मामलों के संबंध में जुर्माना अलग-अलग वर्षों में लगाया जा सकता है और उसकी वसूली भी अलग-अलग वर्षों में की जा सकती है। इसके अलावा, इस प्रकार के आंकड़े संकलित करने के लिये प्रत्येक वर्ष की मामलों से संबंधित हजारों फाइलों की छानबीन करनी पड़ेगी।

आय कर की एक लाख रुपये से अधिक बकाया राशिवाली फर्में तथा व्यक्ति

5183. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर इस समय आयकर की एक लाख रुपये से अधिक बकाया राशि (अधिभार सहित) है;

(ख) यह बकाया राशि उन पर कब से है; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) जिन निर्धारितियों की तरफ आयकर (अधिभार सहित) की एक लाख रु० से अधिक रकम बकाया थी उनकी कुल संख्या कई हजारों तक पहुंचती है। इन सभी मामलों के में अपेक्षित सूचना का पता लगाने के लिए ऐसे सभी निर्धारितियों के पूरे रिकार्डों की सम्पूर्ण रूप से छान-बीन करनी पड़ेगी। इसमें बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। तथापि, 31-12-1973 को जिन कम्पनी-भिन्न निर्धारितियों (फर्मों, हि० आ० प्र० व्यष्टियों, आदि) की तरफ 10 लाख रु० से अधिक की रकम शुद्ध बकाया थी उनकी संख्या 339 थी। इन निर्धारितियों के नाम और 31-12-1973 को उनकी तरफ शुद्ध बकाया का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6590/74**]

(ख) इन निर्धारितियों से संबंधित प्रत्येक और हर एक फाइल की छानबीन किये बिना वे तारीखें देना संभव नहीं है जब से रकमें वसूली के लिए बकाया पड़ी है। इन बकाया रकमों का संबंध निर्धारण वर्ष 1941-42 से 1973-74 तक से है।

(ग) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कानून में विहित सभी उपाय, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं, किये गये है और किये जा रहे हैं :

(1) कर की गैर-अदायगी के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 221 के अन्तर्गत दण्ड लगाना ।

(2) निर्धारिती को देय रकम का धारा 226(3) के अन्तर्गत अभिग्रहण ।

(3) धारा 226 (4) के अन्तर्गत न्यायालयों में धन का अधिग्रहण ।

(4) धारा 226(5) के अन्तर्गत चल संपत्ति का आसेध और विक्रय ।

(5) धारा 222 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना ।

(6) चल/अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण/बिक्रय ।

(7) निर्धारिती की दीवानी जेलखाने में बंद करना ।

ऐसे मामलों कम्पनियों तथा कम्पनी-भिन्न की जिनमें प्रत्येक मामले में 31-3-1973 की स्थिति के अनुसार बकाया 10 लाख रु० से अधिक थी कुल संख्या 660 थी जिनमें सकल बकाया 200.03 करोड़ रु० थी । उपर्युक्त कदम उठाये जाने के परिणामत: ऐसे मामलों की संख्या 31-12-1973 को घट कर 539 रह गई थी जिनमें 156.34 रु० की सकल बकाया रकम अन्तर्गस्त थी ।

श्रिम्पों, लोबरस्टरों तथा फ्राग लैग्स का निर्यात

5184. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी फर्मे श्रिम्पों, लोबरस्टरों तथा फ़ाग लैग्स और अन्य मछलियों का निर्यात करने में लगी हैं ;

(ख) इन फर्मों द्वारा इन मदों का कितना निर्यात व्यापार किया जाता है ;

(ग) इन में से कितनी फर्में अपने उत्पादनों को बाजार भाव से कम कम मूल्यों पर बेचती हैं और इस प्रकार मूल्य से कम बीजक बनाने की चालाकी कर रही हैं; और

(घ) इन अवांछनीय प्रक्रियाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) मे० यूनियन कार्बाइड, ब्रिटैनिया सीफ़ूड्स, इंडिया तम्बाकू कम्पनी आदि जैसी कुछ फर्मे जिनके अधिकांश शेयर विदेशियों के पास हैं, श्रिम्पों, लोबस्टरों तथा मेंढक की टांगों और दूसरी प्रकार की मछलियों के निर्यात में लगी हैं ।

(ख) 1973 के दौरान इन फर्मों ने 328 लाख रुपये मूल्य का समुद्री उत्पादों का निर्यात किया/

(ग) कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लन्दन से अपरिष्कृत हीरों का आयात

5185. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन की डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी ने भारत को अपरिष्कृत हीरों की सप्लाई में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) इस कम्पनी ने जोकि हर मास बम्बई की 42 फर्मों को अपरिष्कृत हीरे सप्लाई करती है, जनवरी मास में अपना माल केवल 30 फर्मों को ही सप्लाई करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार को इस आशय की कोई जानकारी नहीं मिली है ।

(ग) लन्दन की डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी भारत में उन फर्मों को चुनती है जिन्हें वह अपरिष्कृत हीरों की सप्लाई करती है । कम्पनी तथा भारतीय फर्मों के बीच का यह वाणिज्यिक संबंध है और सरकार इसमें शामिल नहीं है । इन फर्मों को इन अपरिष्कृत रत्नों के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं ।

रेशमी कपड़े का निर्यात

5186. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुद्ध रेशम के कपड़ों के निर्यात में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 10 महीनों में गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में किए गए कुल निर्यात की मुख्य बाते क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) कुल निर्यात :—

अप्रैल-दिसम्बर, 1972 . . .	587.56 लाख रु०
अप्रैल-दिसम्बर, 1973 . . .	904.58 लाख रु०

सूती धागे का समकारी भाड़ा
(फ्रेट इक्विलाइजेशन)

5187. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सूती धागे के समकारी भाड़े के सम्बन्ध में योजना आयोग के साथ परामर्श करके कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सूत के लिए समकारी भाड़े के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्थापना नहीं है ।

वस्त्रों का निर्माण

5188. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष मानव-निर्मित रेशे तथा सूती धागे से बने कपड़े, सुपरफाईन सूती कपड़े और मोट सूती कपड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा इनके मूल्यों में पृथक-पृथक कितना उतार-चढ़ाव हुआ ; और

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न प्रकार के सूती धागे से कितने कपड़े का उत्पादन हुआ और इसके मूल्यों में प्रतिवर्ष पृथक-पृथक कितना उतार-चढ़ाव हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मिल निर्मित सूती वस्त्रों का उत्पादन (लाख मीटर)

वर्ष	मोटा	मीडियम बी	मीडियम ए	फाइन	सुपरफाइन	योग
1971	5,030	10,380	17,530	2,470	4,160	39,570
1972	5,900	11,920	19,170	2,050	3,410	42,450
1973 (जनवरी–नवम्बर)	5,550	11,680	14,320	3,220	3,290	38,060

विकेन्द्रित क्षेत्र में सूती वस्त्रों का उत्पादन (लाख मीटर) :

1971 33,990

1972 37,770

1973 33,260

(जनवरी–नवम्बर)

नोट : श्रेणी-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मानव-निर्मित रेशा वस्त्र (मिलें तथा विकेन्द्रित क्षेत्र) (लाख मीटर) :

1971 9,730

1972 9,190

1973 6,850

(जनवरी–सितम्बर)

नोट : श्रेणी-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) अनियंत्रित सूती कपड़े तथा मानव निर्मित रेशा वस्त्रों, जिसका निरन्तर उत्पादन हो रह है और जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, की क़ीमतों में उतार चढ़ाव नीचे दिए जाते हैं:

(+) बढ़ाना

(—) घटाना

श्रेणी	फरवरी 1971 की तुलना में फरवरी 1972 में कीमतों में उतार चढाव की प्रतिशतता	फरवरी 1971 की तुलना में फरवरी 1973 में कीमत में उतार चढाव की प्रतिशतता	फरवरी 1973 की तुलना में फरवरी 1974 में कीमतों में उतार चढाव की प्रतिशतता ।
अनियंत्रित सूती कपड़ा			
मोटा .	+ 1.27	+ 6.33	+ 23.80/+33.33
मीडियम ए .	उपलब्ध नहीं	+ 48.25	+ 36.47
मीडियम बी .	+ 7.92/+36.80	+2.04/+48.25	+ 10.10/+25.73
फाइन . .	— 1.57	+ 11.11	+ 100.00
सुपरफाइन .	+ 1.75/+8.33	— 7.70/+31.94	+61.90/+102.46
मानव निर्मित रेशा वस्त्र			
	—5. 18/+18.57	—8.17/+3.63	—4.45/+72.25

नोट : नियंत्रित कपडे की कीमतें मई 1960 से अपरिवर्तित रही ।

गया गंगा चाय बागान में उत्पादित चाय पर वसूल किया गया उत्पादन शुल्क

5189. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी सबडिवीजन में गया गंगा चाय बागान में 1970–71 से 1972–73 के बीच कुल कितनी चाय का उत्पादन हुआ और उस पर कुल कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ; और

(ख) उत्पादन राजस्व की वसूली में गिरावट के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दिये गये अनुसार है :

वर्ष	चाय के उत्पादन की कुल मात्रा	वसूल किये गये उत्पादन शुल्क की कुल रकम
	कि० ग्रा०	रु०
1970–71 .	5,22,820	1,51,386
1971–72 . . .	5,37,427	1,50,921
1972–73	3,28,483	99,134
1973–74 (प्रथम छः माह)	3,34,223	65,466

(ख) वर्ष 1972–73 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व में कमी, उत्पादन में कमी के कारण है जो भारी ओला-वृष्टि से हुई बताई गई है जिसने चाय के पौधों और हरी पत्ती को क्षति पहुंचाई।

असली रेशम तथा टसर का निर्यात

5190. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय असली रेशन तथा टसर के सब से बड़े क्रेता देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) रेशन तथा टसर के बने-बनाये कपड़ों के निर्यात से भारत द्वारा गत दो वर्षों में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का विवरण क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापर, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जापान, कीनिया, स्विटजरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, आस्ट्रेलिया तथा हांगकांग ।

(ख) 1971–72 के दौरान 59.51 लाख रुपये तथा 1972–73 में 82.68 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी ।

तीर्थस्थानों पर भिखारियों का घूमना

5191. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष लाखों लोग हमारे तीर्थस्थानों का दर्शन करते हैं और इन स्थानों पर भिखारी इधर-उधर घुमते हुए पाए जाते हैं तथा पुजारियों ने इन तीर्थ स्थानों को धन कमाने का अड्डा बना लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे संस्कृति के इन प्राचीन तीर्थ स्थानों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सरकार का प्रस्ताव कोई कानून बनाने तथा इस प्रथा में कुछ परिवर्तन करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) यह सच है कि भिखारी पर्यटकों के लिये आकर्षण के स्थानों तथा तीर्थाटन केन्द्रों में जमा होने की प्रवृत्ति रखते हैं । इस समस्या का निराकरण, विशेष करके पर्यटकों को तंग किये जाने से बचाना राज्य पुलिस दलों के सामान्य कर्त्तव्यों में सम्मिलित है ।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को इस प्रकार तंग किये जाने से बचाने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । तीर्थ स्थानों पर भिखारियों तथा दलालों को काबू में करने के लिए राज्य सरकारों पर विशेष कानून बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है ।

मात्रा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी करना

5192. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आयात लाइसेंस मूल्य के आधार पर देने के बजाये मात्रा के आधार पर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं ।

देश में खपत पर रोक

5193. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खपत पर रोक लगाये जाने के बार में मंत्रालयों में परस्पर मतभेद होने के कारण मध्य पूर्व के देशों से प्राप्त बहुत बड़े निर्यात सम्बन्धी क्रयादेश क्रियान्वित नहीं हो पायेंगे ;

(ख) क्या कुछ मंत्रालय कच्चे माल और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में कटौती करने के उपायों का इस लिए विरोध कर रहे हैं कि मूल्यों तथा उत्पादन पर उसका विपरीत प्रभाव न पड़े ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त क्रयादेशों की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दुर्लभता राहत कार्यों के लिए महाराष्ट्र को केंद्रिय सहायता

5194. **श्री अण्णासाहेब गोटखिण्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए दुलर्भता राहत कार्यों के लिए धनराशि व्यय करने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है और महाराष्ट्र को तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर केन्द्रीय सहायता की राशि में से 30 सितम्बर 1973 को कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(घ) व्यय के 75 प्रतिशत की दर से सरकार से मिलने वाली साहायता की राशि कितनी है ; और

(ङ) सरकार को इस समय सहायता की कितनी बकाया राशि देनी है और यह राशि राज्य सरकार को कब तक दे दी जायेगी ?

7—9 L.S.S. (ND)/74

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र को सरकार ने सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों पर सितम्बर, 1973 तक 143.13 करोड़ रुपये के कुल व्यय की सूचना दी है। केन्द्रीय सहायता के पात्र व्यय की केन्द्रीय दल द्वारा समीक्षा की जा रही है और इस दल की रिपोर्ट अभी मिलनी बाकी है। राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की ठीक-ठीक रकम का पता दल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा। इसी बीच राज्य सरकार को अन्तरिम आधार पर 102 करोड़ रुपये की रकम दे दी गयी है।

तेल सम्पन्न देशों से विकासशील देशों को सहायता

5195. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :

श्री राम प्रकाश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक के इस विवरण की ओर दिलाया गया है कि तेल मूल्यों में वृद्धी के कारण विकासशील देशों को असम्भव स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और तेल सम्पन्न देशों को उनकी सहायता करनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): (क) सरकार को विश्व बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन के बारे में कि 1974 के शुरू से पेट्रोलियम के बढ़े हुए मूल्य के कारण विकासशील देशों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तथा औद्योगिककृत देशों की अर्थव्यवस्था के अनिश्चत दृष्टिकोण के बारे में जिसका उनकी निर्यात से होनेवाली आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ ही उर्वरकों तथा अनाज की कमी के बारें में भी जानकारी है। उसने इन बातों को ध्यान रखते हुए विकासशील देशों की अतिरिक्त विदेशी पंजीगत आवश्यकताओं के बारे में मूल्यांकन किया है और सुझाव दिया है कि ऐसे साधनों को जुटाने में तेल निर्यात करनेवाले देश भी बड़ी मात्रा तक बोझ कम करने में सहायता कर सकते है।

(ख) तेल मूल्यों में वृद्धि से भारत के शोधन सन्तुलन के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गयी हैं और सरकार तेल निर्यात करने वाले देशों के सहयोग से पहले ही एसे उपाय ढूंड रही है जिनसे बोझ को कम किया जा सकेगा।

चमड़े और खालों का निर्यात

5196. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत चमड़े और खालों का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता है ;

(ख) क्या आगरा, कानपूर तथा अन्य स्थानो के चर्मकारों (चमड़ा कर्मचारियो) ने सरकार से अपरिकृत चमड़े का निर्यात बंद करने का अनुरोध किया है क्योंकि इसके कारण न केवल बड़े पैमाने पर बेरोजगरी फैलती है बल्की इससे विदेशी मुद्रा की भी हानि होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन चमड़ा कर्मचारियों के पक्ष में अपनी निर्यात नीति में परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग): कच्ची चमड़ियो तथा खालों के निर्यात पर पहले ही रोक है।

सूती कपड़ा व्यापार को अपने हाथ में लिया जाना

5197. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्त सूती कपड़ा व्यापार को अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक तथा इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए लाइसेंस

5198. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सरकार का सम्पर्क निर्यात कर्ताओं से है और निर्यात होने वाले सामान के निर्माताओं से नहीं है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातकर्ताओं के माध्यम से औद्योगिक तथा इंजीनियरी सामान के निर्यात हेतु कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) सामान का निर्यात करने के लिये यह कार्य किसी तीसरे निर्यातकर्ता संस्थान पर छोड़ने की बजाय क्या सरकारका विचार इसके लिय स्वयं अपनी ही कोई व्यवस्था करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इंजिनियरी माल के निर्यात के संबंध में, सरकार की नीतियां और लाभ, विनिर्माता निर्यातको तथा व्यापारी निर्यातकों पर समान रूप से लागू होते है ।

(ख) इंजीनियरी माल के संबंध में कोई निर्यात लाइसेंस नहीं है ।

(ग) फिलहाल, ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रूस को निर्यात में वृद्धि

5199. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा मास्को के बीच सामान को यदि सड़क मार्ग से भेजा जाय तो भारत से रुस को निर्यात में पांच-गुना वृद्धि हो सकती है क्योंकी मास्को से भारत को अधिक वस्तुओं के आगमन के कारण नौवहन यातायात में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होने की आशंका है,

(ख) क्या सड़क मार्ग से रुस को सामान भेजने में केवल 10 दिन ही लगेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में भारत द्वारा कोई पहल की गई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रुपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत तथा सोवियत संघ के बीच कोई थल मार्ग चालू नहीं है और न ही दोनों सरकारों के बीच फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन ही है ।

भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन

5200. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या राष्ट्रिय पर्यटन बोर्ड ने भारत पर्यटन विकास निगम के पुनर्गठन पर विचार करने के लिये एक ग्रुप गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड ने अपनी 1 सितम्बर, 1973 की बैठक में भारत पर्यटन विकास निगम के पुनर्गठन के अध्ययन के बारे में एक दल (ग्रुप) के गठन की सिफारिश की थी। अथच, यह निर्णय किया जा चुका है कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पांचवी योजना के दौरान निगम के कार्यक्षत्र, अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता, तथा निगम की उद्देश्य-पूर्ति के लिये उपयुक्तम प्रबंधवर्ग संरचना के विषय मे जांच करने के लिये एक उपयुक्त दल का गठन किया जाय। उक्त दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

सरकारी बैंकों का पुनर्गठन

5201. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर विचार के बारे में 1 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1490 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी बेंको के पुनर्गठन के लिये बैंकिंग आयोग ने क्या कारण दिए है और इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकार न करने के क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : बैंकिग आयोग ने सामान्य रुप से यह सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंको दो या तीन अखिल भारतिय बैंको और छः क्षत्रीय बैंको में वर्गीकृत कर दिया जाए किन्तु उन्होने किसी विशेष पुनवर्गीकरण की सिफारिश नहीं की थी। आयोग ने यह संकेत दिया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंको का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि अच्छी तरह विकसित क्षेत्र और पिछड़े हुए क्षेत्र समुचित अनुपात में संघटक एकको के बीच बांटे जा सके, अर्थात पुनर्गठित किये जाने वाले विभिन्न एकको के बीच बैंक कारोबार के स्वरुप और परिणाम में कुछ सन्तुलन बना रहे। यहां तक संभव हो एकक सुसंगठीत होने चाहिए और उनका कार्यक्षेत्र भौगोलिक रूप से समान क्षत्र में होना चाहिए। ग्राहका की खास तौर से अधिक आबादी वाले बड़े केन्द्रो में आमतौर से कम से कम दो या तीन बैंक चुनने की छूट होनी चाहिए। लागत और बैंक के आकार के बीच के सम्बन्ध से द्योतक होनेवाली मान सम्बन्धी अर्थव्यवस्था को आयोग ने हिसाब में लिया और यह देखा कि सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करने तथा देश की मुद्रा संबंधी नीती और ऋण नीति के प्रभावी क्रियान्वय के विचार से यह पता चलता है कि अपेक्षाकृत बड़ आकार के बैंको की आवश्यकता है और बड़े एककों से सम्बन्धित प्रबन्ध सम्बन्धि अनार्थिक व्यय को प्रबन्ध के उपलब्ध तरिको से कारगर रुपसे कम किया जा सकता है।

बैंकिग क्षेत्र का पुनर्गठन करते समय, जो अनिवार्यत: नाजुक और संवेदनशील कार्य हैं, दूरगामी परिणामी और प्रतिक्रियाएं होंगी इसलिये आयोग ने देश के लिये जिस प्रकार के बेंकिग ढांचे का प्रस्ताव किया है उससे विद्यमान ढांचे मे विशेष सुधार होने की आशा नहीं हैं। इस लिये सरकार ने बैंक आयोग द्वारा परिकल्पित बैंकिग प्रणाली के पुनर्गठन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार न करने का निश्चय किया है। फिर भी सरकार ने अपने ध्यान में यह बात रखी है कि इस प्रश्न पर लगातार विचार दिया जाता रहे कि विद्यमान सीमाओं में बैंकिग प्रणाली का कौन सा ढांचा ठीक रहेगा।

वर्तमान निर्बाध पत्तनों का कार्य-निष्पादन

5202. **श्री वी० वी० नायक :** क्या वाणिज्य मंत्री बड़े विदेशी निर्माताओ के सहयोगसे निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी योजनाओ के बारे में 1 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1580 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक निर्बाध जोन के समर्थन के बिना निर्बाध पत्तन से निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़ेगा;

(ख) इस समय देश में कौन-कौन से निर्बाध पतन हैं और उनसे कितना कितना आयात-निर्यात होता है; और

(ग) क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने और रोजगार देने की दृष्टि से अंदमान निर्बाध पत्तन के निकटवर्ती प्रदेश में प्रतिबंध या प्रोत्साहन के बिना औद्योगिक निर्बाध जोन बनाने की ओर ध्यान देगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) इस समय देश में कोई मुक्त पत्तन नहीं है। निकोबार द्वीप समूह के एक एक द्वीप में मुक्त पत्तन स्थापित करने की प्रस्थापना की तकनीकी तथा आर्थिक संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है परन्तु अभी तक निष्कर्ष नहीं निकले हैं।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को ऊन सप्लाई करने के लिये नियुक्त व्यापारी

5203. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित मूल्य पर उन सप्लाई करने के लिये कुछ ऊन व्यापारी नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यापारियों के नाम क्या है और वे कहां-कहां पर हैं;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को सप्लाई किये जाने वाले ऊन के मूल्य निर्धारण पर सरकार का कोई नियंत्रण है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इन व्यापारियों को सरकारी कर्मचारियों के लिये अलाट किये गये आयातित ऊन का कोटा चोर बाजार में न चला जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से उन सप्लाई करने का प्रस्ताव

5204. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितयों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऊन सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ये समितियां अभी तक मुख्यत: रोजमर्रा के प्रयोग तथा उपभोग के लिये अपेक्षित आवश्यक वस्तुओ का ही व्यापार कर रही है। बुनाई के ऊन की सप्लाई के लिए उनसे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

5205. **श्री नवल किशोर सिंह** :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सभी शिफारिशों को अभी तक स्वीकार तथा क्रियान्वित वहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का विवरण क्या है जो अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इन सभी सिफारिशों पर कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) श्रेणी II, III तथा IV के कर्मचारियों के वेतनमानों, विभिन्न भत्तों तथा सेवानिवृति लाभों आदि के संबंध में आयोग की मुख्य मुख्य सिफारिशों पर सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिये है । समान वर्ग के पदों तथा असमान वर्ग के बहुत से पदों के वेतनमानों को अधिसूचित कर दिया गया है और भत्तों तथा अन्य लाभों से संबंधित बहुत से निणयों के बारे में आदेश भी जारी कर दिये गये हैं । इनमें से कुछ मामलों पर संयक्त परामर्शदातातंत्र की राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है जिसके बाद उन पर आवश्यक आदेश जारी किये जायगे । श्रेणी I सेवाओं से संबंधित सिफारिशों पर भी निर्णय शीघ्र ले लिये जाने की आशा है । लेकिन, नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की हालत में एक समान रकम की अदायगी से संबंधित बीमा योजना, सरकारी औद्योगिक संस्थापनों के कमचारियो को समयोपरि भत्ता तथा रात की ड्यूटी के लिए भत्ता (वटेज) मंजूर करने की प्रणालो की समीक्षा, नौकरी से संबंधित कर्त्तव्यों के लिए मूल्यांकन-प्रणालियों, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियो की आवश्यकता तथा कार्यकुशलता आदि जैसे कुछ आम शिफारिशे है जिन पर विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही हैं । ऐसी सभी शिफारिशो पर निर्णयों की घोषणा करने के लिए निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है हालांकि उन पर शीघ्र कायवाही करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

इण्डियन एयरलाइंस में फालतू कर्मचारी

5206. श्री राम प्रकाश :

श्री राम भगत पासवान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने अपनी संस्था में फालतू कर्मचारियो के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में कुल फालतू कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनको खपाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा विभिन्न विभागों के लिए स्थापित की गयी कर्मचारी निर्धारण समितियों (स्टाफ असेसमेंट कमिटियों) को अभी अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जाना है, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि कारपोरेशन में यथार्थतः कितने कर्मचारी फालतू हैं ।

Depositing of Provident Fund amounts of Government Employees by Accountant Generals

5207. Shri Jagannathrao Joshi:

Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of cases in which the Accountant Generals did not deposit the provident fund amounts of the Government employees in their respective accounts during each of the last three years indicating the amount in each case:

(b) the special steps taken to remove the lacunae in the maintenance of the provident fund accounts; and

(c) whether Government have any proposal to open provident fund account of each employee in a nationalised bank in his name and to issue passbooks thereof to each employee so that he may have no difficulty in withdrawing his deposits soon after his retirement?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) A statement is placed on the table of the House. [*Placed in the Library. See No. L.T.*—6591/74].

(c) Government have no such scheme under consideration at present.

समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधायें

5208. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बकों से ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये विगत समय में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को सरलता से तथा जल्दी से उक्त सुविधायें दिलाने के लिये सरकार ने अब नये क्या कदम उठाये हैं और उठाने का विचार है ; और

(ग) इस दिशा में विभिन्न कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात सरकारी क्षेत्र के बैंको का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी रहा है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण दिया जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बैंकों ने ऐसी विशेष ऋण योजनाए बनायी हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले छोटे ऋणकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हों । इन वर्गों को ऋण देने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों ने अपने ऋण-आवेदन-पत्रों का सरलीकरण किया है, अपनी ऋण देने की प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया है और प्रतिभूति सम्बन्धी आवश्यकताओं में ढील दे दी है । बैंकों ने इन व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति में लगने वाले समय को कम से कम करने की दृष्टि से निचले स्तर पर शक्तियों का अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यायोजन किया है । पिछले चार वर्षों में इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई गयी सोद्देश्य नीति के परिणामस्वरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण खातों की संख्या जो जून 1969 के अन्त में 2.6 लाख थी बढ़ कर जून 1973 में 19.24 लाख हो गयी ।

इस अवधि के दौरान बकाया ऋणों की रकम में भी तदनरूप वृद्धि हुई अर्थात वह 441 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1295 करोड़ रुपये हो गयी है । समाज के कमजोर वर्गों को नये उत्पादक कार्य शुरू करने अथवा वर्तमान कार्यों को सक्षम बनाने के लिए सहायता देने पर लगातार बल दिया जा रहा है और बैंक आगामी वर्षों में नये कार्यक्रम बनाने और अपनी प्रक्रियाओं में इस प्रकार के परिवर्तन करने पर अधिक बल देंगे ताकि इन वर्गों को अधिक से अधिक रकम प्रदान की जा सके ।

सरकारी क्षेत्र के बैंक विभेदी व्याज दरों की योजना को भी लागू कर रहे हैं जो विषेश रूप से 'निर्धनों में भी अधिक निर्धन' व्यक्तियों को उन के उत्पादन कार्यों में सहायता देने के लिए बनायी गयी है । इस योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिसम्बर 1973 के अन्त तक लगभग 2.3 लाख ऋणकर्ताओं को केवल 4 प्रतिशत व्याज की दर पर 10 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण दिये है ।

विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत और व्याज की विभेदी दरों की योजना के अन्तर्गत क्रमश: जून 1973 और सितम्बर 1973 के अन्त में ऋणखातों की संख्या और बकाया रकम के राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं [**ग्रंथालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी० 6592/74 ।]**

रायगढ़, उड़ीसा में कताई मिल की स्थापना

5209. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोरापुट जिले के रायगढ़ क्षेत्र में सहकारी आधार पर कताई मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या उक्त मिल के निर्माण का प्रथम चरण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) **से** (ग) उड़ीसा के कोरापुट जिलेके रायगढ़ क्षेत्र में एक नया सूत कताई एकक स्थापित करने के लिए उड़ीसा स्टेट पावरलूम सर्विसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कटक को उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1951 के अधीन 28 सितम्बर 1973 को एक लाइसेंस दिया गया है । लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, वह एकक, लाइसेंस जारी करने के दिन से 12 महीने की अवधि के अन्दर स्थापित हो जाना चाहिए ।

भुवनेश्वर से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा

5210. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार की ओर से भुवनेश्वर से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा की व्यवस्था किय जाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) **और** (ख) विमानन इंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण इण्डियन एयर लाइंस को न केवल अपने वाईकाउंट एवं डकोटा विमानों को भूमिस्थ करना पड़ा है अपितु अपने कुछ वर्तमान मार्गों में भी कटौती करनी पड़ी है । इंधन मूल्य के स्थिर हो जाने तथा विमान बेड़े की स्थिति में सुधार हो जाने पर मामले पर पुनः विचार कर लिया जाएगा ।

अभ्रक का निर्यात

5211. **श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अभ्रक के निर्यात संबंधी आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या सरकारी एजेंसी द्वारा इसका निर्यात किये जाने के बाद से निर्यात में अत्याधिक कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में परिष्कृत अभ्रक के निर्यात निम्नलिखित थे :

वर्ष	मूल्य (रू०)
1971–72	15.23
1972–73	16.39
1973–74	10.88
(फरवरी 74 तक)	

अनन्तिम·

(ख) तथा (ग) उत्पादन में कमी होने और कुछ देशों के साथ निर्यात संविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब होने के कारण 1973–74 में परिष्कृत अभ्रक के निर्यात में कुछ गिरावट आई है। तथापि, उपचारात्मक उपाय किये गए हैं और 1974–75 के दौरान निर्यातों में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है।

रबड़ के निम्नतम मूल्य में वृद्धि

5212. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबड़ के निम्नतम मूल्य में वृद्धि किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चूंकि, प्राकृतिक रबड़ की प्रचलित बाजार कीमतें पहले ही अधिसूचित न्यूनतम कीमतों के स्तर से ऊंची हैं इसलिए न्यूनतम अधिसूचित कीमतों को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

आधे कमाये हुये चमड़े का निर्यात

5213. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 और 1973–74 में 28 फरवरी, 1974 तक कितने रुपये के मूल्य का आधा कमाया हुआ चमड़ा निर्यात किया गया तथा कितने मूल्य की चमड़े की तैयार वस्तुओं का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : आधे कमाये हुए चमड़े के निर्यातों का मूल्य नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मूल्य
1972–73	153.14 करोड़ रुपये
1973–74	131.34 करोड़ रुपये
(28 फरवरी, 1974 तक)	(अनुमानित)

तैयार चमड़े के आयात किये गये माल का मूल्य नगण्य है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

वर्ष	मूल्य
1972–73 . . .	3.0 लाख रुपये
1973–74	1.0 लाख रुपये
(अप्रैल से सितम्बर 1973)	

28 फरवरी, 1974 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

Setting up of Handlooms and Handicrafts Export Corporation

5215. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) when the Handlooms and Handicrafts Export Corporation of India was set up and what are its annual administration expenses today; and

(b) the quantum of goods exported by it during 1971, 1972 and 1973, respectively indicating the value thereof together with the names of the countries to which exports were made?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) The H.H.E.C. was set up on 1-10-1962. The annual administrative expenses of the Corporation for the year 1972-73 amounted to Rs. 88.59 lakhs.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See No. L.T.*--6593/74].

Institutions for Export Promotion

5216. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether about two dozen institutions have been set up in the field of export promotion and if so, their names together with their functions and the total annual administration expenditure involved in them; and

(b) whether there is overlapping in the functions of these institutions and if so, the steps being taken or proposed to be taken by Government to remove it and the time by which these steps will be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Statements at Annexures (I) and (II) indicate the names of the institutions set up in the field of export promotion and functions of each one of them respectively. [*Placed in the Library. See No. L.T.*—6594/74] The expenditure on administration by these institutions during 1972-73 was of the order of Rs. 1.4 crores.

(b) No, Sir.

Completion of Jodhpur Aerodrome

5217. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the time by which Jodhpur Aerodrome will be completed; and

(b) the total amount spent thereon and the date from which it will start functioning?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b) The Civil Aviation Department has formulated plans to construct a civil enclave at Jodhpur aerodrome at an estimated cost of Rs. 13 lakhs. The work on construction of necessary taxi track and apron is in progress. An expenditure of Rs. 3.03 lakhs has been incurred upto February 1974. Construction of the terminal building is expected to be taken up in the Fifth Plan period and will take about three years to complete.

Financial assistance given by Nationalised Banks to persons engaged in Small Industries in Rajasthan

5218. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of small farmers and the persons engaged in small industries who have been given financial assistance by the nationalised banks in Rajasthan State during 1972-73 and 1973-74 indicating the amount of financial assistance given to them, separately?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): The number of farmers with holdings upto 5 acres in Rajasthan, assisted by public sector banks for their short-term and term-loan requirements, was 4438, the balance outstanding being Rs. 93.34 lakhs as at the end of March, 1973.

The number of units of small scale industries financed by public sector banks in Rajasthan and the amount outstanding against these units as at the end of March, 1972 and March, 1973 are as follows:

(Amount in lakhs of rupees)

	As at the end of	
	March, 1972	March, 1973 (Provisional)
No of Units	7219	8493
Amount outstanding	952.02	1154.49

पांचवी योजना में नये हवाई अड्डों का निर्माण

5219. श्री एम० एस० पुरती :

श्री के० मालन्ना :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाये जाने वाले प्रत्येक हवाई अड्डे पर अनुमानता कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : पांचवी योजना के प्रस्तावों में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

विमानक्षेत्र का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपयों में	
कोचीन	250.00	इसमें 330.00 लाख रुपये की वह राशि भी सम्मिलित है जो छठी योजना में ले जाई जानी है ।
पोर्ट ब्लेयर	335.00	
जमशेदपुर	200.00	
पांडिचेरी	200.00	
कालीकट	111.00	भूमि की लागत को छोडकर, जो पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है ।
हुबली-धारवाड	52.00	भूमि की लागत को छोडकर जो स्थानीय नगर निगम द्वारा निशुल्क दी गयी है ।

शिमला के निकट एक विमान क्षेत्र के संभावित निर्माण के लिए भी जांच की जा रही है। बारापानी में विमान क्षेत्र के निर्माण कार्य के, जिसे चौथी योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था, पांचवी योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

Demand for Indian shoes in foreign countries

5220. Shri M. S. Purty:

Shri Jagannath Mishra:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the demand for Indian shoes is on the increase constantly in foreign countries;

(b) if so, the names of such countries and the amount of foreign exchange earned by India during 1972-73; and

(c) the exports being made by Government to provide incentive to this industry in order to expand trade?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Yes, Sir.

(b) Australia, Bulgaria, Canada, Nepal, USSR, USA, UK, and Zambia are important buyers of Indian leather footwear. The amount of foreign exchange earned during 1972-73 was Rs. 8.39 crores.

(c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to efforts being made by Government in this direction. Import replenishment of 15% is allowed on export of leather footwear and components thereof. Further, air freight subsidy at the rate of 50% of the air freight paid, subject to a maximum of 10% of the f.o.b. value is admissible on their exports.

गांजे का निर्यात

5221. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यो में गांजे का उत्पादन हो रहा है तथा गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने गांजे का उत्पादन हुआ है, और

(ख) विभिन्न देशों को कितना गांजा निर्यात किया गया तथा इससे उक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गांजे का उत्पादन बिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में होता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित गांजे की राज्यवार तथा वर्षवार मात्रा नीचे दिये अनुसार है :

राज्य का नाम	उत्पादित गांजे की मात्रा		(कि० ग्रा०)
	1970	1971	1972
बिहार . .	24,852	27,180	11,767
मध्य प्रदेश .	40,030	33,585	23,321
उडीसा . .	13,084	10,739	10,632
पश्चिमी बंगाल . .	16,697	19,179	2,806
जोड .	94,663	90,693	48,526

(ख) भारत से गांजे का कोई निर्यात नहीं हुआ है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्राप्त पश्चिम बंगाल के परियोजना प्रतिवेदन

5222. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 के उत्तरार्ध में पश्चिम बंगाल के लिए कितने परियोजना प्रतिवेदन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मिले और उपरोक्त अवधि में पश्चिम बंगाल से, उद्योगवार मंजूरी के लिये कितने परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जुलाई, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में स्थित परियोजनाओं के संबंध में 12 आवेदनपत्र (5 प्रत्यक्ष सहायता के लिए और 7 पुनर्वित्त सहायता के लिए) प्राप्त किये। प्रत्यक्ष सहायता के लिए प्राप्त पांच आवेदन पत्रों में से दो के संबंध में कार्रवाई काफी आगे तक की जा चुकी है और शेष तीन के संबंध में सम्बन्द्ध आवेदकों को अभी तक अपने लाइसेंस प्राप्त करने है । पुनर्वित्त सहायता के लिए प्राप्त सात आवेदन पत्रों में से दो के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और तीन दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुए थे। पश्चिम

बंगाल में स्थित औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में 30-7-1973 को विचाराधीन आवेदन पत्रों के संबंध में दी गयी सहायता सहित जुलाई 1973 से दिसम्बर 1973 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त सहायता का उद्योगवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6595/74।**]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1973 में पश्चिम बंगाल के लिये मंजूर की गई धनराशि का उपयोग न किया जाना

5223. **श्री शंकर नारायण सिंह दव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने या राज्य सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1973 में पश्चिम बंगाल के लिये मंजूर की गई धनराशि का उपयोग न किये जाने के बारे में विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जुलाई, 1964 में अपनी स्थापना के समय से दिसम्बर, 1973 तक पश्चिम बंगाल में स्थित एककों को अपनी विभिन्न योंजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: 91.2 करोड़ रुपये और 50.8 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत और संवितरित की ; जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

करोड़ रुपयों में सहायता

	सहायता	
	स्वीकृत	संवितरित
1. प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात से भिन्न) . .	26.1	7.6
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान . .	2.1	0.9
3. औद्योगिक ऋणों को पूर्नवित . .	12.8	13.0*
4. फिर से भूनाई गयी राशी . .	25.4	21.6
3. निर्यात वित्त	24.8	7.7
जोड़ .	91.2	50.8

*सितम्बर, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ विलय से पूर्व भूतपूर्व औद्योगिक पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त के संवितरण सहित।

स्वीकृतियों के मुकाबले से वितरण की अवस्था के सम्बन्ध में विकास बैंक द्वारा की गई समीक्षा के दौरान, यह पता लगा कि :—

(i) अधिकांश मामलों में एककों कीं अभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी हैं ;

(ii) एक एकक के अपने विस्तार /पुनर्वासन कार्यक्रम के लिये 12 करोड़ रुपये की स्वीकृत सहायता केवल 1974-75 से विभिन्न दौरों में उपयोग में लायी जाएगी।

(iii) निर्यात सहायता का उपयोग इन्जीनियरी माल से सम्बन्द्ध है जो विभिन्न कारणों, जिनमें जहाजों में स्थान की उपलब्धता औपचारीकताओं को पूरा करने जैसे सुरक्षा आदि का प्रबन्ध करने पर निर्भर है।

विकास बैंक समय-समय पर पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त सहायता की स्वीकृति और संवितरण के बीच के अनावश्यक समय अन्तराल को कम करने की दृष्टि से परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की रुकावटों को दूर करने की भी कोशिश करता है।

सेमी-टैन्ड चमडे तथा चमडा और खालों का निर्यात

5224. श्री शंकर नारायण सिंह देव :

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में लघु, मध्यम तथा बड़े पैमाने पर सेमी टेन्ड चमडे, चमडा और खालों का उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने कारखानों ने वर्ष 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान सेमी टेन्ड तथा ब्लू टैन्ड चमडे का निर्यात किया ; और

(ख) सेमी टैन्ड चमडे के निर्यात कोटे के लिये राज्यों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से वस्तुत: कितनों को मंजूरी दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिम बंगाल में अध-साधित चमडा तथा खालों तथा चमडियों का उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या 199 है ; उनमें से 22 ने 1969–70 में, 22 ने 1970–71 में तथा 27 ने 1971-72 में निर्यात किए ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह उल्लेख किया जाता है कि निर्यात राज्य वार नहीं किए जाते तथा निर्यात कोई भी राज्यवार निर्धारित नहीं किए गए हैं। कोटे निर्यातकों (दोनों निर्माता तथा व्यापारी) तथा निर्यात न करने वाले चमडा कमाने वालों को दिए गए है। किन्तु प्रत्येक राज्य में एककों से संबंधित अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

राज्य का नाम	कोटों के आबंटन के लिए निर्यातकों तथा निर्यात न करने वाले चमडा कमाने वालों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	उन निर्यातकों तथा निर्यात न करने वाले चमडा कमाने वालों की संख्या जिनको कोटे दिए गए है
तामिल नाडु . .	559	412
पश्चिम बंगाल .	107	79
महाराष्ट्र .	52	33
आन्ध्र प्रदेश .	26	17
उत्तर प्रदेश	18	12
कर्नाटक .	8	3
पंजाब हरयाणा दिल्ली . .	5	5

Payment of Income Tax by Central Ministers

5225. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of Income-tax paid by each of the Ministers and Deputy Ministers of the Union Government during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

विस्फोटक पदार्थों के निर्यात के लिये नकद सहायता

5226. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ मदों के निर्यात के बारे में नकद सहायता देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तापित कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है, और

(ग) विस्फोटक पदार्थों के निर्यात के लिये नकद सहायता देने की घोषणा किये जाने की कब संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नकद सहायता मंजूर करने का कोई विशेष प्रोग्राम सरकार के विचाराधीन नहीं है । किंतु लागत आंकडों आदि की जांच करने के पश्चात पृथक पृथक वस्तुओं पर सरकार समय समय पर नकद सहायता मंजूर करती है ।

(ग) सरकार ने विस्फोटकों के निर्यात पर नकद सहायता मंजूर न करने का विनिश्चय किया है ।

सेंचुरी मिल्स द्वारा आग न पकड़ने वाली साड़ी का बनाया जाना

5227. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंचुरी मिल ने देश में पहली बार आग न पकडने वाली साडी बनायी है और

(ख) यदि हां, तो उसके मूल्य और मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस संबंध में सेंचूरी मिल्स से कोई अधिकारिक सूचना नहीं मिली है । किन्तु यह पता लगा है कि मिल ने तजुरबे के तौर पर, आग न पकडने के गुण वाली सुपरफाइन श्रेणी की साडियों का उत्पादन किया है ।

(ख) प्रत्येक साडी की लागत 80 रुपये कोट करने की सूचना मिली है। क्यों कि उत्पादन केवल तजरुबे की अवस्था में हैं, इसलिए इसकी मांग का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

मलयेशिया के साथ संयुक्त उपक्रम

5228. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया ने अनेक रबड़ तथा वन आधारित उद्योगों में भारत के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है,

(ख) क्या संयुक्त उपक्रमों के बारे में कुछ करार भी किये गये है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मलयेशिया के सरकारी प्राधिकारियों ने मलयेशिया में रबड़ सहित बहुत से क्षेत्रों में भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने में तथा मलयेशिया में उद्योगों को स्थापित करने के लिए भारत से तकनीकी सहायता प्राप्त करने में भी दिलचस्पी दिखाई । कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है और किसी विशेष उद्योग को स्थापित करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है ।

भारत और नेपाल द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये बनाई गई योजना

5229. **श्री सी० के० जाफ़र शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या भारत और नेपाल सरकारों ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने लिए संयुक्त रुप से कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) तथा (ख) भारत तथा नेपाल सरकारी यात्रा संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई यू ओ टी ओ) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय यात्रा आयोग (एस आर टी सी) के सदस्य हैं । दक्षिण एशिया क्षेत्रीय यात्रा आयोग का उद्देश्य संयुक्त सहयोग द्वारा धनवान देशों से इस क्षेत्र के लिए पर्यटन यातायात को बढाना है । इस प्रयोजन के लिये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय यात्रा आयोग संयुक्त रूप से अभिवृद्धि एवं प्रचार करने, क्षेत्रीय पर्यटन प्रशिक्षण सुविधाओं का गठन करने, यात्रा लेखकों तथा यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा परिचायार्थ भ्रमणों, सास्कृतिक पर्यटन एवं युवा यात्राओं के विकास के लिये विशेष यात्रा रियायतों, सीमा औपचारिकताओं के सरलीकरण एवं एक रूपता आदि पर विचार कर रहा है ।

ऊन तथा ऊनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

5230. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन तथा ऊनी वस्तुओं के निर्यात में पहले वर्षों की तुलना में वर्ष 1972-73 में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है,

(ख) ऊन तथा ऊनी वस्तुओं का निर्यात परस्पर किस अनुपात में किया गया, और

(ग) क्या ऊन अथवा ऊनी वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में अच्छी मांग है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। वृद्धि वास्तव में 36.6 प्रतिशत है।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान ऊन तथा ऊनी माल के कुल निर्यात लगभग 48.19 करोड़ रुपये के थे। इसमें से, कच्ची ऊन का निर्यात 601.41 लाख रुपये का था जो कुल निर्यात का 12.48 प्रतिशत बैठता है।

(ग) जी हां।

मूंगफली की एच० पी० एस० किस्म का निर्यात

5232. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों को एच० पी० एस० किस्म की मूंगफली निर्यात संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने के गुजरात के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस अस्वीकृति के क्या कारण है,

(ग) क्या राज्यपाल के सलाहकार ने केन्द्र सरकार से इस पर विचार करने का फिर से अनुरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर पुर्नविचार करने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1973 में गुजरात सरकार ने हाथ से चुनी तथा छंटी मूंगफली के निर्यात पर अस्थाई रूप से रोक लगाने की एक प्रस्थापना रखी थी। देश के समग्र आर्थिक हितों के अनुरूप न होने के कारण इसे केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में कनाडियन बैंक का कार्य

5233. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडियन बैंक मार्च, 1974 से भारत में पहली बार कार्य करना आरंभ करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बैंक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने मे भारत की सहायता करेगा, और

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य के ध्यान में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर 1973 में बैंक आफ मान्ट्रील से प्राप्त प्रस्ताव है जिसमें नयी दिल्ली में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की बात कही गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने बैंक आफ मान्ट्रील को सूचित कर दिया था कि भारत में सिर्फ प्रतिनिधी कार्यालय (जो बैंक व्यवसाय नही करता हो (खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा।

रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि बैंक आफ मान्ट्रील का प्रतिनिधि कार्यालय खुल जायेगा तब, वह केवल सम्पर्क कार्यालय के रूप में, कारोबार के सम्बन्ध में भारत आने वाले अपने कनाडी असामियों को सहायता देने का कार्य करेगा तथा भारतीय व्यापारियों का विदेशों में केवल कनाडा में है नहीं बल्कि संसार में अन्य स्थानों पर भी, जहाँ बैंक की शाखाओं हैं, परिचय करवा कर, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा।

भारतीय उपभोक्ता परिषद् से ज्ञापन

5234. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को बजट प्रस्तावों के बारे में भारतीय उपभोक्ता परिषद से एक ापन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उपभोक्ता परिषद से प्राप्त ज्ञापन में अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से राजस्व को जुटाने तथा उपभोक्ताओं पर उसके प्रभाव के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया है। इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे अनाचारों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। जहां इसमें प्रत्यक्ष कराधान में दी गयी राहत की सराहना की गयी है वहां साथ ही यह भी कहा गया है कि बजेट में लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों द्वारा उसे प्रतिसन्तुलित कर दिया गया है।

सरकार की सदा यह चेष्टा रही है कि नये करों का प्रभाव जहां तक सम्भव हो सामाय पर न पड़े और कराधान के लिए चुनी गयी वस्तुओं का चयन भी इसी मापदण्ड को ध्यान में रखते ए किया जाता है।

ज्ञापन में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने और इसके समान वितरण जैसे मामलों की बात कही गई है। सरकार इस बात से पूर्णतया सहमत है कि अधिक उत्पादन द्वारा ही मुद्रा स्फीतीकारी दबावों पर रोक लगाई जा सकती है और देश की पंचवर्षीय योजनाओं का यही लक्ष्य है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है योजना आयोग ने अत्यावश्यक वस्तुओं और आम उपयोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी और समिति की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

जहां तक जमाखोरी और मुनाफाखोरी जैसी समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने का सम्बन्ध है; अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के अधीन राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दे दिये गये हैं।

अकबर तथा अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये कल्याण योजनायें

5235. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकबर होटल ने अपने कर्मचारियों के लिये कोई कल्याण योजना नहीं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अशोक होटल में कर्मचारियों के लिये कई कल्याण योजनायें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी):(क) और (ख) अकबर होटल ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, होटल कैंटीन से सहायता प्राप्त भोजन की व्यवस्था, ब्याज मुक्त ऋण तथा ग्रुप बीमा योजना जैसे कल्याणकारी उपाय किये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कल्याणकारी योजनाओं में ये उपाय सम्मिलित हैं :—होटल की डिस्पेंसरी से चिकित्सा सहायता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, टी० बी० के रोगियों को चिकित्सा सहायता, कर्मचारी-कैंटीन की व्यवस्था, ब्याज-मुक्त ऋण एवं अग्रिमधन, पुत्रियों तथा आश्रित बहनों की शादी के लिये वित्तीय सहायता।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

5236. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रीय उत्पादों के निर्यात में अभूतपूर्व वद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ग) इसका निर्यात करने वाले निर्यात-कर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या इन निर्यात-कर्ताओं को सरकार द्वारा धन दिया जाता है ; और

(ङ) क्या कोई बड़े उद्योग-गृह भी इस व्यापार में लगे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) 1973 के दौरान समुद्री उत्पादों के 79.58 करोड़ रुपये के मूल्य के 48,785 मे० टन निर्यात हुए जोकि अब तक के निर्यातों में सर्वाधिक थे। यह वृद्धि मुख्य रूप से जमी हुई शिम्प मछलियों के कारण हुई। जमी हुई मेंढक की टांगे, जमी हुई मछली, डिब्बों में बंद शिम्प, सुखाई हुई प्रौन तथा मछली चूरे के निर्यातों में भी काफी प्रगति हुई है।

(ग) इसमें व्यापार करने वाले तीन सौ से भी अधिक निर्यातक हैं। चोटी के दस निर्यातक निम्न लिखित हैं :

(1) मै० मेजायिल इंडस्ट्रियल एण्ड कर्मश्यल एन्टरप्राइजिज।

(2) मै० एस्मारियों एक्सपोर्ट एन्टरप्राइजिज।

(3) मै० इस्टर्न सी फूड एक्सपोर्टस् प्रा० लि०।

(4) मै० केरल फूड पैकर्स।

(5) मै० इण्डो मेरिन एजेन्सीज़ (केरल)।

(6) मै० जार्ज माइजो।

(7) मै० सदर्न सी फूड प्रा० लि०।

(8) मै० ओशनिक प्राड्क्टस एक्स्पोर्टिंग कं०।

(9) मै० भारत सी० फूडस।

(10) मै० इंडिया तम्बाकू कं०।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मै० टाटा आयल मिल्स, मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया प्रा० लि०, मै० इंडिया तम्बाकू कं० आदि जैसे बड़े औद्योगिक गृह भी समुद्री उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

Overdrafts by States

5237. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have ascertained from the States, which have drawn overdrafts in 1972-73 and 1973-74, the reasons for overdrafting; and

(b) if so, what are those reasons?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) & (b) The Government of India are in close touch with the State Governments regarding their ways and means position. Under the procedure which has been worked out in consultation with the Planning Commission and the Reserve Bank of India and which has come into effect from 1st May, 1972 the States are not permitted to utilise overdrafts on the RBI as a budgetary resource. During 1972-73 on occasions when the State Governments were overdrawn with the RBI it was on account of temporary and unforeseen imbalance between receipts and expenditure.

As regards 1973-74 the position will be known only after the close of the current financial year.

Excise Duty on Export of Raw Jute

5238. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the excise duty on the export of raw jute has been removed from October, 1973;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the loss Government suffered on this account?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c) There was no excise duty on export of raw jute. The question of its removal from October, 1973 did not, therefore, arise.

बम्बई तथा बंगलौर से बेलगाम तक विमान सेवा

5239. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा बंगलौर से बेलगाम तक विमान सेवा फिर से शुरू कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विमान सेवा को कब से फिर शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) बेलगांव तथा बम्बई के बीच की विमान सेवा को 18–3–1974 से, जब से कि नयी समयावलि लागू हुई, पुन: चालू कर दिया गया है तथा इसकी सप्ताह में दो आवृत्तियां होंगी। परन्तु ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरलाइंस ने कुछ सेवाओं को, जिनमें बेलगांव/बंगलौर सेवा भी सम्मिलित है बन्द कर दिया है।

कच्चे काजू का निर्यात

5240. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 और 1972-73 के वर्षों में कुल कितनी मात्रा में कच्चे काजू का आयात किया गया; और

(ख) इस आयातित कच्चे काजू का वितरण राज्यवार और कारखानावार, किस प्रकार किया गया था।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)

		(मात्रा मे० टनों में)
(1)	1971-72 .	1,57,457
(2)	1972-73 .	2,01,471

(ख) काजू का आयात 1-9-1970 से भारतीय काजू निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया था। 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान राज्यों में स्थित पात्र फैक्टरियों को निम्नलिखित प्रकार से आबंटन किया गया था :—

1971-72:	(मात्रा मे० टनों में)
केरल :	1,52,404
मैसूर :	3,850
सिधे भारतीय काजू निगम लि० द्वारा साधित .	1,203
योग .	1,57,457

1972–73 :	
केरल . . .	1,92,334
मैसूर . . .	7,483
सीधे भारतीय काजू निगम लि० द्वारा साधित	1,654
योग	2,01,471

राज्यों पर ऋण की बकाया राशि

5241. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) राज्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली ऋणों की वर्तमान कुल बकाया राशि से प्रत्येक राज्य द्वारा (एक) केन्द्र को और (दो) रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कितनी कितनी राशि भुगतान करनी है; और

(ख) क्या राज्य नियमित रुप से इन ऋणों का भुगतान कर रहे हैं और यदि नहीं, तो कौन से राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 31-3-1973 को राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार और भारतिय रिजर्व बैंक को राज्यों द्वारा देय कुल बकाया ऋणों का एक राज्यवार विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6596/74]**

(ख) भारत सरकार के ध्यान में अदायगी न किये जाने, का कोई विशेष मामला नहीं आया है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कमी

5242. श्री मधु दण्डवते :
श्री वसन्त साठे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु में कमी तथा जीवन अवधि में वृद्धि को देखते हुए सरकार जीवन बीमा निगम की पालिसियों की प्रिमियर दर में कमी करने के लिये प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पालिसीधारियों द्वारा प्रीमियम के रुप में अदा की गई राशि के वास्तविक मूल्य में क्षरण को रोकने के लिये कोई कदम उठाने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस की रुपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) विस्तृत समीक्षा के बाद, जीवन बीमा निगम ने 1 फरवरी 1970 से बीमा की कुछ अलाभ योजनाओं के अंतर्गत और 1-3-1971 से बीमा की कुछ अन्य अलाभ योजनाओं के अंतर्गत प्रीमियम की दरों को घटाया है। वार्षिक योजना के अंतर्गत लागू दरों को 1-3-1972 से उदार बना दिया गया है। परन्तु, विस्तृत समीक्षा से पता चला कि भविष्य में होने वाले खर्चों की प्रवृत्ति की अनिश्चितता को देखते हुए सलाभ योजनाओं के अंतर्गत दरों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर विचार करना तब तक स्थगित रखना वांछनिय है जब तक खर्चे स्थिर नहीं हो जाते।

(ग) तथा (ख) जीवन बीमा पालिसियां वित्तीय समझौते है और उन में मुद्रा-मुल्य में ह्रास की प्रतिपूर्ति के लिए कोई शर्त नहीं है। परंतु, सलाभ पालिसियों के मामले में बोनस मंजूर करने से कुछ राहत मिल जाती है ।

Decline in Export of Ready made Garments

5243. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantum of export of ready made garments during 1972-73; and

(b) whether the exports made in 1973-74 were as per the targets fixed?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Exports of readymade garments of all fibre fabrics from the country during 1972-73 were to the extent of Rs. 35.56 crores.

(b) Exports of readymade garments during 1973-74 are estimated to have exceeded Rs. 50 crores which is substantially in excess of the target for the year.

Delhi-Indore Air Service

5244. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the Delhi-Indore air-passenger service has been stopped;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which this service will be resumed?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) to (c) Yes, Sir. In view of the steep increase in the price of aviation fuel, it became necessary for Indian Airlines to re-cast their schedule. According to the new schedule effective from 18-3-1974, some services including the Delhi-Indore service have been discontinued. At present it is not possible to state when it would be restored.

गुजरात में निर्धारितियों द्वारा धन कर अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

5245. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोई निर्धारिति हाल ही में धन कर अधिनियम के उपबधों का उल्लंघन करता पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार ने धनराशि वसूल करने तथा दोषियों को दंडित करने के लिये क्या कदम उठाये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) इस प्रश्न का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। निर्धारितियों द्वारा धन-कर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों से हो सकता है ।

(क) बिना यथोचित कारण के धारा 14 (1) के अन्तर्गत, अथवा धारा 14 (4)तथा धारा 17 के अन्तर्गत नोटिस के उत्तर में विवरणी पेश न कर सकना ;

(ख) धारा 16(2) अथवा 16(4) के अन्तर्गत नोटीस के अनुपालन में बिना यथोचित कारण के असमर्थ रहना ;

(ग) किसी परिसम्पत्ति के ब्यौरे छिपाना अथवा किसी परिसम्पत्ति अथवा ऋणों के गलत ब्यौरे पेश करना

(घ) स्वयं-निर्धारण पर कर अदा नहीं करना, जैसा कि धारा 15 बी में निर्धारित है ;

(ङ) अनन्तिम निर्धारण, अथवा नियमित निर्धारण पर दिये गये समय के भीतर, मांगा गया, कर अदा न करना ;

(च) धारा 37 के अन्तर्गत जारी किये गये संम्मनों का अनुपालन न करना ;

(छ) दिये गये समय के भीतर ब्याज जुरमाना अथवा दण्ड अदा न करना ।

2. इन चूकों के लिए दण्ड और अथवा इस्तगासे की व्यवस्था है। जिन करों के मांग को निर्धारिती ने अदा करने में चूक की थी उनकी वसूली के लिए उठाए गये कदमों में दण्ड लगाने से लेकर चूककर्ता की सम्पत्तियों के अभिग्रहण और विक्रय तक शामिल है और यहां तक कि उसको दिवानी जेल में बंद भी किया जा सकता है।

3. गुजरात में सभी धन-कर निर्धारितियों के संबंध में उपर्युक्त सूची में दी गई चूकों, इन मामलों के लए और अपराधियों को दण्ड देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों के बारे में सूचना इकट्ठा करना बहुत श्रमसाध्य होगा और उसमें बहुत समय लगेगा, भले ही ऐसी सूचना का संबंध अल्प अवधि से हो ।

4. स्पष्टतः माननीय सदस्य का आशय निर्धारितियों द्वारा किसी परिसम्पत्ति के ब्यौरे छिपा कर अथवा किसी परसम्पत्ति अथवा ऋणों के गलत ब्यौरे पेश करके धन-कर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने से है। इन परिस्थितियों मे धारा 18 (1) (सी) के अन्तर्गत लगाए गये दण्डों और 1-4-73 से 28-2-74 तक की अवधि के दौरान की गई इस्तगासे की कार्यवाही के बारे में ही सूचना उपलब्ध है ।

5. 1-4-73 से 28-2-74 को अवधि में धन-कर अधिनियम की धारा 18(1) (सी) के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों, जैसे—बैंक खाता, भूमि-खण्ड भूमि अर्जन के लिए प्राप्य मुआवजा, विकास छूट आरक्षित निधि में शेयर, आदि के छिपाने अथवा परिसम्पत्तियों के गलत ब्यौरे पेश करने के लिए दण्ड 19 निर्धारितियों के मामलों में लगाया गया था जिनमें 66 कार्यवाहियां अन्तर्ग्रस्त थीं।

6. इसी अवधि के दौरान एक निर्धारिती के खिलाफ, निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिए दाखिल धन-कर विवरणी में अपने विदेशी बैंक खाते में जमा शेष रकम घोषित न करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद की अदालत में धन-कर अधिनियम की धारा 36(2) के अन्तर्गत 23-1-74 को एक शिकायत दायर करके इस्तगासे की कार्यवाही की गई थी। इस मामले में धन का फिर से निर्धारण भी किया गया था।

गुजरात से निर्यात

5246. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के वर्ष 1973 की अन्तिम तिमाही तथा 1974 की पहली तिमाही में पृथक-पृथक किन वस्तुओं का उत्पादन हुआ तथा विदेशों को कितना निर्यात हुआ :

(ख) इस निर्यात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) क्या पिछले दो वर्षों की इन्हीं अवधियों की तुलना में इन अवधियों के दौरान निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) राज्यवार निर्यात आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

ब्रिटिश राष्ट्रिकों द्वारा भारत से विदेशी मुद्रा में पेंशन लिया जाना

5247. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ब्रिटिश राष्ट्रिका जब भी भारत से पौंड स्टरलिंग में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटेन की सरकार के साथ 1955 में हुए समझौते के परिणामस्वरूप, उन अधिकारियोंके सम्बन्ध में स्टर्लिंग पेंशनों का दायित्व, जो भारत सरकार या भारत के किसी राज्य सरकार की सेवासे निवृत्त हुए हैं, पहली अप्रैल, 1955 से ब्रिटन सरकार को अन्तरित कर दिया गया था। उन ब्रिटिश नागरिकों की पेंशनों का दायित्व, जो स्वतंत्रता के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं और जो उपर्युक्त समझौते के अन्तर्गत नही आते, भारत सरकार पर है।

इसके अतिरिक्त किसी, गैर भारतीय अधिकारी को, (आई सी० एस० से सम्बन्धित अधिकारियों से भिन्न अधिकारी), जो 10 सितम्बर, 1949 से पहले सेवा में आ गया हो और जो सेवा निवृत्ति के बाद ब्रिटेन या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में रहा हो, स्टर्लिंग में पेंशन दी जा सकती है। भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारियों के, जिनमें आई० सी० एस० अधिकारी शामिल है, स्टर्लिंग पेंशन की अदायगी अस्थाई आधार पर की जा रही है।

मलेशिया को हाथियों का निर्यात

5248. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेशिया को हाथियों का निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) क्या केरल के प्रशिक्षित हाथियों का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार जो 31–3–1974 तक वैध है, भारत में किसी भी क्षेत्र से हाथियों का निर्यात पंजीकृत निर्यातकों द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जन्तु वार्डन। जंगलात के मुख्य संरक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करने पर किया जा सकता है कि जिन जन्तुओं का निर्यात किया जाना है वे कानूनी साधनों से प्राप्त किये गए हैं।

मलेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैंड के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करना

5249. श्री के० मालन्ना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा कोई उच्च स्तरीय दल मलयेशिया सिंगापुर तथा थाइलैंड को भेजा गया था क्योंकि इन देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की संभावनाओं की खोज करने के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि शीघ्र विदेशी मुद्रा का अधिक अर्जन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के निष्कर्ष क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बिजली, संरचनात्मक ढांचों आदि के क्षेत्र में टर्नकी परियोजनाएं स्थापित करने में मलयेशिया तथा सिंगापुर को भारत द्वारा सहायता दिये जाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के वास्ते एक प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया तथा सिंगापुर का अभी हाल में दौरा किया जिसका नेतृत्व भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव ने किया था। प्रतिनिधिमंडल ने इन क्षेत्रों में सहयोग देने तथा संयुक्त उद्यम स्थापित करने में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के संबंध में भी काफी गुंजायश पायीं। तथापि, प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोई विशिष्ट करार निरूपित नहीं किया गया।

अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में और आगे विस्तृत बातचीत की जानी है। भारी उद्योग मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई देशों का दौरा करने के लिए एक विशेषज्ञ-दल भेजने की योजना बनाई है। इस तरह की बातचीत करने व इस देश में पहले से विकसित प्रौद्योगिक आधार का स्वयं अध्ययन कर सकने के उद्देश्य से भारत का दौरा करने के लिए मलयेशिया से भी विशेषज्ञ दलों के आने की संभावना है।

लघु उद्योगों के लिये विश्व बैंक से ऋण

5250. श्री के० मालन्ना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन के लिये देश में लघु उद्योगों को विश्व बैंक से मुक्त विदेशी मुद्रा में आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होगा ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये बैंक के किसी दल ने निर्यात संवर्धन के लिये उनकी वितीय आवश्यकताओं का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विश्व बैंक समूह ने छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऋण दिया है। भारत सरकार, लघु उद्योगों, जिनमें निर्यात की संभावनाओं वाले उद्योग शामिल हैं, के विकास के लिए विश्व बैंक समूह से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रही है।

(ख) और (ग): विश्व बैंक का एक दल हाल में एक ऐसी परियोजना का पता लगाने के लिए भारत में आया था जिस के लिए विश्व बैंक समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता दी जा सकती हो और इस की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

नये रूपों में चाय की मांग उत्पन्न करना

5251. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा चाय उद्योग स्वयं अपने अनुसंधान और उद्यम द्वारा ठंडे पेय पदार्थों की तरह चाय को बतलों में बेच कर अन्य देशों से एक कदम आगे रहने के लिए नये रूपों में चाय की मांग उत्पन्न करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख):चाय के नये रूपों, यथा इंस्टैंट चाय तथा बोतल बंद चाय के उत्पादन पर, चाय बोर्ड द्वारा प्रायोजित तथा बिन पोषित एक योजना के अधीन, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी गवेषणा संस्थान में गवेषणाएं की जा रही हैं। इन्स्टैंट चाय प्रक्रिया के विकास पर गवेषणा संबंधी एक योजना चाय गवेषणा एसोसिएशन के टोकलाई एक्सपैरिमेंटल स्टेशनपर भी कार्यान्वित की जा रही है। एक बार चाय उद्योग चाय के इन नये रूपों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दे तो इन उत्पादों के लिए स्वदेश तथा विदेशों में दोनों स्थानों पर मांग पैदा करना संभव होगा।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

5252. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन उद्योग के बारे में इंडियन बैंक एसोशियेशन द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इंडियन बैंक एसोशियेशन ने फरवरी, 1974 में "ए प्रोफाइल आफ जूट इन्डस्ट्री" के नाम से एक अध्ययन प्रकाशित किया था जिसके अन्तर्गत लगभग 34 पटसन मिलों के संबंध में 1971 तथा 1972 हेतु उनके प्रकाशित लेखाओं के आधार पर विभिन्न वित्तीय पहलुओं जैसे कि परिसम्पत्तियों दायित्वा, पुंजी ढांचा, बिक्रियों, व्यवसाय, मालसूचियों आदि के आंकड़ों का विश्लेषण दिया गया था।

(ख) यह अध्ययन मूल रूप में वाणिज्यिक बैंकों के लिए है और कुछ मिलों के संबंध में दी गई वित्तीय स्थिति उनकी संयुक्त गतिविधि से संबंधित है जिसमें पटसन के अलावा सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, सूती वस्त्र आदि जैसे उत्पाद शामिल है। यदि इन कम्पनियों के वित्तीय परिणामों को अलग कर दिया जाए तो वित्तीय चित्रण का स्वरूप अध्ययन में उल्लिखित स्वरूप से भिन्न होगा।

(ग) पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

काले धन का पता लगाने के लिये छापे

5253. श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में तथा 15 मार्च, 1974 तक आयकर अधिकारियों ने काले धन का पता लगाने के लिये देश के विभिन्न भागों में, राज्यवार तथा संघराज्य क्षेत्रवार कितने छापे मारे; और

(ख) इनके परिणामस्वरूप काले धन की कितनी राशि का पता चला तथा दोषियों पर चलाये गये मुकदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर विभाग द्वारा 1-1-1973 से 28-2-1974 तक की अवधि में आयकर आयुक्तों के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में ली तलाशियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है। ये ब्यौरे राज्यवार नहीं रखे जाते।

आयकर आयुक्त का कार्यक्षेत्र	तलाशियों की संख्या
बम्बई	112
दिल्ली	71
कानपुर . .	80
मद्रास . .	89
पूना	45
पश्चिम बंगाल .	57
आंध्र प्रदेश .	13
केरल . . .	6
मैसूर . .	2
नागपुर	4
लखनऊ .	32
गुजरात . .	20
भोपाल .	41
पटियाला . .	22
जयपुर	9
उड़ीसा	8

(ख) इन तलाशियों के परिणामत: 527.20 लाख रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में नियमित कर-निर्धारण अभी अनिर्णीत पड़े हैं और कर-निर्धारण पूरे किये जाने के बाद जहां कहीं आवश्यक होगा, इस्तागासे की कार्यवाही शुरु की जायगी।

तस्करी में सीमा शुल्क अधिकारियों का कथित हाथ

5254. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री तस्करी में सीमाशुल्क अधिकारियों के कथित हाथ के बारे में 16 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 886 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच इस बीच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) ओर (ख) चूंकी चौकीदार, जिसने मूल शिकायत दायर की थी, उस माल का विवरण नहीं दे पाया, जिसे हटाने का प्रयत्न किया गया था और चूंकि 3–9–1973 को एस० डी० एम० के सम्मुख शपथ पत्र में वह मुकर गया था इसलिये पुलिस थाने में दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को पुलिस प्राधिकारियों ने फाइल कर दिया है। चौकीदार फरार है। कथित घटना में अन्तर्ग्रस्त पांच अधिकारियों में से तीन की मुअत्तली जारी है और पांचों अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

कालीन निर्यातकर्ताओं के लिये ऊनी धागा

5255. श्री इसहाक सम्भली : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीन निर्यातकर्ताओं को पर्याप्त ऊनी धागा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) उपलब्धता की तो कोई समस्या नहीं है, पर निर्यातकों ने कालीन उत्पादन के लिए ऊनी धागे की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में शिकायत की हैं। इसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने से भारत से कच्चे ऊन का अपेक्षाकृत अधिक निर्यात हुआ।

Raids by Income Tax Authorities in Madhya Pradesh

5256. Phool Chand Verma: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether the Income-tax authorities conducted raids on the premises of several contractors dealing in excise goods in Indore (Madhya Pradesh) on the 10th February, 1974 in order to unearth blackmoney;

(b) if so, the total amount of money, ornaments and records sealed in these raids;

(c) the total value of ornaments and the nature of incriminating material found; and

(d) the places in Madhya Pradesh, besides Indore, where such raids were conducted by the Department of Income-tax in February and salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) At Indore cash of Rs. 3,25,481, gold ornaments weighing 38.642 Kg. were found. Out of this, cash of Rs. 35,000 was seized and Rs. 4,000/- was frozen. Gold ornaments weighing 5.636 Kg. were seized and 1.237 Kg. frozen. Silver ornaments weighing 2.75 Kg., Silver bars weighing 24.712 Kg. and other silver articles weighing 9.230 Kg. were seized and silver ornaments weighing 1.95 Kg. frozen. Books of accounts like cash book, ledger journal and loose papers showing business transactions and documents evidencing investments by partners were also seized.

(d) Besides Indore, searches at Gwalior, Morena, Jabalpur, Bilaspur, Sakti, Baloda Bazar and Ujjain were also conducted. At these places cash of Rs. 26,19,445, Fixed deposit receipts of Rs. 1,35,000, promissory notes of Rs. 16,700 and gold ornaments weighing 3.563 Kg. and books of accounts, loose papers etc. pertaining to the business of the assessees were found. Cash of Rs. 25,09,185 and gold ornaments weighing 3.562 Kg. and books of accounts and loose papers were seized. Investigations in these cases are in progress.

जम्बो विमानों की उड़ानों से आय को बढ़ाने के लिये कार्यवाही

5257. **श्री शाम सुन्दर महापात्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्बो विमान की उड़ानों से पर्याप्त लाभ हो रहा है अथवा इनसे हानि हो रही है; और

(ख) इन उड़ानों से आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एयर इंडिया के बोइंग 747 (जम्बो) विमान सामान्यतया सन्तोषप्रद समझे जाने वाले भार-अनुपातों (लोड फेक्टर्स) पर परिचालन कर रहे हैं परन्तु ईंधन मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई परिचालन लागतों से फिलहाल उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) जहां कहीं संभव हो सकता है एयरइंडिया किफायत करने की हर कोशिश कर रही है तथा अपनी बिक्री और आय को बढ़ाने के ज़ोरदार प्रयत्न कर रही है ।

श्री बीजू पटनायक और उनकी कम्पनियोंके विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

5258. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में श्री बीजू पटनायक और उनकी कम्पनियों से आयकर की बकाया राशि क्या है; और

(ख) उच्च न्यायालय में उनकी ओर से की गई आयकर के मामलों में कितनी रिट याचिकायें विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) 1-3-1974 को श्री बीजू पटनायक मामलों के समूह की ओर बकाया पड़ी देय आयकर की रकमें अनुबन्ध "क" में दी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6597/74**]

(ख) श्री बीजू पटनायक, उनकी कम्पनियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा दूसरी कम्पनियों, जिनसे उनका सम्बन्ध है, द्वारा दायर की गयी इकतालीस (41) रिट-याचिकाएं उच्च न्यायालय में अनिर्णित पड़ी हैं ।

बम्बई में वायदा बाजार कमीशन की भूमिका में परिवर्तन

5259. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बम्बई में वायदा बाजार कमीशन की भूमिका में कोई परिवर्तन करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं । वायदा बाजार आयोग, बम्बई के रोल में परिवर्तन करने की कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

आयकर विभाग में कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी (क्वासी परमानेंट) घोषित करने के आदेश

5260. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ ने आयकर आयुक्त, दिल्ली–1 से बार-बार अनुरोध किया है कि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गई है और जो पात्र हैं उन्हें अर्द्ध स्थायी घोषित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अभ्यावेदन पर आयकर आयुक्त ने कोई कार्यवाही की है तथा क्या संघ को कोई पत्र भेजा गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से एक सूची जुलाई 1973 में प्राप्त हुई थी जिसमें स्थायीवत् घोषित किये जाने के लिए दस चपरासियों के नाम दिये गये थे । तब से सभी दस व्यक्तियों को स्थायीवत घोषित कर दिया गया है तथा इस आशय का एक उत्तर संघ के महासचिव को भेज दिया गया है ।

अपरिष्कृत पटसन के आयात के लिये बंगला देश के साथ समझौता

5261. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा अपरिष्कृत पटसन के आयात के सम्बन्ध में बंगला देश सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान फसल के दौरान कितनी मात्रा में आयात किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस आयात के लिये बंगला देश को प्रति क्विंटल किस दर पर भुगतान किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कच्ची पटसन की 2 लाख गाठें आयात करने के लिए जनवरी, 1974 में एक करार हुआ था । यह आयात संतुलित व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत होंगे ।

(ख) यह संपूर्ण मात्रा, चालू पटसन मौसम के दौरान आयात की जाएगी ।

(ग) ये कीमतें, कच्ची पटसन की उस अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर आधारित है जो जनवरी 1974 में करार के होने के समय चल रही थी ।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना

5263. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने के उपाय के रूप में बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने संबंधी वांचू समिति की सिफारिश पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय किया है ताकि उपभोक्ता अपने द्वारा की गई खरीद पर बिक्री कर से बचने के लिए नकद प्राप्ति रसीद देने को टाल न सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के बारे में वांचू समिति की सिफारिश सरकार ने स्वीकार नहीं की है। किसी वस्तु पर बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में राज्यों के सर्वसम्मत अनुमोदन की आवश्यकता है इस संबंध में पांचवें वित्त आयोग ने यह अभिमत दिया था :—

"राज्यों के आम विरोध को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था को अन्य मदों अथवा वस्तुओं पर भी लागू करने की निकट भविष्य में स्पष्टतः कोई गुंजाइश नहीं है।"

पांचवें वित्त आयोग की यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है।

इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया की युक्तिकरण योजनायें

5264. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम की वर्तमान कमी तथा इसके बढ़ते हुए मूल्यों ने इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया को अपनी सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए विवश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी युक्तिकरण योजनाओं की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन युक्तिकरण योजनाओं से उड़ानों की अप्रयुक्त क्षमता को कहां तक कम/समाप्त किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) से (ग) **इण्डियन एयरलाइंस**—विमानन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण, इण्डियन एयरलाइंस के लिए अपने विमान बेड़े से वाइकाउंट तथा डकोटा विमानों को समाप्त कर देना आवश्यक हो गया है। 18 मार्च, 1974 से लागू होने वाली उनकी संशोधित समयावलि के अनुसार, कुछ शहरों के लिए विमान सेवाएं बंद कर दी गयी हैं तथा कुछ अन्य शहरों के लिए सेवाओं की आवृत्तियों में कटौती कर दी गयी है। संशोधित समयावली तैयार करते समय कारपोरेशन ने अपने विमान बेड़े के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता परिचालित मार्गों की राजस्व संभाव्यता तथा जन शक्ति साधनों को ध्यान में रखा है।

एयर इण्डिया :

कुछ देशों में ईंधन की उपलब्धता में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप, एयर इण्डिया को फरवरी तथा मार्च, 1974 के दौरान भारत–यू० एस० ए०–भारत, यू० के०–यू० एस० ए०–यू० के० तथा भारत-जापान-भारत मार्गों पर आवृत्तियों में कमी करने पड़ी थी। ईंधन संकट के कारण बाध्य रूप से की गयी कटौतियाँ कुछ चुनी हुई सेवाओं में ही की गयी हैं तथा केवल ऐसी उड़ाने ही, रद्द की गयी हैं जो कि मध्य-सप्ताह में की जा रहीं थीं अथवा जिनका भार अनुपात (लोड फैक्टर) कम था। एयर इण्डिया ने अनिश्चित ईंधन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पांचवे बोइंग–747 विमान की खरीद को भी स्थगित करने का फैसला किया है। एयर इण्डिया ने 1974-75 में विमान बेड़े के उपयोग को और अधिक बढ़ाने की योजना बनाई है।

त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

5265. **श्री दशरथ देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या है;

(ख) क्या भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक बैंक में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं और प्रत्येक बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या वर्ग-वार कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केवल दो राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात यूनाइटिड कर्मशियल बैंक और यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया में दो शाखाएं त्रिपुरा में हैं।

(ख) इन बैंकों ने सूचित किया है कि वे सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्त पद आरक्षित करने के सम्बन्ध में सरकार की हिदायतों का पालन कर रहे हैं।

(ग) जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से त्रिपुरा में बैंक कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या और उनमें / अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	यूनाइटिड कर्मशियल बैंक		यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया	
	जोड़	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति	जोड़	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति
अधिकारी	1*	..	7	..
लिपिक	2	..	54	2
अधीनस्थ कर्मचारी	2	..	24	2

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की त्रिपुरा की अगरताला शाखा में कर्मचारियों की भर्ती

5266. श्री दशरथ देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की त्रिपुरा की अगरताला शाखा कार्यालय में अब तक भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने स्थानीय लोग है;

(ग) क्या भर्ती में वहां के स्थानीय लोगों को कोई प्राथमिकता दी जाती हैं; और

(घ) क्या भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के बारे में भारत सरकार के परिपत्र का अनुसरण किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंक ने सूचना दी है कि राष्ट्रीयकरण के बाद उसने अगरतला शाखा में 26 कर्मचारियों की नियुक्ति की है। बैंक के अनुसार, ये सभी व्यक्ति त्रिपुरा राज्य के है जिनमें से 19 कर्मचारी अगरतला के निवासी हैं। बैंक में लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्यवार / क्षेत्रवार की जाती हैं और किसी क्षेत्र/राज्य विशेष से सम्बन्धित व्यक्तियों को, सामान्यतः बैंक की उसी क्षेत्र/राज्य में स्थित शाखाओं/कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है।

(घ) बैंक ने सूचित किया है सीधी भर्ती में वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की हिदायतों का पालन कर रहा है।

*अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर चुने गए।

उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना

5267. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक पटसन मिल की स्थापना करने संबंधी कार्य में अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आशय पत्र को लाइसेंन्स में बदल दिया गया है, भूमि प्राप्त हो गई है तथा वित्तीय प्रबंध कर लिए गए हैं ।

(ख) ऐसा अनुमान है कि मिल की स्थापना का कार्य लगभग ढ़ाई वर्षों में पूरा हो जायेगा ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से राक फास्फेट का आयात

5268. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस वर्ष 20 लाख टन राक फास्फेट का आयात करने का प्रयास कर रहा है ;

(ख) इस पदार्थ के लिये हमारी वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) देश में ही राक फास्फेट का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विचार वर्ष 1974–75 के दौरान 11 लाख मे० टन का आयात करने का है ।

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1974–75 के लिए कुल आवश्यकता 14.05 लाख मे० टन की होगी ।

(ग) उदयपुर, राजस्थान में स्थित निक्षेपों के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

झामर कोटरा एक फास्फेट निक्षेप इन निक्षेपों की खोज राजस्थान सरकार के खान तथा भुविज्ञान विभाग ने वर्ष 1968 में की थी । देश में एक फास्फेट के सभी ज्ञात निक्षेपों में झामर कोटरा सब से ज्यादा आशाजनक है । एक विदेशी परामर्शदाता फर्म में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से आर्थिक सहायता लेकर, विश्व बैंक के माध्यम से संभाव्यता अध्ययन तैयार किया है । चूंकि इन निक्षेपों का फायदा उठाने के लिए सम्यक योजना और भारी पूंजी की जरूरत है, अत: पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है जो संभाव्यता अध्ययन के तकनीकी पहलुओं पर गौर करेगी और यह फैसला करेगी कि इन निक्षेपों से फायदे उठाने के लिए केन्द्र-राज्य भागीदारी का संगठन ढ़ांचा कैसा हो । इस समय राज्य सरकार इन निक्षेपों के बी० तथा डी० ब्लाकों की खुदाई कर रही है और वहां से लगभग 12–13 हजार मे० टन मासिक उत्पादन होता है ।

मटोन राक फास्फेट निक्षेप

हिन्दुस्तान जिन्क लि० द्वारा, जो खान विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, इन निक्षेपों की खुदाई करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं । 2.35 करोड़ रु० की लागत से मटोन स्थित राक फास्फेट की खान के विकास तथा परिष्करण सुविधा के लिए इस कम्पनी (हिन्दुस्तान जिंक लि०) को अगस्त 1972 में प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी । मटोन स्थित परिष्करण संयंत्र के संबंध में अब काम शुरू कर दिया गया है और इस बीच मटोन के राक फास्फेट का परिष्करण कम्पनी के जावर स्थित परिष्करण कारखाने में करने के लिए कोशिश की जा रही है ।

9—L. S. S. (ND)/74

पश्चिम एशियायी देशों में भारत-हंगरी संयुक्त उद्यम

5269. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी के शुरू में भारत की यात्रा करने वाले हंगरी के व्यापार शिष्टमंडल ने पश्चिम एशियाई देशों में भारत हंगरी संयुक्त उद्यमों को खोलने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण के लिये किन वस्तुओं का सुझाव दिया गया है और किन शर्तों पर; और

(ग) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) किसी विशिष्ट क्षेत्र की चर्चा किये बिना ही इस विषय पर हंगरी के तथा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई बैठकों के दौरान कुछ सामान्य प्रकार के विचार-विमर्श हुए है। दोनों पक्षों ने इस विचार का स्वागत किया है परन्तु अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई सुनिश्चित प्रस्थापना तैयार नहीं की गई है।

आय-विभाग में कर-निर्धारण के लिये संक्षिप्त कार्यवाही की योजना

5270. **श्री दलीप सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग में कर-निर्धारण के लिए संक्षिप्त कार्यवाही की एक योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या आयकर विभाग ने समस्त देश में जने सम्पर्क सप्ताह का आयोजन किया था और स्थल पर कर-निर्धारण का कार्य पूरा किया गया था;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 1973 तक स्थल पर कर-निर्धारण कुल कितने मामलों में किया गया और सरकार ने कर अपवंचन/चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) कितने मामलों में कर-निर्धारण स्थल पर पूरा किया गया अथवा कितने मामलों में कर-निर्धारण विभाग द्वारा आपत्ति उठाये बिना बाद में पूरा हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) आयकर विभाग ने सम्पूर्ण भारत में जन सम्पर्क सप्ताह मनाया तथा वित्तीय वर्ष 1972—73 में मौके पर निर्धारण पूरे किये गये। वित्तीय वर्ष 1973—74 में, केवल जन-सम्पर्क सप्ताह ही चलाया गया।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

अहमदाबाद तथा गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधी विमान सेवा

5271. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद का राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों जैसे राजकोट, जामनगर, भावनगर, भुज, सूरत तथा बलसाड़ के साथ विमान सेवा से सीधा सम्पर्क नहीं है जबकि इनमें से कुछ शहरों का पहले ही बम्बई के साथ विमान सेवा सम्पर्क बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य स्थानों के बीच सीधी विमान सेवा सम्पर्क स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा उपलब्ध सामित विमान बेड़े के कारण वर्तमान परि स्थितियों में ऐसा करना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विमानन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा अपने विमान बेड़े से वाइकाउंट तथा डकोटा विमानों को क्रमशः निकाल देने के निर्णय के कारण, इण्डियन एयरलाइंस के लिए 18-3-1974 से अपनी अनुसूची में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ शहरों के लिए विमान सेवाए बंद करनी पड़ी तथा कुछ अन्य शहरों के लिए सेवाओं की आवृत्तियों में कटौती करनी पड़ी।

केरल राज्य में वितरण हेतु कपड़ा

5272. **श्री सी० एच० मुहम्मद कोया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को नियंत्रित दरों पर वितरण करने के लिये मिल में बना कितना मोटा कपड़ दिया गया;

(ख) क्या केरल सरकार ने सूती कपड़ा आयोग से साड़ियों, धोतियों तथा मध्यम किस्मों के कपढ़े का आवंटन करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हा, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले छः महीनों के दौरान केरल राज्य को आवंटित किए गए कंट्रोल के कपड़े की माला की गई है।

(ख) तथा (ग) ओणम और क्रिसमस के त्योहारों के दौरान रेल राज्य को कंट्रोल के कपड़े के अधिक आबंटन के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए थे। ओणम के त्योहार के लिए कंट्रोल के कपड़े के आबंटन से संबंधित केरल के अनुरोध के आधार पर उन्हें धोतियों की 61 गांठे, लट्ठे की $777\frac{1}{4}$ गांठे और कमीजों के कपड़े की $629\frac{3}{4}$ गांठों तत्काल आबंटित कर दी गयी। बाद में कुछ क्वालिटियों का कपड़ा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर कंट्रोल के कपड़े की $851\frac{3}{4}$ गांठों का आबंटन कर दिया गया। क्रिसमस के त्योहार के लिए कंट्रोल के कपड़े के आबंटन से संबंधित उनके अनुरोध के आधार पर दिसम्बर, 1973 में लट्ठे और कमीजों के कपड़े की $1311\frac{1}{4}$ गांठों और जनवरी, 1974 में धोतियों, लट्ठे और कमीजों के कपड़े की 1121 गांठों का आबंटन कर दिया गया।

विवरण

केरल राज्य को आबंटित की गई कंट्रोल के कपड़े की मात्रा

मास	आबंटित मात्रा (1500–1500 मीटर की गांठे)
अक्तूबर, 1973	827
नवम्बर, 1973	583
दिसम्बर, 1973	1,311
जनवरी, 1974	1,121
फरवरी, 1974	488
मार्च, 1974	358

साइकिल निर्यातकों को नकद प्रोत्साहन देना बंद करना

5273. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साइकिल निर्यातकों को दिया जाने वाला नकद प्रोत्साहन बंद करने का निर्णय किया है; और

(ख) 1974 में जिन अन्य वस्तुओं पर नकद प्रोत्साहन बंद किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जिन अन्य मदों के निर्यात पर से 1974 में नकद प्रतिपूरक सहायता समाप्त कर दी गई है वे ये है :—

ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, गल्वेनाइज्ड (माइल्ड स्टील)।

इस्पात के पाइप तथा ट्यूबे, गल्वेनाइज्ड तथा अनगल्वेनाइज्ड़।

साइकिल ट्यूब वाल्वस्।

पेपर बोर्ड (स्ट्रा बोर्ड तथा मिल बोर्ड सहित)।

कागज, जो अन्यत्र उल्लिखित न हो।

टिशू कागज, सिगरेट टिशू कागज के अलावा।

अन्य वस्तुएं जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो, मुख्यत: कागज, विशेष कागज अथवा कार्ड बोर्ड तथा बोर्ड से बनी और कागज विशेष कागज बोर्ड से बने पैकेजिंग तथा सेफर कन्वरशन्स और ऐसी किसी सामग्री से बनी के पैकेजिंग की मदें, जिनमें कन्टेनर्स रेपर्स, बक्से आदि शामिल है (अन्तर्वस्तु के बिना)

लेखा बहियां।

अभ्यास पुस्तिकाएं।

लिफाफे तथा राइटिंग पेड।

बांस की लगदी।

गैर-परम्परागत कृषि उत्पादों का निर्यात

5274. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1974 में गैर-परम्परागत कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) कुटीर तथा ग्रामोद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या प्रयास किये गये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अपरम्परागत कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी, नकद प्रतिकर भत्ता, लेवी कीमत पर चीनी का आबंटन आदि के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इकाई मूल्य प्राप्ति बढ़ाने के भी प्रयास किये जा रहे है। साधित खाद्य मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यवाही की एक योजना बनाने के वास्ते एक समिति स्थापित की गई है। चालू वर्ष के दौरान घरेलू खपत के अतिरिक्त अधिशषों में से रबड़ की सीमित माता निर्यात करने की अनुमति दी गई है। अपरम्परागत कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये विदेशी बाजार में बिक्री सह अध्ययन दल भेजने का भी विचार है।

(ख) निर्यात प्रयोजनों के लिए माल के विनिर्माताओं को आवश्यक सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदें स्थापित की गई हैं।

पासा चांदी तथा चांदी के पत्रों और प्लेटों का निर्यात

5275. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-युरोपीय देशों को पासा चांदी तथा चांदी के पत्रों तथा प्लेटों के निर्यात की अनुमति है और यदि हां, तो अक्तूबर 1973 से 15 मार्च 1974 तक प्रति मास इन देशों को कितनी माता का निर्यात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में प्रतिमास अन्य किन देशों को किसी भी रूप में चांदी का निर्यात किया गया; और

(ग) एफ० ओ० बी० प्राप्तियों के रुप में प्रत्येक देश को किस मूल्य पर इसके निर्यात की अनुमति दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) 7 अक्टूबर, 1966 को पासा चांदी, चांदी के पत्रों और प्लेटों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। यह प्रतिबन्ध बाहर के सभी देशों पर समान रूप से लगाया गया था जिसे 17 फरवरी, 1974 को हटा लिया गया था। उस दिन तक यदि कोई निर्यात किया गया हो, तो उससे संबंधित आंकड़े तथा वसूल की गई कीमतों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक पूर्वी यूरोपीय देशों का संबंध है इन देशों को केवल वहीं वस्तुएं भेजी जाती हैं जिन्हें परस्पर सहमति से वार्षिक आधार पर तैयार की गई व्यापार योजनाओं में शामिल किया जाता है।

चांदी का निर्यात

5276. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय फर्मों ने पूर्व यूरोपीय देशों को चांदी की चीजों के अतिरिक्त चांदी का चोरी छिपे निर्यात किया;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है; और

(ग) क्या दोषी पार्टियों को कोई दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी ।

कच्चे चमड़े और खालों का निर्यात

5277. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या चमड़े/खालों के प्रमाणित निर्यातकर्ताओं को कच्चे चमड़े/खालों का निर्यात किसी भी सीमातक स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति है;

(ख) क्या चमड़े के व्यापार के निर्यात क्षेत्र में नये प्रवेश करने वालों के लिये कोई शर्तें लागू की गई हैं;

(ग) क्या चमड़े और खालों का निर्यात केवल उन देशों को ही किया जाता है जो परम्परागत रूप भारत से इनका आयात कर रहे है अथवा कुछ नये देशों को भी किया जा रहा है ; और

(घ) जनवरी से दिसम्बर, 1973 तक कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत के चमड़े तथा खालों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । कच्ची खालों तथा चमड़ियों के निर्यात पर पूर्ण रूप से रोक है ।

(ख) अब किसी नए प्रवेशक को अर्धसाधित खालों तथा चमड़ियों का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जनवरी से दिसम्बर, 1973 के दौरान निर्यात की गई अर्ध-कमाई खालों तथा चमड़ियों की अनमानित मात्रा 5.06 करोड किया है तथा उनका मूल्य 173.87 करोड़ रुपये है ।

भारत में आर्थिक संकट

5278. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वर्तमान संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति के कारण वर्तमान मुद्रास्फीती में मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार जागरुक जनता में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने के लिये किन किन बातों पर निर्भर करती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि देश में आज जो आर्थिक कठिनाइयां है उनसे कोई आर्थिक मंदी आयगी । देश का आयोजना तंत्र और उत्पादन प्रधान बजट नीतियां इस प्रकार की स्थिरता लाने वाले तत्व है जिससे इस प्रकार की कोई मंदी नहीं आयेगी । फिर भी, कुछ ऐसे उद्योग है जिनकी क्षमता का विभिन्न कारणों से पूरा उपयोग नहीं हुआ है । इन कठिनाइयों को, आयोजनागत खर्चों को अत्याधिक कमियों वाले क्षेत्रों में अन्तरित करने सहित समुचित नीतियों द्वारा दूर किया जाएगा ।

पांचवीं योजना के दौरान त्रिपुरा में पटसन मिल की स्थापना

5279. श्री दशरथ देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान त्रिपुरा में पटसन मिल स्थापित करने के लिये धनराशि का आबंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिय कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) योजना के दौरान 1 करोड़ रु० की व्यवस्था है और वर्ष 1974–75 के लिए लगभग 40 लाख रु० दिए जा चुके है।

(ग) आशा है कि मिल लगभग 2 वर्षों की अवधि में स्थापित हो जायेगी।

कलकत्ता-अगरतला-खोवाई-कमालपुर-कैलाशहर क्षेत्र के लिये इण्डियन एयरलाइन्स की जनता सेवा पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव

5280. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में तेजी से साधारण स्थिति आने की दृष्टि से कलकत्ता-अगरतला-खोवाई-कमालपुर-कैलाशहर क्षेत्र के लिये इंडियन एयरलाइन्स की जनता-सेवा पुनः आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इस सेवा का परिचालन अबतक डकोटा विमान द्वारा किया जाता रहा। 18-3-1974 से इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी सेवाओं में डाकोटा विमानों का परिचालन क्रमशः समाप्त कर दिया है। विमान बेड़े, इंधन और वित्तीय समस्याओं को दृष्टि में रखते हुये इन में से कुछ केन्द्रों को विमान सेवा द्वारा पुनः जोड़ना निकट भविष्य में संभव नहीं होगा।

चमड़ा उद्योग का विकास तथा विस्तार

5281. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चमड़ा उद्योग के विकास तथा विस्तार संबंधी सीता रमैया समिति की सिफारिश लागू करने के लिये क्या अनुवर्ती उपाय किए है; और

(ख) क्या इस संबंध में किए गए उपायों के परिणामों का सरकार ने विश्लेषण किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

(ख) चूंकि ये उपाय हाल ही में किये गये है अतः परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

विवरण

चमड़ा उद्योग के विकास तथा विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :

(1) लाइसेन्स-क्रियाविधि सरल बना दी गई है जिसके कि अर्ध तैयार चमड़े के निर्माता अपनी अर्ध-साधित पूरी क्षमता तक तयार चमड़ा बनाने के लिए क्षमता जुटा सकें और इस प्रयोजन के लिए उन्हें लाइसेंस भी न लेने पड़े।

(2) रजिस्टर्ड निर्यातकों हेतु आयात नीति में यह व्यवस्था की गई है कि एस० आई० कमाई हुई तथा क्रोम खालों और चमड़ियों के निर्यातों के आधार पर दी जा रही 3 प्रतिशत आयात प्रति पूर्ति में से उसके दो तिहाई भाग का उपयोग अनिवार्यतः बैलेन्सिग आधुनिकीकरण और प्राधिकृत विस्तार के लिए अपेक्षित मशीनों, औजारों और उपस्करों के आयात के लिए ही किया जायेगा ।

(3) ऐसी मशीनों की स्थायी सूची रखी गई है जिसका प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर आयात करने की रजिस्टर्ड निर्यातकों को अनुमति है ताकि हर बार उन्हें स्वदेश में प्राप्यता की दृष्टि से निरापत्ति की क्लीयरेंस लेनी पड़े । इस सूची में और मशीनें भी शामिल की जा रही हैं ।

(4) प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर आयात की जा सकने वाली रसायन तथा रंजक सामग्री संबंधी सूची का विस्तार किया जा रहा है ।

(5) औद्योगिक विकास मंत्रालय और राज्य सरकारें सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रही ताकि लघु टेनर तैयार चमड़े का उत्पादन कर सके ।

(6) तमिलनाडु सरकार ने छोटे एककों की मशीनों आदि की खरीद के लिए अपनी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की योजना तयार की है । यह योजना ऐसे अन्य राज्यों को भेज दी गई है जो चमड़े के व्यापार से संबंध रखती हैं ।

(7) हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सहयोग से चमड़ा कमाने वालों को उनकी टेनरियों के आधुनिकरण में सहायता देने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया गया था ।

चाय का उत्पादन और निर्यात

5282. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य-वार चाय का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) घरेलु खपत के लिये कितनी चाय की आवश्यकता है;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया; और

(घ) उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जानकारी सलग्न विवरण में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–6598/74।]**

(ख) से (घ) जानकारी संलग्न विवरण–2 में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–6598/74।]**

पर्यटक होटलों की स्थापना

5283. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में पर्यटक होटलों की स्थापना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) वे कहां-कहां स्थापित किय जायेंगे और प्रत्यक की क्षमता कितनी होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, द्वारा हाथ में ली जाने वाली आवास संबंधी परियोजनाओं को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

एयर इण्डिया का भी बम्बई में दो होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमें से एक सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर तथा दूसरा जूहू तट पर । "एयरपोर्ट होटल" का निर्माण कार्य चल रहा है और 300 कमरे वालों इस होटल के इस वर्ष अगस्त/सितम्बर में चालू हो जाने की आशा है । जूहू तट पर बनने वाले होटल में प्रथम चरण में 350 कमरों का निर्माण किया जायेगा, किसके इस वर्ष के अंत तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है ।

विवरण

वर्ष 1974–75 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हाथ में ली जाने वाली आवास परियोजनाएं (नवीकरण कार्यों को छोड़ कर)

योजना का नाम	कमरे
I. चालू योजनाएं—	
1. वाराणसी होटल, वाराणसी .	50
2. कोवालम होटल, कोवालम	100
3. एयर पोर्ट होटल, कलकत्ता . .	156
4. होटल अशोक, बंगलौर का विस्तार .	100
5. औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद का विस्तार .	50
6. गुलमर्ग होटल, गुलमर्ग . .	60
7. पटना स्थित होटल . . .	50
8. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर का होटल में परिवर्तन . . .	19
	585

योजना का नाम	कमरे
II. नई योजनाएं—	
(क) होटल	
1. नई दिल्ली	600
(ख) होटल	
1. आगरा	100
2. जयपुर	100
	200
(ग) कुटीरें	
1. गोआ	50
III. होटलों तथा यात्री लॉजों का विस्तार एवं नवीकरण—	
1. अकबर होटल, नई दिल्ली	150
2. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	50
3. यात्री लॉज, भुवनेश्वर	25
	225
कुल योग	1,660

आगामी छः महीनों में दिल्ली में खोली जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

5284. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र में आगामी छः महीनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंको के लिए अब शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय आवर्ती योजनाएं बनाना आवश्यक है। पहले वर्ष की योजना विस्तृत है जब कि बाद के दो वर्षों की योजनाएं सामूहिक ढंग की हैं। बैंक इस समय 1974–76 की अवधि के लिए तीन वर्षीय योजना बनाने में व्यस्त है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि जनवरी 1974 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास दिल्ली के संघीय क्षेत्र में बैंक शाखाएं खोलने के लिए 50 लाइसेंस/आवंटन थे। आशा है कि ये कार्यालय जल्दी ही खुल जाएंगे।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यक्रम सम्बन्धी हिदायतें

5285. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर नजर रखने को कहा है ;

(ख) क्या उक्त आयोग ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो आयोग के निष्कर्ष क्या हैं और विभिन्न टिप्पणियों और सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही की जाएगी तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पांचवीं योजना में विश्व बैंक और उसकी एजेंसियों द्वारा विदेशी सहायता का वचन

5286. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के लिये विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितनी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) क्या विश्व बैंकों और उसकी एजेंसियों द्वारा सहायता का वचन हमारी आशाओं के अनुकूल है और यदि नहीं, तो पांचवीं योजना के वित्त पोषण के लिये पर्याप्त सहायता का वचन देने में विश्व बैंक की हिचकिचाहट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ अपने संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता देते हैं। विश्व बैंक ग्रुप ने सहायता के लिए जो वचन दिये थे वे हमारे पहले के अनुमानों के अनुरूप ही हैं। पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में भारत विकास संघ से काफी सहायता पाने की आशा कर सकता है बशर्ते कि संघ के संसाधनों का पुनर्भरण हो जाए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नारियल जटा उद्योग के यंत्रीकरण के कारण केरल में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं औद्योगिक विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें।

"नारियल जटा उद्योग के यंत्रीकरण के कारण केरल में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी से उत्पन्न गम्भीर स्थिति का समाचार"

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : महोदय, कौयर उद्योग के मशीनीकरण के बारे में सरकार की नीति का संसद् और अन्य स्थानों पर अनेक बार स्पष्टीकरण किया है। सामान्य तौर पर, केवल किसी काम को शीघ्र करने के लिए अथवा मालिक को अधिक लाभ मिलने की दृष्टि से व्यक्तियों के स्थान पर मशीनों का प्रतिस्थापन करने में सरकार सहमत नहीं है। साथ ही, अन्य उद्योगों की भांति उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता, गुणप्रकार में सुधार और निर्यात संवर्धन कुछ ऐसे कारण हैं जो इस उद्योग से भी सम्बन्धित हैं।

2. सरकार कायर उद्योग में, विशेषकर केरल की स्थिति में रोजगार को बढ़ावा देने और उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता को बहुत अधिक महत्व देती है। बताया गया है कि इस उद्योग के तन्तुनिर्वचन क्षेत्र में कुछ एकक नारियल जटा से तन्तु बनाने के लिए तन्तु निकालने वाली (डिफाइबरिंग) मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। ये स्थानीय रूप से बनी मशीनें हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। पता लगा है कि केरल में स्थानीय बनी हुई लगभग 283 मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। जहाँ इन मशीनों के उपयोग से लागत में कमी और उत्पादन प्रक्रिया में तेजी आयेगी तथा गुणप्रकार में सुधार होगा वहाँ रोजगार की स्थिति पर भी इसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा। किन्तु इसके कारण अतिरिक्त समझे गए व्यक्तियों की संख्या का निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है। केरल की राज्य सरकार ने कुछ समय पहले कार्यवाही करके इन मशीनों के अपनाने पर रोक लगा दी थी।

3. मैटिंग बनाने के क्षेत्र में उत्पादन के एक तिहाई का मशीनीकरण करने का निश्चय 1961 में कर लिया गया था। सरकार को इस उद्योग के किसी अन्य क्षेत्र में मशीनीकरण की किसी नई व्यवस्था के लागू किए जाने की जानकारी नहीं है। वास्तव में यह सूचना है कि डिफाइबरिंग मशीनों पर रोक लगा दिए जाने के कारण उत्पादन धीमा हो गया है और परिणामत: रोजगार में भी कमी हुई है। राज्य सरकार स्थिति की बराबर संवीक्षा कर रही है तथा उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक अभ्युपाय करेगी। विकासपूरक अभ्युपाय के रूप में राज्य सरकार ने इस उद्योग में सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए है। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए योजना को निश्चित सीमा के अलावा 100 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है और यह आशा की जाती है कि यथा समय उद्योग में स्थिरता आ जायेगी।

श्री ए० के० गोपालन : वक्तव्य भ्रम और स्वीकृति का संमिश्रण है। कई स्थानों पर मंत्री महोदय ने बेरोजगार होने की बात स्वीकार की है परन्तु बेरोजगार हो जाने वालों की संख्या का विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध न होने की बात कही है।

जहां तक निर्यात संवर्धन की बात है, मशीनीकरण से निर्यात बढ़ने की बात गलत है। इन मशीनों के लगाये जाने से पूर्व ही निर्यात मूल्य बढ़ गया था। वक्तव्य में कहा गया है कि :

> "सरकार कॉयर उद्योग में विशेषकर केरल की स्थिति में रोजगार को बढ़ावा देने और उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता को बहुत अधिक महत्व देती है"

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह केवल रोजगार की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु विदेशी मुद्रा कमाने के विचार से भी महत्वपूर्ण है। इस उद्योग से 17,18 करोड़ की विदेशी मुद्रा की आय होती है। केन्द्रीय सरकार को भी कर के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती है। अत:

यह विदेशीमुद्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्योग में 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं और 5 लाख तो अपनी जीविका उपार्जन के लिये इसी पर निर्भर हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है। निर्यात को प्रोत्साहन देने की बात गलत है। अभी भी निर्यात बहुत होता है।

वक्तव्य में बताया गया है कि केरल सरकार ने इस उद्योग में मशीनें लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया है। केरल सरकार ने केवल तीन जिलों में नई मशीनें लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया है। यह प्रतिबन्ध सभी जिलों में लगाया जाना चाहिये। अन्यथा, बहुत से मजदूर विशेषकर महिला मजदूर बेरोजगार हो जायेंगें।

वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने विकासपूरक अभ्युदाय के रूप में इस उद्योग में सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये कदम उठाये है। यह गलत है। राज्य सरकार उद्योग को पुनर्जीवित नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। विवरण के अनुसार राज्य को केन्द्र से 100 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस उद्योग को पुनर्गठित करने के लिये योजना आयोग ने जो अध्ययन दल नियुक्त किया था उसने यह सिफारिश की थी कि सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये इस उद्योग को निरन्तर तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि दी जाये। इस वर्ष 100 लाख रुपये की राशि दी गई है। इस प्रकार तो इस उद्योग का विनाश हो जायेगा। क्या कताई और बुनाई दोनों क्षेत्रों में मशीनें लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। विवरण में मंत्रीमहोदय ने बताया है कि कताई क्षेत्र में मशीनें लगाने के बारे में उन्हें पता नहीं है। मुझे पता है, कताई क्षेत्र में भी मशीनें लगायी गयी है। इसीलिये मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया। कताई क्षेत्र में ही नहीं अपितु तंतुवेचन क्षेत्र में भी मशीने लगाई गयी हैं। इससे लगभग 1 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। क्या सरकार पूरे राज्य में इस उद्योग में मशीनें लगाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

क्या योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत तीन वर्ष में 15 करोड़ रुपये की राशि देने की योजना के अनुसार राज्य को शेष राशि दी जायेगी जिससे कि सहकारिताओं का गठन किया जा सके। मैं यह बात भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य के उद्योग मंत्री के वक्तव्य से अलग है कि यदि फरवरी तक धनराशि न दी गई तो पूरा उद्योग पंगु हो जायगा, बेरोज़गारी फैल जायेगी और लोग भूखे मरने लगेंगे ? मैं इन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहाँ तक तंतुवेचन क्षेत्र में बेरोजगारी का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि यदि ये 283 मशीनें इस क्षेत्र में लगा दी गयीं तो एक लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने कार्यवाही की तथा भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय निर्मित मशीनों के लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया। जहां तक दूसरे क्षेत्रों में मशीनों के उपयोग की बात है...

श्री ए० के० गोपालन : क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत है ? क्या वह बतायेंगे कि मशीनें लगाने पर सभी जिलों के लिये प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहाँ तक मुझे ज्ञात है केरल सरकार ने तंतुवेचन क्षेत्र में मशीन लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया है। जहाँ तक दूसरे क्षेत्रों की बात है, कताई क्षेत्र में मशीनें लगाने की कोई सूचना नहीं है। परन्तु वस्तुनिर्माण क्षेत्र में, सरकार ने वर्ष 1961 में यह निर्णय किया था कि कॉयर उत्पादों के कुल उत्पादन के एक तिहाई के लिये मशीने लगाई जा सकती हैं। इस निर्णय के अनुसार तीन कारखाने, एक सरकारी क्षेत्र में और दो गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं।

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

कॉयर उद्योग को सहकारिताओं के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिये राज्य सरकार से 15 करोड़ रुपये की राशि की एक योजना प्राप्त हुई है परन्तु योजना आयोग ने अध्ययन करके 7 करोड़ रुपये की राशि की योजना की सिफारिश की है । इस 7 करोड़ रुपये की राशि में से 1 करोड़ रुपया वर्ष 1973-74 में केरल सरकार को दिया गया है और वर्ष 1974-75 के बजट में 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1975-76 में हम देखेंगे कि इस योजना के लिये क्या किया जा सकता है ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल के उद्योग मंत्री से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि यदि उन्हें फरवरी में 5 करोड़ की राशि न दी गई तो उद्योग पंगु हो जायेगा ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस समय मेरे पास उस पत्र की कोई सूचना नहीं है । केरल सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिये 5.17 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है और हमने 1 करोड़ रुपये की राशि उन्हें उपलब्ध भी करा दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या वह केरल सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे और सदन में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : क्या यह सच है कि यह घरेलू उद्योग है और इस में अधिकांशत: दलित वर्ग के 10 लाख महिला और पुरुष रोजगार पर लगे हुये हैं ।

जहां तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि उद्योग में अधिक मे अधिक लोगों को रोजगार दिया जाये । यह सरकार अपनी नीति से हट रही है । इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह घरेलू उद्योग है ? अत: इस उद्योग में मशीनें नहीं लगाई जानी चाहियें । क्या यह सच नहीं है कि केरल सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिये 15 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है ? क्या सरकार इसे घरेलू उद्योग मानकर इस उद्योग में मशीनें लगाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? पटसन उद्योग में सरकारी नीति के कारण ही 1 लाख मज़दूर बेरोजगार हो गये । बम्बई में कपड़ा उद्योग के मज़दूरों की भी यही स्थिति है । यदि केरल के लिये भी ऐसा ही किया गया तो वहां के लोग इसे कदापि सहन नहीं करेंगे ।

क्या केरल में नियोक्ता कारखानों के विकेन्द्रीकरण कर रहे है अथवा नहीं ? क्या सरकार कॉयर तथा कॉयर उत्पादों के सम्पूर्ण उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेगी ? कॉयर की वस्तुयें कॉयर कम्पनियों द्वारा ही बनायी जायें और वे प्रधान उत्पादक बनें, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण नहीं दे सकते । कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जिन कारखानों में 25 मज़दूरों से कम को रोज़गार मिला हो उन्हें लाइसेंस नही दिये जाने चाहियें क्योंकि वे मज़दूरों की संख्या कम कर रहे हैं और मज़दूरों और कम्पनियों से सम्बन्धित कानून से बचने के लिये लाइसेंस ले रहे हैं ।

अधिकांश कारखाने सहकारी आधार पर पुनर्गठित किये जाने चाहिये । क्या मंत्री महोदय इसे स्वीकार करते हैं ? निर्यातकों को लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिये जब तक कि यह बात निश्चित न हो जाये कि इस उद्योग में कर्मचारियों की संख्या कम नहीं होगी । यह मेरा प्रश्न है और इसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह सर्वविदित तथ्य है कि केरल में कॉयर उद्योग सबसे बड़ा घरेलू उद्योग है। इस समय हमें इस उद्योग के विकास की बात देखनी है अतः नई तकनीकी तथा नई प्रणाली का प्रयोग करके सावधानी पूर्वक आधुनिकीकरण करने की हमारी नीति है। मशीनीकरण की नीति के विपरीत केरल सरकार ने इसी नीति के अनुसरण में केरल सरकार ने कार्यवाही की और ऐसी मशीनों का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाया।

जहाँ तक सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने का प्रश्न है हम क्षमतावान सहकारी समितियों को, सहायता से क्षमताशील बनाकर प्रोत्साहन देने के लिये प्रयास करते हैं और इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस योजना में केरल सरकार को भी योगदान करना होता है। कॉयर उद्योग की ही बात नहीं हम सभी घरेलू उद्योगों को सहकारी क्षेत्र में लाना चाहते हैं।

निर्यात के बारे में बोर्ड की बैठक में परस्पर विपरीत विचारधारायें व्यक्त की गयी। अधिकांश लोगों ने कहा कि कॉयर उद्योग तथा कॉयर उत्पादों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। थोड़ी संख्या में लोगों ने इसके विपरीत विचारधारा व्यक्त की। हम दोनों पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और वाणिज्य मंत्रालय में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) **:** मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले वक्ता ने कहा था कि यह उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस उद्योग से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय होती है। ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में, जब उद्योग संकट में हो, केन्द्रीय सरकार का उपेक्षा का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है।

मशीनीकरण से अलग एक और महत्वपूर्ण बात है। यह केरल से बाहर कॉयर उद्योग के कारखानों में मशीनें लगाने के बारे में है। केरल के पड़ोसी राज्यों में ऐसे कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। केरल के एक उद्योगपति श्री करुणाकरन ने मंगलौर में कॉयर का आधुनिक ढंग का कारखाना लगाया है जिसके लिये मशीनें हालैण्ड से आयात की गयी। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद केरल से यह उद्योग ही समाप्त हो जायेगा और केरल केवल कच्चे माल की सप्लाई का स्थान मात्र रह जायगा।

क्या सरकार भविष्य में केरल से बाहर ऐसे उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? दूसरी बात यह है कि कॉयर बोर्ड में कॉयर की वस्तुओं के निर्माण को पुनर्गठित करने पर चर्चा हुई थी। श्री एल० एन० मिश्र ने जब वह विदेश व्यापार मंत्री थे एक वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था कि सरकार कॉयर निर्यात का राष्ट्रीयकरण करेगी और इसे व्यापार को सरणीबद्ध करेगी। कॉयर बोर्ड में ऑल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई जिसमें केरल सरकार के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीयकरण के विचार का भारी बहुमत से समर्थन किया। बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े निर्यातकों ने इसका विरोध किया। अतः संसद में ऐसा कहना कि सरकार अल्पसंख्यक मत से सहमत है बड़े खेद की बात है।

मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। विवरण में उन्होंने बताया है कि उन्हें उत्पादन तथा निर्यात संवर्धन आदि बातों को ध्यान में रखना होता है। परन्तु वास्तव में हो क्या रहा है ? इस उद्योग में भीषण शोषण हो रहा है और निर्यातक बहुत अधिक धनराशि कमा रहे हैं। यदि निर्यात का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो यह शोषण समाप्त हो जायेगा। क्या उन उद्योगों पर जिनमें मशीनें लगायी गयीं हैं और जो केरल से बाहर स्थापित किये गये हैं प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ? क्या कॉयर बोर्ड के बहुमत के निर्णय के अनुसार कॉयर उद्योग के उत्पादों के निर्यात का राष्ट्रीयकरण करने का दृढ़ निश्चय किया जायेगा ? कॉयर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? धनराशि देने के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? क्या सरकार थोड़ी बहुत धनराशि और देगी अथवा इन्कार करेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह सच है कि बहुमत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं परन्तु सरकार को योजना की संभाव्यता पर भी ध्यान रखना होता है। राष्ट्रीयकरण के विषय में दो प्रकार की विचार धारायें हैं। एक अल्पसंख्यंक विचारधारा भी है...

सरकार ने राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है और न ही किसी विचारधारा को महत्व प्रदान किया है। यह दुर्भाग्य की बात है...

जहाँ तक मंगलौर तथा अन्यत्र मशीनों वाले कारखानों का प्रश्न है, मुझे खेद है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय में 25 फरवरी, 1974 को एक बैठक बुलाई और बैठक में कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने हेतु उपायों पर चर्चा की तथा नीति निर्धारित की। परन्तु केरल सरकार ने इसका विरोध किया और इस विरोध पर समस्त योजना को स्थगित कर दिया गया।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): ऐसी बातों पर चर्चा के लिये कॉयर बोर्ड की व्यवस्था है। सरकार को कॉयर बोर्ड से परामर्श करना चाहिये।

स्थगन प्रस्ताव के बारें में

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। सरकार खाद्यान्नों के ठोस व्यापार के सामाजीकरण तथा उसके वितरण में सर्वथा असफल रही है। देश में कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हुई है। यह गंभीर बात है...

श्री ज्योतीर्मय बसु : कल हमने निवेदन किया था कि सरकार की खाद्यान्न संबंधी नीति पर चर्चा होनी चाहिये...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये सभी लोग एक समय बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आयेगा। मुझे आज दो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक में तो गेहूं के थोक व्यापार के बारे में सरकार की नीति पर चर्चा के बारे में है... **(व्यवधान)** उसका आधार सरकार द्वारा कल दिया गया वक्तव्य है। दूसरा प्रस्ताव श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत किया है जिनमें हरिजनों पर अत्याचार की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त प्रो० मधु दण्डवते का प्रस्ताव गेहूं के थोक व्यापार संबंधी सरकार की नीति की असफलता के बारे में है। **(व्यवधान)**...अब कुछ दिन में कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगे सामने आ रही हैं। इसमें माननीय सदस्यों को उसपर चर्चा करने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। इसीलिये मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मेरा यही निर्णय है, और मैं इसे नहीं बदल सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान, नियमों के अनुसार, इसपर चर्चा नहीं की जा सकती।

आप अपनी ही बात में अधिक विश्वास रखते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार तथा मंत्रालय गेहूं के थोक व्यापार के तजुर्बे को क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं। तथा उनकी वितरण व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है जिसके कारण भुखमरी तथा कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हुई है। और इसी लिये स्थगन प्रस्ताव के जरिये सरकार की भर्त्सना करने की इच्छा से मैंने यह प्रस्ताव रखा है जो कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान नहीं किया जा सकता। मेरा अनुरोध है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मेरा तो यह कहना है कि हालांकि आप ने यह सही कहा है कि बजट सत्र के दौरान मंत्रालय का सारा कार्यकरण सामने आयेगा और उसे अपने अनुदानों की मांगों के लिए स्वीकृति की प्राप्त करनी होगी परन्तु कल सरकार ने जिस निर्णय की घोषणा की है उसका देश की सारी व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और यह निर्णय सरकार द्वारा पहले लिये गये निर्णय के ठीक उलट है। यह निर्णय सरकार ने अचानक ही बड़ी ही जल्दबाजी में किया है तथा बड़े विनाशकारी ढंग से किया है। अब यदि सरकार के इस अन्धाधुन्ध निर्णय को संसद चुपचाप निगलने पर बाध्य हो जाये तो मुझे बताईये कि फिर लोकतंत्र प्रणाली किस लिये रखी गई है ? आप इस मामले में अधिक गहराई से विचार करें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार का अपनी नीति में परिवर्तन केवल परिवर्तन ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से अपनी नीतियों की असफलता की स्वीकृति है... (**व्यवधान**) ...गेहूं व चावल के थोक व्यापार के अधिग्रहण के बारे में निर्णय करते समय बैठक में लोक सभा तथा राज्य सभा के विपक्ष के नेता भी मौजूद थे। इस मामले पर कई बार चर्चा हुई थी और यह मामला अनुदानों की मांगों के दौरान नहीं उठाया जाता था। अचानक ही सरकार ने विपक्ष के नेताओं को भी बताये बिना नीति में परिवर्तन कर दिया क्या सरकार समझती है कि भविष्य में विपक्ष के नेता प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री से कभी मिलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये और बताईये आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री समर गुह : हम चाहते हैं कि सरकार की भर्त्स्ना की जाये। बिना सूचना दिये ही सरकार ने अपनी नीति बदली है। इस लिये स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले सदस्य को पुकारने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपना निर्णय दे दिया है। परन्तु क्योंकि फिर भी कुछ सदस्य जोर डाल रहे हैं तो मैं इस निर्णय को बदलने के लिये यदि कोई उचित कारण कोई सदस्य देना चाहता है तो उसे सुनने का अवसर देता हूं। आप मुझे यह बतायें कि इस निर्णय पर पुनः विचार करने का क्या आधार आप के पास है ?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : आपने यह कहा है कि क्योंकि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय भी सरकार की नीति पर बोला जा सकता है इसलिये स्थगन प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं है और नियम के विरुद्ध है तो मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका। पहले बजट सत्रों में भी स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी गई है। ऐसी पूर्वप्रक्रिया रही है। इस लिय आप अनुमति दें।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): पहली बात तो यह है कि नीति में परिवर्तन का यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरे अनुदानों की मांगों पर चर्चा और स्थगन प्रस्ताव दोनों विभिन्न बातें हैं। सरकार की नीति वध रूप से मुनाफाखोरी और काला बाजार को बढ़ावा देने की है। मैंने इस संदर्भ में प्रधान मंत्री से भी मुलाकात करके तथा एक ज्ञापन पेश करके यह कहा था कि यदि सरकार ने अपनी नीति बदली तो देश में गंभीर समस्यायें पैदा हो जायेंगी, मूल्य बहुत बढ़ जायेंगे और सर्वत्र अभाव की स्थिति पैदा हो जायेगी। परन्तु सरकार ने संसद को विश्वास में लिये बिना ही इस नीति में परिवर्तन की घोषणा कर दी। इस लिय सरकार की निन्दा की जानी चाहिये। इस में सरकार की असफलता स्पष्ट झलकती है। इसलिये आप स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार ने संसद में चर्चा से पूर्व ही निर्णय ले लिया हालांकि उनके पास संसद में इस पर चर्चा करने के बड़े अवसर थे, विपक्ष की सलाह भी नहीं ली गई। यह तो मात्र एक दलगत निर्णय रहा। दूसरे, नीति में परिवर्तन की कल हुई घोषणा से ही गेहूं का दाम बाज़ार में 10 से 40 पसे प्रति किलो बढ़ गये और इससे सामान्य आदमी को भारी परेशानी हो गई है। अत: इस विषय में केवल सामान्य चर्चा से काम नहीं चलेगा। इस लिये आप सरकार की भर्त्स्ना करने का अवसर दीजिये और स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिये। देश में काला बाजार तथा मुनाफाखोरी में वृद्धि

10—9 L.S.S.(ND)/74

[श्री एस० एम० बनर्जी]

के लिये उत्तरदायी होने के साथ साथ सरकार अपने वायदों से भी हट गई है। उस का समाजवाद का नारा थोथा सिद्ध हुआ है। इस लिये आप अपने निर्णय पर पुन: विचार करें तथा या तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करे या फिर इस बारे में चर्चा की कोई अन्य व्यवस्था करें जिसके अन्तर्गत इस सरकार के इन थोथे नारों की पोल खोल सक ।

Shri Madhu Limaye (Banka): The Government have declared their new policy but have not indicated as to how much wheat would come to Mandis and how much would be available for public distribution. In fact they have been changing their policies time and again; viz. they changed their policy in regard to prohibition and now that of wholesale trade of wheat. Thus this Government is quite inefficient or in fact quite good for nothing. Therefore they should be censured.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यहां प्रश्न केवल नीति में परिवर्तन का ही नहीं अपितु सरकार द्वारा जनता के साथ विश्वास-घात भी करने का है। उसने जन संघ का साथ मिलकर व्यापारियों की मांगों को आग घुटने टक दिये हैं। इसका प्रमाण श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधान मंत्री के साथ हुई बात-चीत भी है जिस के बारे में श्री वाजपेयी ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। इस लिय हमें इस विषय में चर्चा करने का भरपूर अवसर मिलना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): My name as well as that of my party has been unnecessarily dragged in this dispute. My meeting with the Prime Minister was not on any public matter and not at all regarding the policy of wheat trade takeover which they have now changed. I do not comment on whether the change is good or bad. It is a matter of opinion.

Then your decision can be re-opened in case the House so desires but in case you are not allowing the adjustment motion. Then at least some sort of discussion should certainly be allowed. Let us hear our Congress friends and also give our own opinion as well.

श्री ज्योतीर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं कल की चर्चा का सारांश देखना चाहूंगा जिनमें चर्चा को स्वीकारने संबंधी कुछ टिप्पणियां की गई थीं ;

उपाध्यक्ष महोदय : अब केवल बात सामने आई है कि, स्थगन प्रस्ताव द्वारा तो सरकार की भर्त्सना की जा सकती है परन्तु अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान नहीं ; इसलिये स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिये। परन्तु मैं यह बता दूं कि अनुदानों की मांगों के दौरान कटौती प्रस्ताव भी होते ह और यदि कोई कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसका अर्थ भी सरकार की भर्त्सना करना या उसे दण्ड देना होता है। इसलिये स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। हां, बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा के प्रति अपनी जिज्ञासा दिखाई है सो उसे मैं मान लेता हूं और अब इस विषय पर चर्चा होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : इस महत्वपूर्ण मामले पर सरकार भी चर्चा का स्वागत करेगी। आप चाहें तो कार्य सलाहकार समिति इस चर्चा की तारीख और समय आदि निश्चित कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य सलाहकार समिति की बैठक सायं 4-30 बजे होगी और उसमें इस चर्चा की तारीख, समय तथा अवधि का निर्णय कर लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने नियम 377 के अधीन, हरिजनों पर अत्याचार आदि के बारे में सूचना दी है, मैं नियम 377 के अधीन उसको अनुमति दूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं ने भी नियम 377 के अधीन सूचना दी है जिसका विषय परिवहन मंत्री द्वारा टेलीविजन पर दिल्ली में बसों के किराये में वृद्धि की बात कही गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

अभी कुछ देर पहले श्री सेझियान ने पांडिचेरी की स्थिति पर नियम 377 के अधीन सूचना दी है, मैं उसे भी उठाने की अनुमति दूंगा ।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा-पटल पर रखें गयें पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1974-75 के लिये विस्तृत अनुदानों की मांगें, डाकघर बचत बैंक (लेखा परीक्षा) नियम, 1974, दिल्ली विक्रय कर (तीसरी लेखा परीक्षा) नियम, 1974 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) 1974-75 के लिये निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(दो) विदेश मंत्रालय

(तीन) संस्कृति विभाग

(चार) अन्तरिक्ष विभाग

(पांच) संसद, संसदीय-कार्य विभाग, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6573/74]**

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 133 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 6574/74]**

(3) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 15 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ०-4(85)/71-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6575/74]**

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 142(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन **[ग्रंथालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 6576/74]**

[श्री के० आर० गणेश]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 274 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 6577/74]**

Shri Madhu Limaye : These documents relate to Customs and Central Excises. You would recall that the Government by a notification of 23rd March levied and later on abolished export duty on jute goods. The Speaker has given his ruling that a notification meant for enhancing taxes should be brought before the House forth-with, but the Government did not care therefor. This also amounts to ignoring this House.

In August last they exempted jute goods from excise duty, only to secure Rs. 5 crores from the jute industry for elections. Now since the U. P. elections are concluding they are lifting this concession through this notification.

Now I draw your attention towards the explanatory note appeneded with the notification. It says :

"This notification seeks to enhance the rate of export duty on carpet backing by Rs. 450 per tonne and that of hessain by Rs. 400 per tonne as well as to reimpose the export duty on sacking (cloth and bags) at the rate of Rs. 150 per tonne. This enhancement in the rate of export duty has been made in the context of present price trends and other relevant factors.

The additional revenue likely to accrue to the exchequer consequent on the revision of duties is estimated to be Rs. 18.55 crores in a year."

The prices of jute goods started picking up not today but 1½ years ago in the world markets and synthetic substitute was not there in competitions with jute. Why then was the excise duty reduced and thereafter abolished ? It has been done to get Rs. 5 crores for the elections.

Now I want a clarification to the effect why the Notification was issued without consulting the Parliament, as also why it has come so late. Now also this has come only because I had tabled a notice yesterday. So, it is a matter of propriety as well. There was no basis for reduction in the abolishment of excise duty. Lot this thing be clarified.

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य अपनी ओर से चाहे जो विचार व्यक्त करने को स्वतंत्र हैं, परन्तु मैं इस बात का खण्डन करता हूं कि 5 करोड़ रुपये लिये गये हैं जिसके लिये हमने दरों में वृद्धि की तथा शुल्क में कमी की है । यह उनका एक स्वार्थ से भरा वक्तव्य है ।

23 मार्च की अधिसूचना सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई थी और लोक सभा प्रक्रिया या परम्पराओं के अनुसार वित्त मंत्रालय की अधिसूचनायें उस दिन सभा-पटल पर रखी जाती हैं जिस दिन इस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न सभा में होते हैं, और वह दिन आज है । 23 मार्च, शनिवार था और उसके बाद आज पहला दिन प्रश्नकाल का पड़ा है ।

Shri Madhu Limaye : Do not consider it an ordinary Notification. We are not satisfied with this explanation.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a very weak argument and we cannot digest it.

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों ने कई बातें कही हैं और वे रिकार्ड में आ गई हैं। इस समय तो मैं एकदम निर्णय नहीं ले सकता। हां, इसपर विचार करूंगा।

भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकर्घा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकर्घा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकर्घा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6578/74।**]

आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिये भारत और ईराक समझौता

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिये एक स्थायी भारत-ईराक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार और ईराक गणतंत्र की सरकार के बीच 28 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में हुए समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6579/74।**]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधयक, 1974

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1974

(3) विनियोग (रेल) विधेयक, 1974

(4) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1974

(5) आर्थिक अपराध (परिसीमा-काल का लागू न होना) विधेयक, 1974

(6) गुजरात विनियोग विधेयक, 1974

---

21 मार्च 1974 को बिहार की स्थिति पर हुई चर्चा के बारें में सदस्य का व्यक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE.DISCUSSION ON BIHAR SITUATION ON 21ST MARCH 1974

श्री ज्योतीर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सरकार ने जहां बहुत से राज्यों को केन्द्रीय पूल से अनाज की सप्लाई कम कर दी थी वहां उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के मामले में, जहां चुनाव होने वाले थे, सरकार ने अपने दल को लाभ पहुंचाने के लिये 1974 में चुनाव से कुछ समय पूर्व अनाज की सप्लाई बढ़ा दी थी ।

जब राज्यों की मांग 1 लाख टन की है तो उन्हें केवल 35 लाख टन अनाज का आबंटन किया गया और उसमें से भी वास्तव में केवल 30,000 टन अनाज की सप्लाई की गई ।

मंत्री महोदय ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि "अक्तूबर से सभी राज्यों को अनाज के आबंटन में कमी कर दी गई है" ।

मंत्री महोदय ने जानबूझ कर सभा को गुमराह किया है । वह जानते थे कि उनकी बात सत्य नहीं है । मैं निम्नलिखित तथ्य अपने आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत करता हूं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 18 मार्च, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में निम्नलिखित आंकड़े बताये थे :—

उड़ीसा	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
मांग	25.0	15.0	20.0
नियतन	8.0	9.0	8.0
सप्लाई . . .	5.9	6.6	8.6

उत्तर प्रदेश	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
मांग	80.0	114.0	114.0	114.0
नियतन	25.0	25.0	50.0	50.0
सप्लाई . . .	22.0	25.7	43.6	53.9

इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री उमा शंकर दीक्षित ने गलत तथ्य बताये हैं । यह गंभीर मामला है ।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : बिहार की स्थिति पर चर्चा के दौरान 21 मार्च, 1974 को मैंने अपने भाषण में आम खाद्य स्थिति और बिहार को केन्द्रीय पूल से अनाज की सप्लाई का जिक्र किया था । माननीय सदस्य के इस प्रश्न कि बिहार को कम सप्लाई की गई है मैंने उत्तर में कहा था "कि आमतौर पर कमी की जा रही है और यह कमी अक्तूबर के महीने में आरंभ की गई जब नई फसल आने लगी थी ।" जब इन आंकड़ों को चुनौती दी गई तो मैंने कहा था कि "यह जानकारी कृषि मंत्रालय के जिम्मेदार क्षेत्रों से प्राप्त हुई है ।"

जब श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह पूछा कि "क्या बिहार को केन्द्र से सप्लाई और वहां की वसूली के आंकड़ों के बारे में आप जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने उत्तर में कहा था कि "यदि मैंने कोई तथ्यों सम्बन्धी गलती की तो मैं उसे ठीक कर दूंगा और नहीं तो माननीय सदस्य उसे उठा सकते हैं और मैं उसे ठीक कर दूंगा ।"

मैंने रिकार्ड देखा है और कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री के वक्तव्य जो उन्होंने तारांकित प्रश्न संख्या 325 दिनांक 18 मार्च, 1974 के उत्तर को भी देखा है ।

खाद्य राज्य मंत्री का वक्तव्य अधिकांश राज्यों को कुल सप्लाई की आम स्थिति को ठीक सिद्ध करता है । इससे पता चलता है कि छः राज्यो, अर्थात हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के मामले में यह आम स्थिति नहीं थी क्योंकि अक्तूबर, 1973 के बाद इनके मामले में सप्लाई कम नहीं की गई थी । वक्तव्य में सभी राज्यों का उल्लेख गलती से था ।

जहां तक मुझे याद है और रिकार्ड से पता चलता है श्री बसु ने बिहार के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य को सप्लाई का उल्लेख नहीं किया था ।

इसके अलावा और मेरे वक्तव्य के आंकड़ो को चुनौती देते अतिरिक्त श्री बसु ने अनाज के नियतन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया था ।

मैंने बिहार की स्थिति तक ही अपनी बात को सीमित रखा था क्योंकि बहस बिहार के बारे में थी और केन्द्रीय पूल से बिहार को सप्लाई के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये थे । सभा को गुमराह करने का कोई आशय नहीं था ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : जब कोई दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाता है, तो वह सभा की सम्पत्ति हो जाता है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गृह मंत्री फिर से सभा की आंखों में धूल झोक रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have to raise a point of order. The clarification given by the hon. Minister is useless and baseless. He is misleading the House. Previlege issue should be raised in this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नही बनता ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामलें

MATTERS UNDER RULE 377

उत्तर प्रदेश के गोड़ा जिले में एक हरिजन गांव को आग लगाये जाने का समाचार

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं सभा का ध्यान गोडा में हरिजनों के गांव जलाये जाने के बार में आकर्षित करना चाहता हूं । यह कोई नई बात नहीं है । इस महीने के आरम्भ में भी ऐसा ही मेरठ में हुआ था और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी । हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं और पुलिस इस सम्बध में कोई कार्यवाही नहीं करती है । यदि कोई हरिजन कांग्रेस के पक्ष में मत देना चाहता है तो उसे लूटने तथा मारने की धमकी भी दी जाती है । यदि हरिजनों के खिलाफ अत्याचार करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की गई होती तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती । सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । दुःख की बात है कि इन घटनाओं को रोकने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सरकार को हरिजनों को संरक्षण देना चाहिये और इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): About 250 C.P.M. workers attacked on the Harijans in Rajasthan.... (*Interruptions*).

श्री ज्योतीर्मय बसु : यह सब काल्पनिक कहानी है । इस सभा का सदस्यों को बदनाम करने के लिये उपयोग किया जा रहा है ।

श्री मान सिंह भौरा : 25 मार्च, 1974 के 'पेट्रियाट' में यह प्रकाशित हुआ है कि "सी० पी० एम० के लगभग 250 कर्मचारियो ने अलवर जिले में गोविन्दगढ़ तहसील में एक गांव में हरिजनों पर हमला किया और उनके घरों में आग लगा दी" ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : हरिजनों पर इस प्रकार के अत्याचार गत तीन वर्षों से किये जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में ही हरिजनों पर किये गये अत्याचारो के निम्नलिखित आंकड़े हैं :

प्रथम वर्ष	94
दूसरे वर्ष	164

गत वर्ष हरिजनों पर अत्याचार करने के 265 मामले सामने आये । गोंडा में भी ऐसा ही हो रहा है । मंत्री महोदय को उक्त घटना के बारे में वास्तविक विवरण देना चाहिये और इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का भी उल्लेख करना चाहिये । यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो हम यह सोचेंगें कि ऐसा पुलिस से सांठ-गांठ से होता है ।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : गोंडा की स्थिति के बारे में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर बात की है । उन्होंने मुझे बताया कि यह मामला विधान सभा में भी उठाया गया है । उन्होंने पुलिस की डी० आई० जी० (हरिजन विभाग) को तुरन्त घटना स्थल पर जांच करने के लिये भेजा है । उन्होंने यह भी बताया है कि अत्याचार करने के संदेह में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

उन्होने इस बात का आश्वासन दिया है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

मेरठ की घटना के बारे में तथ्य प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिये जायेंगे और मुख्य मंत्री के सहयोग से हम दोषी व्यक्तियो के विरुद्ध सक्त कार्यवाही करेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Police enquiry alone is not sufficient. Scheduled Caste and Scheduled Tribes Commissioner should make an enquiry in this matter and should submit his report to the House. Such incidents are being happened even after the intervention of the police. So Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner should send his man to make necessary investigation in this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : पुलिस वाले हमेशा सवर्ण हिन्दुओ के साथ सांठ-गांठ रखते है । एक संसदीय समिति को घटना स्थल का दौरा करना चाहिये और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये ।

उड़ीसा में भूख से मृत्यु होने के समाचार

श्री पी० क० देव (कालाहांडी) : कालाहांडी जिले में जूनागढ़ पंचायत समिति के पालास जिले में भूख से 6 व्यक्तियों की मृत्य हुई है । इसका मुख्य कारण यह है कि गैर-फसली समय में वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है । पंचायत समिति के प्रधान ने उक्त क्षेत्र में राहत के पर्याप्त कार्य अपनाने की मांग की है जिससे लोगो को रोजगार मिल सके । वहां उन लोगों को परेशान किया गया है जिन्होने विपक्ष दलो को मत दिये थे ।

मंत्री महोदय को इस बात के निदेश जारी करने चाहिये कि इस प्रकार की घटनाएं फिर न घटे। विपक्षी दलों का मनोबल गिराने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। सभा को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये।

1 अप्रैल, 1973 के बाद पांडेचरी में किये जाने वाले व्यय के लिये संवैधानिक स्वीकृति

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिये लेखानुदान पारित करने हेतु संसद द्वारा अवसर न दिये जाने का यह एक गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन का मामला है। वहां विधान सभा भंग हो गई है और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। जब तक सम्बन्धित विधान मंडल से पूरी तरह स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक समेकित निधि से धनराशि नहीं निकाली जा सकती।

लेकिन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का विधान मंडल भंग होने पर उनके कार्य संसद् द्वारा किये जाते हैं। तब संसद् को इन मामले में स्वीकृति देने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा केवल विनियोग विधेयक द्वारा किया जा सकता है। लेखानुदानों की पद्धति द्वारा आंशिक स्वीकृति दी जा सकती है।

भारतीय समेकित निधि से धन निकालने की प्रणाली को 'आनुषंगिक तथा परिणामिक' नहीं कहा जा सकता। 31 मार्च से पहले इसके लिये संसद् में लेखानुदान पारित किया जाना चाहिये। संसद की स्वीकृति के बिना समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। संसद् की विशष स्वीकृति के बिना कोई भी धनराशि निकालना अवैधानिक और गैर-संवैधानिक होगा।

Shri Madhu Limaye: The Government should make it clear as to what is the legal or constitutional basis for incurring expenditure in Pondicherry after 1st April, because it has no right to spend even a single paisa unless Appropriation or Vote on Account Bill is passed. The Government should clarify what it intend to do during the intervening period. Even under Article 240 of the constitution the President cannot pass Vote an Acount either by regulation, notification or ordinance. The Law Minister or the Home Minister should make the position clear in this regard.

श्री के० मावलंकर (डिंडीगल) : कांग्रेस पार्टी ने पांडिचेरी में लेखानुदानों सम्बन्धी प्रस्ताव पर अन्ना-डी०-एम० के० सरकार को हटा कर दिया है। उस सम्बन्ध में श्री सेझियान और श्री मधू लिमये जैसे नेताओं द्वारा दिये गये इस तर्क में समर्थन करता हूं कि सरकार लेखानुदान व्यय को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करे तथा उसके उपरांत कोई कार्यवाही करे। यदि इस सम्बन्ध में इस सभा की उपेक्षा की गई तो यह कार्य असंवैधानिक तथा असंसदीय होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I would like to make only one submission. It is apprehended that Government may take recourse of Rule 240 which is not applicable to the situation arosen there. Withdrawal of money from the consolidated fund of the State concerned has no connection with the work for peace and progress in that State. In these circumstances President has no right to make rules. I think that the meeting of Rajya Sabha is necessary to be called (*Interruption*). This issue can not be decided in Lok Sabha only.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : क्या श्री मधू लिमये द्वारा मांगे गये विवरण की प्रति हमें भी मिलेगी ?

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं उस स्थान से अकेला प्रतिनिधि हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपका स्वागत करते है। आपको नियमों की प्रति मिलनी चाहिये।

श्री अरविन्द बाला पजनोर : यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। सात कांग्रेसी सदस्यों ने पांडिचेरी में हमारी सरकार को विफल कर दिया। किन्तु केन्द्रीय सरकार अब उसी बजट को पेश करना चाहती है जिसे वहाँ अस्वीकृत किया गया। इसी लिये सरकार चूप है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाये है। मंत्री महोदय यहा विद्यमान हैं। **(व्यवधान)** उन्होने सभी बातें सुन ली है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a matter of impropriety. The Minister of transport has said that bus fares in Delhi would increase.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले की जांच करनी है। कल श्री मधू लिमये ने यह आरोप लगाया था कि रेलवे सुरक्षा बल ने कुछ अत्याचार किये थे। मैंने मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहा था तथा वह लगभग 3-30 पर वक्तव्य देंगे। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से पूर्व वाणिज्य मंत्री भी पुनरीक्षित नियंत्रित कपड़ा नीति के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

अनुदानों की मांगें 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS 1974-75

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूँ। इस मंत्रालय की नीतियां इस प्रकार की हैं कि जन सम्पर्क के सभी माध्यमों को सत्तारूढ़ दल के प्रचार माध्यम बना दिया गया है।

प्रो० मुकर्जी द्वारा उठाया गया मेट्रो सिनेमा से सम्बन्धित मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

[**श्री नवल किशोर सिंह** पीठासीन हुए।
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair*]

यह सिनेमा एक अमरीकी कम्पनी का है तथा इसके शेयर होल्डर अमरीकी नागरिक थ। 1972 में अमरीकी शेयर होल्डरों ने 'ट्रानारसा' नामक एक स्विस कम्पनी को शेयर बेच दिये तथा तभी अचानक इसके निदेशक मण्डल में परिवर्तन हुआ। श्री शिव शंकर लाल गुप्ता को इसका अटार्नी नियुक्त किया गया। श्री शिव शंकर लाल गुप्त ने अपना एक एजेंट नियुक्त किया तथा इस प्रकार दो या तीन भारतीय नागरिको ने इसके पूरे व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया। श्री शिव शंकर लाल गुप्त के पहले कारनामों से कर्मचारी अवगत थे अतः वे भयभीत हो उठे। स्वयं सरकार भी जानती है कि वह व्यक्ति तस्करी, मुनाफा खोरी और जालसाजी में विशषज्ञ है। तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्री श्री एल० एन० मिश्र ने यह स्वीकार किया था कि इस सम्बन्ध में कोई गुप्त सौदा हुआ है जिसकी जांच की गई है।

गत वर्ष 12 मार्च को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में श्री के० आर० गणेश ने कहा था कि उपलब्ध तथ्यों से ज्ञात होता है कि इस सौदे में गुप्ता बन्धुओं का हाथ था। इस सौदे में जालसाजी की गई तथा वास्तविक खरीदार ट्रासमा न होकर गुप्ता बन्धु ही थे। यह भी बताया गया कि सीमा शुल्क विभाग आदि के रिकार्डों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तविक अपराधी यही लोग हैं। श्री गणेश ने यह भी बताया कि ये तीन भाई हैं। एक जनेवा में रहता है, दूसरा बम्बई में और तीसरा ब्राजील में। यह मामला श्री गुजराल और श्री गणेश के ध्यान में भी लाया गया तथा 29 मई, 1973 को बताया गया कि यह मामला समवाय विधि बोर्ड तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है। 19 जुलाई को

श्री गणेश ने बताया कि सरकार इसके प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है। दिनांक 22 दिसम्बर, को श्री गुजराल ने राज्य सभा में बताया था कि मेट्रो सिनेमा कम्पनी को अधिकार में लिया जाने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है। अब मार्च का महीना भी समाप्त होने वाला है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस कम्पनी के कर्मचारियों के गुप्ता बन्धुओं के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में निशेषाज्ञा की अर्जी दी तथा उन्होंने सरकार को भी पार्टी बनाया। किन्तु खेद की बात है कि सरकारी वकील ने न्यायाधीश से कहा कि हम इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहते। कर्मचारियों ने केस जीतने के बाद पुनः सरकार से अनुरोध किया कि वह उनके हितों की रक्षा करे। किन्तु सरकार ने तब भी चुप्पी साध रखी। गुप्ता बन्धुओं ने अपील कर दी तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निशेषाज्ञा आदेश में संशोधन कर दिया जिसमें कर्मचारी अब इस अन्तर्राष्ट्रीय गुंडो की दया पर जी रहे है। कल फिर उप मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है। जब एक नीति निर्णय किया गया है तो अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिये। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक निर्णय करने के बाद देश को अंधकार में क्यों रखा जा रहा है।

आकाशवाणी के कलाकारों की समस्याओं पर तुरंत विचार किया जाना आवश्यक है। उनको सब से कम वेतन दिया जाता है तथा उन्हें अपमानजनक परिस्थिति में काम करना पड़ता है। स्टाफ आर्टिस्टों की यूनियन के महा मंत्री ने इसी आशय का वक्तव्य दिया है। वहाँ पक्षपात और भाई भतीजावाद का बोलबाला है तथा कलाकारों के चयन में अधिकारियों द्वारा मनमानी की जाती है। स्टाफ आर्टिस्ट बहुत दिनों से आन्दोलन कर रहे हैं किन्तु अभी तक इस समस्या को नहीं सुलझाया गया।

आकाशवाणी पर सत्तारूढ़ दल को एकाधिकार है तथा टेलीविजन पर जो कार्यक्रम होते है वे न आकर्षक होते हैं और न प्रभावकारी। उस पर घटिया और पिटीपिटाई फिल्में दिखाई जाती है। मेरा सुझाव है कि कार्यक्रमों को प्रभावकारी बनाया जाए।

जहाँ तक विविध भारती का सम्बन्ध है यह कार्यक्रम नितांत व्यापारिक हो गया है तथा इसका सांस्कृतिक महत्व समाप्त हो गया है। मेरा सुझाव है कि प्रक्रिया को समाप्त किया जाय क्योंकि इसका नवयुवकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फिल्मी गानों के अतिरिक्त विविध भारती कुछ नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कलात्मक कृतियां प्रसारित की जायें।

दिल्ली में कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम नहीं सुने जाते। मेरा सुझाव है कि कलकत्ता में एक शक्तिशाली ट्रांस्मीटर लगाया जाय। मुझे ज्ञात हुआ है कि सिलचर में मनीपुर कार्यक्रमो के लिये आन्दोलन किया जा रहा है। विष्णुपुरी भाषा में भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाने की मांग है।

मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि अमृत बाजार पत्रिका को 14 लाख रुपये के विज्ञापन दिये गये। छोटे समाचारपत्रों को बहुत कम विज्ञापन मिले। मेरा सुझाव है कि छोटे समाचारपत्रों की सहायता के लिये कोई उपयुक्त नीति निर्धारित की जाय। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह निदेश दिया जाय कि छोटे समाचारपत्रों को प्राथमिकता के आधार पर विज्ञापन दिया जाय।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान दो महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। जहाँ तक समाचारपत्रों पर विद्यमान आधिपत्य या एकाधिकार को समाप्त करने सम्बन्धी सरकार की प्रस्तापित नीति का सम्बन्ध है इसकी क्रियान्विति असम्भव प्रतीत होती है। स्थिति यह है कि 'स्टेट्समैन' के प्रबन्धको और कर्मचारियों में उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय श्रम मंत्री को उक्त समाचारपत्र ने मध्यस्थता करने की अनुमति नहीं दी थी। उससे स्पष्ट है कि सरकार समाचारपत्रों के हाथ की कठपुतली है जिससे उसके कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मेरा निवेदन है कि सरकार एकाधिकार विच्छेद के बारे में शीघ्र ही विधेयक लाये। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मैंने जो बातें उठाई है उनकी कार्यवाही की जाए।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुये बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में आकाशवाणी के तीन केन्द्र है : कटक, जयपुर और सम्भलपुर। किन्तु कोरापुट से 200 मील की दूरी पर कोई कार्यक्रम नहीं सुना जा सकता। मेरा सुझाव है कि वहाँ के ट्रांस्मिटर की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

निकट भविष्य में कटक में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाता है। मेरा सुझाव है कि टेलीविजन सैटों के उत्पादन में और केन्द्र की स्थापना में यथा सम्भव शीघ्रता करनी चाहिये। आदिवासी क्षेत्रों में स्थित रेडिओ स्टेशनों के कार्यक्रमों में अधिकाधिक आदिवासियों द्वारा भाग लिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर पर्यटक हमारी माताओं और बहनों के नग्न चित्र खींचते हैं तथा उन्हें विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराते हैं। मेरी मांग है कि आदिवासी क्षेत्रों में फोटो खींचने का प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

उड़ीसा से प्रकाशित क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को, जिनकी संख्या बहुत कम है, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। फिल्मों के बारे में बहुत कुछ कहा चुका है। मेरा सुझाव है कि फिल्मों में अश्लीलता न हो तथा खोसला समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय। फिल्मों का उद्देश्य सत्य, ज्ञान, भाषा और नैतिकता का उद्घाटन होना चाहिये।

जहाँ तक समाचारपत्रों का सम्बन्ध है, यह कहना सच है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रेस पर कुछ ही व्यक्तियों का नियंत्रण है। यदि प्रैस पर पूंजीपतियों का आधिपत्य रहेगा तो निस्संदेह समाजवादी विचारधारा को प्रकाशन नहीं मिलेगा। अतः सरकार का कर्तव्य है कि समाचारपत्रों को वास्तविक स्वरूप दिया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये देश के कोने-कोने में क्या हो रहा है, शहरों, नगरों तथा ग्रामों में क्या-क्या घटनाएं घट रही हैं। समाचार पत्रों को देश विदेश में उत्पन्न परिस्थितियों की जनता को जानकारी देनी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करता हूं कि आदिवासी तथा पिछड़ क्षत्रों के व्यक्तियों के लिय अलग से धनराशि नियत की जाय तथा उनके लिये रेडिओ सैट उपलब्ध कराये जाय।

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun): The department of Information and Broadcasting has a vital role to play in maintaining discipline and law and order in the country. It has a great responsibility in deciding what kind of society we would like to carve out in future in our country. Now a days Radio is no more a commodity of luxury and it has reached every cottage in the remotest corner of the country. It influences equally the thinking of rich as well as poor. It is a very important medium that inferences the entire society. This Ministry should see as to which kinds of songs and stories are relayed from radio. No attention has been given so far on it because it has simply been considered an instrument of entertainment and not a medium to bring about reforms. Similar is the case of television. This medium has displayed only the bad points of Eastern and Western culture. Therefore, the policies of radio and television, especially in regard to films, should be radically changed. Several hon. Members have said that the press in the country is under the control of monopolists, big business houses and capitalists. This kind of press is only engaged in misleading the society. Newspapers owned by the capitalists are trying to deviate the Government from their declared policies.

All agencies of this department i.e. Radio, Television and Publication should function with a sense of responsibility. Rario should also contribute towards spread of education. I request the Government to review the policy.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगें सम्बन्धी चर्चा बहुत ही दिलचस्प रही है। एक तो सरकार जनता को अपने प्रेरणा बिन्दु के बारे में सूचित करती है और दूसरे जनता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विचारधाराओं को सुनती है। किंतु आकाशवाणी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। मंत्रालय अपना दृष्टिकोण जनता को बताने हेतु प्रयत्नशील होने में कही अधिक जिम्मेदार है और उसने जनता की आकाक्षांओं, इच्छाओं, चिंता और रोष एवं आंदोलनों के बारे में उसे सूचित करने का कभी कष्ट नहीं उठाया है।

आकाशवाणी अधिकतर सरकारी विभाग के रूप में ही कार्य करती है और सब से निष्कृष्ट बात यह है कि यह अधिकांश रूप में सत्ताधारी दल में विभाग के रूप में प्रसारित हो गई है। जो कुछ प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री कहते है वही आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में प्रासरित होता है। इसका यही तात्पर्य है कि आकाशवाणी के कार्य में कहीं कुछ गड़बड़ी अवश्य है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए। आकाशवाणी को एक स्वायत्त शासी निगम बनाने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए।

यद्यपि युवावाणी के कार्यक्रम अच्छे होते हैं फिर भी इनमें किसी प्रकार की काल्पनिकता और समुचित योजना नहीं होती। इस कार्यक्रम को सुसंगत और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम में और अधिक रूचि ले।

आकाशवाणी के अहमदाबाद और बढ़ौदा स्थित केन्द्र का विस्तार किया जाना चाहिए। सूरत में आकाशवाणी केन्द्र की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। अहमदाबाद को गुजरात का मुख्य नगर और सीमांत प्रदेश होने के नाते वहां टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

यदि रेडिओ, टेलीविजन, समाचारपत्र, विज्ञापन, सूचना के इन सब माध्यमों को निष्पक्ष रखना है तो केवल एकही कार्य करना होगा कि इन माध्यमों को सरकारी विभागो से मुक्त और स्वतंत्र रखा जाना होगा।

इंडियन एनुअल रजिस्टर बहुमूल्यवान और उपयोगी प्रकाशन है। यह छ-माही प्रकाशन है अर्थात वर्ष में दो प्रकाशन प्रकाशित होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारम्भ से ही इसका प्रकाशन होना बंद हो गया। मंत्रालय इस प्रकार का कोई अन्य प्रकाशन वार्षिक या छ-माही, क्यों नहीं प्रकाशित करता क्योंकि विश्व के लोंगो को इस देश की घटनाओ के बारे में क्रमबद्ध सापेक्ष सूचना प्राप्त हो सके।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa): The Ministry of Information and Broadcasting is an important Ministry. It was alleged that undue publicity is being given to the speeches of the Prime Minister. This charge is baseless. The utterence of the Prime Minister deserve due publicity and coverage because these are usually policy announcements.

The present state of newspapers in India is not happy. There are tall talks about delinking and diffusion of the press. But except for appointing committees, nothing has ben done in this respect. It appears that Government is going back from its earlier stand. Government should stick to its policy of delinking the press from monopoly houses.

In order to promote healthy journalism in the country, we should give every possible encouragement to language newspapers, specially Hindi newspapers. Bold steps are necessary to see that the hold of monopoly on the newspapers is removed.

Hindi is not being given its due place in All India Radio. All Senior Officers in AIR belong to English side. Hindi should be given equal treatment. I am not in favour of sanskritized Hindi. But in the name of simplifying Hindi, it should not be persianised.

An assurance was given to establish a television centre at Jaipur. We hope that Minister will look into it. Jodhpur station of AIR should be given a powerful transmitter so that the hostile propaganda in that border region could be effectively countered.

Only decent and clean films should be allowed to the screened on the television.

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh): Sir, only such firms which are clear and can be enjoyed by members of a family sitting together should be allowed to be screened on the television. Due care should be exercised in choosing films for television.

Censor Board is not taking necessary care for giving 'U' certificate to the films. A number of films with 'U' certificate depicted scene which leave a detrimental effects on the tender minds of the younger generation. Therefore, only elderly and mature persons should be nominated to the Board.

Policies of the Government in regards to Harijans should be given due publicity by A.I.R. which could become an effective instrument in ameliorating the lot of Harijans and other down-trodden people.

Mr. Chairman: The time fixed for this debate is over. Only one member, Shri N. P. Yadav has to speek. If he wants, he can be given 5 minutes only.

Shri N. P. Yadav (Sitawarhi): I would request the Minister of Information and Broadcasting to start the relaying of religions songs for 4 a.m. instead of 6 a.m.

Now I want to draw the attention of the Minister to the 'Search Light' a Patna daily, which has been burnt and destroyed by Jan Sanghis and Anand Margis during the recent agitation. The Government should give necessary assistance to the newspaper, so that it may be able to resume its publication.

The Ministry should give more attention to the Border area in North Bihar. The Minister should set up a radio station and T. V. Centre at Sitamarhi so that people of the border may be benefited.

All India Radio has not been giving preference to Hindi knowing people. All the senior officers in All India Radio belong to English side. So, people knowing Indian languages, specially Hindi knowing, should be given status according to merit.

The Government should be careful while nominating members on the Censor Board. Only persons of character and integrity should be nominated as members. The senior members of Parliament should also be represented on the Board. . . *Interruptions* . . .

Mr. Chairman: I am sorry that I cannot give you more time.

Shri N. P. Yadav: I would take only two minutes. I want to say that good and tatented persons should be represented in the Board so that good films may be production in the country.

I suggest that there should be special films for persons below the age of 18 years, because the trend for sex and crime has been growing in the films. Separate arrangement of films may be made for the persons between the age group of 18-25 and also for the persons above the age of 25 years. If this is done, only then over our country would be benefitted . . . *Interruptions* . . .

Moreover District Propaganda Coordination Committees should be set in all the districts and the recommendations regarding the propogation work in the border areas should be implemented.

The Yuva Vani programme of A.I.R., which is at present operating at Delhi, Calcutta, Hydrabad and Jammu should also be broadcast from Patna station. More attention should be paid to the interests and cultural aspects of the people from backward and tribal regions.

I would suggest that more time should be given to the programme regarding Fifth Five Years Plan that the cooperation of common man can be taken in regard to its implications.

Finally, the Committees of specialists for 1st class programmes should be set up in place of Central Programme Advisory Committees.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं माननीय सदस्यों का इसलिए कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस वादविवाद में रुचि दिखाई है और कुछ बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं।

हमें मूलत: इस तथ्य को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिये कि दुर्भाग्यवश अभी तक देश में निरक्षरता का बोलबाला है और गरीबी का भी अभी तक प्राधान्य है। इसके साथ ही अभी तक हमारे समाज का बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। इन बातों को देखते हुए हमें एक ऐसी प्रचार माध्यम संबंधी नीति को बनानी पड़ेगी जिसका उद्देश्य संचार के अंतराल को पूरा करना होना चाहिये। यद्यपि गत 25-26 वर्षों में हम देश में प्रचार माध्यम को बनाने के लिये कई पग उठाये गये हैं, तथापि इसकी पहुंच बहुत ही सीमित है।

हमारे देश में न केवल लगभग 11,000 समाचारपत्र और पत्र-पत्रिकायें हैं, अपितु लगभग 800 दैनिक समाचार पत्र भी है। किन्तु अधिकांशत: उनकी पहुंच शहरी क्षत्र तक ही सीमित रहती है।

इसी प्रकार दुर्भाग्यवश रडियों की पहुंच भी, बावजूद इसके कि इसका गत 40 वर्षों में इस का काफी प्रसार हुआ है, अभी तो बहुत ही सीमिति है। आज भी हम यह दावा करत हैं कि इससे 85 प्रति शत जनता को लाभ हुआ है। हमार सीमावर्ती क्षेत्रों तक अभी रडियो नहीं पहुंचा है। सामाजिक रूप से पिछडे क्षत्रों में भी इसकी बहुत ही कम पहुंच है। रडियो के माध्यम का उपयोग उच्चतर मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और समाज के एक विशष वर्ग तक ही बना हुआ है।

फिल्म नीति के संबंध में, समाज का एक सीमित वर्ग भी चलचित्र देखने जाता है, क्योंकि एक भारतीय की औसत आय की तुलना में यह बहुत ही खर्चीला है। पुस्तकें भी अभी तक अनेकों की पहुंच से बाहर हैं। अत:, देश में समस्त संचार साधन इस प्रकार का है और आप देख रहे हैं कि हमने जो प्रचार साधन नीति बनायी है, जो उसका लाभ समाज के बहुत ही सीमित वर्ग को ही पहुंचता है। विशेषकर कि इस सभा में हमें अवश्य ही निर्णय करना चाहिये कि हम किस प्रकार की नीति बनाना चाहते हैं। जब हम योजना के बार में विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों में निदेश को कम प्राथमिकता दी गई है। इसकी शिक्षा के साथ भी कोई समानता नहीं है। जब तक हम प्रचार के साधन को शिक्षा प्रणाली के अंग के रूप में आरम्भ नहीं करेंगे, तब तक यह सफल नहीं होगा। अत: आज क संदर्भ में हमें सबसे पहले हमें अवश्य ही यह निर्णय करना चाहिये कि हमें इसे प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में निश्चित किया जाये और इसी आधार पर सामाजिक निदेश किया जाये। हमे प्रत्येक नागरिक तक रेडियो की सुविधा को पहुंचना है। फिल्मों को भी प्रत्येक नागरिक तक सुलभ करना है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक प्रकाशन माध्यम, इलैक्ट्रोनिक्स माध्यम का लाभ थोड़ेसे शहरी लोगों को ही होगा और इससे इसका विकास भी नहीं हो पायेगा।

स्पष्ट रूप से भारत में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हम यह तो कर सकते हैं कि हम किसी विशेष बात को पसंद नहीं करते किन्तु देश में जो देश सामाजिक संबंध बने हैं उनके सन्दर्भ में कई जटिलतायें हैं। जब भी सांस्कृतिक परिवर्तन आता है, तो उसके लिये 'प्रचार साधन की सहायता की अवश्यकता पडती है। अत:, समूची प्रचार साधन नीति की सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। जब तक हम यह निर्णय करन की स्थिति में नहीं हो जाते

[श्री आई० के० गुजराल]

कि प्रचार साधन को भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये, तब तक न तो 'प्रचार-साधन' सफल होगा और न ही वह सांस्कृति परिवर्तन इस तरह का होगा जिसे समाज पसंद कर सके। हमारी सांस्कृतिक परम्परा, हमारी संस्कृत पृष्ठभूमि तथा समाज के प्रति हमारे रवैये में परिवर्तन हो रहा है। इसलिये ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी अच्छी फिल्में बनाने की आवश्यकता है। किन्तु अच्छी फिल्मों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। पन्द्रह वर्ष पूर्व फिल्म वित्त निगम की स्थापना की गयी थी। यद्यपि हम प्रतिवर्ष 400 फिल्मों का निर्माण करते हैं, तथापि फिल्म वित्त निगम के माध्यम से हमने केवल एक करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस समय हम विश्व से बहुत बड़े फिल्म निर्माता है। फिल्मों का हमारे समाज पर न केवल सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, अपितु इससे मनोरंजन करके खप में हमारी काफ़ी आय भी हो जाती है।

इस देश में मनोरंजन कर से प्राप्त कुल आय लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए होती है। जब तक हम फिल्मों पर अधिक पूंजी का विवेश नही करेंगे तब तक अधिक सेन्सर करने की समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक नयी योजना तैयार की गयी है जिसके अनुसार हमें प्रत्येक टिकट पर 5 पैसे का उपकर लगाया जायेगा। हमें फिल्म निर्माताओं की सहायता करनी चाहिये। हमें ऐसी स्थिति में हो जाना चाहिये कि हम फिल्मों को प्रभावित कर सकें। हमने इसी उद्देश्य से खोसला समिति का गठन किया था। खोसला समिति के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप मैंने सेंसर संबंधी कानून का संशोधन करने के लिये इस सभा में एक विधेयक पेश किया है। इस सभा द्वारा इसे स्वीकृत किये जाने के पश्चात् हमारा विचार इस देश में सेंसरशिप की धारणा को पूर्णतया बदल देने का है। इस समय फिल्मों की समूची 'सेंसरशिप' प्रणाली में पूर्णकालिक रूप में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। अन्य व्यक्ति अनैतिक समितियों के सदस्य हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि हम कोई एक समान नीति लागू करने की स्थिति में नहीं है। नयी योजना के अनुसार हम 6 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति करेंगे और यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक फिल्मों को कम से कम एक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा अवश्य ही देखा जायेगा। इससे स्थिति में परिवर्तन हो जायेगा। जिन फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा का प्रदर्शन हो, उनका हम कड़ाई से विरोध करते हैं। गत एक वर्ष में हमने फिल्मों में ऐसे बहुत से दृश्यों को निकाला है। इस वर्ष बोर्ड ने 15000 मीटर लम्बी फिल्मों को काटा है जब कि गत वर्ष 11000 मीटर लम्बी फिल्म काटी गयीं थी। इसी प्रकार लगभग 23 फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। जब तक अच्छी फिल्मो में पुंजी निवेश नहीं किया जाता तब तक फिल्मों में परिवर्तन नहीं आयेगा।

जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, दुर्भाग्य की बात है कि इस की कमी ही रही है। यद्यपि हमारी खपत केवल 300,000 टन अखबारी क़ागज की है, तथापि हम आयात करके तथा देशीय उत्पादन से अपनी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अब स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है क्योंकि हमारा देशीय उत्पादन बढ़ता जा रहा है।

इस वर्ष विदेशों में अखबारी कागज की अनुपलब्धता के कारण यह कमी बनी रहेगी। इस प्रकार की स्थिति होने के बावजूद भी हमने किसी भी समाचारपत्र को बन्द नहीं करने दिया और किसी भी श्रमजीवी पत्रकार की छंटनी भी नहीं होने दी। इन दोनों मामलों के संबंध में हम सदैव ही स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटते रहे हैं।

जहां तक श्री भट्टाचार्य द्वारा यह बात कही गयी है कि आकाशवाणी द्वारा लोकप्रिय आन्दोलनों के बारे में समाचार नहीं दिये जाते। यदि लोकप्रिय आन्दोलन से उनका अभिप्राय हिंसा की कार्यवाही करने, संपत्ति को जलाने तथा आग लगाने तथा जनसाधारण के जीवन को कठिन बनाने से है, तो मैं लोकप्रिय की इस परिभाषा को स्वीकार नहीं कर सकता।

छोटे समाचार पत्रों की सहायता प्रदान करने का प्रश्न भी उठाया गया है । इन के साथ हमारी सदैव सहानुभूति है तथा हम उनका हमेशा समर्थन करते हैं; विसम्बन्धन पर भी काफ़ी चर्चा की गयी है । सरकार इसके लिये वचनबद्ध है और हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिये उपाय निकालने का प्रयास कर रहे हैं । हम इस का समाधान पाते ही इसे सभा के समक्ष पेश कर देंगे ।

श्री भौरा ने ठीक ही आकाशवाणी की भाषा की ओर ध्यान दिलाया है और कहा है कि आकाशवाणी को भाषा को सरल बनाने के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये । मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं । मेरे विचार में संचार की प्रत्येक भाषा को सरल बनाया जाना चाहिये। ताकि जनसाधारण इसे समझने में समर्थ हो सके । अतः, हमें भाषा की शुद्धता के नाम के लोभ से निश्चित रूप से दूर रहना चाहिये । किसी भाषा का विकास मुख्यतयः विश्वविद्यालयों का काम है ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : क्या आप ने उस प्रयोजन के लिये मूल हिन्दी अथवा किसी अन्य भाषा, अर्थात् मूल अंग्रेजी की, जो प्रत्येक अंग्रेज द्वारा समझी जाती है, तरह की किसी मूल भाषा के बारे में सोचा है ।

श्री आई० के० गुजराल : भाषा के विकास का कार्य शिक्षा मंत्रालय का उत्तर दायित्व है न कि मेरे मंत्रालय का, इसी कारण आकाशवाणी की कोई भाषा नीति नहीं है । मेरे विचार से हमें एसी मिली-जुली भाषा का प्रयोग करना चाहिये जिसे आम आदमी समझ सके ।

कुछ सदस्यों आकाशवाणी की विदेश सेवाने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हमारी यह सेवा बहुत सीमित है । वास्तव में इसका कारण यह है कि इस ओर हमारा निवेश बहुत ही सीमित है । हमने कलकत्ता और राजकोट में मीडियम-वेव के दो ट्रांसमीटर लगा रखे हैं परन्तु उनकी क्षमता बहुत सीमित है । इसी प्रकार शार्ट-वेब के हमारे ट्रांसमीटरों की क्षमता भी बहुत कम है । इतना ही नहीं आन्तरिक सेवाओं में भी हमारे सामने यही कठिनाई है । देश के एक भाग के स्टशनों को दूसरी जगहों पर नहीं सुना जा सकता । इस सब स्थिति में सुधार धन की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है ।

पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के मामले बर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है । इन दोनों एजंसियों को अधिक सुचारू बनाने के उपायों पर विचार हो रहा है । इन पर न केवल कुछ अखबारों का नियंत्रण है अपितु पिछले 2-3 वर्षों से इनके प्रबन्धक मंडल पर सम्पादकों के नियंत्रण के स्थान पर मैनेजरों का नियंत्रण हो गया है । सरकार इस ओर भी ध्यान देगी ।

एक सहकारी समिति होने के नाते 'हिन्दुस्तान समाचार' की स्थिति इससे भिन्न है । परन्तु फिर भी सरकार उसकी ओर भी ध्यान दे रही है ।

समाचारों के संबंध में भी हमारी क्षमता बहुत सीमित है । अधिकतर समाचारों के संबंध में हमें विदशी समाचार एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है ।

जहां तक 'स्टेट्समेन' की स्थिति का प्रश्न है, मेरे विचार से यह मामला सभी के लिये चिंता का विषय होना चाहिये । इसकी संपादकीय नीति सहीत सारा नियंत्रण प्रबंध निदेशक के हाथ में है और वह इसे अच्छ समाचार पत्र के रूप में चलाना नहीं चाहते ।

फिल्म वित्त निगम ने यद्यपि बहुत कम निवेश किया है, फिर भी सभी भाषाओं की फिल्मों की ओर ध्यान दिया गया है । 'इम्पा' की स्थापना 1963 में भारतीय फिल्मों के निर्यात के संवर्धन के लिये की गई थी । भारतीय फिल्मों के निर्यात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं ।

11—9 L.S.S, (ND)/74

[श्री आई० के० गुजराल]

सरकार 'इम्पा' में बहुत सुधार करने के भी प्रयत्न कर रही है। 'इम्पा' का उत्तरदायित्व मेरे मेरे मंत्रालय को लगभग 3 मास पूर्व ही अन्तरित किया गया है।

जहां तक कुछ फिल्मों के 'प्रिंट' तस्कर, दवारा बाहर भेजने की बात है, मामला प्रवर्तन निदेशालय को भजा जा रहा है। इसको रोकने के लिये हम विभिन्न उपाय पर विचार कर रहे हैं। एक उपाय अन्य देशो को सरकारों साथ सोधे प्रबन्ध करने का है और दूसरा उपाय यह है कि तस्करी समस्या पर विचार करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय की एक छोटी सी समिति स्थापित की जा रही है।

मैट्रो सिनेमा के मामले पर विचार करने के पश्चात् हम उसे अपने अधिकार में लेना चाहते थे। हमें बताया गया कि उसके मालिक भी उसे बेचने को तैयार है। अतः इस दृष्टि से हमने उसके मालिकों के साथ बातचीत के लिये एक छोटी सी समिति भी बनाई। परन्तु अब कहा गया है कि व उसे बेचने को तैयार नहीं। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को आदेश दिये हैं कि बिना सरकार की अनुमति के किसी संपत्ति अथवा शेयरों के अन्तरण की अनुमति न दी जाय। माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी विचार किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इस बार में आरोप काफी समय से लगाये जाते रहे है इनको बारे में जांच को क्या आवश्यकता है? सरकार क्षतिपूर्ति के बिना इसके प्रबन्ध को अपने अन्तर्गत क्यों नहीं ले लेती?

श्री आई० के० गुजराल : इस सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : वित्त मंत्रालय, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य सूचना और प्रसारण तथा वाणिज्य मंत्रालय सभी को मैट्रो सिनेमा के स्वामित्व के कथित अन्तरण की जानकारी थी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने अनेक बार सदन में कहा था कि सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है। परन्तु इस सब के बावजूद कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण है?

श्री आई० के० गुजराल : दुर्भाग्य से शेयरों का अन्तरण भारत से बाहर किया गया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इसके औचित्य पर विचार किया जा रहा है। सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

जहां तक 'नवभारत समूह' द्वारा वेतन मंडल के निर्णयों को लागू न करने और 'समाचार भारती' के श्रमिकों को महंगाई भत्ते की अदायगी की बात है, मैंने इसे नोट कर लिया है और यह बात श्रम मंत्रालय के ध्यान में लाई जायेगी।

रेडियो कार्यक्रमों के संबंध में अनेक सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। इस वर्ष पहली बार कार्यक्रमों के बारे में अनुसंधान और विकास की दृष्टि से विचार किया जा रहा है। 'विविध भारती' के रूप में भी परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। इस वर्ष से वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिये आकाशवाणी में एक विज्ञान सेल भी बनाया जा रहा है। तवांग, गोरखपुर और रोहतक में तीन नए रेडियो स्टेशन भी खोले जायेंगे तथा 10 ट्रांसमीटरों को शक्तिशाली बनाया जायेगा।

सरकार की नीति यह है कि जनसम्पर्क के साधन सामाजिक परिवर्तन के माध्यम बनें।

स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तों आदि के मूल्यांकन के लिये हमने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की एक समिति गठित की थी जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उस पर स्टाफ आर्टिस्ट

एसोसियेशन के विचार मांगे गये हैं। उनके प्राप्त होने पर सरकार उसके बारे में निर्णय करेगी।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the Cut Motions were put and negatived.

सभापती महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं

The following demands in respect of Ministry of Information and Broadcasting were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	26,66,000	..
61	सूचना और प्रचार .	9,98,84,000	1,72,92,000
62	प्रसारण	16,99,69,000	14,68,33,000

लखीसराय रेलवें स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारीयों द्वारा रेल सम्पती क़े कथित जलायें जाने और उनके द्वारा कियें गये अन्य अत्याचारों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ALLEGED BURNING OF RAILWAY PROPERTY AND OTHER ATROCITIES AT LAKHISARAI RAILWAY STATION BY R. P. F. PERSONNEL

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : "रेलवे सुरक्षा दल द्वारा लखीसराय में बिना मजिस्ट्रट की आज्ञा के 12 से 16 वर्ष के बालकों पर संगीनों का प्रयोग और रेलवे सुरक्षा दल तथा अन्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे स्टेशन और गोदाम का जलाया जाना ताकि जनता के विरुद्ध उनके उस अन्धाधुंद बल प्रयोग का औचित्य सिद्ध हो सक जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और कई व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये।"

मामले के तथ्य :—19-3-74 को लगभग 15.30 बजे लगभग 3 से 4 हजार व्यक्तियों को भीड़ ने पूर्व रेलवे के मोकामा-कियूल खन्ड पर लखीसराय रलवे स्टेशन पर हमला किया। यह उपद्रव पत्थर फेंकने के साथ शुरू हुवा ओर बाद में इस उपद्रव ने गम्भीर रूप धारण कर लिया क्योंकि दंगाइयों द्वारा बन्दूकों और विस्फोटकों का प्रयोग भी किया गया। सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से रेलवे सुरक्षा दल ने भीड़ को बार-बार चेतावनी दी लेकिन भीड़ ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय इस स्टेशन पर दल के साथ कोई मजिस्ट्रेट नहीं था। तब तक उपद्रवी भीड़ हिंसा पर उतारु हो गयी थी और उसने बुकिंग और पार्सल कार्यालयों

[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी]

में आग लगा दी और उसने पार्सल कार्यालय में पड़े हुए कुछ पारेषणों को भी लूट लिया। रेलवे स्टेशन के निकटस्थ रेलवे सुरक्षा दल के बैरक पर भी हमला किया गया। दरवाजा तोड़ दिया गया और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का सामान भी लूट लिया गया। भीड़ ने टेलीफोन का कनेक्शन भी काट दिया और केबिन के पास डाउन लाइन की फिश प्लेटें भी हटा दीं जिसके फलस्वरूप लखीसराय स्टेशन में सभी गाड़ियों का चलना एक घंटे तक बन्द रहा तब तक रेलपथ ठीक कर दिया गया था।

पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल क कर्मचारियों को चोटें :—भारी पथराव, पटाखे छोड़ने और गोली चलाये जाने के फलस्वरूप 27 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें से 12 व्यक्ति रेलवे सुरक्षा दल के, 5 व्यक्ति सरकारी रेलवे पुलिस के, 7 व्यक्ति जिला पुलिस के, एक रेल कर्मचारी और 2 व्यक्ति जनता में से थे।

बल प्रयोग द्वारा भीड़ की तितर बितर करना :—चूंकि पुलिस और रेलव सुरक्षा दल के बहुत से व्यक्तियों, रेल कर्मचारियों और आम जनता के कुछ लोगों को चोटें आयीं और रेल कर्मचारियों तथा स्टशन पर उपस्थित जनता की जान और माल को तुरन्त खतरा पैदा हो गया था और बार-बार चेतावनी दने का असर नहीं हो रहा था इसलिय, पुलिस और रेल्वे सुरक्षा दल के पास बल प्रयोग द्वारा लोगों की जांन और माल बचाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रह गया था।

हताहत :—गोलीकांड के फलस्वरूप 3 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये और पुलिस द्वारा 13-30 वर्ष की आयु के बीच 7 के व्यक्ति जो गोली से घायल हो गये थे, गिरफ्तार कर लिये गये।

जांच-पड़ताल :—सरकारी रेलवे पुलिस, कियूल द्वारा 20-3-74 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395/436/337 के अन्तर्गत अपराध नं० 7 दर्ज कर लिया गया और उसकी जांच पड़ताल अभी जारी है।

बाद की कारंवाई :—स्टेशन के इर्द-गिर्द के इलाके की तलाशी लेने पर दो पकट और कपड़े की 9 गांठें मिली जिन्हें दंगाइयों के लूट लेने के बाद पड़ोस में छोड़ दिया था।

संगीन स हमला :—भोड़ को तीतर-बितर करने में लगायी गयी पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को संगीनों का उपयोग का कोई आर्डर नहीं दिया गया था। लेकिन यह पता लगा है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 व्यक्तियों को गोली के घाव थे। चूंकि अभी जांच-पड़ताल जारी है इसलिए, इन चोटों का निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता।

Shri Madhu Limaye (Banka): This is altogether wrong statement. My points have not been replied to. Children of 12-14 age group can not tell lies. Has the supply Inspector not been suspended because of his hand in burning of the store? Have they tried to obtain the orders of the Magistrate now or not?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री मधु लिमये ने कुछ विशिष्ट बातें उठाई थीं। उस पर मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का आदेश दिया गया था परन्तु सभी बातों का परी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय को मामले को स्पष्ट करने को कहा जाये।

क़ंट्रोल के कपड़े के संबंध में संशोधित नीति क़े बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : REVISED CONTROLLED CLOTH POLICY

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सरकार कुछ समय से कपड़े की उन नियंत्रित किस्मों से सम्बन्धित नीति में संशोधन का विचार करती रही है जिनकी आम जनता में मांग है । मौजूदा योजना में बहुत पहले मई 1968 में तय की गयी कीमतों पर प्रतिवर्ष 40 करोड़ मीटर कपड़े की व्यवस्था है । उद्योग, जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें भी शामिल हैं, यह अभ्यावेदन करता रहा है कि बढ़ी हुई मौजूदा उत्पादन लागत को देखते हुए इन कीमतों में वृद्धि करना जरूरी है । सरकार भी कपड़े की नियंत्रित किस्मों की मात्रा को बढ़ाने के लिये उत्सुक रही है ।

सरकार ने इस उद्देश्य से नई संशोधित नीति तैयार की है । इस नीति की मुख्य विशेषता ये है कि कंट्रोल के कपड़े की मात्रा 40 करोड़ मीटर के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 80 करोड़ मीटर कर दी जायेगी और आम प्रयोग में आने वाली पांच किस्मों; साड़ियों, धोतियों, ड्रिल, कमीजों के कपड़े और लट्ठे में अब मीडियम 'ए' श्रेणी के कपड़ों की किस्में भी शामिल की जायेंगी । हालांकि उत्पादन पर आने वाली लागतें काफी बढ़ चुकी हैं, फिर भी यह फैसला किया गया है कि मई, 1968 वाली कीमतों में केवल 30 प्रतिशत वृद्धि ही करने दी जायेगी। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये कपड़े की किनारी पर हर मीटर पर कीमतें छापना उत्तरोत्तर शुरू किया जायेगा और वितरण-व्यवस्था को मजबूत बनाया जायेगा । परिवहन तथा वितरण की बढ़ी हुई वर्तमान लागतों को पूरा करने के लिये मिल से चलते समय की कीमतों में 20 प्रतिशत का वितरण मार्जिन रखा गया है । कंट्रोल के कपड़े का दायित्व पूरा न किया जाने पर लगाने वाले दंड को 1 रु० प्रति मीटर के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 2.50 प्रति मीटर कर दिया जायेगा ।

कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन करने के संबंध में कपड़ा मिलों की इस बढ़ी हुई बाध्यता के संदर्भ में, स्कीम में, अपेक्षित निर्यात प्रयत्न जारी रखने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है ।

संशोधित नीति पहली अप्रैल, 1974 से लागू की जायेगी ।

गैर सरकारी सदस्यों क़े विधेयक़ों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

38 वां प्रतिवेदन

श्री गिरिधर गोमींगो (कोरापुट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेय ों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 38वें प्रतिवेदन से, जो 27 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 38वें प्रतिवेदन से, जो 27 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कृषि उत्पादन और मूल्यों संबंधी निति के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : POLICY REGARDING PRICES AND AGRICULTURAL PRODUCTION

सभापति महोदय : अब मूल्य और कृषि उत्पादन संबंधी नीति के बारे में संकल्प पर आग चर्चा की जायेगी ।

श्री मधु लिमये : मैंने जो संकल्प पहले प्रस्तुत कर दिया है वह निम्नलिखित :—

"कि इस सभा की राय है कि सरकार को मूल्यों के संबंध में अपनी नीति को इस प्रकार से पुनर्निर्धारित करना चाहिये कि :—

(क) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादन लागत, जिसमें परिवहन प्रभार, कर तथा लाभ शामिल हैं, से 1-1/2 गुणा मूल्य पर बेची जाये;

(ख) औद्योगिक माल तथा कृषि उत्पाद के मूल्यों के बीच समानता हो;

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों के 15 प्रतिशत से अधिक उतार-चढ़ाव न हो;

(घ) सरकार उत्पादन लागत तथा किसानों के लिये उचित लाभ को ध्यान में रखकर कपास, गन्ना, कच्चा पटसन, खाद्यान्नों तथा अन्य उत्पादों को समर्थित मूल्यों पर खरीदने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले;

(ङ) कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की प्रति यूनिट दर 10 पैसे से अधिक न हो; और

(च) 10 एकड़ से कम जोतों वाले किसानों को राजसहायता प्राप्त दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाये और सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत की कमी की जाये ।"

It has often been stated that the prices should be stabilised and consumer goods should be available at reasonable prices. The Government has always been pleading in general way and no concrete steps have been taken in this direction. The views expressed by the Ministers have never been implemented. It will be observed that Government has not laid down any basic principles on which it intends to achieve the goal of checking the price rise. The result is that Government has not been able to meet the basic needs of the people. There cannot be two opinions about the facts that foodgrains, cloth, sugar, kerosene oil and salt are essential for our life. The profiteering in these articles should be curbed and efforts should be made to reduce taxes and transport expenditure in respect of these items. If these things could be made available to the people at 1½ times the cost of production, it would give great relief to them.

The profit earned by sugar mills is manifold and this fact has clearly been stated in the annual Report which has been published. They evade taxes. It is also understood that levy sugar is sold in black market and the sugar mills earn huge profits.

In so far as cloth is concerned although the prices of cotton has been falling from January 1971 to January 1973 yet the prices of cloth had been increased during these two years. The result is that the profit of big mills has been increased from 11 percent to 50 percent.

Similarly taxes on kerosene have continuously been increasing. In this background I would like the honourable Minister to declare that in so as essential goods are concerned steps will be taken to regulate the prices.

My second point is that parity should prevail between the prices of industrial goods and agricultural produce. In a reply to my question the hon'ble Minister had stated that "in India prices of agricultural commodities have generally shown a relatively greater rise than the prices of manufactured goods. But the element of speculation do play a large part in the trade of agricultural commodities". In this connection I would like to draw the attention of the hon'ble Minister to the fact that sugarcane producers were given a price Rs. 15 per quintal and the price of sugar was Rs. 2/- per Kg. in the open market in 1968. Whereas sugarcane has been purchased @ Rs. 13/- or Rs. 13.50 P. per quintal in 1973-74 and the price of sugar is Rs. 4.25P. or Rs. 4.50 per Kg. In view of this I want to know as to why the prices of sugar has been increased when sugarcane growers have been paid less than what they had been paid in the past? Similarly the prices of cloth have risen in undue proportion. It would be wrong to suggest that the farmers have been paid higher prices for their produce. If statistics are collected for the last three years, it will prove that there has been steep rise in the prices of cloth and which is much more than prices of cotton.

During the discussion of budget the Finance Minister had stated that import of long staple cotton has been stopped. But the Commerce Minister has stated in reply to one of my questions that 'Cotton year 1970-71, imports 8.51 lakh bales', value in crores of rupees 109.85 crores. Thereafter 7.44 lakh bales were imported in 1971-72 and a foreign exchange of Rs. 101.73 crores was spent on it. In 1972-73 4.42 lakh bales were imported and a foreign exchang of Rs. 64.90 crores was spent. In 1973-74, according to my information 4 lakh bales have been imported. I had asked whether this long staple cotton is used for exporting or it is used to manufacture costly cloth for the rich. The Commerce Ministry has replied that about 10 to 11% of the cloth made out of the yarn produced from the imported long staple cotton has been exported this year. Even these figures seem to be doubtful. May I know the basis of such a policy under which so much amount spent to provide expensive cloth for the rich? Can we call it socialism?

My third point is that the prices of foodgrains should not increase by more than 15 percent in a year. It has been admitted by the Government that the prices of coarse grains have been increased by 20-30 percent in a month and what to say of a year. When the farmers losing their produce in the market, the prices fall but when they go to purchase this same in the lean months, they have to pay 50-60 percent more than the price that was paid to tham. I have suggested 15 percent increase keeping in view the expenditure in storing, interest to be paid on loans taken from the banks. It is necessary because we have seen in the past that there has been big fluctuations in the prices of certain varieties of foodgrains.

The Government should ensure purchase of agricultural produce at fixed price. It is, however, for the Government to decide 'modus operandi' because, I know that so long corruption is rampant in the administration situation will not improve and the policies of the Government will prove failure. We are in favour of public distribution system but something should be done to deal with corrupt practices.

I have received complaints that small farmers are being put to great hardships. I am not against levy but one should see the capacity of a farmer. I would, therefore, suggest that foodgrains should be procured from the farmers who have enough stocks to sell the same in the market.

[श्री मधु लिमये]

The Government had given an assurance that jute will be purchased at the rate of Rs. 157/- per quintal but the fact remains that small growers have not been paid that much. The rate of growth of output in the agricultural sector envisaged for the Fifth Plan period is 4.67 per cent. per annum. But I have not seen any plan to achieve this target. In my view the problem of unemployment can be solved through development of agriculture. I therefore suggest that more emphasis should be laid on the development of agriculture. Concerted efforts should be made to increase the production in order to increase income. The agricultural income should also be taxed like open types of incomes. In this connection I have stated that electricity rate per unit for agricultural purpose should not be more than 10P.

They charge two paise per unit from Mindalco. I want to know whether they give higher priority to Aluminium as comparison to agriculture? The rate of electricity should not be more than ten paise per unit for agricuture in the next few years.

For the last 4-5- years, farmers owning ten acres of land started sowing rabi crops and using quality seeds and fertilizers. But now their prices are going up and taxes are being levied. My Submission is that small farmers should be provided with fertilizers at low rates. The taxes which are being levied on irrigation indiscriminately should be stopped. Taxes should be levied on the basis of income earned by the farmer. There are a few farmers who earn a net income of more than Rs. Eight thousand and five hundred per annum. Employees of the departments earn more than these farmers.

The constitution should be amended so as to compel the states to levy taxes on big farmers. Whatever the states earn from such taxes, the Government should give them matching grant. With this money a fund should be created and the same utilized for unirrigated lands. If such schemes for the benefit of agriculture are formulated, then certainly the stagnation in the field of agriculture would be removed.

Unless the Government machinery is streamlined evils like corruption, bribery etc. cannot be remived. If the Prime Minister, the Minister and the Governors set an example, then the lower strata would follow their example.

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि इस सभा की राय है कि सरकार को मूल्यों के संबंध में अपनी नीति को इस प्रकार से पुनर्निर्धारित करना चाहिये कि :—

(क) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादन लागत, जिसमें परिवहन प्रभार, कर-तथा लाभ शामिल हैं, से 1-1/2 गुणा मूल्य पर बेची जाये;

(ख) औद्योगिक माल तथा कृषि उत्पाद के मूल्यों के बीच समानता हो;

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों में 15 प्रतिशत से अधिक उतार चढ़ाव न हो;

(घ) सरकार उत्पादन लागत तथा किसानों के लिये उचित लाभ को ध्यान में रखकर कपास, गन्ना, कच्चा पटसन, खाद्यान्नों तथा अन्य उत्पादों को समर्थित मूल्यों पर खरीदने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले;

(ङ) कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की प्रति यूनिट दर 10 पैसे से अधिक न हो; और

(च) 10 एकड़ से कम जोतों वाले किसानों को राजसहायता प्राप्त दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाये और सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत कमी की जाये।"

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ज्योतीर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagpur) : I agree with the spirit of the Resolution moved by Shri Limaye which contains revolutionary ideas but disagree with some of his points. The consumer should get items of their basic needs but the farmers should also get remunerative price. Such a price should be guaranteed to him. If we want to achieve physical and financial targets, then we will have to bring changes in prices and marketing of commodities. The farmers should get such remunerating prices as may encourage him to produce more.

Our country is predominantly dependent on agriculture. About 75 per cent of our population is engaged in agriculture. So, this, sector should be given a higher priority. If agricultural production is increased, then the country can be benefited. They have given less importance to agriculture. The agriculturists do not have fertilizers, disel, crude oil and other necessary items. How, then, can we expect him to increase agricultural production? We will have to think over the question of providing inputs to farmers in the season. The distribution system of fertilizers should be streamlined. For bringing about green revolution, the farmers should be provided with all help in raising their production. The pricing structure should be such, as may benefit both farmers and consumers, prices of commodities like sugarcane, cotton etc. produced by the farmers should be fined by organisations. Of course, these organisations are not free from drawback but they can be removed. While fixing prices of such commodities, the question of cost of production etc. should be taken into consideration. In the same way, prices of industrial products should also be fined. These things should be put into practice in the Fifth Five Year Plan.

They may charge twelve paise per unit for electricity, but provision of credit should be made for small farmers so that they may be able to obtain fertilizers and electricity. As regards irrigation, it is not correct to say that there is no scope for increasing the rates of irrigation from canals. In some places, these rates are very low and can be increased.

It is good that sugarcane growers are being given prices of their commodities at Mill level. The Government should see that crushing is not delayed, because if there is delay then the percentage of Sugar yield declines. If this delay is eliminated, the farmers would also be able to get their price early. There should be same machinery to watch the fluctuation in prices and to ensure the supply of goods to consumers at reasonable prices. It is a very wide issue and a particular Ministry cannot take a decision about it. All the Ministries should prepare a co-ordinated scheme so that the masses could be benefited.

The wheat policy was announced yesterday and people have different views about it. We should form our views keeping practicability of a thing in view. In the new wheat policy, the Government has safeguarded the interest of the farmers and have also kept a control over prices.

If the Government wants to fulfil the targets fixed for the Fifth Plan, it should previously consider the spirit behind the motion and implement the Fifth Plan effectively.

श्री ज्योतीर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपने संशोधन को पढ़ना चाहता हूं : संकल्प के अन्त में यह जोड़ा जाय "महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों और कृषि के लिये आवश्यक पदार्थों के उत्पादन और वितरण पर सरकार को निश्चित नियंत्रण करना चाहिये;

[श्री ज्योतीर्मय बसु]

और इसलिये यह सदन सिफारिश करता है कि चीनी उद्योग, अपरिष्कृत जूट व्यापार, उर्वरक-उत्पादन और वितरण तथा डीजल और मिट्टी के तेल के वितरण का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाय।"

श्री लिमये ने कृषि विकास को बात कही है। जब तक वास्तविक और प्रभावी भूमि-सुधार नहीं किया जाता, तब तक कृषि का विकास नहीं हो सकता। कृषि के लिये आवश्यक पदार्थों और कृषि-उत्पाद, दोनों पर नासमझ व्यापारियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों और चोरबाजारियों का अधिकार है। छोटे और मध्यम किसानों का दोहरा शोषण हो रहा है—एक तो तब जब वे अपने कृषि-उत्पादों को बेचते हैं और दूसरे तब जब वे अपनी जरूरत के सामान को खरीदते हैं। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, परन्तु यहां के किसान को उर्वरक की सबसे अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। श्रीलंका में अमोनियम सल्फेट की प्रति टन कीमत 1583 रुपए है, जबकि भारत में 2,665 रुपए प्रति टन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में यूरिया की कीमत क्रमशः 1,470 रुपए और 1,185 रुपए प्रति टन है, जबकि भारत में इसकी कीमत 2,085 रुपए प्रति टन है।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का 28 प्रतिशत उपयोग होता है, जबकी गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने में 95 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है। प्राइवेट क्षेत्र की गजरात फर्टीलाइजर कम्पनी को 31 मार्च, 1972 को 807 लाख रुपए का समग्र लाभ और 307 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स कम्पनी को कर की अदायगी करने के बाद 31 दिसम्बर, 1972 को 455 लाख रुपए का लाभ हुआ। गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों को वर्ष 1970-71 में 1091 लाख रुपए का लाभ हुआ, जबकि अगले वर्ष लाभ की राशि ड्योढ़ी हो गई और यह 1529 लाख रुपए की। भारत में उर्वरक का नियंत्रित मूल्य 50 किलोग्राम के लिये 52 रुपए है, जो विश्व में सब से अधिक है। किसान को 50 किलोग्राम उर्वरक की कुछ क्षेत्रों में 200 रुपए कीमत देनी पड़ती है।

भारत में कीटनाशक औषधियों का सबसे कम उपयोग होता है। कीटनाशक औषधियों का ठीक तरह से उपयोग करने का तरीका न जानने और कीटनाशक औषधियों की बिक्रीपर राजसहायता को समाप्त करने के कारण कीटनाशक औषधियों की मांग में गिरावट आई है।

श्री मधु लिमये और श्री मिर्धा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान को डीजल और बिजली उपलब्ध करने में सरकार असमर्थ रही है। 27 साल की आजादी के बाद भी देश के 22 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के लिये नियत राशि को पिछले वर्ष तक खर्च नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय बीज निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके आधे जबीज तो उगते ही नहीं।

सरकार किसानों को सस्ती दर पर बिजली देने में असमर्थता प्रकट करती है। दामोदर घाटी निगम 6.75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचता है, जबकि ब्रिटिश की एकाधिकार कम्पनी 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देती है।

अल्यूमोनियम के 75 प्रतिशत उत्पादन को नियंत्रित मूल्य से चार पांच गुनी कीमत पर काले बाजार में बेचा जाता है। इस बारे में सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि कार्यवाही करने से सरकार सत्ता में नहीं रह सकती।

किसानों को ऋण देने और ब्याज की शर्तों में परिवर्तन किया जाना चाहिये। अगर सरकार कृषि का सघन विकास कराना चाहती है, तो इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना

चाहिये । चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण क अनुसार 90 प्रतिशत बैंक ऋण केवल सम्पन्न किसानों को ही दिया जा रहा है ।

जूट का उत्पादन 60 लाख गांठ प्रतिवर्ष है, परन्तु भारतीय जूट निगम अब तक केवल लगभग एक लाख गांठों को ही खरीद कर सका है । जूट की भरपूर फसल होने और अतिरिक्त मात्रा में जूट उपलब्ध होने के कारण अपरिष्कृत जूट को कीमतों में भारी कमी आई है ।

कृषि मूल्य आयोग ने कहा है कि आसाम को छोड़कर अन्य सभी जूट उत्पादक राज्यों में विनियमित बाजारों की स्थापना के लिये विधान बना दिये हैं, परन्तु इन राज्यों में भी अधिनियम के उपबन्धों को सख्ती से लागू नहीं किया गया है ।

जूट-उत्पादकों को छोड़कर जूट-व्यापार में संलग्न अन्य व्यक्तियों ने पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा कमाया । मुठ्ठीभर लोग लाखों व्यक्तियों का प्रतिदित शोषण कर रहे हैं ।

भारतीय रुई निगम रुई की वसूली करने में असमर्थ रहा है । 60-62 लाख गांठों की कुल उत्पादन में से 25 लाख गांठें बाजार में आ चुकी है और भारतीय रुई निगम अब तक मुश्किल से 2 लाख गांठों की खरीद कर सका है, जबकि खरीद का लक्ष्य 29 लाख गाँठें था ।

निगम में कार्य करने वाले उच्च अधिकारी और निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति अतिरिक्त मात्रा को पंजाब क्षेत्र में खपाना चाहते हैं । विदर्भ-क्षेत्र के व्यापारी इस बात से अत्यधिक प्रसन्न है कि राज्य सरकार ने रुई का एकाधिकार खरीद को समाप्त कर दिया है । सेन्चुरी मिल्स और न्यू शाराक्स मिल्स जैसी कपड़ा मिलों के शेयरों में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इससे पता लगता है कि उनके मुनाफे में भारी वृद्धि हुई है ।

चीनी कारखानों में गन्ने से चीनी प्राप्त करने की प्रतिशतता को 25 प्रतिशत कम दिखाया जाता है । स्वयं निकासी प्रणाली को लागू करके काले धन की राशि में वृद्धि की जा रही है । चीनी कारखानों के मुनाफे में कई गुना वृद्धि हुई है । सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति इसलिये दे रही है कि लाभ की अतिरिक्त राशि का एक भाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष श्री उमाशंकर दीक्षित के पास आ जाता है ।

एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्रालय ने बताया है कि चीनी उद्योग जांच आयोग ने 27 फरवरी, 1974 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी थी और उसकी जांच की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया ? क्या आयोग ने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया है और इसी वजह से उसे छिपाया जा रहा है ?

गेहूँ के ठोक व्यापार के सरकारीकरण से सरकार मुकर गई है । उत्तरी भारत में डेढ़ रुपए किलो की दर से गहूँ बेचा गया । पश्चिम बंगाल में अब इसकी कीमत 5 रुपए प्रति किलो से कम नहीं होगी ।

मैं श्री मधु लिमये के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : आधे घण्टे की चर्चा को 6 बजकर 40 हें मिनट पर लिया जाय अथव किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघूरामैय्या) : मैंने माननीय सदस्य और मंत्री महोदय से बात कर ली है और वे इसे स्थगित करने के लिये सहमत हो गये हैं । सदन 5 तारीख को इस पर चर्चा करने के लिए सहमत हो सकता है ।

सभापति महोदय : सदन की क्या राय है ?

कुछ माननीय सदस्य : इसे स्थगित कर दिया जाय ।

सभापति महोदय : सदन आधे घंटे की चर्चा को स्थगित करने के लिये सहमत है ।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): The Resolution moved by Shri Madhu Limaye is very good and no body would disagree with his motion. But we need a machinery which has full confidence in such programmes. The prices have increased 26 per cent during the last year. Last year, the Government had decided to take over rice mills and rice-trade, but now even in the matter of wheat-trade, the Government has reversed its decision. The Government has fixed the rate of Rs. 125/- for fair price shops. This shows that Government is not interested in checking the rising prices.

The procurement and distribution of foodgrains is not in order. I am unable to understand as to how the Food Corporation of India has been supplying food grains adulterated with soil and dirt, when it has been procuring good quality wheat from farmers.

The Government has set up a sick Mills Corporation and about 100 mills have been taken over. In reply to a question, the Finance Minister had stated that the Government was thinking of producing 50 percent standard cloth instead of 10 per cent. I do not know as to how long this process of thinking would go on.

Our sugar policy is quite strange. It is argued that higher price to sugar mills is allowed so that farmers could get a higher price for their sugarcane. The Sugar Mills should not be allowed excessive profit.

Similar thing has been going on in the case of Vanaspati mills. The Hindustan Lever Ltd. has made exhorbitant profits, but the Government machinery has been obstructing the action against such firms instead of taking effective and concrete steps.

I agree with the language and intention of this motion but I feel that unless Government machinery follows the instructions and implement the declared policies of the Government, the people cannot expect any relief. All of us want to make the fertilizers available to the farmers at reasonable rates. In fact Private Mill owners sell fertilizers through their agents who pay premium in advance. When private dealers will get fertilizers on payment of premium, they will naturally sell the same in the black market. The result is that farmers are deprived of fertilizers.

Same is the case with regard to supply of power. It has been observed that power is supplied to farmers during night and he is compelled to work in the field in acute winter whereas an industrialist can get power for this air conditioners and other comforts. There is great discriminiation. Unless steps are taken to remove this discrimination, no useful purpose would be served by any such resolution. With these words, I support this resolution.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रस्तुत संकल्प में बहुत महत्वपूर्ण मामले उठाये गये हैं जिनको सम्बन्ध हमारे आर्थिक विकास और हमारी जनता के रहन-सहन के स्तर के साथ है । इसका

सम्बन्ध सरकार की मूल्य नीति से है। वस्तुत: योजना मंत्री भी चिन्तित है कि यदि मुद्रास्फिति का प्रसार इसी प्रकार होता रहा है तो पंचवर्षीय योजना का क्या होगा जिसके लिये योजना आयोग जिम्मेदार है ? आज स्थिति यह है कि आगामी एक वर्ष या 6 महीने के लिये योजना बनाना भी असम्भव है ।

यह संकल्प ऐसे समय में सभा में लाया गया है जब सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण की अपनी नीति को बदल दिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की मूल्य नीति का आशय क्या है ? कृषि मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि व्यापारियों को गहूँ खरीदने की दूसरी छूट होगी बशर्ते कि वे उसका 50 प्रतिशत भाग सरकार को दें । वे शेष 50 प्रतिशत गेहूं किसी भी मूल्य पर देशके किसी भी भाग में बेच सकते हैं । गत वर्ष हमने सरकार को वसूली मूल्य बढ़ाने के लिये कहा था ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिले परन्तु सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया था । अब सरकार ने अपने आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह पर और अधिकांश मुख्य मंत्रियों के दबाव में आकर गेहूं का मूल्य 105 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित किया है । गत वर्ष उपभोक्ताओं को 87 रुपए प्रति क्विटल के भाव पर गेहूँ मिला था, जबकि खुले बाजार में उसका मूल्य दो रुपए तीस पैसे प्रतिकिलो था । अब व्यापारी लोग 105 रुपए प्रति क्विटल गहूँ खरीदेंगे । अत: उसका विक्रय मूल्य 1.25 रुपए और और 1.30 रुपए प्रतिकिलो के बीच होगा । परन्तु खुले बाजार में उसका मूल्य 5 रुपए या 6 रुपए प्रतिकिलो होगा । फिर इस बात ो कसे सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यापारी लोग सरकार को 50 प्रतिशत गेहूं देंगे ? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने यह नीति स्वयं नहीं बनाई बल्कि इसे आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसियेशन ने बनाया है जिनके सामने सरकार पूरी तरह झुक गई है । जब तक खाद्यान्न का मूल्य कम नहीं किया जाता अथवा किसी स्तर पर स्थिर नहीं कर दिया जाता तब तक अन्य वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करना संभव नहीं होगा। सरकार ने अब जिस नीति को अपनाया है उससे मुद्रास्फिति का प्रसार होगा और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होगी । सरकार नियंत्रित मूल्य घोषित कर देती । परन्तु जब तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखा जाता तब तक उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता ।

सरकार खाद्य तेलों के मूल्य निश्चित कर देती है परन्तु उनका स्टाक तो सरकार के पास नहीं रहता । अत:, वास्तव में बाजार में बड़े-बड़ उत्पादकों का नियंत्रण रहता है । हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी वनस्पति (डालडा) बनाने वाली सबसे बड़ी फर्म है जो एक बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी की एक शाखा मात्र है, सरकार उनका स्टाक अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ? सरकार उनको उचित मूल्य देकर उनका स्टाक लेकर अपनी सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से जनता को बेच दें । इसमें क्या कठिनाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार ने मोटे कपड़े की मूल्य में 30 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी है बशर्ते कि उसका उत्पादन 40 करोड़ मीटर से बढ़ा कर 80 करोड़ मीटर कर दिया जाय । परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसको सुनिश्चित करने के लिये सरकार के पास कोई तंत्र है ? यदि कोई मिल निर्धारित मात्रा में कपड़ा नहीं बनाती तो उसका मालिक निर्धारित जुर्माना देने को तैयार होता है, क्योंकि उनको इस पर विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता । वे 'फाइन' और 'सुपरफाइन' कपड़ा बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें कई गुना लाभ मिल सकता है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार ने जिन मिलों को अपने नियंत्रण में लिया था और जो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन है, कम से कम उन मिलों में'कोर्स' और 'मीडियम' कपड़े का उत्पादन अधिकतम कर दिया जाये । सरकार की इस कपड़े को सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचना चाहिये ताकि उसकी चोरबाजारी न हो पाये ।

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

इसी प्रकार मिट्टी का तेल भी सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचा जाना चाहिये, अन्यथा एक ऐसी स्थिति आयेगी जब जनता को तेल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पैट्रोलियम मंत्रालय ने उसका कोटा काफी कम कर दिया है। इस समय जिन डीलरों के माध्यम से मिट्टी का तेल बेचा जाता है, वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और चोरबाजारी करते हैं। अतः सरकार को उनपर निर्भर नहीं करना चाहिये।

जब तक सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की वसूली सुनिश्चित नहीं करती तब तक उसका खाद्यान्न के मूल्यों पर नियंत्रण कैसे रह सकता है? अतः थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने की नीति हास्यास्पद प्रतीत होती है। इसी प्रकार कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य 157 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है परन्तु यह मूल्य काश्तकार को नहीं दिया जायगा बल्कि कलकत्ता में मिल के गेट पर यह मूल्य होगा। वास्तव में काश्तकार को उसका मूल्य इस वर्ष 30-35 रुपए प्रति मन के हिसाब से मिला है। अब किसान कच्चे पटसन के स्थान पर धान बोने के पक्ष में हैं क्योंकि इस प्रकार की जाली मूल्य नीति से उनको नुकसान उठाना पड़ा है। पटसन निगम अपने उद्देश्य में पूरी तरह असफल रहा है।

फिर, बैंक ऋण नीति का भी मूल्य नीति के साथ सम्बन्ध है। वस्तुतः विभिन्न मंत्रालय भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और उनमें कोई समन्वयन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य नीति में भी कोई सामंजस्य नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने स्वीकार किया है कि बैंक ऋण के अधिकांश भाग का उपयोग सूचियां बनाने पर खर्च किया जा रहा है, अर्थात् उसका उपयोग उत्पादक कार्यों के लिये नहीं किया जा रहा है। अतः जब तक मूल्य नीति को बदला नहीं जाता तब तक श्री मधु लिमये द्वारा दिये गये किसी भी अच्छे सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। सरकार को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के भण्डार अपने कब्जे में रखने चाहियें और उन्हें सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर बेचना चाहिये।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : प्रस्तुत संकल्प में कहा गया है कि आम खपत की वस्तुओं के मूल्य उत्पादन लागतसे डेढ़ गुना होने चाहियें। मेरे विचार में वे इस से भी कम होने चाहिये। लाभ न्यूनतम होना चाहिये। परिवहन तथा कुछ अन्य खर्चों के अलावा कुछ लाभ निर्धारित कर देना चाहिये। अतः यह आश्यवक नहीं कि वे उत्पादन लागत का डेढ़ गुना हो।

गत वर्ष आयातित 'लाँग स्टेपल काटन' पर 40 प्रतिशत की लेवी थी। इससे अच्छी किस्म की रुई के मूल्य को बढ़ाना आवश्यक हो गया। मुझे पता चला है कि रुई निगम और महाराष्ट्र सरकार ने इससे बहुत लाभ कमाया था। उन्होंने कपड़ा मिल मालिकों को अधिक मूल्य पर रुई बेची और उन्होंने भी यह कहकर खूब लाभ कमाया कि उन्हें रुई महंगी मिली है।

वाणिज्य मंत्री ने घोषणा की है कि कपड़ा मीलें 80 करोड़ मीटर 'स्टैंडर्ड' कपड़ा बनायेंगी। परन्तु मेरे विचार में यह मात्रा हमारे देश की जनता के लिये बहुत कम रहेगी। सरकार को चाहिये कि वे मिलों को केवल दो या तीन किस्मों का कपड़ा बनाने की अनुमति दें। अब स्थिति यह है कि जो मिलें 'स्टैंडर्ड' कपड़ा बनाती है वे 'फाइन' और 'सुपरफाइन' कपड़ा किसी भी मूल्य पर बेच सकती हैं। कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। वे 300-400 गुना लाभ कमाती हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार का कपड़ा बनाने पर पूरा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये इससे लोगों को लाभ पहुंचेगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा।

भारतीय जूट निगम को गांव के स्तर पर अपने कार्यालय स्थापित करने चाहियें। यह निगम व्यापारियों को किसी भी मूल्य पर पटसन खरीद लेने की अनुमति देता है और फिर वह व्यापारियों से पटसन खरीदता है। अतः इस निगम की स्थापना से पटसन के उत्पादकों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। देहाती क्षेत्रों में पटसन के व्यापारियों को लाभ पहुंचा है। यदि सरकार उत्पादकों को लाभ पहुंचाना चाहती है तो उसे पटसन खरीदने के लिये कोई संगठन बनाना चाहिये जो निर्धारित मूल्य पर किसानों से पटसन खरीदें।

आसाम में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बिजली भी कम है और उर्वरकों की सप्लाई भी नियमित नहीं है। इस संकल्प में कहा गया है कि 10 एकड़ की जोत वाले किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जानी चाहिये। मेरे विचार में यह दर भी अधिक है क्योंकि कुछ उद्योगों को दो या तीन पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई की जाती है। मैं अधिक विस्तार में न जाकर यह बताना चाहता हूं कि देश की आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहियें। इस प्रयोजनार्थ पांचवीं योजना को फिर से व्यवस्थित करना चाहिये। वह उत्पादन प्रधान बनायी जानी चाहियें क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक लोगों को उचित मूल्यों पर वस्तुएं नहीं मिल सकती। उत्पादन के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

वितरण व्यवस्था में भी सुधार किया जाना चाहिये। इस मामले में दफतरशाही दृष्टिकोण अपनाने से काम नहीं चल सकता। इस प्रकार के दृष्टिकोण से आम जनता को लाभ नहीं पहुंच सकता। सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लिया था परन्तु अकुशल वितरण व्यवस्था के कारण पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकी। अतः हमें प्रशासन में कुशलता लाने की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि उसके बिना कोई अच्छी नीति भी सफल नहीं हो सकती।

सभापति महोदय : कार्यमंत्रणा समिति ने इस संकल्प के लिये दो घण्टे का समय निर्धारित किया था जोकि समाप्त हो गया है...

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस संकल्प पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या अभी काफी अधिक है, अतः समय में दो घंटे की वृद्धि कर दी जाये और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के आगामी दिवस पर इस पर चर्चा की जा सकती है।

सभापति महोदय : क्या सभा की यह इच्छा है कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय बढ़ाया जाय।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

Shri R. R. Sharma (Banda): Mr. Chairman Sir. . . .

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

प्रथम श्रेणी के अधिकारीयों के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: GOVERNMENT DECISIONS ON THE RECOMMENDATIONS OF THE THIRD PAY COMMISSION IN RESPECT OF CLASS I OFFICERS

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्रेणी-I की केन्द्रीय सेवाओं और पदों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

2. जैसा कि सदन को मालूम ही है, आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च, 1973 को प्रस्तुत कर दी थी और सरकार ने श्रेणी-II, III और IV के कर्मचारियों के बारे में की गयी सिफारिशों पर अपने निर्णयों की घोषणा पिछले अक्तूबर में कर दी थी। अब सरकार ने श्रेणी-I की केन्द्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सिफारिशों पर यथोचित विचार कर लिया है जिसमें इन सिफारिशों में कुछ परिवर्तन के लिये की गयी मांगों को भी ध्यान में रखा गया है, और इस निर्णय पर पहुंची है कि अनेक कारणों से, खास तौर पर वर्तमान आर्थिक स्थिति और विभिन्न सेवाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के कारण किसी खास सेवा अथवा श्रेणी से सम्बन्धित शिफारिशों में केवल कुछ सीमान्तक समायोजनों को छोडकर, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। एतद्नुसार, सरकार ने केन्द्रीय श्रेणी I की सेवाओं के वेतन-मानों, संवर्गों और पदों से सम्बन्धित आयोग की सिफारिशों को निम्नलिखित फेर-बदल के साथ मोटे तौर पर स्वीकार करने का निर्णय किया है :—

(1) केन्द्रीय सेवाओं के लिये वरिष्ठ वेतनमान के संबंध में आयोग ने कुछ इंजीनियरी सेवाओं और विशेषज्ञों से संबंधित सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सेवा और गैर तकनीकी सेवाओं के लिये 1050 रुपए के निम्नतर प्रारंभिक वेतन की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सेवाओं का वर्तमान वरिष्ठ वेतन-मान इस समय एक ही है और आयोग द्वारा सिफारिश किये गये दो भिन्न-भिन्न न्यूनतम वेतनों को स्वीकार करने से उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि इस प्रकार की केन्द्रीय श्रेणी I सेवाओं के वरिष्ठ वेतनमान का न्यूनतम वेतन भी 1100 रुपया होगा।

(2) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन वृद्धियों को लेने के लिये सेवा अवधि पर आयोग द्वारा सिफारिश किये गये प्रतिबन्ध की अवधि को हटा दिया जायगा।

(3) हालांकि कतिपय सेवा में प्रवरण ग्रेड की व्यवस्था के लिये आयोग की विशिष्ट सिफारिशों को अमल में लाया जायेगा, इस प्रकार के ग्रेड को विभिन्न श्रेणी I सेवाओं में लागू करने के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया गया है, और प्रत्येक सेवा संवर्ग में इस ग्रेड के अधिकारियों की संख्या उस सेवा/संवर्ग की संरचना उसमें पदोन्नति की संभावनाओं आदि की विस्तृत जांच/समीक्षा के बाद निश्चित की जायेगी।

(4) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में विभागाध्यक्षों के पदों की संख्या और उत्तरदायित्व पर विचार करने के बाद सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि 2500-2750 रुपए के वेतन-मान में पदों की संख्या को बढ़ाकर आधा कर दिया जाय।

(5) विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति की संभावनाओं को, जहां कहीं आवश्यक हो, बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सेवाओं के संवर्ग की संख्या की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने के लिये संवर्ग समीक्षा समिति से अनुरोध किया जायेगा ।

3. सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित सिफारिशों को भी इस अपवाद के साथ स्वीकार किया जायेगा कि भारतीय प्रशासन सेवा के मामले में प्रवरण ग्रेड के अधिकारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी । भारतीय पोलिस सेवा के मामले में वरिष्ठ-वेतनमान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 1100—1600 रुपए की बजाये 1200–1700 रुपए होगा और प्रवरण ग्रेड आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 1650—1800 रुपए की बजाय 1800 रुपए पर होगा । भारतीय वन-सेवा के संबंध में की गयी सिफारिशों को भी स्वीकर लिया गया है । इस सेवा में प्रवरण ग्रेड उपवन संरक्षक अथवा संरक्षक के स्तर ऊपर के स्तर में होना चाहिये, इस प्रश्न की जांच राज्य सरकारों द्वारा दिय गये सुझावों को दृष्टि में रखते हुए की जायेगी और प्रवरण ग्रेड तथा संरक्षक के ग्रेड के बारे में निर्णय उसके बाद किये जायेंगे ।

4. केन्द्रीय श्रेणी-I सेवाओं के अधिकारियों में, जब उन्हें उनकी सेवाओं में मुख्यालय संगठनों में तैनात किया जाता है, विशेष वेतन मंजूर करने संबंधी और क्षेत्रीय कार्यालियों में पदों पर विशेष वेतन को युक्तिसंगत बनाने के लिये की गयी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने तकनी की सेवाओं के अधिकारियों को भी विशेष वेतन मंजूर करने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है जो श्रम-साध्य स्वरूप का कार्य करते हैं अथवा जिनके लिये आवश्यक योग्यताओं के आलावा विशेष प्रकार की योग्यताएं और विशिष्ट ज्ञान आवश्यक होता है । जहां तक भारतीय प्रशासन सेवा के लिए विशेष वेतन मंजूर करने से सम्बन्धित सिफारिशों का सम्बन्ध है ऐसे पदों की अधिकतम संख्या को कम करके 50 प्रतिशत करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी जो विशेष वेतन पाने के हकदार हों । तथापि, सरकार विशेष वेतनों की प्रणाली और तीन पदों पर ये वेतन दिये जाने चाहिये उनके बारे में एक विस्तृत समीक्षा करने का इरादा रखती है। चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस नहीं करने के लिये दिये जाने वाले भत्ते के बारे में की गयीं सिफारिशों पर निर्णय बाद में घोषित किये जायेंगे ।

5. सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी भी केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्ति के पात्र होंगे ।

6. जहां तक वेतन-निर्धारण, भत्ते की मंजूरी, सेवा-निवृत्ति लाभ, लागू होने की तारीख आदि के बारे में आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का संबंध है, सरकार ने इन सिफारिशों को मोटे तौर पर मान लिया है और श्रेणी-II से श्रेणी IV तक के कर्मचारियों के लिये जिन सुधारों की व्यवस्था की गयी हैं उन्हें, जहां वे लागू होते हैं, श्रेणी-I तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी उपलब्ध कर दिया गया है ।

7. वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार आशा करती है कि श्रेणी-I और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, इन निर्णयों के कारण 1-1-1973 से 31-12-1973 तक की अवधि के लिये उन्हें मिलने वाली बकाया की शुद्ध रकम को एक विशेष जमा के रूप में अपने भविष्य निधि खातों में जमा करेंगे। लेकिन इस प्रकार अंशदायी भविष्य निधि खातों में जमा की गयी रकमों पर सरकार द्वारा तदनुरूपी अंशदान नहीं दिया जायगा ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: REVISION OF PAY SCALES OF UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया गया है। पुनरीक्षित स्वीकृत वेतनमान निम्न प्रकार हैं :—

विश्वविद्यालय

लेक्चरार .	रु० 700—40—1100—50—1600
रीडर	रु० 1200—50—1300—60—1900
प्रोफेसर . .	रु० 1500—60—1800—100—2000—125/2—2500
सुविख्यात प्रोफैसर . .	रु० 3000 (फिक्स्ड)

सम्बद्ध कालेज (स्नातकोत्तर और अवर स्नातक)

डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर (वर्तमान पदधारी)	रु० 500—20—700—25—900
लेक्चरार . . .	रु० 700—40—1100—50—1300—50—1600
प्रिंसीपल	(i) रु० 1200—50—1300—60—1900
	(ii) रु० 1500—60—1800—100—2000—125/2—2500

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य स्वायत्तशासी संगठनों में कार्य करने वाले शैक्षणिक कर्मचारियों को, जिन्हें इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्राप्त है, भी अब पुनरीक्षित नए वेतनमान मिलेंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में सलेक्शन ग्रेड देने तथा लाइब्रेरियनों और शारीरिक प्रशिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर भी सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारशें मिलने पर विचार करेगी, सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के मामले में भारत सरकार राज्य सरकारों को 1 जनवरी 1973 से जब से कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारशें लागू की गई हैं, नये वेतनमान लागू करने के लिये विशेष सहायता देगी। केन्द्र की सहायता राज्य सरकारों ो पांच वर्ष तक दी जायेगी, जो 1 जनवरी, 1973 को वर्तमान पदों के अतिरिक्त भार का 80 प्रतिशत होगी यह सहायता राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले इस आश्वासन पर दी जाय ी कि वह पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् केन्द्रीय सहायता के बिना नये वेतनमानों को लागू रखने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

40 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्यमंत्रणा समिति का 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 अप्रैल, 1974/12 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 2, 1974/ Chaitra 12, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—विभाग 6—9 एल०एस०एस० (एन०डी०)/74—23-7-74—490.